

19th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18



इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न श्रेणी-I)
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna Category-I)

दृष्टिकोण VISION

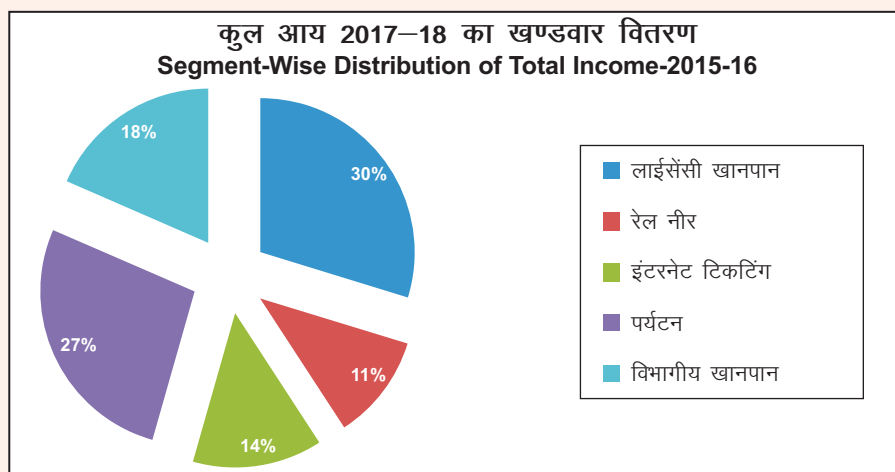
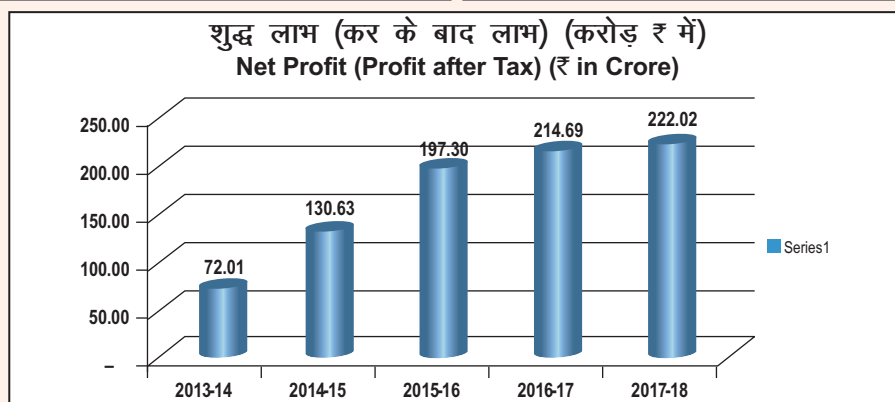
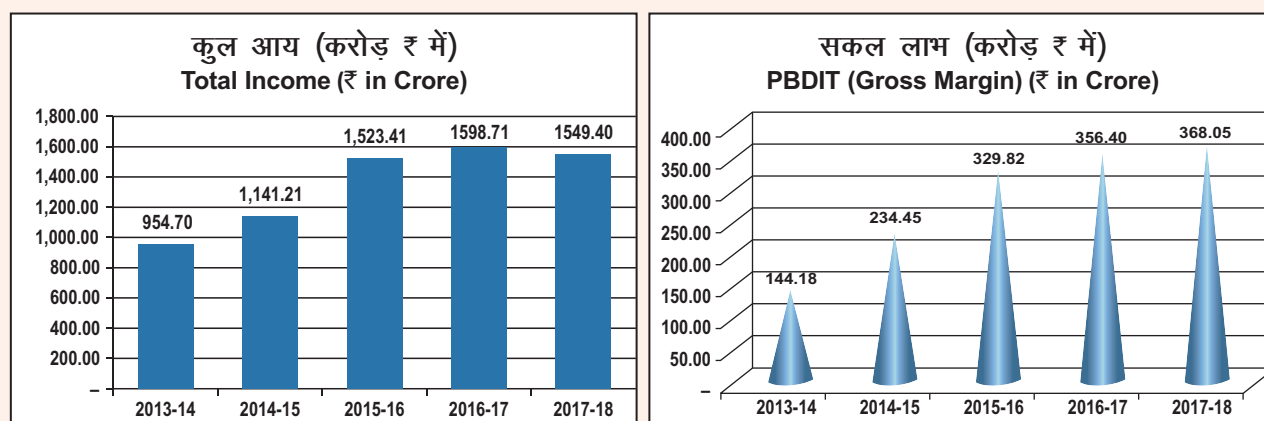
“विभिन्न ग्राहक क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य-सत्कार संबंधी उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में अग्रणी बनने के साथ-साथ ग्राहक संतुष्टि का निरंतर उच्च स्तर बनाए रखना.”

“To be the leading provider of high quality travel, tourism and hospitality related services, for a range of customer segments, with consistently high level of customer satisfaction.”

मिशन MISSION

“आईआरसीटीसी आतिथ्य-सत्कार सेवाओं, यात्रा और पर्यटन, बोतलबंद पेयजल तथा इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्रों में यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स और सेवाएं उपलब्ध करवाकर स्वयं को अग्रणी साबित करेगा, जिसके लिए भारतीय रेलवे तथा गैर-भारतीय रेलवे संबंधी सेवाओं, जैसे एक लचीले बिजनेस पोर्टफोलियो का निर्माण करना, जो आरोह्य है और कड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, को लक्ष्य बनाया गया है।”

“IRCTC will establish itself as a leader in the area(s) of hospitality services, Travel and Tourism, packaged drinking water, and Internet Ticketing by providing value added products and services for passengers, tourists and other customers, targeting IR and Non-IR related services alike, building a resilient business portfolio that is scalable and based on core competence.”



निदेशक मंडल (आम सभा बैठक के दिन)



श्री एम.पी. मल्ल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(18.09.2017 से)

पूर्ण-कालिक निदेशक



श्री वी. श्रीराम
निदेशक (खानपान सेवाएं)



श्रीमती रजनी हसीजा
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (18.05.2018 से)

अंश-कालिक सरकारी निदेशक



श्रीमती स्मिता रावत
कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एण्ड टी)
रेलवे बोर्ड



श्री नीरज शर्मा
कार्यकारी निदेशक (पीएम), रेलवे बोर्ड
(12.07.2018 से)

अंश-कालिक (गैर सरकारी) निदेशक



डॉ. रवी नारायण बोहिदर
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. धीरज शर्मा
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती कनक अग्रवाल
स्वतंत्र निदेशक



प्रो. सचिन चतुर्वेदी
स्वतंत्र निदेशक
(10.10.2017 से)



श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती
स्वतंत्र निदेशक
(13.10.2017 से)



सुश्री सरिता देसपांडे
स्वतंत्र निदेशक
(29.03.2018 से)



आईआरसीटीसी की 19वीं वार्षिक आम बैठक





इंडियन रेलवे कटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018



19th
वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2017-18



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न श्रेणी-I)

विषय-सूची

प्रलेख	पृष्ठों संख्या
दस वर्ष की वित्तीय सूचना	1
अध्यक्ष का संबोधन	2 - 4
निदेशकों की रिपोर्ट	5 - 33
निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध	
(i) अनुबंध - क : प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	34 - 44
(ii) अनुबंध - ख : कॉरपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट।	45 - 60
अनुबंध - ख-1: आचरण संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा	61
अनुबंध - ख-2: मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन	61
अनुबंध - ख-3: कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	62
(iii) अनुबंध - ग : कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एंड सतत् विकास पर रिपोर्ट	63 - 66
(iv) अनुबंध - घ : 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा रिपोर्ट (फॉर्म नं एमआर-3)	67 - 69
(v) अनुबंध - ङ : वार्षिक प्रतिफल का निष्कर्ष (फॉर्म नं एमजीटी-9)	70 - 75
(vi) अनुबंध - च : निदेशक रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट	76 - 80
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्टें एवं अनुबंध से रिपोर्ट	81 - 87
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	88
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	89
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश-फ्लो) विवरण	90
तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा के साथ संलग्न टिप्पणियां	91 - 137
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	138



पूर्ण-कालिक निदेशक

डॉ. ए.के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 तक)
श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (19.09.2017 से)
(13.10.2017 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सहित)
श्रीमती ए.के. बरार, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (30.11.2017 से)
श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं)
श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (18.05.2018 से)

अंश-कालिक (सरकारी) निदेशक

श्री बी. प्रशांत कुमार, कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड
(24.05.2017 से)
श्री नीरज शर्मा, कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड
(12.07.2018 से)
श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी), रेलवे बोर्ड

अंश-कालिक (गैर-सरकारी) निदेशक

डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक
डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक
प्रो. सचिन चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक (10.10.2017 से)
श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती, स्वतंत्र निदेशक (13.10.2017 से)
सुश्री सरिता देशपांडे, स्वतंत्र निदेशक (29.03.2018 से)

पूरक सूचना

सीएफओ

श्री अजय श्रीवास्तव (21.08.2017 से)

कम्पनी सचिव

श्रीमती सुमन कालरा

सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स सर्वा एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
1011-1014, 10वां तल, आर जी ट्रेड टॉवर,
नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110005

आंतरिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स के.एस. चौधरी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
212, एम.जे. शॉपिंग सेंटर, 3, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली-110092

लागत लेखा-परीक्षक

मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स,
सी4ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058

सचिवीय लेखा-परीक्षक

मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कम्पनी,
कम्पनी सचिव,
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

बैंकर्स

1. एचडीएफसी बैंक
2. आईसीआईसीआई बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्रा बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक
17. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. यस बैंक
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक
21. फेडरल बैंक
22. कर्नाटका बैंक
23. इन्डसइन्ड बैंक
24. कोटक महिन्द्रा बैंक
25. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
26. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
27. इलाहाबाद बैंक
28. करूर वैश्य बैंक
29. इण्डियन ओवरसिज़ बैंक
30. आरबीएल बैंक लिमिटेड
31. साऊथ इण्डियन बैंक
32. आईडीएफसी बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय

11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस,
बी-148, बाराखम्मा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

इंटरनेट टिकटिंग सेन्टर

नया परिचालन सेन्टर, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय,
आईआरसीए परिसर, स्टेट एन्ट्री रोड,
नई दिल्ली-1100055



पर्यटन कार्यालय

एम-13, पुंज हाऊस, ब्लौक-एम, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

रेल नीर संयंत्र

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :

उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टेशन एरिया,
नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई,
दिल्ली-110041

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :

लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स, खगौल,
दानापुर-801105

रेलनीर संयंत्र, पालूर :

रेलवे स्टेशन, तालुक चेंगलपट्टू,
जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु -603101

रेलनीर संयंत्र, अम्बरनाथ :

जीआईपी डैम के समीप एडिशनल एमआईडीसी,
पोस्ट आनन्द नगर, अम्बरनाथ (पूर्व),
जिला- थाने, महाराष्ट्र-421506

रेलनीर संयंत्र, अमेठी :

प्लॉट नं. सी-11 व 12,
यूपीएसआईडीसी इडण्डस्ट्रियल एरिया,
टकरिया, गौरीगंज, जिला- अमेठी

रेलनीर संयंत्र, पारास्सला :

रेलवे यार्ड, न्यू पारास्सला रेलवे स्टेशन,
केरला-695502

रेलनीर संयंत्र, बिलासपुर :

प्लॉट नं. 22/23, सेक्टर-बी, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र,
जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495004

सेन्ट्रल किचन :

प्लॉट नं. ए60, सेक्टर-64,
नोएडा - 301201

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर जोन :

रेलयात्री निवास, भू-तल,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली-110002

पूर्व जोन :

पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता-700001

पश्चिम जोन :

दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग,
सेन्ट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई-400001

दक्षिण जोन :

6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड,
चेटपेट, चेन्नै-600031

दक्षिण-मध्य जोन :

तीसरा तल, ऑक्सफोर्ड प्लाजा,
सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद,
आंध्र प्रदेश-500003



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

दस वर्षीय आंकड़े

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13*	2013-14*	2014-15*	2015-16*	2016-17**	2017-18**
1	कुल आय	618.77	721.97	764.93	554.11	719.69	954.70	1,141.21	1,523.41	1598.71	1549.40
2	व्याय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	536.68	614.63	620.69	482.83	611.24	810.52	906.76	1,193.58	1,242.31	1,181.35
3	परिचालन मार्जिन	82.09	107.34	144.24	91.28	108.45	144.18	234.45	329.82	356.40	368.05
4	व्याज खर्च	-	0.03	0.30	-	-	-	-	1.81	2.54	2.91
5	मूल्यह्रास	10.10	12.55	14.15	14.74	16.04	16.77	20.42	21.22	22.41	23.66
6	कर पूर्व लाभ	73.85	94.76	129.79	76.54	92.41	127.41	214.03	306.79	331.45	341.48
7	कर बाद लाभ	46.50	63.05	60.79	48.54	58.84	72.01	130.63	197.30	214.69	222.02
8	घोषित लाभांश	9.31	12.61	12.16	9.71	11.77	14.40	26.13	75.45	84.68	88.81
9	इतर परियोजनाएं आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	सामान्य आरक्षित को स्थानांतरण	35.00	45.00	45.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	अन्य आरक्षित	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-
12	आरक्षित एवं सरप्लस	94.46	142.76	191.41	226.70	271.77	326.92	424.25	680.57	738.34	907.71
13	शुद्ध अचल परिसंपत्तियां (ग्रास ब्लाक)	76.36	126.84	135.18	178.76	203.12	213.52	276.84	310.69	337.62	336.63
14	वस्तु सूची	5.19	7.79	6.21	5.45	9.08	9.53	9.54	8.26	6.58	7.41
15	विदेशी मुद्रा आय	30.85	13.48	13.27	12.53	11.06	11.80	21.89	35.23	47.51	37.59
16	शेयर पूंजी	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00
17	नियोजित पूंजी	103.87	151.72	195.05	204.97	210.67	320.35	456.74	768.33	853.19	998.31
18	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	शुद्ध मूल्य	114.46	162.76	211.41	246.70	291.77	346.92	444.25	700.57	778.34	947.71
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ (% में)	71.10	62.46	66.54	37.34	43.86	39.77	46.86	39.93	38.85	34.21
21	नियोजित पूंजी पर परिचालन मार्जिन (% में)	79.03	70.75	73.95	44.53	51.48	45.01	51.33	42.93	41.77	36.87
22	शेयर पूंजी पर कर के बाद लाभ (% में)	232.50	315.25	303.95	242.70	294.19	360.05	653.15	986.48	536.73	555.05
23	आय पर व्यय (% में)	86.73	85.13	81.14	83.53	84.93	84.90	79.46	78.35	77.71	76.25
24	कर्मचारियों की संख्या	3,780	2,645	1,934	1,762	1,725	1,672	1,511	1,483	1,494	1,464
25	प्रति कर्मचारी आय	0.16	0.27	0.40	0.31	0.42	0.57	0.76	1.03	1.07	1.06
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03
27	वर्तमान अनुपात	1.13	1.13	1.22	1.23	1.20	1.45	1.55	1.96	1.80	1.71
28	डेब्ट/इक्विटी अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	निवेश	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-

*आंकड़े तुलन पत्र के संशोधित अनुसूची VI के प्रपत्र के अनुसार हैं।

**आंकड़े भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के अनुसार हैं।



अध्यक्ष का संबोधन



प्रिय सदस्यों,

आईआरसीटीसी के निदेशक मण्डल की ओर से मैं आप सभी का आपकी कम्पनी की 19वीं वार्षिक आम सभा में स्वागत करता हूँ। आप सभी को आज यहां उपस्थित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपका निरंतर समर्थन और सद्भावना कम्पनी की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आपकी कम्पनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को एक बार फिर से प्रस्तुत करने पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। वित्त वर्ष 2017-18 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी आप सभी को पहले से परिचित की गई है। मैं

आपकी अनुमति से इसे आपके द्वारा पढ़ लिया गया मान लेता हूँ।

वित्त वर्ष 2018 में कम्पनी के मुश्किल व्यवसायिक माहौल के बावजूद आपकी कम्पनी ने मजबूत वित्तीय परिचालन प्रदर्शन जारी रखा है। हम अपने कार्यनिष्पादन को आपके साथ साझा करते हुए मैं गतिशील व्यवसाय माहौल में कम्पनी के भावी अवसरों और चुनौतियों का रखना चाहता हूँ।

वित्तीय विशेषताएं

कम्पनी ने 2016-17 में 1538 करोड़ रुपये के टर्नओवर की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1468 करोड़ रुपये का टर्नओवर रहा (केवल 4.8 प्रतिशत की कमी)। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक किए गए टिकटों से सेवा प्रभार वापस लेने के बावजूद यह टर्नओवर रहा। इसके परिणाम स्वरूप टर्नओवर में वित्त वर्ष 2018 में 500 करोड़ रुपये (अनुमानित) के नुकसान से कंपनी को प्रभावित किया।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने पिछले वर्ष 331 करोड़ रुपये (अनुमानित) के मुकाबले 341 करोड़ रुपये (अनुमानित) करोपरान्त लाभ (पीएटी) अर्जित किया। कंपनी की शुद्ध पूंजी भी 31.3.2017 को 778 करोड़ रुपये (अनुमानित) की तुलना में 31.3.2018 को 948 करोड़ रुपये (अनुमानित) तक हो गई।

निदेशक मंडल ने पिछले वर्ष भुगतान किए गए 84.68 करोड़ रुपये रुपये की तुलना में 2017-18 के लिए 88.81 करोड़ रुपए रुपये की राशि के 40% पीएटी के लाभांश की सिफारिश की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा पर शून्य टिप्पणी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि यह कुशल लेखाकरण और प्रकटन पद्धतियों और वांछित जांचों और प्रणालियों के पालन से हो सका है।

कम्पनी को आशा है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी को स्वयं निर्धारण के द्वारा निर्धारित मापदण्डों से प्राप्त उपलब्धियों से “बहुत अच्छी” रेटिंग प्राप्त होने की उम्मीद है।

मैं अब उपस्थित सदस्यों के समक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी के क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन को संक्षिप्त रूप से रखना चाहता हूँ:-

1. खानपान एवं आतिथ्य-सत्कार

प्रमुख चल इकाइयों का अधिग्रहण अक्टूबर 2017 में पूरा हुआ था। कुल 186 चल ठेकों को ठेकों के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से रेलवे से ले लिए गए हैं। कंपनी ने 25 फूड प्लाजा और 29 फास्ट फूड इकाइयों को भी शुरू किया गया जिससे पूरे भारतीय रेलवे में अब 254 परिचालन इकाइयों का प्रबंधन किया जा रहा है।

कार्य-कुशलता में सुधार और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित पहल की गई:

- ❖ वित्त वर्ष 18 में 16 बेस किचनों का उन्नयन और स्वचालन किया गया।
- ❖ आईआरसीटीसी की बेस-किचन और सेल किचनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- ❖ इन कैमरों की सहायता से केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में इन किचनों की निगरानी के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई और सीधा प्रसारण को जनता के लिए शुरू किया गया।



- ❖ “विभागीय गाड़ियों में आसान संभाल, पर्यावरण अनुकूल और तापमान बनाए रखने वाले गन्ने के बगासे (जैव-बायोडिग्रेडेबल) से तैयार पैकेजिंग” सामग्री शुरू की गई।
- ❖ राजधानी, शताब्दी और दूरंतों गाड़ियों पर तैनात सभी ऑनबोर्ड कर्मियों को “कृपया कोई टिप्स नहीं” के प्रतीक चिन्ह लगे वर्दी का एक पूरा सेट जारी किया गया।
- ❖ राजधानी गाड़ियों में भोजन सेवा के लिए नवीन ट्रॉली का परीक्षण शुरू हुआ।
- ❖ अधिक वसूली के मामलों को रोकने के लिए, गाड़ियों में हैंडहेल्ड बिलिंग डिवाइस जारी किए गए।
- ❖ ऐप आधारित फीडबैक सिस्टम टैबलेट राजधानी, शताब्दी, दूरंतों (आरएसडी) गाड़ियों में ऑन-बोर्ड पर्यवेक्षकों के लिए शुरू किए गए।

आपकी कम्पनी का लाइसेन्सी खानपान का राजस्व वर्ष 2016-17 के 161 करोड़ रुपए (अनुमानित) की तुलना में 2017-18 में बढ़कर 446 करोड़ रुपए (अनुमानित) रहा। विभागीय खानपान राजस्व वर्ष 2016-17 के 235 करोड़ रुपए (अनुमानित) की तुलना में 2017-18 में बढ़कर 277 करोड़ रुपए (अनुमानित) रहा।

2. रेल नीर:

नांगलोई, दानापुर, पालुर, अम्बरनाथ, अमेठी, परासाला और बिलासपुर संयंत्रों में रेल नीर का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के 18.70 करोड़ बोतलों की तुलना में वित्त वर्ष 18 में 20.20 करोड़ बोतलें रही।

दिल्ली, पटना, पालुर, अम्बरनाथ, अमेठी, परासल्ला और बिलासपुर में स्थित 7 परिचालित संयंत्रों के अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 19 में चार अतिरिक्त संयंत्रों को चालू करने का लक्ष्य रखा है।

2017-18 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 632 वॉटर वेंडिंग मशीनों को स्थापित किया। 31 मार्च 2018 तक, आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे में पहचान की गई 2500 वाटर वेंडिंग मशीनों के मुकाबले 1735 वाटर वेंडिंग मशीनों को संचयी रूप से स्थापित किया है।

रेल नीर सेगमेंट का राजस्व 2016-17 के 159 करोड़ रुपए (अनुमानित) की तुलना में वर्ष 2017-18 में 166 करोड़ रुपए (अनुमानित) रहा।

3. यात्रा और पर्यटन

रेलवे पीएसयू होने की ताकत के साथ, आईआरसीटीसी की रेल पर्यटन में विशेषज्ञता है और वर्तमान में, इस सेगमेंट में बाजार में शीर्ष पर है। रेल पर्यटन के अलावा, आईआरसीटीसी ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पर्यटन बाजार में बने रहने के लिए विभिन्न अन्य पर्यटन व्यवसायों में भी विविधता हासिल की है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेज, लैंड टूर पैकेज, होटल बुकिंग, कस्टमाइज्ड और एलटीसी टूर आदि हैं। विभिन्न पर्यटन उत्पादों की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पर्यटन पोर्टल कार्यात्मक है और इंटरनेट का उपयोग कर व्यवसाय की संभावना को टैप करने के लिए उपलब्ध है।

कंपनी आगामी वर्षों में वर्तमान पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ नए उत्पाद जैसे रेल टूर पैकेज, एयर पैकेज, ग्लास टॉप कोचों, इवेन्ट मैनेजमेन्ट, कॉरपोरेट यात्रा, बुद्धिस्ट विशेष पर्यटन गाड़ी शुरू करना है।

राज्य विशेष पर्यटन गाड़ियों को कम संख्या में चलने के कारण आईआरसीटीसी के यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय में वर्ष 2016-17 के 529 करोड़ रुपए (अनुमानित) की तुलना में वर्ष 2017-18 में 407 करोड़ रुपए (अनुमानित) की आय से कमी आई है तथापि, वर्तमान वर्ष में इसमें बढ़ोत्तरी होगी।

4. इंटरनेट टिकटिंग

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग सेवा भारतीय रेलवे की ऑनलाइन बुक की जाने वाली आरक्षित टिकटों का अब 66% (अनुमानित) हो गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान औसतन 6.75 लाख से अधिक टिकटें आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन बिक्री की गई हैं।

रेल मंत्रालय ने 23 नवम्बर 2016 से सेवा प्रभार समाप्त कर देने का इस क्षेत्र में राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथापि रेल मंत्रालय के द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार आईआरसीटीसी के द्वारा वेबसाइट, विपणन, परिचालन और बिक्री पश्चात् सेवा के लिए वार्षिक खर्च हेतु वित्त वर्ष 2018 में 80 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई।



इस सेगमेंट के तहत आपकी कम्पनी द्वारा की गई पहलों में यूपीआई/बीएचआईएम भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराना है; उपयोगकर्ता आईडी से आधार को लिंक कराना; अनुभूति श्रेणी के कोच की बुकिंग और आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं के लिए अभी बुकिंग करो और भुगतान बाद में करो (15 दिनों के बाद) की सुविधा शुरू करना है।

इंटरनेट टिकटिंग क्षेत्र से प्राप्त राजस्व 2016-17 के 470 करोड़ रुपये की तुलना में 2017-18 में 204 करोड़ रुपये रहा। यह वेबसाइट पर विज्ञापन, डाटा मोनीटाइजेशन, ई नीलामी, रिटेल प्रबंधन आदि के पूरी क्षमता से उपयोग करने से संभव हो सकता है।

5. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और कॉरपोरेट अभिशासन

सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, आईआरसीटीसी नैतिक, पारदर्शी और सशक्त अभिशासन प्रथाओं के आधार पर सीएसआर के माध्यम से आसपास के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सतत विकास और सुधार को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता रहा है। वित्त वर्ष 18 के दौरान, सीएसआर के केन्द्रित क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छता और स्वास्थ्य रहे हैं। वित्त वर्ष 18 के दौरान 5.68 करोड़ के सीएसआर बजट में से, कंपनी ने 5.43 करोड़ रुपये खर्च किए और 24.29 लाख की खर्च नहीं हुई राशि अगले वर्ष के बजट में शामिल की जाएगी।

कॉर्पोरेट अभिशासन की आपकी कंपनी का दर्शन इसकी धारणा से उत्पन्न होता है कि सुशासन की भावना, पारदर्शिता का उच्च स्तर, उत्तरदायित्व, नैतिक व्यापार प्रथाओं, कानून का अनुपालन, सच्ची भावना द्वारा पर्याप्त प्रकटीकरण, कॉरपोरेट निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन के प्रति वचनबद्धता का उच्च स्तर पर पालन करना। आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, कॉरपोरेट अभिशासन पर एक अलग सेक्शन निदेशकों की रिपोर्ट में जोड़ा गया है और कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र के अलावा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा कराके प्राप्त किया गया है।

6. आभार

अंत में, मैं आभार करना चाहता हूँ कि यह सभी केवल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निरंतर और समर्पित प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण संभव हो सका है। कंपनी के प्रबंधन की तरफ से, मैं भारत सरकार, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग निवेश एवं सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलवे, सभी राज्य सरकारों, विभागों और हमारे सहयोगियों को आपकी कंपनी में विश्वास और भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं बोर्ड के सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षक, सीएंडएजी और अन्य संगठनों और संस्थानों के द्वारा उनके सतत समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग आईआरसीटीसी को करने के लिए हार्दिक प्रशंसा और आभार प्रकट करता हूँ। यह निश्चित रूप से कंपनी के सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने वाली कंपनी के निरंतर विकास, विस्तार और समृद्धि के लिए हमारे सर्वोत्तम प्रयासों में शामिल होने का हमारा प्रयास होगा।

धन्यवाद।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितम्बर, 2018

(टिप्पणी: इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का अंग न समझा जाए)

हस्ता./.
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 02316235



निदेशकों की रिपोर्ट

सम्मानित सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के व्यापार एवं परिचालन की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ —साथ 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कम्पनी का विस्तृत वित्तीय और परिचालन निष्पादन रिपोर्ट में दिया गया है।

1. वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी का वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में निष्पादन के साथ नीचे दिया गया है:—

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	प्रतिशत बढ़ोत्तरी / गिरावट
टर्नओवर	1468.18	1538.93	(4.59)
कुल आय	1544.16	1595.30	(3.21)
कर पूर्व लाभ	341.48	331.45	3.03
कर के लिए प्रावधान	119.46	116.76	2.31
कर के बाद लाभ	222.02	214.69	3.41
अग्रेणीत लाभ	353.42	330.65	22.77
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित	35.00	35.00	—
अन्तरिम लाभांश	—	37.50	(100)
अंतिम लाभांश (अन्तरिम लाभांश और लाभांश वितरण कर सहित)	106.89	101.92	4.88
आरक्षित एवं सरप्लस	907.71	728.84	22.94
शुद्ध मूल्य	947.71	778.34	21.76
प्रतिशेयर आय (रूपयों में)	55.51	52.93	4.87

क. पूंजीगत संरचना

31 मार्च 2018 को कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 50 करोड़ और 40 करोड़ थी। कम्पनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के और इसके नामितियों के पास है।

ख. लाभांश

निवेश और सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग के दिनांक 27 मई 2016 में दिए गए दिशा निर्देशों में वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का न्यूनतम लाभांश शुद्ध पूंजी का 5 प्रतिशत या करोपरान्त लाभ का 30 प्रतिशत होना चाहिए। उपरोक्त को देखते हुए निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपये पर अन्तिम लाभांश 222% की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रस्तावित अन्तिम लाभांश की राशि 88.81 करोड़ रुपये थी और कुल लाभांश (वितरण कर सहित) जोकि वित्त वर्ष 2016-17 के 101.92 करोड़ रुपये की तुलना में 106.89 करोड़ रु. है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल लाभांश भुगतान पी.ए.टी. का 40% और 31.03.2018 को शुद्ध पूंजी का 9.37 प्रतिशत है। अन्तिम लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों के अनुमोदन की शर्त सहित होगा।

ग. रेल मंत्रालय के राजस्व में योगदान

वर्ष के दौरान कम्पनी ने रेल मंत्रालय के राजस्व में भी पिछले वर्ष के 327.31 करोड़ रुपये की तुलना में कुल 185.05 करोड़ रुपये का अंशदान किया। रेल मंत्रालय के राजस्व में किए गए अंशदान में दुलाई प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेन्स फीस, उपयोगकर्ता प्रभार और लाभांश शामिल हैं।

घ. आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

केन्द्रीय बजट 2017 में आपकी कम्पनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई थी तथापि इसे आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय की पुष्टि की प्रतीक्षा है।



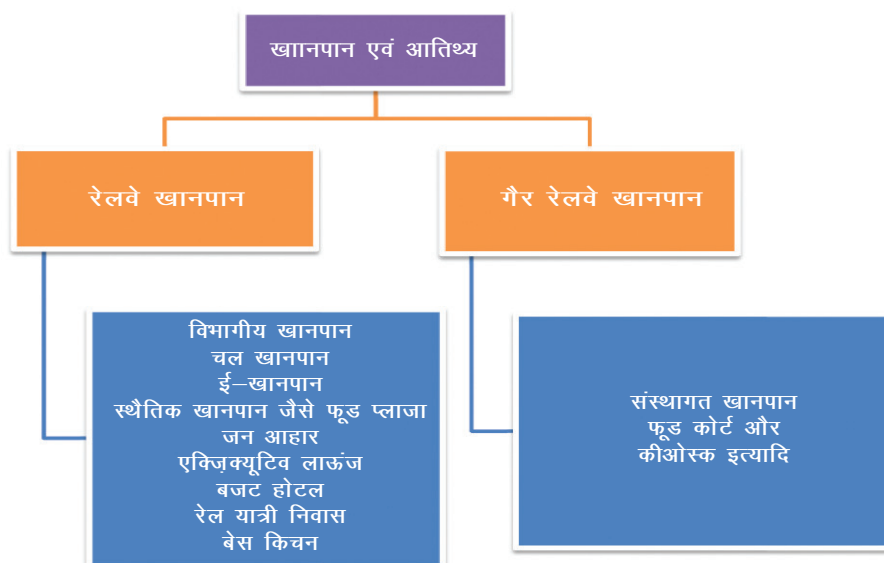
2. परिचालनिक निष्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रवार परिचालनिक निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:-

- क. खानपान एवं आतिथ्य सत्कार
- ख. यात्रा एवं पर्यटन
- ग. इंटरनेट टिकटिंग
- घ. बेतलबंद पीने का पानी (रेल नीर)

(क) खानपान एवं अतिथि सत्कार :-

आईआरसीटीसी के खानपान और अतिथि सत्कार के क्षेत्रवार कार्य निम्न प्रकार विभाजित है:



विभागीय खानपान इकाइयों से होने वाला घाटा वर्ष 2017-18 में घटकर 14.86 करोड़ रु. हो गया है जबकि, पिछले वर्ष यह 54.18 करोड़ रुपये का था। 27.02.2017 से नई खानपान नीति लागू होने से विभागीय खानपान क्षेत्र में घाटा और कम होगा।

1. रेलवे खानपान

i. चल खानपान

31.03.2018 को आईआरसीटीसी 08 राजधानी, एक-एक तेजस और गतिमान, 07 शताब्दी, 14 दूरंतों, 12 हमसफर, 03 जन शताब्दी और 97 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में अस्थाई लाईसेंस प्रदान करके ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है। आईआरसीटीसी राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी की एक-एक और 03 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में विभागीय परिचालनों के द्वारा भी परिचालित कर रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 01-01 तेजस, राजधानी और शताब्दी, 07 हमसफर और 10 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों शुरू की है और आईआरसीटीसी इन गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं प्रबंधन कर रहा है।

खानपान नीति-2017 के अनुसार आईआरसीटीसी को खानपान सेवाओं का चरणबद्ध रूप से प्रबंधन शुरू करना है और विशेष रूप से भोजन तैयार करने और भोजन वितरण में प्राथमिक रूप से अन्तर करके अलग-अलग करना होगा। आईआरसीटीसी को भोजन तैयार करने की गुणवत्ता का उन्नयन करने का शासनदेश दिया गया है और नई किचनों की स्थापना और वर्तमानों का उन्नयन करेगा। आईआरसीटीसी को चल यूनिटों और स्थैतिक यूनिटों जिनमें बेस किचन, जन आहार, सेल किचन एवं अल्पाहार कक्षों (श्रेणी-ए और ए-1स्टेशनों) के प्रबंधन का शासनादेश दिया गया है।

तदनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया अप्रैल 2017 में शुरू की गई, इसके बाद नीति के अनुसार रेलवे बोर्ड को व्यवसाय योजना भेजी गई थी। तदनुसार विस्तृत नीति दिशानिर्देश जारी किए गए और जोनों को भारतीय रेलवे से इकाइयों के अधिग्रहण की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए चल इकाइयों के अधिग्रहण अक्टूबर 2017 में कुछ गाड़ियों जिनके मामले न्यायलय में चल रहे थे, को छोड़कर पूरा हो गया। कुल मिलाकर 186 चल ठेकों में 8 राजधानी, 16 शताब्दी, 05 दूरंतों, 146 मेल/एक्सप्रेस और 11 जनशताब्दी ठेकों को रेलवे से ठेकों के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से लिया गया।



भारतीय रेलवे पर चल-खानपान एक चुनौतीपूर्ण कार्य जारी है। अनबन्डलिंग रणनीति में यह विचार करते हुए परिकल्पना की गई है कि भोजन उत्पादन की गुणवत्ता की नींव परोसे जाने वाले भोजन पर निर्भर करेगी। बृहत मात्रा और व्यवसाय के फैलाव से भारतीय रेलवे पर खानपान क्षमता बढ़ेगी और इससे निजी निवेश पीपीपी के माध्यम से आकर्षित होगा। भारतीय रेलवे द्वारा आधारभूत ढांचे के सुधार को लागू करने से भोजन सेवा कम्पनियाँ ऑनबोर्ड गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भाग ले सकती हैं, योजना को भारतीय रेल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

आईआरसीटीसी दिनांक 31.03.2018 को 335 चल यूनिटों जिसमें एक – एक तेजस एवं गतिमान, 17 राजधानी, 24 शताब्दी, 19 दूरंतों, 12 हमसफर, 15 जन शताब्दी एवं 246 मेल/ एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रबंधन कर रही है।

ii. स्थैतिक खानपान

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा जनआहार, सेल किचन और अल्पाहार कक्षों (श्रेणी-ए एवं ए-1 स्टेशनों) का भारतीय रेल से अधिग्रहण किया गया। दिसम्बर 2017 तक कुछ यूनिटों जिनके मामले अदालत के अधीन हैं, को छोड़कर सभी 44 जनआहार, 165 अल्पाहार कक्षों और 25 सेल किचनों को भारतीय रेल से अधिग्रहण किया गया।

31.03.2018 को आईआरसीटीसी 247 स्थैतिक यूनिटों जिनमें 167 अल्पाहार कक्ष, 53 जनआहार और 27 सेल किचनों का प्रबंधन कर रही है।

iii. बेस किचन

जहां तक चल और स्थैतिक यूनिटों का मामला है 10 बेस किचनों को भारतीय रेल से अधिग्रहण किया गया है।

31 मार्च 2018 को आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली, हावड़ा, अहमदाबाद, पटना, मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई सीएसटी, बल्हारशाह, नागपुर, बेलासोर, सियालदाह और खड़गपुर जंक्शन की बेस किचनों का प्रबंधन कर रही है। नई दिल्ली और हावड़ा बेस किचन विभागीय रूप से संचालित की जा रही है। अन्य स्थानों पर इनके संचालन के लिए सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति की गई है। नई दिल्ली, हावड़ा और पटना स्थित बेस किचन ISO 22000:2005 प्रमाणित हैं। भोजन गुणवत्ता की निगरानी एवं बेस किचनों में बनाए जाने वाले भोजन का मानक सुनिश्चित करने के लिए भी नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। आईआरसीटीसी की नोएडा स्थित सेन्ट्रल किचन की बेस किचन आधारभूत संरचना का मानक माना गया है।

ट्रंक और अन्य मार्गों पर रणनीतिक रूप से पहचाने गए बेस किचनों का उन्नयन भविष्य में खानपान सेवाओं में “प्रत्यय परिवर्तन” से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। वर्ष 2017-18 में 16 किचन इकाइयां, जिनमें अल्पहार कक्षों की किचनों सेल किचनों और बेस किचन भी शामिल हैं, को मूल किचन उपकरणों जिनमें टिल्टिंग बॉइलिंग केतली, टिल्टिंग ब्रेजिंग पैन, सब्जी प्रोसेसर और चपाती बनाने की मशीनों की स्थापना द्वारा उन्नयन के लिए पहचान की गई है। इन इकाइयों में 2017-18 में उन्नयन कार्य शुरू करके पूरा किया जाएगा।

iv. फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां/फूड कोर्ट

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 25 फूड प्लाजा और 29 फास्ट फूड इकाइयों को चालू किया इससे प्रबंधित की जाने वाली कुल इकाइयों की संख्या 254 हो गई है। 2017-18 के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2017-18 में 53 (11 फूड प्लाजा एवं 42 फास्ट फूड यूनिटों) यूनिटों का ठेका दिया है। 2017-18 के दौरान फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट से कुल अनुमानित आय 53.36 करोड़ रुपये रही। अक्टूबर 2016 से फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट के सभी टेन्डर ई-टेन्डर के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इस व्यवसाय में प्रसिद्ध ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए रणनीति पहल की गई है। रेलवे स्टेशनों पर परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने पर बल दिया गया है और इस मूल ब्रांडों की स्वीकार्यता हेतु ग्राहकों का अनुभूति बढ़ाने का ध्यान रखा गया है।

v. ई-कैटरिंग

ई-कैटरिंग तेजी से विस्तार होने वाला व्यवसाय है और रेल मंत्रालय के आदेशों से इसे सभी 409 ‘ए’ और ‘ए-1’ श्रेणी के स्टेशनों पर लागू करना है। लगभग 250 स्टेशनों पर इसे पहले ही शुरू हो चुका है और 10 स्टेशनों पर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी ई-कैटरिंग के माध्यम से भोजना परोसा जा रहा है।

ई-खानपान सेवा यात्रियों के लिए वेबसाइट www.ecatering.irctc.co.in के साथ-साथ टेलिफोन कॉल और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध है। यात्रियों को चलती गाड़ी में ऑनलाइन आदेश देने की सुविधा के लिए मोबाइल ऐपलिकेशन “फूड ऑन ट्रेक” विकसित किया गया है।

प्रतिदिन बुक किए जाने वाले भोजन औसतन बढ़कर लगभग 8500 से अधिक प्रतिदिन (जुलाई 2018) हो गए हैं। ई-खानपान के अर्न्तगत वित्त वर्ष 18 के दौरान औसतन दैनिक बुकिंग 5188 भोजन थी। इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने से सेवा में वृद्धि के संकेत प्राप्त हुए हैं।



कम्पनी ने अधिक एफ एंड बी ब्रांडों जिनमें प्रसिद्ध स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड हैं, को आकर्षित करने के कदम उठाए हैं। इसमें वर्तमान खानपान सुविधाओं के अलावा पसंद और विकल्प को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

गाड़ी के यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन और विश्वनीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल और आईआरसीटीसी साझा प्रयास कर रहे हैं जिसमें जनता में जागरूकता इस प्रयास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आईआरसीटीसी ने सेवाओं के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रेस विज्ञापित के अतिरिक्त पम्पलेट बांट कर, पोस्टर के माध्यम से पब्लिक में जागरूकता के लिए कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया के अतिरिक्त बेहतर प्रयोगकर्ता वचनबद्धता के लिए अभिनव कदम उठाकर ई-खानपान के लिए वेब पेज को भी उन्नत और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है।

vi. एकजीक्यूटिव लाऊंज

रेल मंत्रालय के द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुसार आईआरसीटीसी को एकजीक्यूटिव लाऊंज के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए कहा गया था तदनुसार, आईआरसीटीसी के द्वारा विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, विजयवाड़ा, आगरा कैंपट एवं जयपुर में 05 एकजीक्यूटिव लाऊंज शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 13 और स्टेशनों जिनमें गोरखपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड), लखनऊ चारबाग (उ.रे.), त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल, बंगलूरु सिटी, मदुरै जंक्शन, एर्णाकुल्लम जंक्शन, अहमदाबाद, नई जलपाईगुड़ी, सियालदाह एवं रायपुर स्टेशनों पर एकजीक्यूटिव लाऊंज परिचालन, अनुरक्षण और वापस अंतरण करने का ठेका प्रदान कर दिया है। अक्टूबर 2016 से एकजीक्यूटिव लाऊंज की निविदाएं ई-निविदा के माध्यम से की जा रही है।

vii. बजट होटल

कम्पनी इस समय निम्न दो रेल यात्री निवासों और दो बजट होटलों को परिचालित कर रही है:

1. जिंजर रेल यात्री निवास, नई दिल्ली
2. सम्पथ रेल यात्री निवास, हावड़ा
3. बजट होटल, पुरी
4. बजट होटल, रांची

2. गैर रेलवे खानपान (एनआरसी यूनिट)

भारतीय रेलवे से खानपान सेवा को ग्रहण करने को ध्यान में रखते हुए गैर रेलवे खानपान व्यवसाय से अलग होना होगा और इससे रिलीज़ संसाधनों को प्रभावी रूप से रेलवे खानपान में तैनात करना होगा। आईआरसीटीसी को भारतीय रेलवे की खानपान सेवा को चरणबद्ध रूप से संभालने का दायित्व सौंपा गया है। प्रारंभिक चरण में सभी चल यूनिटों को आईआरसीटीसी को अधिग्रहण करना है। अधिग्रहण प्रक्रिया के पश्चात् परिचालन के लिए बड़ी संख्या में संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि कम्पनी गैर रेलवे खानपान व्यवसाय के संशोधित व्यवसाय मॉडल पर कुछ चुनी हुई यूनिटों का अधिग्रहण करेगा।

2.1 सेन्ट्रल किचन (आईएसओ 22000:2005 प्रमाणित)

सेन्ट्रल किचन के द्वारा प्रतिष्ठित गाड़ियों को गुणवत्ता पूर्वक भोजन और स्नैक्स की व्यवस्था की जा रही है। यह अपनी तरह की एक बड़ी एयर फ्लाइट कैंटरिंग रसोई के प्रकार की उच्च गुणवत्ता और मानक भोजन का उत्पादन करने वाली अति आधुनिक खाद्य फैक्टरी है। फैक्टरी पूरी तरह से ऑटोमेटिड है जिसमें भारत और विदेशों के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं के उपकरणों सहित आतिथ्य उद्योग पेशेवरों के द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है और इसका प्रबंधन आईआरसीटीसी द्वारा एफ एंड बी उद्योग में योग्य पेशेवरों के द्वारा किया जा रहा है।

भावी संभावनाएं एवं योजना:

• बेस किचन

खानपान नीति-2017 के अनुसार, आईआरसीटीसी ने गाड़ियों में स्थानांतरण के लिए स्वास्थ्यकर भोजन के उत्पादन के लिए आधुनिक बेस किचन स्थापित करना है। 2017-18 के दौरान, 16 किचनों को अपग्रेड किया गया है और 2018-19 में अपग्रेडेशन के लिए 30 की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा, ग्रीन फील्ड बेस किचनों की स्थापना के लिए 9 स्थानों की पहचान की गई है। अनबंडलिंग, अपग्रेडेशन और नई किचनों की स्थापना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जटिल है और निर्धारित समय में गाड़ियों की अनबंडलिंग पूर्ण हो जाएगी।



• फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां/फूड कोर्ट

वर्तमान में, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे पर 254 फूड प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों का संचालन कर रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में, आईआरसीटीसी लगभग 100 स्थानों के लिए निविदा देने की योजना बना रही है। 76 इकाइयां शुरू करने के विभिन्न चरणों में हैं। कंपनी की 2018-19 में लगभग 50 इकाइयों को शुरू करने की योजना है। भारतीय रेलवे पर ए-1, ए और बी श्रेणी के स्टेशनों में ऐसी इकाइयों की कवरेज क्रमशः 87 प्रतिशत, 49 प्रतिशत और 17 प्रतिशत है। बी श्रेणी के स्टेशनों में कवरेज सुधार भविष्य की रणनीति है। ऐसी सभी इकाइयों का डेटा कनेक्टिविटी से प्रगति की शुरुआत होगी।

• विश्राम कक्ष परिसर

उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी पूरी क्षमता के साथ करने के साथ रेलवे स्टेशनों में बेहतर यात्री सुविधाओं और प्रभावी आगमन पश्चात्/प्रस्थान-पूर्व सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष को पुनर्निर्मित करके संचालित और अनुरक्षण करने के लिए शासनादेश नीति जारी करके दिया है। नवीनीकरण – संचालन – स्थानांतरण मॉडल पर लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आईआरसीटीसी ने सभी ए-1, ए और बी श्रेणी के स्टेशनों में विश्राम कक्षों के नवीनीकरण कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों का पैनल बनाने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। आईआरसीटीसी ने 19 स्टेशनों जिनमें अहमदाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ग्वालियर, गोरखपुर, जयपुर, काचीगुडा, लखनऊ (एलजेएन), मदुरई, मडगांव, पलक्कड़, सियालदाह, टाटानगर तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, थिवीम, उडुपी और वडोदरा के विश्राम कक्षों के नवीनीकरण, संचालन और रखरखाव के काम के लिए ठेके प्रदान किए हैं।

• ई-क्रेटरिंग

ई-क्रेटरिंग के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए, फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट्स के अलावा कम से कम 5 विक्रेता को 409 ए 1 और ए श्रेणी स्टेशनों में प्रत्येक के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। क्षेत्रीय व्यंजनों की अधिक विशेषताओं को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और वेबसाइट और मोबाइल ऐप को देशव्यापी प्रचार के साथ बाजार और ग्राहक अपेक्षाओं के मानकों से मेल खाने के लिए अपग्रेड करने की योजना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों/सुझावों/दी गई फीडबैक पर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए शुरू से अंत तक फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया गया है।

• सेन्ट्रल किचन

इस परियोजना ने खानपान क्षमता के निर्माण में आईआरसीटीसी की क्षमता को मजबूत किया है जो खानपान के अधिग्रहण और बेस किचन की स्थापना के दौरान प्रस्तावित अनबंडलिंग प्रक्रिया में उपयोगी होगा। सेन्ट्रल किचन के शुरू करने और संचालन में प्राप्त अनुभव का उपयोग गाड़ियों में खानपान के समर्थन के लिए भारतीय रेलवे में रसोई इकाइयों की स्थापना के लिए परिचालन मानकों, विनिर्देशों आदि को बेंचमार्क करने में किया जाएगा। सेन्ट्रल किचन सेवा प्रदाता संचालित भारतीय रेलवे पर संचालित किचनों के लिए एक प्रतिकूल संतुलन प्रदान करेगा और ऐसे संभावित भागीदारों के साथ संबंधों को और मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए नियामक नियंत्रण में आईआरसीटीसी की हिस्सेदारी को मजबूत करना है।

निगरानी प्रणाली

(i) गुणवत्ता निर्माण की पहल

वित्त वर्ष 18 में प्रमुख पहल में विभिन्न लाइसेंसधारक और विभागीय खानपान और रेल नीर को कवर करने वाले ठेकों को विनियमित करने के लिए ऐसे सभी उप वर्टिकल में एक एकीकृत डेटा बेस की स्थापना से खानपान के वर्टिकल में एक व्यापक गुणवत्ता सुनिश्चित कार्यक्रम (सीक्यूएपी) की शुरुआत की गई है। आईआरसीटीसी द्वारा भारतीय रेलवे पर स्रोतों से दर्ज खानपान शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक गुणवत्ता निगरानी मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है।

इस प्रणाली में खानपान इकाइयों में निरीक्षण, शिकायतों, यात्री फीडबैक आदि और वास्तविक समय निवारण और सुधार तंत्र के लिए डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। इसमें अन्य सभी स्थिर और रेल नीर व्यवसाय के लिए अनुबंध प्रबंधन भी शामिल है। इस योजना को वित्त वर्ष-19 में अपने परिचालन पहलुओं में उपयोगकर्ताओं के लिए एक उद्यम व्यापक अभिविन्यास प्रक्रिया के साथ समेकित किया जाना है।

(ii) एफएसएसएआई के साथ सहयोगी प्रयास

खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य संबंधी मानकों और सुरक्षा पहलों को शामिल करने वाले कई मुद्दों पर नजर रखने के लिए शासनादेश है। उनमें से एक खाद्य उद्योग में उपभोक्ताओं, निर्माताओं, खुदरा विक्रेता आदि के स्पेक्ट्रम में शिक्षाप्रद सामग्री का प्रसार है।



आईआरसीटीसी ने एफएसएसएआई के साथ सहयोग किया है ताकि भारतीय रेल पर इस शिक्षित जनादेश को प्रचार सामग्री के प्रदर्शन के साथ विशेष रूप से स्टेशनों और गाड़ियों पर स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जा सके।

कुछ पहलों में निम्न शामिल हैं: —

- पेपर कप, ट्रे मैट नैपकिन पर खाद्य सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादि पर एक लाइन का उद्धरण अंकित करना।
- खाद्य स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित पोस्टर स्थानीय भाषाओं में विभिन्न राज्यों में फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिटों, पैंट्री कार, बेस किचन, जन आहर, वाटर वेंडिंग मशीन आदि के पैंट्री क्षेत्र और ग्राहक क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाना।
- आईआरसीटीसी अपने सोशल मीडिया यूआरएल को एफएसएसएआई के साथ अदला-बदली करेगी ताकि एफएसएसएआई द्वारा किए गए किसी भी अभियान को आईआरसीटीसी के सोशल मीडिया हैंडल पर सीधे दिखाई दे।

(iii) ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

आईआरसीटीसी में तृतीय पक्ष वाली व्यावसायिक एजेन्सियों द्वारा संतुष्टि सर्वेक्षण करके भोजन और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। आईआरसीटीसी ने ऐसी 7 (सात) एजेन्सियों को 3 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया है।

(iv) भोजन संरक्षा ऑडिट

जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भोजन की संरक्षा के प्रभाव को देखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा संरक्षा ऑडिट तृतीय पक्ष एजेन्सी से कराई जिसे राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड संस्थाओं के प्रमाणन के लिए (एनएबीसीबी) मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के दौरान मैसर्स वैक्सील (प्रा.) लिमिटेड द्वारा फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट की भोजन संरक्षा जांच और मैसर्स टीक्यू सर्टिफिकेशन (प्रा.) लि. ने चल यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई। विवरण निम्न प्रकार है:—

यूनिट का प्रकार		प्राप्त समस्त अंक
गाड़ियां		68.54%
फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट		71.26%

(v) आईएसओ प्रमाणन

आईएसओ प्रमाणन सहित विभिन्न गुणवत्ता उपायों के जरिए खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान 30 फूड प्लाजाओं/फास्ट फूड यूनिटों को आईएसओ 22000:2005 प्रमाणन से प्रमाणित किया गया। जिससे 31 मार्च 2018 तक लाइसेन्सियों द्वारा परिचालित 262 यूनिटों में से कुल 191 यूनिटें हो गए हैं।

(vi) शिकायतों पर नज़र रखना और शिकायत निवारण

वर्ष 2017-2018 के दौरान भारतीय रेलवे से दूरंतों, राजधानी, शताब्दी और अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के 341 ठेके लिए गए। वर्ष के दौरान यात्रियों से कुल 6584 शिकायतें (ट्विटर शिकायतें सहित) प्राप्त हुई थी।

कई स्रोतों से उत्पन्न भारी मात्रा में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, आईआरसीटीसी ने खानपान शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) विकसित की है, जो गाड़ियों और स्टेशनों की शिकायतों को जोनों और कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा ऑनलाइन निवारण (लगभग 80-90%) को सक्षम बनाता है। ऑनबोर्ड पर्यवेक्षकों को गाड़ियों के अनुसार मैप किया जा रहा है जिससे ग्राहकों को हमारी प्रतिक्रिया के समय में ऑनलाइन माध्यमों में सुधार हो रहा है।

क. यात्रा एवं पर्यटन

भारत, अपने समृद्ध और विविध ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ, दुनिया के कई आकर्षक पर्यटन स्थलों का घर है। देश का भूगोल और भौगोलिक स्थिति में दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है।

बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं के संदर्भ में देश में वैश्वीकरण और समग्र विकास के साथ, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 2003 से प्रति वर्ष 3 मिलियन से बढ़कर 2017 में 10 मिलियन से अधिक हो गए हैं और विश्लेषकों को भारत में 2025 तक सालाना 15 मिलियन से अधिक पर्यटक आने का अनुमान है साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के घरेलू पर्यटकों का दौरा भारत में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन क्षेत्र में अब देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है, लाखों नौकरियां देने में सहायक हुआ है और हर साल अरबों डॉलर का अर्जन करता है।

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने “यात्रा और पर्यटन- आर्थिक प्रभाव 2018- भारत” पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का कुल योगदान 15.24 लाख करोड़ (234 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था जो कि 2017



में देश का सकल घरेलू उत्पाद का 9.40 प्रतिशत था आगे अनुमान लगाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में 2028 में कुल योगदान 32.05 लाख करोड़ रु. तक पहुंच कर सकल घरेलू उत्पाद का 9.9 प्रतिशत का योगदान देगा।

आज आईआरसीटीसी बाजार में अग्रणी यात्रा और पर्यटन कंपनियों में से एक बन गई है जो विविध पर्यटन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। रेलवे पीएसयू होने के भरोसे के साथ आईआरसीटीसी रेल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती है और वर्तमान में, इस क्षेत्र में बाजार में शीर्ष स्थल पर है। रेल पर्यटन के अलावा, आईआरसीटीसी ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पर्यटन बाजार में बने रहने के लिए विभिन्न अन्य पर्यटन व्यवसायों में भी विविधता हासिल की है। आईआरसीटीसी के विभिन्न पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रों में लक्जरी गाड़ी टूर महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी, भारत दर्शन विशेष पर्यटक गाड़ी, रेल टूर पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेज, लैंड टूर पैकेज, होटल बुकिंग, कार रेंटल, कस्टमाइज्ड और एलटीसी टूर और इवेंट प्रबंधन शामिल हैं। विभिन्न पर्यटन उत्पादों की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पर्यटन पोर्टल कार्यरत है और इंटरनेट का उपयोग कर व्यवसाय की संभावना को टैप करने के लिए उपलब्ध है।

आईआरसीटीसी के यात्रा और पर्यटन व्यापार से आय वर्ष 2016-17 के 528.67 करोड़ रुपये की तुलना में 23.10 प्रतिशत घटकर 2017-18 में 406.54 करोड़ रु. रही। राजस्व में कमी का कारण राज्य विशेष पर्यटक गाड़ियों की कम संख्या में संचालन था।

❖ पर्यटन पोर्टल:

आधुनिक तकनीक के युग में जहां इंटरनेट, वेबसाइट और ऐप दुनिया पर शासन कर रहे हैं, आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी के रूप में बढ़ने की क्षमता को महसूस किया है। आईआरसीटीसी ने मार्च 2007 में अपने पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com को लॉन्च किया और पिछले 9 सालों से ग्राहकों को समूर्ण ऑनलाइन यात्रा समाधान पेश कर रहा है। पोर्टल ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता, तीन वर्षों यानी 2014, 2015 और 2016 में लगातार 'वेबसाइट ऑफ द इयर' का मैट्रिक्सलैब का "लीज़र" और "ट्रेवल" पुरस्कार और फ्रेंचाइज इंडिया द्वारा वर्ष 2015 से 2017 तक लगातार तीन वर्षों तक इंडियन रिटेल अवार्ड प्राप्त हुआ है। पोर्टल पर पर्यटक गाड़ियां, एयर टिकटों, रेल, वायु या लैण्ड टूर पैकेजों, होटल और कैब्स की ऑनलाइन बुकिंग प्रदान करता है। यह अन्य ओटीए के द्वारा प्रदान उपयोगकर्ता अनुकूल और सुविधाओं के समान हैं, आईआरसीटीसी अपनी पर्यटन वेबसाइट सुधार करने की प्रक्रिया में है।

पोर्टल के आने वाले संस्करण में ग्राहकों के द्वारा बुकिंग में चार्टर सैलून कार, चार्टर गाड़ी और कोच, चार्टर हिल गाड़ी और कोच, इवेंट प्रबंधन और वातानुकूलित पर्यटक गाड़ी टूर को भी शामिल किया गया है।



❖ भारत दर्शन पर्यटक गाड़ी:

आईआरसीटीसी का भारत दर्शन पर्यटक गाड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन उत्पाद हैं। कम्पनी के द्वारा भारत दर्शन पर्यटक गाड़ी टूर पैकेज ऐसे पर्यटकों के लिए है जिनका यात्रा में बजट की कमी है। ये गाड़ियां पूरे देश में विभिन्न शहरों से विभिन्न पर्यटक स्थलों को जोड़ती हुई परिचालित होती है। इस उत्पाद का आकर्षक मूल्य 900 रुपये गैर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति+जीएसटी की दर से उपलब्ध है। टूर पैकेज में रेल एवं सड़क यात्रा, सभी भोजन, पर्यटन स्थलों का दर्शन और आवास आदि का खर्च शामिल हैं। सभी पर्यटकों का 4 लाख रुपये की राशि का भी दुर्घटना बीमा होता है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी ने 72 भारत दर्शन ट्रिप परिचालित किए जिसमें कुल 45,994 पर्यटकों ने विशेष गाड़ी के टूर पैकेज का लाभ उठाया।



❖ बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी:

वर्ष 2007 में प्रारंभ हुई, बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी को आईआरसीटीसी के द्वारा परिचालित किए जाने के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पूर्णतः वातानुकूलित गाड़ी का 07 रात और 08 दिन का पैकेज है जिसमें भारत और नेपाल के स्थित लुम्बिनी के प्रमुख बुद्धिस्ट स्थलों का भ्रमण कराता है। इस आला दर्जे का पर्यटक उत्पाद का विश्व भर के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का संरक्षण प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी ने बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी के 05 ट्रिप परिचालित किए और इन टूर पैकेजों की सुविधा का लाभ 252 यात्रियों ने उठाया। वित्त वर्ष 2017 के दौरान आईआरसीटीसी के लिए इस उत्पाद ने कुल 1.56 करोड़ रु. की आय अर्जित की। आईआरसीटीसी बुद्धिस्ट विशेष पर्यटक गाड़ी के वर्तमान वेब पेज <https://www.irctcbuddhisttrain.com> को सुधार करके नया रूप देने और उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है।

❖ आस्था सर्किट विशेष ट्रेन:

विशेष अभिरुचि टूरों के लिए, आईआरसीटीसी ने वर्ष 2017 में “आस्था सर्किट पर्यटक गाड़ियों की संकल्पना की। यह गाड़ी उन लोगों को जिन्हें विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने में रुची है, ले जाती है। गैर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में पुनः टूर पैकेज आकर्षक मूल्य 900 रुपये प्रतिदिन प्रति पर्यटक है (+ लागू जीएसटी) टूर रेल और सड़क यात्रा, सभी भोजन, पर्यटक स्थलों का दर्शन, आवास, बीमा शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2017-18 में 13 आस्था सर्किट गाड़ियों का परिचालन किया और जिससे 5623 पर्यटकों ने इस विशेष गाड़ी टूर पैकेज का लाभ उठाया जिससे 4.84 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित हुई।



❖ गांधी सर्किट विशेष गाड़ी:

एक अन्य विशेष रुचि पर्यटन उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के निर्णय और राष्ट्र पिता-महात्मा गांधी से जुड़े ‘साबरमती आश्रम के शताब्दी समारोह’ के अवसर पर ‘गांधी दर्शन विशेष पर्यटक गाड़ी का संचालन कर रही है और यह गाड़ी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े प्रमुख पर्यटक स्थानों में एक समावेशी टूर पैकेज प्रदान करती है। पहली ऐसी गाड़ी का उद्घाटन 17 जून, 2017 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी ने झंडी दिखा के किया।



टूर पैकेज

- (i) **रेल टूर पैकेज** — आईआरसीटीसी देश भर में पूर्ण समावेशी रेल टूर पैकेज परिचालित करती है, जिसमें उचित मूल्यों पर बाह्य एवं वापसी यात्रा के लिए कन्फर्म रेल आरक्षण के साथ पैकेज में सड़क मार्ग यात्रा, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों की सैर करवाना शामिल है। वर्ष 2016-17 के 21,442 यात्रियों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 11,236 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टूर पैकेज का लाभ उठाया। यात्रियों की संख्या में कमी का कारण रेल मंत्रालय की कड़ी वेट नीति थी, जिससे आईआरसीटीसी को कई पैकेजों को रोकना पड़ा। लेकिन मंत्रालय ने वेट नीति को वर्ष के अन्त में संशोधित करके दिशानिर्देश में छूट दी गई। आईआरसीटीसी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय रेल पर्यटन पैकेजों में सुधार करके आगामी वित्त वर्ष में बाजार में लाने की योजना बना रहा है।
- (ii) **लैंड टूर पैकेज** — आईआरसीटीसी देश भर में अवकाश पैकेज (सड़क पैकेज) परिचालित करती है। जिसमें सड़क मार्ग से लाना ले जाना, आवास, भोजन, और दर्शनीय स्थलों की सैर शामिल है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 30,020 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टूर पैकेज का लाभ उठाया।
- (iii) **चार्टर्ड कोच और गाड़ी के साथ रेल टूर पैकेज** — यह पूर्ण समावेशी रेल टूर पैकेज है। जिसमें आईआरसीटीसी गाड़ी यात्रा चार्टर्ड कोच और गाड़ी द्वारा व्यवस्था करती है। 2017-18 के दौरान कुल 765 यात्रियों ने आईआरसीटीसी के टूर पैकेज का लाभ उठाया।
- (iv) **इच्छानुसार टूर पैकेज** :- आईआरसीटीसी के ग्राहकों की मांग को बेहतर तरीके से पूरी करना कस्टोमाइज्ड टूर पैकेज में स्पष्ट झलकता है। ये पैकेज लम्बरी स्तर, रुची के स्थान आदि को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। 2017-18 के दौरान कुल 1476 यात्रियों ने आईआरसीटीसी के इच्छानुसार टूर पैकेजों का लाभ उठाया।



❖ शैक्षणिक टूर

आईआरसीटीसी ने अपनी “सीखने के लिए भ्रमण करें” योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया है और बच्चों के लिए शैक्षिक टूर के आयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा प्राइवेट स्कूलों के साथ उनके विद्यार्थियों को शैक्षिक/जानकारी के लिए परिचालित कर रही है। वर्ष 2017-18 में कुल 8,248 विद्यार्थियों ने आईआरसीटीसी के शैक्षिक भ्रमण सुविधा का लाभ उठाया जिससे 4.77 करोड़ की आय हुई। वित्त वर्ष 2017-18 में आईआरसीटीसी ने लक्ष्यद्वीप के प्रशासन के साथ विद्यार्थियों के लिए मुख्य भूमि के टूर के शैक्षिक भ्रमण के लिए तालमेल किया। आईआरसीटीसी ने तमिलनाडु सरकार के 3200 आरएमएसए के विद्यार्थियों के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान और सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र के लिए शैक्षणिक भ्रमण का परिचालन किया।

❖ चार्टर गाड़ी और कोच:

आईआरसीटीसी ने विभिन्न ग्रुपों के लिए वित्ति वर्ष 2017-18 में 362 (54 गाड़ियां और 308 कोच) चार्टर परिचालित किए हैं। आईआरसीटीसी विश्व धरोहर कालका-शिमला और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर हिल चार्टर्ड चला रही है। आईआरसीटीसी पूरे भारत में हिल चार्टर को बढ़ावा दे रही है। आईआरसीटीसी को पूरे भारत में एफटीआर गाड़ी/कोचों की बुकिंग के लिए एकल खिड़की एजेन्सी नामित किया गया है और इस उद्देश्य के लिए एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल का विकास चल रहा है। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सभी गाड़ियां और कोचों को चार्टर एकल खिड़की बुकिंग सुविधा के लिए नामित किया है।

❖ लग्जरी रेलवे सैलून कार

रेल मंत्रालय ने अपने लग्जरी सैलून कोचों के अपने बेड़े की बुकिंग खोलने का निर्णय किया और इस विशेष रेल उत्पाद के विपणन और बुकिंग के कार्य को आईआरसीटीसी को सौंपा।

आईआरसीटीसी ने 30 मार्च 2018 को दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा की पहली सैलून कार की पहली यात्रा का संचालन किया। एक सैलून कार में आम तौर पर एक बैठक कक्ष, दो वातानुकूलित बेडरूम हैं – एक दो बेड वाले कक्ष और दूसरा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कूपे के जैसा अटैच बाथरूम सहित, भोजन क्षेत्र और एक किचन उपलब्ध है। पर्यटकों की मांग के अनुसार परिचर, खानपान, पिक और ड्रॉप जैसी वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती है।



❖ राज्य विशेष गाड़ियां

आईआरसीटीसी इन गाड़ियों को संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से चलता है। सरकारें इसके लिए लाभ प्राप्त करने वाले लोगों का चयन करती हैं जिनमें अधिकार वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इस टूर में भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिसा, और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ गठबंधन करके उनके लिए राज्य विशेष गाड़ियां चलाई गईं और 197 फेरों में 1,83,918 पर्यटकों ने लाभ उठाया। राज्य विशेष गाड़ियों के परिचालन से 208.81 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई।

महाराजा एक्सप्रेस :- महाराजा एक्सप्रेस ने लग्जरी पर्यटन में आईआरसीटीसी की ब्रांड छवि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। वर्ष 2010 में शुरू की गई महाराजा एक्सप्रेस को 7 वर्ष की यात्रा में 2012 से 2017 तक लगातार विश्व की अग्रणी लग्जरी पर्यटन गाड़ी के रूप में विश्व पर्यटन पुरस्कार में पुरस्कृत किया गया है। यह गाड़ी 5 विभिन्न यात्रा कार्यक्रमों पर चलाई जाती है। जिनमें से तीन में 7 रात/8 दिन वाले हैं जबकि दो में 3 रात/4 दिन वाले हैं। इन यात्रा कार्यक्रम में अजन्ता, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, बालासिनौर, ग्वालियर, खजुराहो, वाराणसी और लखनऊ जैसे स्थान शामिल हैं। आईआरसीटीसी अगले वित्त वर्ष से दक्षिण भारत के नए यात्रा कार्यक्रमों के





लिए नई गाड़ी के परिचालन का यात्रा कार्यक्रम लाएगी और तदनुसार यात्रा कार्यक्रम प्रस्थान तिथियों सहित गाड़ी की समर्पित वेबसाइट www.the-maharajas.com पर अपलोड कर दी गई है।



वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 945 भुगतान किए पर्यटकों (2017-18 के एमओयू के 1000 यात्रियों की तुलना में) ने महाराजा एक्सप्रेस के 28 फेरों में सेवा का लाभ उठाया।

❖ अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

भारत सरकार द्वारा एलटीसी टूर परिचालन के लिए प्राधिकृत तीन पीएसयू में से एक आईआरसीटीसी भी है। आईआरसीटीसी सरकारी कर्मचारियों को सामान्य एलटीसी पैकेज और स्वयं की इच्छा पर एलटीसी पैकेज प्रदान कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी ने 115 यात्रियों को एलटीसी पैकेज सेवा प्रदान की है।

❖ चुनाव विशेष गाड़ियां:

आईआरसीटीसी को वित्त वर्ष 2013-14 से आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए सेना और अर्धसैनिक बल की ड्यूटी पर ले जाने का कार्य सौंपा गया था। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी ने कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैण्ड विधान सभा चुनाव के लिए 135 गाड़ियां परिचालित की जिससे कुल 51.25 करोड़ रुपये की आय हुई।

❖ ऑनलाइन एयर टिकटिंग:

आईआरसीटीसी ने अपनी एयर टिकटिंग माइक्रो साइट www.air.irctc.co.in शुरू की थी जिसके ज़रिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए हवाई टिकटें बुक की जा सकती हैं

जिसमें बाजार की तुलना में ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट (ओटीए) की सर्वाधिक न्यूनतम सुविधा शुल्क हैं एयर टिकटिंग के लिए एन्ड्रॉइड और आईओएस प्रयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से वित्त वर्ष 2016-17 के औसत 3100 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 में औसतन 3748 एयर टिकट प्रतिदिन बुक करके 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिससे 2017-18 के लिए एमओयू में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत (उत्कृष्ट) बढ़ोतरी की बुकिंग को पछाड़ दिया है।



❖ कॉर्पोरेट यात्रा व्यवसाय:

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेटों को संपूर्ण यात्रा सेवा, जिनमें एयर टिकट, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय होटलों की बुकिंग, वीजा सुविधा, बीमा और विदेशी मुद्रा विनिमय जैसी सुविधाएं शामिल हैं, प्रदान करती है।

❖ आउटबाउंड एयर पैकेज:

देश में आउटबाउंड पर्यटक बाजार की संभावनाओं को समझते हुए, आईआरसीटीसी ने दुनिया भर के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए आउटबाउंड टूर पैकेज शुरू किए हैं। पिछले वर्ष के 2,791 यात्रियों की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 3,308 पर्यटकों ने विभिन्न क्षेत्रों से आईआरसीटीसी द्वारा संचालित आउटबाउंड टूर का लाभ उठाया। आईआरसीटीसी ने इस





व्यवसाय खंड से वित्त वर्ष 2016-17 के 16.03 करोड़ की तुलना में कुल 23.06 करोड़ रुपये के राजस्व की आय करके लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

❖ घरेलू एयर पैकेज

छुट्टियों पर जाने के लिए लोगों के सीमित समय के कारण एयर पैकेज दिन-प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आईआरसीटीसी ने सभी जोनों से अधिक घरेलू वायु पैकेजों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया है और तदनुसार शिरडी, गोवा, दिल्ली, तिरुपति, गंगटोक, दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, अंडमान और निकोबार, लद्दाख, श्रीनगर, कश्मीर, मुंबई, मैसूर, कूर्ग, बैंगलोर आदि जैसे विभिन्न स्थानों के लिए पैकेजों का संचालन किया। वर्ष के दौरान, लगभग 5,965 यात्रियों ने 369 घरेलू एयर पैकेज टूर में यात्रा की।



❖ ग्लास टॉप कोच:

कांच की छत वाले कोच: यह भारत में इस प्रकार का पहला और अद्वितीय रेलवे पर्यटन उत्पाद है। कांच की छत वाले कोच इंडीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरांमूर, चेन्नै में निर्माण किया जा रहा है। एक विस्टा डोम कोच अरकू वैली में चल रहा है। जिसका उद्घाटन 16.04.2017 को किया गया है दूसरा मुंबई और गोवा के मध्य चलने वाली गाड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस से दिनांक 25.08.2017 से चल रही है। तीसरा कश्मीरी घाटी में डीएमयू प्रकार की गाड़ी में आगामी वित्त वर्ष से परिचालित होगा।

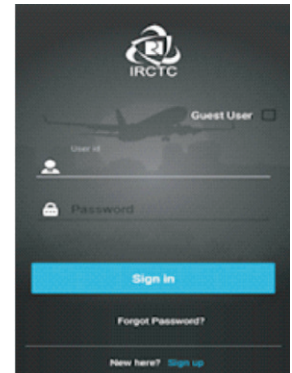


❖ स्टेशनों पर विश्राम कक्षों और होटलों की ऑनलाइन बुकिंग:

रेल यात्री जिनकी कन्फर्म पीएनआर है वे 498 रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल पर विश्राम कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी के होटलों और एकजीक्यूटिव लाऊंज को भी ऑनलाइन बुकिंग कराने की सुविधा पर्यटन पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। आईआरसीटीसी ने विभिन्न प्रसिद्ध ऑनलाइन होटल समेकनकर्ताओं के साथ ग्राहकों के लिए होटल बुकिंग के लिए गठजोड़ किया है।

❖ आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप्स:

भारत सरकार की डिजिटलीकरण पहल को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने अपना उपयोगकर्ता अनुकूल यात्रा एवं पर्यटन मोबाइल ऐप्स को शुरू किया है। आईआरसीटीसी एयर और आईआरसीटीसी टूरिज्म मोबाइल अनुप्रयोग 31 मई 2016 को शुरू किया गया। आईआरसीटीसी ऐप का अनुप्रयोग पहले से एन्ड्रॉइड और आईओएस प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। रेल और एयर टिकटिंग और आईआरसीटीसी टूरिज्म को शामिल करते हुए आईआरसीटीसी का एकीकृत ऐप शीघ्र शुरू किया जाएगा। 31 मार्च 2018 तक टूरिज्म ऐप के 5 लाख से अधिक डाऊनलोड हो चुके हैं और इस ऐप पर नियमित रूप से पैकेज बुक हो रहे हैं।



❖ भावी संभावनाएं और योजनाएं

अत्यंत विविधता युक्त पर्यटन उत्पाद आईआरसीटीसी को पर्यटन के क्षेत्र में विकास का बृहत अवसर प्रदान करती है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी मौजूदा व्यवसायी क्षेत्रों के विस्तार और सुव्यवस्थितता के साथ-साथ नई उत्पाद सेवाओं को पेश करके आगामी वर्षों में पर्यटन व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। जिसमें निम्न विशिष्ट क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा :-

1. **रेल टूर पैकेज:** नई वैट पॉलिसी के साथ, आईआरसीटीसी रेल टूर पैकेज में अपने खोए बाजार का पुनर्निर्माण करने की तलाश करेगा और फिर से इन पैकेजों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश करेगा।
2. **एयर पैकेज:** आईआरसीटीसी देश भर के विभिन्न शहरों से शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेजों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। तदनुसार, हवाई पैकेजों के लिए सीटों के ब्लॉकों को बढ़ाने के साथ-साथ अंतराष्ट्रीय पैकेजों के लिए नए गंतव्यों को भी जोड़ा जाएगा।
3. **राज्य विशेष रेलगाड़ियां:** आईआरसीटीसी राज्य विशेष रेलगाड़ियों के संचालन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क कर रही है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें इन ट्रेनों को आईआरसीटीसी के सहयोग से चलाने के लिए इच्छुक हैं और कंपनी इन सरकारों के साथ इसके लिए अंतिम रूप दे रही है।



- ग्लास टॉप कोच:** आईआरसीटीसी जम्मू एवं कश्मीर घाटी में ग्लास टॉप कोच का तीसरा ट्रिप तीन रेल टूर पैकेजों के साथ शुरू करने की योजना बना रहा है, जिन्हें साथ-साथ करके ग्राहकों को पेश किया जाएगा।
- इवेंट मैनेजमेंट:** इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय क्षेत्र में संभावना को समझते हुए, आईआरसीटीसी खुद को एक पूर्ण इवेंट प्रबंधन कंपनी के रूप में स्थापित करने की योजना बना रही है और इवेंट से संबंधित आयोजनों (मीटिंग्स, प्रोत्साहन टूर, सम्मेलन और प्रदर्शनी – एमआईसीई) आयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय, इसके पीएसयू और देश भर में अन्य सरकारी और निजी संगठनों के लिए सेवाएं प्रस्तावित कर रही है।
- ऑनलाइन एयर-टिकटिंग:** आईआरसीटीसी एयर टिकटिंग कारोबार को वित्त वर्ष 2018-19 तक 15 प्रतिशत बढ़ाने की योजना बना रही है।
- कॉर्पोरेट यात्रा:** वित्त वर्ष 2018-19 में, कंपनी अपने कॉर्पोरेट यात्रा व्यवसाय के क्षेत्र में अपने संचालन और प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करके विस्तारित करने की योजना बना रही है।
- महाराजा एक्सप्रेस:** आईआरसीटीसी इस लम्बरी गाड़ी के लिए विपणन और प्रचार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। गाड़ी की बुकिंग बढ़ाने के लिए एजेंटों के कमीशन स्वरूप में बदलाव करके अधिक एजेंटों को आकर्षित करके इसका आधार बदला जाएगा।
- बुद्धिस्ट विशेष पर्यटक गाड़ी:** आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से सम्प्रेषण करके पर्यटन मौसम 2018-19 में बुद्धिस्ट विशेष पर्यटक गाड़ी चलाने के लिए पूर्णतः वातानुकूलित एलएचबी रैक आबंटित करने का अनुरोध कर रही है। नया रैक आने से बुद्धिस्ट सर्किट में एक समर्पित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन उत्पाद हो जाएगा।

ग. इंटरनेट टिकट

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग सेवा बाजार में आने के बाद से मजबूती से आगे बढ़ रही है और अब भारतीय रेलवे पर आरक्षित टिकटों के 65.83 प्रतिशत ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं, जिसने दुनिया भर में कई उच्च प्रोफाइल ई-कॉमर्स साइटों को पीछे छोड़ दिया है। 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से औसतन प्रतिदिन 6.75 लाख से अधिक टिकट बेचे जाते थे। यह साइट 2345 बजे से 0020 बजे तक 35 मिनट के अलावा चौबीस घंटे टिकटों की बुकिंग सेवा रहती है। यह साइट विभिन्न पूर्ण किराया और रियायती टिकटों की बुकिंग सुविधाएं प्रदान करती है।

सेवा प्रभार:

आईआरसीटीसी गैर-वातानुकूलित श्रेणी के लिए 20/-₹. तथा वातानुकूलित श्रेणी के लिए 40/-₹. प्रति ई-टिकट का नाममात्र सेवा प्रभार पहले लिया जाता था और रेल मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 2016 को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसे वापस ले लिया गया था। इसके बाद सेवा प्रभार समाप्त करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में भी की गई थी और इसे अभी तक समाप्त रखा गया है।

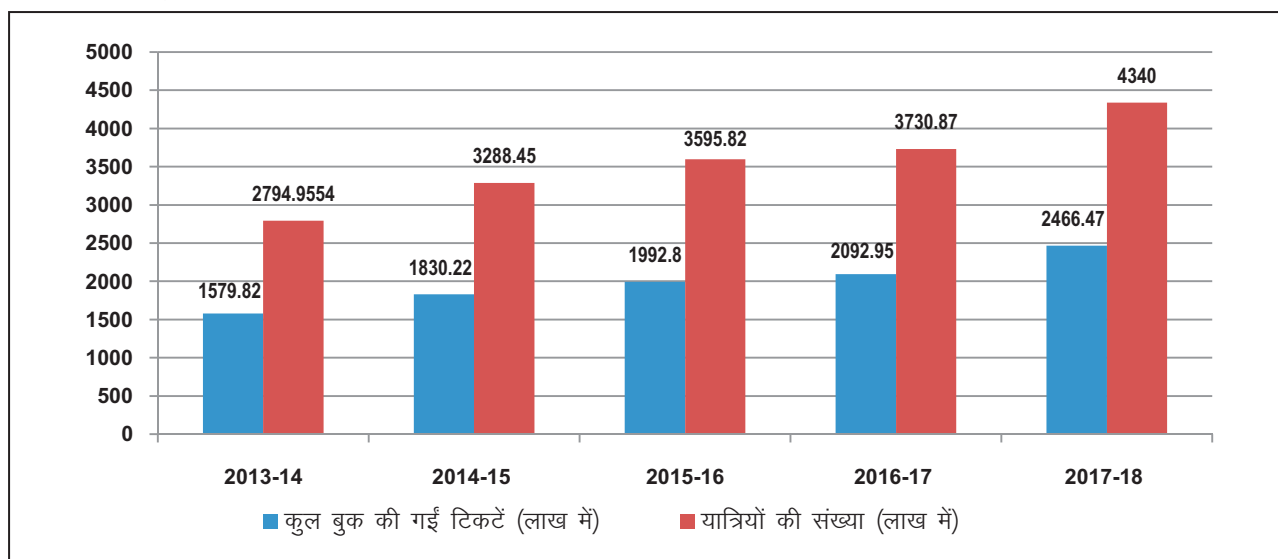
सेवा प्रभार वापस लेने के परिणामस्वरूप 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी के कारोबार में 693 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ है। वेब साइट, मार्केटिंग, ऑपरेशन और बिक्री के बाद सेवा पर टिकट प्रणाली पर किए जा रहे 80 करोड़ रुपये के लगभग वार्षिक व्यय की प्रतिपूर्ति रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही है। टिकटों पर सेवा प्रभार वापस लेने के परिणाम स्वरूप इस सेगमेंट से आय कम हो गई है, डेटा मुद्रीकरण, ई-नीलामी, खुदरा प्रबंधन इत्यादि द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन योजनाओं के साथ वेबसाइट की पूरी क्षमता का लाभ लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।





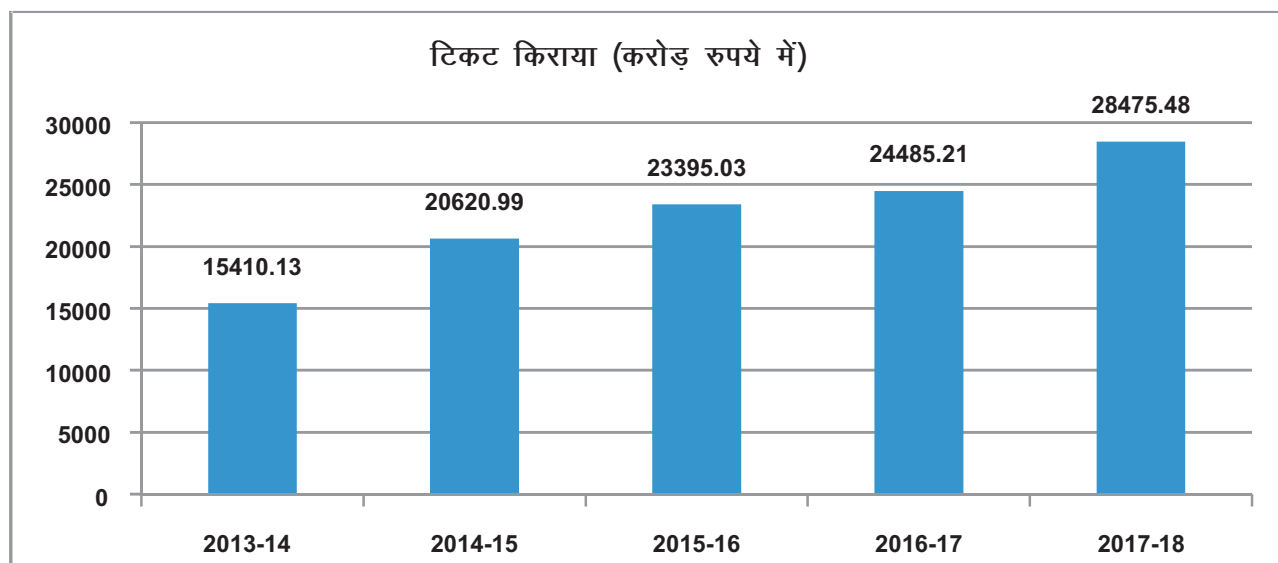
क. बुक की गई ई-टिकट और यात्रियों की संख्या:

पिछले वर्ष के दौरान 2092.95 लाख की तुलना में वर्ष के दौरान 2466.47 लाख टिकट बुक किए गए। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ई-टिकट के माध्यम से कुल 4340.08 लाख यात्रियों को बुक किया गया था। वर्ष के दौरान यात्री से टिकटों का अनुपात 1:76 था।



ख. ई-टिकट राजस्व संग्रह:

वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 28,475.48 करोड़ रुपये ई-टिकटिंग राजस्व के तहत उपयोगकर्ताओं से टिकट किराया एकत्र किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है।



2017-18 के लिए एमओयू लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष 2017-18 के लिए आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, सभी एजेंटों और उप-एजेंटों के आधार के माध्यम से 100% एजेंट प्रमाणीकरण 15.09.2017 (उत्कृष्ट) तक पूरा किया जाने का लक्ष्य था। तदनुसार, आईआरसीटीसी के उप-एजेंटों सहित सभी एजेंटों को आधार के माध्यम से 01.09.2017 तक सत्यापित किया गया और जो नहीं कर सके, निष्क्रिय कर दिया गया।



2017-18 के दौरान की गई नई पहल

- यूपीआई/बीएचआईएम भुगतान विकल्प ई-टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया। यूपीआई/बीएचआईएम को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01.10.2017 से को 6 महीने के लिए रैन्डम कंप्यूटर ड्रा के माध्यम से हर महीने 5 भाग्यशाली उपयोगकर्ताओं को ट्रेन किराया की पूरी वापसी की एक और योजना शुरू की गई थी।
- वेबसाइट पर “एक महीने में 12 टिकटों की अनुमति देने के लिए उपयोगकर्ता आईडी से आधार लिंक” सक्षम किया गया है। 01.12.2017 से 6 महीने के लिए उपयोगकर्ता आईडी को आधार से लिंक करने को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई जिसमें जिसमें प्रत्येक माह 5 उपयोगकर्ताओं को 10,000 रु. प्लस पूर्ण गाड़ी किराया की वापसी के साथ पुरस्कृत किया जाता है।
- अनुभूति श्रेणी के कोचों की बुकिंग वेबसाइट पर शुरू हुई।
- कैब बुकिंग सुविधा रेल उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई ताकि उन्हें बिना समय गवाएं अंतिम समय कनेक्टिविटी मिल सकें और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्राप्त हो।
- मैसर्स अर्थशास्त्र के माध्यम से अब बाद में भुगतान (15 दिनों के बाद) की सुविधा और मैसर्स एंडुरिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डिलिवरी पर भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। (आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं के लिए टिकट की डिलिवरी के समय भुगतान किया जा सकता है)।

इंटरनेट टिकटिंग की मुख्य विशेषताएं

- बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या 24.6 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी।
- 31 मार्च, 2018 तक ऑनलाइन ई-टिकटिंग से कुल टिकट किराया 28,475.48 करोड़ रुपये था।
- 31 मार्च, 2018 तक मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या 4.83 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 225% अधिक थी।
- **मोबाइल बुकिंग:-** अगली पीढ़ी ई-टिकटिंग सिस्टम पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म का एक नया संस्करण जनवरी 2017 में लॉन्च किया गया था। औसत मोबाइल ऐप बुकिंग 2016-17 के 40,752 टिकटों की तुलना में 2017-18 के दौरान प्रति दिन 1,32,539 टिकटें रही। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से, कुल 4.83 करोड़ टिकट बुक किए गए थे, जो ऑनलाइन टिकटों के माध्यम से बुक किए गए कुल टिकटों का 20 प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ई-गवर्नेंस योजना के तहत, मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया सर्विसेज लिमिटेड को इंटरनेट के तहत ई-टिकटिंग के लिए अपने 2.8 लाख ग्राम स्तर उद्यमियों (वीएलई) को इंटरनेट कैफे के अन्तर्गत पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है।
- एजेंटों द्वारा बुक की गई कुल ई-टिकटें 18.9 प्रतिशत हैं जो कि पिछले वर्ष की बुकिंग की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक है।
- 3 घंटे से अधिक समय तक देरी से चलने वाली गाड़ियों के उपयोगकर्ताओं को धनवापसी पीआरएस ईडीआर शेड्यूलर के माध्यम से छठवें दिन की जा रही है लगभग 50 प्रतिशत गाड़ियों के 3 घंटे से अधिक देरी के मामले में अब छठवें दिन पीआरएस के माध्यम से सैटल किए जा रहे हैं। यह सुविधा दिनांक 18.10.2017 से शुरू हुई है।
- लंबित टीडीआर रिफंड मामले मार्च, 2018 में 43,131 के सबसे कम आंकड़े को छुआ है। अब यह एक महीने से भी कम की संख्या है।
- वर्ष के दौरान रेल यात्रा के लिए लगभग 35 करोड़ यात्रियों को मुफ्त बीमा प्रदान किया गया है।
- डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन अपने टिकट की बुकिंग करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए 01.03.2018 से लेन-देन प्रभार शून्य कर दिया गया है।
- अब नए अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता विदेशी पर्यटक कोटा के तहत ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं (दिनांक 14 जुलाई 2017 से)



घ. बोटलबंद पीने का पानी (रेल नीर)

इस समय आईआरसीटीसी के 7 संयंत्र चल रहे हैं जो कि दिल्ली, पटना, पालूर, अम्बरनाथ, अमेठी, पारासल्ला और बिलासपुर में हैं। जिनमें से अमेठी और पारासल्ला पीपीपी योजना के तहत चल रहे हैं।

नांगलोई, दानापुर, पालूर, अम्बरनाथ, अमेठी, पारासल्ला एवं बिलासपुर स्थित संयंत्रों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के 18.70

करोड़ बोटल की तुलना में 20.20 करोड़ बोटल रहा। **31 मार्च 2018 में सभी संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता 82% थी।**

गुणवत्ता: रेल नीर संयंत्र, दानापुर, नांगलोई, पालूर और अम्बरनाथ आईएसओ: 9001-2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण और रेल नीर संयंत्र अम्बरनाथ 22000:2015 प्रमाणीकरण के साथ मान्यता प्राप्त है।

रेल नीर बोटलबंद पेयजल का मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम से स्पष्ट है कि रेल नीर की गुणवत्ता कीटनाशक अवशेष के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) मानदंडों के अनुरूप है।

प्रौद्योगिकी/क्षमता उन्नयन:

- विनिर्माण की लागत को कम करने के लिए दानापुर संयंत्र में बोटल के नेक साइज को 30 मिमी से 27 मिमी में बदल दिया गया है।
- 500 मिलीलीटर की बोटल में एक डिजाइन परिवर्तन के साथ-साथ नेक साइज में 30 मिमी X 27 मिमी से 30 मिमी X 25 मिमी तक बदल दिया जिससे 15 पैसे की लागत में कमी और प्रफॉरमेंस की दरों में क़िफायती हुई।
- डिजाइन प्रति कृति और नकली पानी की परिणामी बिक्री का मुकाबला करने के लिए, रेल नीर की बोटल पर सुरक्षा विशेषता के रूप में एक होलोग्राम लगाया गया।
- सीएफए संचालन की निगरानी के लिए हैंडहेल्ड टर्मिनलों (एचएचटी) का उपयोग।
- रेल नीर कैरीइंग और फॉरवर्डिंग एजेंसियां (सीएफए) को हैंडहेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) के माध्यम से इनवॉइसों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। लाइसेन्सियों को लाइव रिकॉर्ड और गाड़ियों और खानपान इकाइयों को स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति के समाधान हो सके। इसने बिल निपटारे की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, सटीक और वास्तविक समय में होता है। इसके परिणामस्वरूप रिकॉनसिलेक्शन के लिए स्टेशनरी और समय में बचत हुई है। आईआरसीटीसी सर्वर के साथ उपर्युक्त डेटा को ऑनलाइन जोड़कर रेल नीर परिचालन के कार्यनिष्पादन का आंकलन करने के लिए निर्णय लेने वाले टूल बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2017-18 के दौरान रेल नीर के सभी संयंत्रों के कार्यनिष्पादन (व्यवहारिक एवं वित्तीय) नीचे दिया गया है।

संयंत्र का नाम	बिक्री (बोटलों की संख्या करोड़ों में)	टर्नओवर सहित-अंतर सेगमेंट बिक्री (करोड़ रु. में)
नांगलोई	4.28	36.53
दानापुर	2.81	25.87
पालूर	3.46	29.90
अम्बरनाथ	4.88	42.55
अमेठी	2.15	20.05
पारासल्ला	1.52	14.22
बिलासपुर	0.62	5.78
कुल	19.72	174.90



उत्पादन प्रति यूनिट के लिए खपत

विवरण	विद्युत (केडब्ल्यूएच/100 बोटलें)	
	2017-18	2016-17
रेल नीर बोटलबंद पीने का पानी	5.0	5.4

भविष्य की क्षमता और योजना:

- ✓ अरंका कंसल्टेंट्स के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय रेलवे पर पैक किए गए पेयजल की औसत दैनिक आवश्यकता लगभग 18 लाख बोटलें/प्रतिदिन है। आईआरसीटीसी की औसत उत्पादन क्षमता सात कार्यरत संयंत्रों में 6.8 लाख बोटलें प्रतिदिन हैं। आठ और संयंत्रों को चालू करने के साथ, क्षमता प्रति दिन औसतन 11.9 लाख बोटलों तक बढ़ जाएगी ये 2018-19 तक परिचालित होगी इससे भारतीय रेलवे की 66% मांग पूरी हो जाएगी।
- ✓ पीपीपी मोड के तहत तीसरा संयंत्र नागपुर में सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मशीनरी की स्थापना प्रगति पर है। संयंत्र वित्त वर्ष 2019 में चालू करने की संभावना है। संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रति दिन 72000 लीटर है।
- ✓ दो और संयंत्र हापुड़ और संक्रेल में निर्माण कार्य 2017-18 में शुरू किया गया था। इनके 2018-19 में शुरू होने की उम्मीद है।
- ✓ अहमदाबाद, भोपाल, भुसावल, जागी रोड (गुवाहाटी के पास), विजयवाड़ा और जबलपुर में छह और संयंत्रों के ठेके दिए गए हैं और इनमें से कम से कम 5 संयंत्रों को 2018-19 में चालू कर दिया जाएगा।
- ✓ नंगल और रांची में दो और संयंत्रों के लिए निविदाएं 2017-18 में अंतिम रूप दी गई हैं और निर्माण 2018-19 में शुरू किया जाएगा। रांची में संयंत्र केंद्रीय कोलफील्ड लिमिटेड की परित्याग कोयला खानों के परिसर में बहुतायत में उपलब्ध कच्चे पानी के साथ स्थापित किया जा रहा है।
- ✓ आईआरसीटीसी ने एनटीपीसी पावर प्लांट परिसर में रेल नीर संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। जिसमें स्रोत शोधित पानी एनटीपीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। एनटीपीसी ने एक फ्लू गैस आधारित सागर जल (एफजीएसडब्ल्यू) विलवणीकरण (डीसैलिनेशन) प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से डिस्टिल्ड जल का उत्पादन होता है और खनिज और ओजोनेशन के बाद बोटल भरने के लिए उपयुक्त बना दिया जाता है। एनटीपीसी के सिम्हाद्री (विशाखापत्तनम), तालचर और सोलापुर में संयंत्र स्थापित करने के लिए इन तीन स्थानों की पहचान की गई है। ये संयंत्र पर्यावरण अनुकूल हैं क्योंकि कच्चे पानी को जमीन से निकाला नहीं जाता है।

वाटर वेन्डिंग मशीन

रेल मंत्रालय में आईआरसीटीसी को वाटर वेन्डिंग मशीनों के माध्यम से रेल यात्रियों को शुद्ध, ठंडा पेयजल सस्ती दरों (5/-प्रति 1लीटर की दर से) पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए थे ताकि, प्लास्टिक की बोटलों की कम खपत से प्रदूषण कम किया जा सके और रोजगार उत्पन्न हो सके।

वर्ष 2017-18 के दौरान आईआरसीटीसी ने 632 वाटर वेन्डिंग मशीनें (एमओयू लक्ष्य 1250 मशीनें) लगाई। कम्पनी ने 31 मार्च 2018 तक भारतीय रेलवे पर लगाने के लिए पहचान की गई 2500 वाटर वेन्डिंग मशीनों के स्थान पर संचयी रूप से कुल 1735 वाटर वेन्डिंग मशीनों को लगाया। श्रेणी ए-1, ए, बी और सी के कुल 1194 स्टेशनों में से कुल 633 स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनों को लगा दिया है जिससे लगभग 95 प्रतिशत ए-1 श्रेणी के स्टेशन कवर हो गए हैं।

3. मानव संसाधन विकास

संगठन में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यकलाप को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कर्मचारियों की जानकारी, क्षमता, कौशल और अन्य प्रतिभाओं में सुधार करना है। आईआरसीटीसी अपनी सबसे महत्वपूर्ण परिसम्पति अर्थात् मानव संसाधन की शक्ति में पूर्णतया विश्वास रखता है। कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कम्पनी सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का पालन करके उनकी समावेशी संवृद्धि और विकास के द्वारा अपने कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करती है।



31 मार्च 2018 तक कम्पनी में कुल जनशक्ति 2101 कर्मचारी थे। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
नियमित कर्मचारी	1403
प्रतिनियुक्ति पर	58
अनुबंध पर/जेडटीओ	03
परामर्शदाता	19
आऊट सोर्स	618

कम्पनी के नियमित कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों, विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और प्रतिशत का नीचे उल्लेख किया है:-

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	नियमित कर्मचारियों की संख्या का कुल %
महिला कर्मचारी	117	5.57
अनुसूचित जाति कर्मचारी	270	12.85
अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	73	3.47
अन्य पिछड़ा वर्ग	339	16.14
दिव्यांग कर्मचारी	05	0.24
भूतपूर्व सैनिक	NIL	-

भारत सरकार ने समय-समय पर आरक्षण संबंधी नीतियां जारी की हैं, जिनमें विशिष्ट पदों के लिए सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आईआरसीटीसी केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आरक्षण नीतियों का कड़ाई से अनुपालन करती है।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-3 वेतनमान के वर्कमैन श्रेणी के 120 कर्मचारियों को डब्ल्यू-6 वेतनमान में तथा 3 कर्मचारियों को एस 4, ई 0 वेतनमान से ई-2 वेतनमान में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) आयोजित करके पदोन्नत किया गया।

2017-18 के लिए एमओयू लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां

क्र.सं.	लक्ष्य	उपलब्धियों की स्थिति
1	वरिष्ठ कार्यपालकों (अपर महाप्रबंधक और उच्च) की 100% ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता क्लियरेन्स	सभी कार्यपालकों (अपर महाप्रबंधकों एवं उच्च) की त्रैमासिक सतर्कता क्लियरेन्स सतर्कता से ऑन लाइन ली जाती है।
2	उत्तराधिकारी योजना तैयार करना और 30.09.2017 तक निदेशक मंडल से अनुमोदन कराना।	15.11.2017
3	कार्यपालक (ई-0 और उच्च स्तर) की बिना देरी के 100% डीपीसी करानी	2017-18 के दौरान 14 चयन कराने की योजना थी और सभी 14 चयन किए गए। इन चयनों के अतिरिक्त उपर्युक्त के आधार पर पदोन्नति हेतु 19 डीपीसी की योजना थी और सभी 19 डीपीसी 2017-18 में पूर्ण की गई।
4	प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रोग्रेशन हेतु कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण भारत में उत्कृष्टता केन्द्रों अर्थात् आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि में दिलाना-10% कार्यपालकों को	10.30% (कम्पनी के कुल 301 कार्यपालकों में से 31 को आईआईएम/रोहतक एवं एमडीआई/गुडगांव में एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया गया।)



कर्मचारी हित

राष्ट्रीय पेन्शन योजना: वर्ष के दौरान कम्पनी ने आईआरसीटीसी के कर्मचारियों के लिए पेन्शन योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) के अन्तर्गत पेन्शन फण्ड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के माध्यम से 01.04.2017 से शुरू की गई। 01.04.2017 से 31.03.2017 तक और वित्त वर्ष 2017-18 का नियोक्ता का अंशदान 957 कर्मचारियों के संबंधित स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा नम्बर (पीआरएएन) में अन्तरित किया गया।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी में औद्योगिक सद्भाव बनाए रखा गया और मानव दिवस की कोई हानि नहीं हुई। कम्पनी में सशक्तिकरण, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण और प्रबंधन में भागीदारिता के द्वारा प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित की गई है।

कर्मचारियों का विवरण

को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 197 (12) जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां) नियम 2014 के नियम 5(2) के अन्तर्गत पढ़ा जाए में प्रत्येक कम्पनी को कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक दिए जाने वाले का नाम और अन्य विवरण कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में देना होता है।

तथापि भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के 05 जून 2015 के जारी अधिसूचना में सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 197 की व्यवस्था से छूट दी गई है।

आपकी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है अतः ऐसा विवरण निदेशक रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (आईटी) और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)

आईआरसीटीसी में मजबूत ईआरपी अनुप्रयोग (ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट) है, जिससे ईआरपी के विभिन्न मॉड्यूल अर्थात् देय खाते (एपी) प्राप्य खाते (एआर), जनरल लेजर (जीएल), एचआरएमएस, संपत्ति प्रबंधक, कर्मचारी सेल्फ सर्विस (www.IRCTC.com— कर्मचारी लॉगिन के साथ एकीकृत) को कार्यान्वित किया गया है और लगभग सभी विभागों जैसे वित्त खानपान, रेल नीर और एचआरडी के सभी प्रक्रियाओं को समर्थन करता है और विभिन्न रिपोर्टों और एमआईएस के लिए उनकी मदद करता है। संगठन के सभी आधिकारिक कर्मचारियों का डेटा और संगठन का वित्तीय डेटा को ईआरपी में डिजिटल रूप में रखा जाता है और इसे कहीं से भी देखा जा सकता है।

2017-18 के एमओयू लक्ष्य के अनुसार सभी कार्यपालक (ई0 और उससे ऊपर) के एसीआर/एपीएआर के 100% ऑनलाइन सबमिशन के साथ-साथ एसीआर/एपीएआर की निर्धारित समय सीमा के अन्दर लिखाने के अनुपालन हेतु आपकी कंपनी ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) ऑनलाइन भरने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है और यह वित्त वर्ष 2017-18 से ई-0 और उससे उच्च के लिए एपीआर पर क्रियात्मक है।

5. सतर्कता

आईआरसीटीसी में सतर्कता विंग एक प्रमुख विभाग है जो सीवीसी, रेलवे बोर्ड के सतर्कता संगठन के बीच सीधा लिंक के रूप में कार्य करता है। इसे विभिन्न औचक जांच करने के लिए जनादेश और समय-समय पर विभिन्न अन्य विभागों के अभिलेख/दस्तावेजों की जांच, संगठन में कदाचार, भ्रष्टाचार और अनुचित/गैरकानूनी व्यावसायिक आचरण का समय पर पता लगाने की जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया है।

01.02.2018 से आईआरसीटीसी की सतर्कता विंग का पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हो गया है। उन्हें कॉर्पोरेट कार्यालय में एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, 3 सतर्कता अधिकारी और 2 सतर्कता निरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है। कार्यक्षेत्रों में सतर्कता से संबंधित मामले को संभालने के लिए विभिन्न जोनों में 5 सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग का ध्यान देने वाले क्षेत्र में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना निवारक सतर्कता और निगरानी तथा चौकसी रखना है।

2017-18 के दौरान, सीवीसी, बोर्ड (सतर्कता) और अन्य स्रोतों से 04 शिकायतें और जांच के लिए प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की गई और समय सीमा के भीतर निपटाया गया। खानपान और ई टिकट क्षेत्र में 131 निवारक/औचक जांच की गई। ईमेल के माध्यम से प्राप्त लगभग 303 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इस तरह के कदाचार और भ्रष्टाचार की घटनाओं को संबंधित विभाग को लाइसेंसधारकों और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूचित किया गया इसके परिणामस्वरूप 52,06,029 रु. का जुर्माना वसूला गया।



इसके साथ-साथ सतर्कता विभाग की सिफारिश पर विभिन्न विभागों विशेष रूप से खरीद, खानपान और ई टिकट क्षेत्र में कदाचार के मामलों को कम करने के लिए प्रणाली सुधार लागू किए गए।

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 तक आयोजित किया गया इसकी थीम “मेरी परिकल्पना – भ्रष्टाचार मुक्त भारत” थी। आयोजनों के दौरान, आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों और जनों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विभिन्न सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। नागरिकों और ग्राहकों के लिए पांच शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए गए जिसका उद्देश्य आम शिकायतों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना था और भ्रष्टाचार की जांच के लिए नागरिक अधिकारों के बारे में संवाद करने के लिए भी काम करना था। क्या करें और क्या नहीं करें के साथ ई टिकटिंग और क्लीन सिस्टम के महत्व को बताते हुए, दर्शकों और यात्रियों के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक और नाटक भी आयोजित किए गए।

विस्ल ब्लोअर पॉलिसी/चौकसी तंत्र की स्थापना

चौकसी तंत्र की स्थापना के संबंध में प्रकटीकरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में परिशिष्ट-“ख” में शामिल किया गया है।

6. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

वर्ष 2017-2018 के दौरान कम्पनी ने सीएसआर और धारणीयता के अर्न्तगत जन स्वास्थ्य, वृद्ध और दिव्यांग जनों के लिए सुविधाओं सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में कई गतिविधियों के लिए पहल की गई। वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न हैं:-

i. नम्मा: शौचालयों का निर्माण

आईआरसीटीसी के सीएसआर पहलों के अर्न्तगत मॉड्यूलर टाईप नम्मा: शौचालयों की व्यवस्था गोरखपुर, जयपुर, ग्वालियर, आगरा कैण्ट और बड़ौदरा रेलवे स्टेशनों पर की गई। परियोजना की स्वीकृत लागत 1,25,00,000/- रुपये में से पिछले वित्त वर्ष में 60,65,000/- रुपये तथा वित्त वर्ष 2017-18 में 35,41,984/-रु. खर्च किए गए।

ii. विभिन्न स्टेशनों पर व्हील चेयर लिफ्ट्स की आपूर्ति:

आईआरसीटीसी ने दिल्ली-चेन्नै मार्ग के आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, चेन्नै रेलवे स्टेशन पर 29,29,500/- रु. मूल्य की 10 व्हील चेयर लिफ्ट की व्यवस्था की गई।

iii. विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पीईटी बोतल क्रशर:

हावडा मंडल, हैदराबाद मंडल, रांची मंडल, दिल्ली मंडल, विजयवाड़ा मंडल, लखनऊ मंडल, और मुम्बई मंडल पर 57.23 लाख रु. मूल्य की 50 पीईटी बोतल श्रेडर मशीन लगाने के खरीद आदेश दिए गए।

iv. थैलिसीमिया और ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के मरीजों के लिए रक्त संचरण केन्द्र के लिए उपकरण को प्रायोजित करने के लिए वित्तीय सहायता

थैलिसीमिया और ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के मरीजों के लिए रक्त संचरण केन्द्र की स्थापना एनजीओ – द विशिंग फैक्ट्री के माध्यम से करने के लिए 13 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की। पुणे और अजमेर में एक-एक अर्थात् कुल दो रक्त संचरण केन्द्र की स्थापना की गई।

v. जरूरतमंद कैंसर मरीजों को कैंसर पेशेंट ऐड एसोसिएशन के माध्यम से गोद लेना।

कम्पनी ने जरूरतमंद कैंसर पेशेंटों को गोद लेने के लिए कैंसर पेशेंट ऐड एसोसिएशन (सीपीएए) को 15,00,000/- रुपये का योगदान दिया।

vi. स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण (एसएचजी) और एनजीओ के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता।

कम्पनी के द्वारा स्वयं सहायता समूह को महिला सशक्तिकरण के द्वारा उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्री शक्ति के माध्यम से 5,00,000/-रु. का योगदान दिया और पिछले क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए एनजीओ-भारतीय संकल्प पथ फाउन्डेशन, नई दिल्ली को 1,80,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

vii. अशक्तजनों के लिए सामाजिक कल्याण संगठन – वॉइस ऑफ वर्ड को वित्तीय सहायता

सामाजिक कल्याण संगठन –वॉइस ऑफ वर्ड को अशक्तजनों के स्कूल में ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।



viii. राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में वाटर एटीएम की स्थापना।

सीएसआर पहल के अन्तर्गत आईआरसीटीसी ने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में कुल 10 लाख मूल्य के वाटर वेन्डिंग एटीएमों की स्थापना की।

ix. सीएसआर फंड के कुल का 33 प्रतिशत स्वच्छ भारत गतिविधियों को आबंटन।

स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड के आबंटन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आईआरसीटीसी के द्वारा कुल सीएसआर फंड का न्यूनतम 33 प्रतिशत फंड से अधिक 402 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में आबंटित की गई।

7. अनुपालन

7.1 माल और सेवा कर

भारत सरकार ने एक बृहत सामाजिक, आर्थिक सुधार माल सेवा कर शुरू किया, यह माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अपरोक्ष कर है। कर सुधार के रूप में जीएसटी को पूरे देश में एक एकल प्रणाली कराधान लागू किया है। इसमें पूर्व के वैट और सेवाकर व्यवस्था के अधिकतर प्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है।

अब जीएसटी को 01.07.2017 से लागू किया गया है और आईआरसीटीसी ने जीएसटी को सफलतापूर्वक अपनाने की उपलब्धि प्राप्त की है। प्रारंभ में प्रलेखीकरण से संबंधित कठिनाइयां आने के बावजूद जीएसटी स्थिर और पारदर्शी कराधान व्यवस्था बनाने में एक बड़ा कदम है।

7.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिनियम, 2005 को नागरिकों के लिए व्यावहारिक सूचना के अधिकार का शासन स्थापित करके लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचनाओं तक सुरक्षित पहुंच कर पारदर्शिता और जबाबदेही का बढ़ावा देना है। सूचना के अधिकार के आवेदनों को त्वरित रूप में निपटान करने के लिए आईआरसीटीसी प्रत्येक आवेदन का एक यूनिक पंजीकरण नम्बर (यूआरएन) देता है और इसका उत्तर संबंधित मुख्य जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व दिया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्यवस्था के अनुरूप कॉरपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने जनसूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं। मुख्य जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों की सूची आईआरसीटीसी की वेबसाइट अर्थात् www.irctc.com पर उपलब्ध है। आईआरसीटीसी ने एमआईएस पोर्टल को ऑनलाइन आरटीआई शुरू कर दिया है और ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों का निपटान आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आरटीआई मामलों का तेजी से निपटान हो रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 2338 आवेदन प्राप्त हुए जिनका समय पर निपटारा कर दिया गया।

विवरण	अन्य लोक प्राधिकारी से अनुच्छेद 6(3) के अन्तर्गत स्थानांतरित प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारी को अनुच्छेद 6(3) के अन्तर्गत स्थानांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जिनमें आवेदन/अपील खारिज किए गए।	निर्णय जिनमें आवेदन/अपील का उत्तर दिया गया।
आवेदन	1944	2338	267	6	2065
प्रथम अपील	62	77	16	0	61

7.2 राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय के आदेश सं. 2017/पीएल/49/08/दिनांक 02.01.2018 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए जिसने आईआरसीटीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर यूनियन पर्यवेक्षकों का वेतन संशोधन 01.01.2017 से लागू करने के निर्देश दिए गए।

7.3 राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। कम्पनी में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के



लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है। कम्पनी ने राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए कई प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, बैठकें, विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि आयोजित की हैं। राजभाषा में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए कई प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं लागू हैं।

14 सितम्बर 2017 से 20 सितम्बर 2017 तक कॉरपोरेट कार्यालय में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा हिंदी-प्रश्न मंच, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी निबंध, शब्द ज्ञान एवं टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

7.4 कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम 2013 (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) और उसके अन्तर्गत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करती है। अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए आईआरसीटीसी के कॉरपोरेट कार्यालय के साथ-साथ कम्पनी के जोनल कार्यालयों में अपेक्षित संरचना के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति(यां) का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

7.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों से प्राप्ति (एमएसई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों (एमएसई) के लिए आपूर्ति नीति आदेश 2012 में कुल खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीद एमएसई फर्मों तथा 20 प्रतिशत में से कम से कम 40% एससी/एसटी फर्मों से खरीद की जानी आवश्यक है। आईआरसीटीसी ने वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसई फर्मों से कुल का 17.94 प्रतिशत ही खरीद पाना संभव हुआ।

कम्पनी 2018-19 में एमएसई से 20% जिसमें एससी/एसटी फर्मों से 20% का 4% की खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने का सभी संभव प्रयास करेगी।

8. कम्पनी अधिनियम 2013 का अनुपालन

8.1 जमा

समीक्षाधीन आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी (जमा स्वीकार करना) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया या, कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है। अतः कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(5)(V) के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना शून्य है।

8.2 ऋण एवं दी गई गारंटियों, किए गए निवेश और दी गई प्रतिभूतियां का विवरण।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने, कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत किसी प्रकार का ऋण, निवेश या कोई गारंटी नहीं दी गई है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना शून्य है।

8.3 संबंधित पार्टियों के साथ संविदा और करार

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने, कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अन्तर्गत किसी प्रकार की संविदा/करार/लेनदेन नहीं किया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 और उप-धारा के खंड (एच) और कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में दी जाने वाली अपेक्षित सूचना शून्य है।

8.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाई है जो आकार, स्तर और परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। आंतरिक लेखा परीक्षा कम्पनी की समग्र आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का दायरा सुपरिभाषित है और इसमें कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। कम्पनी की आंतरिक



लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त स्वतंत्र व्यावसायिक फर्म के द्वारा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण अनुबंध-“क” प्रबंधन विचार विमर्श और विशलेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

8.5 जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने निदेशक मण्डल स्तर की एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित है और इसकी संरचना आयोजित बैठकों और कार्यक्षेत्र का विवरण पर कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

कंपनी में बोर्ड स्तर से नीचे की भी समिति गठित की है जिसमें समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों की एक समिति है जिसे मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) सहयोग करते हैं। समिति का कार्य आईआरसीटीसी के विशिष्ट व्यवसाय संबंधी क्षेत्रों में जोखिमों का पता लगा कर कंपनी में उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना है। लेखा परीक्षा समिति आवधिक रूप से आईआरसीटीसी में जोखिम मूल्यांकन करती है और न्यूनतम प्रक्रिया बनाती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति वेबसाइट www.ircctc.com पर भी उपलब्ध है। बोर्ड स्तर से नीचे की जोखिम प्रबंधन प्रणाली समिति की त्रैमासिक बैठक में विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई और उन पर विचार-विमर्श किया गया। कंपनी ऐसे मानकों को देखने के लिए व्यावसायिक संस्थान/संगठन को रखने की प्रक्रिया शुरू की है।

8.6 सचिवीय मानक

सचिवीय मानक कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों यथा निदेशक मंडल की बैठकों और आम सभा से संबंधित क्रमशः एसएस-1 और एसएस-2 का अनुपालन किया है।

9 महत्वपूर्ण एवं सामग्रीपरक आदेश

नियमकों अथवा न्यायालयों अथवा प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा सामग्रीपरक आदेश नहीं पारित किए गए जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति अथवा उसके भावी परिचालनों पर कोई प्रभाव पड़े।

10 ऊर्जा संरक्षण, टेक्नॉलाजी समाहन और विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि के संबंध में विवरण

ऊर्जा संरक्षण, टेक्नॉलाजी समाहन और विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि के संबंध में विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3) (एम) के अन्तर्गत प्रकटन अपेक्षित है जो निम्न प्रकार है :

आईआरसीटीसी अपने परिचालनों, उत्पादों एवं सेवाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को न्यूनतम करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहता है इसके लिए ऐसी प्रक्रिया, कार्य विधियों, सामग्रियों और उत्पादों का प्रयोग करता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, कम होता और नियंत्रित रहता है। संबंधित पर्यावरणी कानूनों का अनुपालन किया जाता है। सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम की गई है।

(क) टेक्नोलॉजी समाहन

इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	स्तर
(क)	आयातित टेक्नोलॉजी का विवरण	शून्य
(ख)	आयात का वर्ष	लागू नहीं
(ग)	क्या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समाहित कर लिया गया है	लागू नहीं
(घ)	यदि पूरी तरह समाहित नहीं किया गया है तो वे क्षेत्र बताएं जहां समाहन नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हैं, और	लागू नहीं

(ख) अनुसंधान और विकास पर किया गया खर्च

आपकी कंपनी की उपस्थिति इस क्षेत्र में नहीं होने के कारण विशिष्ट अनुसंधान परियोजना नहीं है। तथापि अपने व्यवसाय क्षेत्र में तकनीकी क्षमता में सुधार और सक्षमता में वृद्धि, कुछ उपायों और तकनीकी विकास तथा नवपरिवर्तनशील प्रणाली शुरू की गई।



(ग) विदेश मुद्रा अर्जन और व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष के दौरान वास्तविक अंत प्रवाह के अन्तर्गत अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान वास्तविक बाह्य प्रवाह के अन्तर्गत खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
विदेशी मुद्रा अर्जन	37.59	47.51
विदेशी मुद्रा व्यय		
विदेश यात्रा पर होने वाला खर्च	0.33	0.30

11. निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की नीति

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 134 (3) (पी) के प्रावधानों में सरकारी कंपनियों को औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन छूट को अधिसूचित किया है यह उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके निदेशकों का मूल्यांकन कंपनी के प्रशासनिक रूप से प्रभारी मंत्रालय द्वारा स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है। आपकी कंपनी प्रत्येक वर्ष रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करती है, जो कंपनी के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन मानकों का निर्धारण करती है। भारत सरकार के साथ एमओयू के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी और निदेशक मंडल का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन किया जाता है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष और गैर-स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के संपूर्ण सदस्यों और मूल्यांकन तंत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों में छूट दी है, जो कि सरकारी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित है।

उपरोक्त को देखते हुए, इस तरह के विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

12. अभिन्न रिपोर्ट

निम्न टेबल में उल्लिखित रिपोर्ट प्रासंगिक उप परिशिष्टों सहित निदेशक रिपोर्ट का आंतरिक भाग है और क्रमशः उनके अनुबंधों में रखा गया है।

रिपोर्ट का नाम	परिशिष्ट
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	क
कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट	ख
सीएसआर और धारणीयता गतिविधियां की वार्षिक रिपोर्ट	ग
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	घ
वार्षिक विवरण का सार	ङ
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर)	च

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के कार्यकलापों कानूनी स्थिति और स्वतंत्रता, व्यवसाय वातावरण, मिशन एवं उद्देश्य, दृष्टिकोण, क्षेत्रवार परिचालन निष्पादन, इसके संसाधन और प्रणाली, शक्ति, अवसर, बाध्यता, रणनीति, जोखिम और चिंता के साथ-साथ मानव संसाधन और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली आदि में कंपनी के काम काज का परिदृश्य हैं। प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण पर एक अलग से रिपोर्ट (अनुबंध-“क”) पर दी गई है।

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में कंपनी का कॉर्पोरेट अभिशासन में कंपनी के महत्वपूर्ण मूल्यों, निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना विवरण जिनमें वर्ष 2017-18 के दौरान और बाद में शामिल हुए निदेशकों का प्रोफाइल, उपस्थिति, निदेशकों आदि का पारिश्रमिक अन्य संबंधित प्रकटीकरण और शेयरधारकों की सामान्य सूचना (अनुबंध-“ख”) में दिए गए हैं। इसमें निम्नलिखित पूरक अनुपालन प्रमाण पत्र भी हैं:-



- (i) वर्ष 2017-18 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जिसमें निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों से आचार संहिता और महत्वपूर्ण मूल्य के अनुपालन की घोषणा की प्राप्ति हुई है। (अनुबंध ख-1 पर संलग्न है।)
- (ii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त), का प्रमाणपत्र जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण का सत्य और निष्पक्ष, अपेक्षित अनुपालनता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाणिकता के संबंध में है। (अनुबंध “ख-2 पर संलग्न) और
- (iii) कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाणपत्र (अनुबंध-“ख-3” पर संलग्न है।)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ, निर्धारित सीएसआर खर्च और वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं आदि पर खर्च का विवरण (अनुबंध-“ग”)

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी (प्रबंकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं परिलब्धियों) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसार आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु कम्पनी सचिवों की एक स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स अखिल रोहतगी कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है। (अनुबंध-घ)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण का सार निर्धारित फार्म एमजीजी-9 में निदेशक रिपोर्ट के रूप में संलग्न है। (अनुबंध-“ड”)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर संलग्न है। (अनुबंध-च)

13. समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में स्थापित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में प्राप्त परिणामों के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन को ‘अच्छा’ के रूप में रेट किया गया है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने के समझौते पर क्रमशः 28 जुलाई, 2017 और 14 मई, 2018 को कम्पनी और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

2017-18 को एमओयू मूल्यांकन प्रगति पर है और अंतिम मूल्यांकन एमओयू स्कोर और रेटिंग दिसंबर 2018 के दौरान डीपीई द्वारा घोषित होने की उम्मीद है।

14. पुरस्कार और उपलब्धियां

आईआरसीटीसी सर्वांगिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है और इसे प्राप्त पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची में स्पष्ट दिखाई देता है:

1. आईआरसीटीसी के प्रमुख उत्पाद रेल नीर को वॉलेन्टरी ऑरगेनाईजेशन इन इन्ट्रेस्ट ऑफ ‘कन्ज्यूमर वॉइस’ (वीओआईसी) द्वारा प्रकाशित “कन्ज्यूमर वॉइस” पत्रिका में देश भर से कई अन्य प्रतिष्ठित बोटलबंद पेयजल ब्रांडों में शीर्ष निष्पादन के रूप में स्थान दिया गया है। – 15.05.2017
2. आईआरसीटीसी को जे डब्ल्यू मैरियट एयरोसिटी, नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में पर्यटन सेवाओं के लिए वर्ष के दौरान लीज़र एवं ट्रेवल ई-रिटेलर श्रेणी में ई-रिटेल पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। – 15.05.2017
3. प्रतिष्ठित डून एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवॉर्ड्स 2017 प्राप्त होने से आईआरसीटीसी गौरान्वित महसूस कर रहा है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के हयात रीजेंसी में आयोजित एक शानदार समारोह में प्रदान किया गया। – 27.07.2017
4. आईआरसीटीसी देश में एक अग्रणी पर्यटन संगठन को हाल ही में प्रतिष्ठित इण्डिया टूरिज्म कॉन्कलेव एंड ट्रेवल अवार्ड समारोह में देश में “सबसे विश्वसनीय घरेलू पर्यटन ब्रांड के रूप में पुरस्कृत किया गया। – 29.07.2017
5. मजबूत विकास पथ पर चल कर आईआरसीटीसी ने प्रतिष्ठित फॉर्च्यून इंडिया में नेक्स्ट 500 सूची में भारतीय कंपनियों की रैंकिंग 2016 की 199 से 2017 में 62 तक पहुंच कर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। – 01.08.2017



6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित महाराजा एक्सप्रेस, जिसका स्वामित्व और संचालन आईआरसीटीसी का है। वियतनाम के पेहू क्वेक में आयोजित शानदार समारोह में लगातार छठी बार (2012-17) के लिए 'अग्रणी लक्जरी गाड़ी' के लिए विश्व यात्रा पुरस्कार प्राप्त किया है। – 10.12.2017



7. आईआरसीटीसी को भारत की छवि वृद्धि/वैश्विक ब्रांड बनाने की श्रेणी में भास्कर इण्डिया प्राईड अवार्ड्स से सम्मानित किया गया।





15. संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनियां

क. कम्पनी का एक मात्र संयुक्त उपक्रम कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ 50:50 इक्विटी भागीदारी करके रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के नाम के साथ अधिग्रहण, साज सज्जा, अनुरक्षण, प्रबंधन और लम्गरी गाड़ी का परिचालन करने, हॉलीडे पैकेजों के विपणन के उद्देश्य से 27 नवम्बर 2008 को स्थापना करके और ऐसी लम्गरी गाड़ियों का आन्तरिक हिस्सा बने।

तदनुसार एक लम्गरी गाड़ी जिसमें 23 कोच थे, का कम्पनी के द्वारा निर्माण, साजसज्जा और फंड की व्यवस्था और महाराजा एक्सप्रेस के नाम से विपणन और संचालन, परिचालन करने हेतु लम्गरी पर्यटन गाड़ी को 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन हेतु रॉयल इंडिया रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) की लीज़ पर दी गई तथापि इक्विटी भागीदारी के मध्य कुछ समस्याएं होने के कारण लम्गरी गाड़ी की लीज़ समाप्त कर ली गई और संयुक्त उपक्रम करार दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायलय ने आईआरसीटीसी को इस लम्गरी गाड़ी को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की है।

कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम करार की बहाली के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही की शुरुआत की। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मध्यता बहस के स्तर पर है। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड आरआईआरटीएल ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आरआईआरटीएल के नाम को हटाने के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायलय में अपील दायर की है जो कि बहस के लिए सूचीबद्ध है।

ख. आईआरसीटीसी ने रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्व कम्पनी लॉ बोर्ड) में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 388 बी 397, 398, 399 और 403 के अन्तर्गत याचिका दायर की है याचिका न्यायधीन है। संयुक्त उपक्रम का विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों के नोट 37.3 और 45 में दिया गया है। आरआईआरटीएल ने भी जुलाई 2013 में बिना अनुमोदन के बोर्ड और आम बैठक नहीं करने के लिए एनसीएलटी से अनुमति ले ली है।

16. वित्तीय विवरणों का समेकन

जैसा कि ऊपर पैरा में उल्लेख किया गया है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ बकाया विवाद के चलते वित्तीय वर्ष 2010-11 से कम्पनी के साथ बोर्ड की बैठकें और आम बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत धारा 129 (3) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के समेकन का कार्य नहीं किया जा सका जिसे कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरण के लेखों पर टिप्पणी के नोट 45 में स्पष्ट और प्रकटन किया जा चुका है।

17. लेखा परीक्षक

17.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स सर्वा एसोसिएट्स, को वित्त वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया। सांविधिक लेखा परीक्षक को वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षा शुल्क लागू करें सहित तथा जेब खर्च के लिए 9.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

17.2 सचिवीय लेखा परीक्षा

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं परिलब्धियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईआरसीटीसी ने सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए, कम्पनी सचिवों की एक स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स अखिल रोहतगी, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया।

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-“घ” के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कुछ रेलनीय यूनिटों के लीगल मेट्रोलाजी अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं होने की टिप्पणी है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के द्वारा उल्लेखित टिप्पणी का स्पष्टीकरण/उत्तर निम्न प्रकार है:

“रेलनीय के सात संयंत्रों में से तीन संयंत्र पहले से ही लीगल मेट्रोलाजी अधिनियम 2009 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। शेष 04 संयंत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये शीघ्र ही पंजीकृत हो जाएंगे।”



17.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखने के लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म, मैसर्स के. एस. चौधरी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को नियुक्त किया है। इस फर्म के कार्य क्षेत्र और किए जाने वाले कार्यों का विवरण प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में संलग्न है।

17.4 लागत लेखा परीक्षक

चूंकि आईआरसीटीसी व्यवसाय क्षेत्र की कम्पनी होने के कारण कम्पनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नए लागत लेखा परीक्षा नियम के अन्तर्गत नहीं आती है तथापि कम्पनी ने लागत लेखा परीक्षक मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वैच्छिक आधार पर रेल नीर संयंत्र द्वारा अनुरक्षित लागत रिकॉर्ड की लागत लेखा परीक्षा कराई है।

18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की पूरक लेखा परीक्षा की है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

19. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करता है:-

- वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का समुचित स्पष्टीकरणों सहित अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे, ताकि, उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी कार्यों की स्थिति का तथा कंपनी के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके;
- निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उचित प्रणालियां खोज निकाली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और उनका संचालन प्रभावी ढंग से हो रहा था।

20. निदेशक और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी (केएमपी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (खानपान सेवाएं), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), मुख्य वित्त अधिकारी और कम्पनी सचिव कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मी (केएमपी) हैं।

पिछली वार्षिक आम सभा के पश्चात् निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं:-

नियुक्त:

- श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** (डीआईएन-02316235) ने कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार दिनांक 18 सितम्बर 2017 से संभाला।
- प्रो. सचिन चतुर्वेदी** (डीआईएन-07960871) दिनांक 10 अक्टूबर 2017 से कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक नियुक्त किए गए।



- (iii) श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती (डीआईएन-07965899) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 से कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक नियुक्त किए गए।
- (iv) सुश्री सरिता देशपाण्डेय (डीआईएन-08098222) दिनांक 29 मार्च 2018 से कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक नियुक्त की गई।
- (v) श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन-08083674) दिनांक 18 मई 2018 से कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) नियुक्त की गई।
- (vi) श्री नीरज शर्मा (डीआईएन-08177824) कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) रेलवे बोर्ड दिनांक 12 जुलाई 2018 से कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए।

पद से हटे:

- (i) श्रीमती अमृतबीर कौर बरार (डीआईएन 06780608) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) दिनांक 30 नवंबर 2017 से अधिवर्षिता के कारण पद से हटी।
- (ii) श्री प्रशांत कुमार बलसावर (डीआईएन 07189241) रेल मंत्रालय की सूचना पर दिनांक 25 मई 2018 से कम्पनी के अंशकालिक (सरकारी) निदेशक के पद से हटे।

निम्नलिखित निदेशक रिपोर्ट की तारीख को निम्नलिखित पदभार संभाल रहे थे:

क्र.सं.	विवरण	नियुक्ति का तिथि
1.	श्री महेंद्र प्रताप मल्ल (डीआईएन 02316235) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	18 सितम्बर 2017 से
2.	श्री श्रीराम वेंकटाचलम (डीआईएन 07445220) निदेशक (खानपान सेवाएं)	11 मार्च 2016 से
3.	श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन-08083674) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	18 मई 2018 से
4.	श्रीमती स्मिता रावत (डीआईएन: 07670758) अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	08 दिसम्बर 2016 से
5.	श्री नीरज शर्मा (डीआईएन-08177824) अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	12 जुलाई 2018 से
6.	डॉ. रबी नारायण बोहिदर (डीआईएन 00637818) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
7.	डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएन 07683375) अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
8.	श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन 00074469) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
9.	प्रो. सचिन चतुर्वेदी (डीआईएन-07960871) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक	10 अक्टूबर 2017 से
10.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती (डीआईएन-07965899) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक	13 अक्टूबर 2017 से
11.	सुश्री सरिता देशपाण्डेय (डीआईएन-08098222) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक	29 मार्च 2018 से



21. आभार

निदेशक मण्डल कम्पनी को दिशानिर्देश एवं सहयोग करने के लिए भारत सरकार, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग का धन्यवाद करता है। निदेशक मण्डल अपने सम्मानीय ग्राहकों और लाइसेन्सियों का भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों को उनसे प्राप्त सृजनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद करते हैं।

अंत में, निदेशक मंडल आईआरसीटीसी के सभी स्तर के कर्मचारियों को उत्कृष्टता और सफलता के शिखर को प्राप्त करने के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान और सतत् प्रयासों के लिए भी प्रशंसा करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक : 24 सितम्बर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./.
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 02316235



प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(1) उद्योग का स्वरूप एवं विकास

1.1 आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और यह अगले 10–15 वर्षों में विश्व के शीर्ष तीन आर्थिक शक्ति में से एक होने की संभावना है जो कि इस सशक्त लोकतन्त्र और साझेदारी से लाभान्वित होना है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017 में 6.6 से वर्ष 2018–19 में बढ़कर 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारत में सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारक है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2017–18 में भारत में सकल मूल्य वृद्धि में अनुमानतः लगभग 54.0 प्रतिशत का योगदान दिया है और इससे कुल जनसंख्या के 28.6 प्रतिशत नियोजन किया है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार भारत का कुल सेवा निर्यात अप्रैल–दिसम्बर 2017 के दौरान 57.60 बिलियन यू. एस. डॉलर तक पहुंच गया जो कि लगभग 64.10 बिलियन यूएस डालर तक पहुंच जाएगा।

1.2 औद्योगिक परिदृश्य

1.2.1 खानपान

इंडियन फूड एंड बेवरेज (एफ एंड बी) सेवा उद्योग सबसे जीवंत उद्योगों में से एक है जिसने हाल के पिछले समय में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है और तेजी से विस्तार कर रही है। यह बदलती जनसांख्यिकी, डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, शहरीकरण और संगठित खुदरा विकास कारण संभव हो सका।

भारतीय खाद्य उद्योग भारी विकास के लिए तैयार है, हर साल विश्व खाद्य व्यापार में अपना योगदान बढ़ा रहा है। भारत में, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भीतर मूल्यवर्धन के लिए इसकी अत्यधिक संभावना के कारण खाद्य क्षेत्र उच्च वृद्धि और उच्च लाभ वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। देश के कुल खाद्य बाजार के लगभग 32 प्रतिशत को शामिल करते हुए भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के माध्यम से सरकार व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसने संयुक्त उद्यम (जेवी), विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस, और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

70 फीसदी बिक्री के योगदान के साथ खुदरा बिक्री में भारतीय खाद्य और किराने का बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के कुल खाद्य बाजार का 32 प्रतिशत है, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और उत्पादन, खपत, निर्यात और अपेक्षित विकास के मामले में पांचवां स्थान है। यह क्रमशः विनिर्माण और कृषि में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में लगभग 8.80 और 8.3 9 प्रतिशत योगदान देता है जो कि भारत के निर्यात का 13 प्रतिशत और कुल औद्योगिक निवेश का छह प्रतिशत है। भारतीय स्वादिष्ट खाद्य बाजार का वर्तमान में 1.3 बिलियन यू.एस. डॉलर का मूल्य है और यह 20 प्रतिशत की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में बढ़ रहा है। 2020 तक भारत का जैविक खाद्य बाजार तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है।

आगे बढ़ते हुए, आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, जोखिम विश्लेषण और संकट नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी), अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और अच्छे स्वच्छता प्रथाओं (जीएचपी) सहित कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) जैसे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को अपनाना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा कई लाभ प्रदान करते हैं। यह कड़े गुणवत्ता और स्वच्छता मानदंडों का अनुपालन करने में सक्षम होगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उद्योग तैयार करेगा, विदेशी खरीदारों द्वारा उत्पाद स्वीकृति को बढ़ाएगा और उद्योग को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के तकनीकी रूप से बरकरार रखेगा।



1.2.2 पर्यटन:

भारत यात्रा और पर्यटन के लिए एक बड़ा बाजार है। यह विशिष्ट पर्यटन उत्पादों – क्रूज, साहसिक, चिकित्सा, स्वास्थ्यकर, खेल, एमआईसीई, पर्यावरणीय-पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। भारत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है।

भारत के जीडीपी में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र द्वारा 2017 में कुल योगदान 15.24 ट्रिलियन रुपये (यूएस \$ 234.03 बिलियन) से बढ़कर 2028 में 32.05 ट्रिलियन रुपये (यूएस \$ 492.21 बिलियन) हो जाएगा। 2017 में जीडीपी में पर्यटन का कुल योगदान से भारत यात्रा के मामले में 184 देशों में 7 वें स्थान पर है।

भारत के लिए यात्रा और पर्यटन तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र है। मार्च 2018 में विदेशी मुद्रा आय (एफईई) 2.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मार्च 2018 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) की संख्या 1.03 मिलियन थी। कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान पर्यटन के माध्यम से कुल 27.693 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। इस क्षेत्र में 2028 तक कुल 52.3 मिलियन नौकरियों तक पहुंचने की उम्मीद है। कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान 10.177 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए हैं। भारत सरकार ने 2020 तक 20 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) और विदेशी मुद्रा आय को भी दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत सरकार द्वारा 'अतुल्य भारत' और 'अतिथि देवो भवः' जैसी कई ब्रांडिंग और विपणन पहलों के शुभारंभ से विकास के लिए एक केंद्रित प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारत सरकार ने देश में चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वीजा की एक नई श्रेणी – मेडिकल वीजा या एम वीजा भी जारी किया है। अतुल्य भारत 2.0 अभियान सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार 2020 तक दुनिया के अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 1 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने और 2025 तक 2 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कार्य कर रही है।

सरकार पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है। होटल और पर्यटन क्षेत्र में, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर) के आसपास स्थित 2, 3 और 4 सितारा श्रेणी के होटलों के लिए पांच वर्ष कर अवकाश की पेशकश की गई है। भारतीय होटल और पर्यटन क्षेत्र द्वारा प्राप्त कुल एफडीआई अप्रैल 2000 और दिसंबर 2017 के बीच 10.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत यात्रा और पर्यटन के लिए एक बड़ा बाजार है। यह विशिष्ट पर्यटन उत्पादों – क्रूज, साहसिक, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल, एमआईसीई, पर्यावरणीय-पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। भारत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में मान्यता दी गई है।

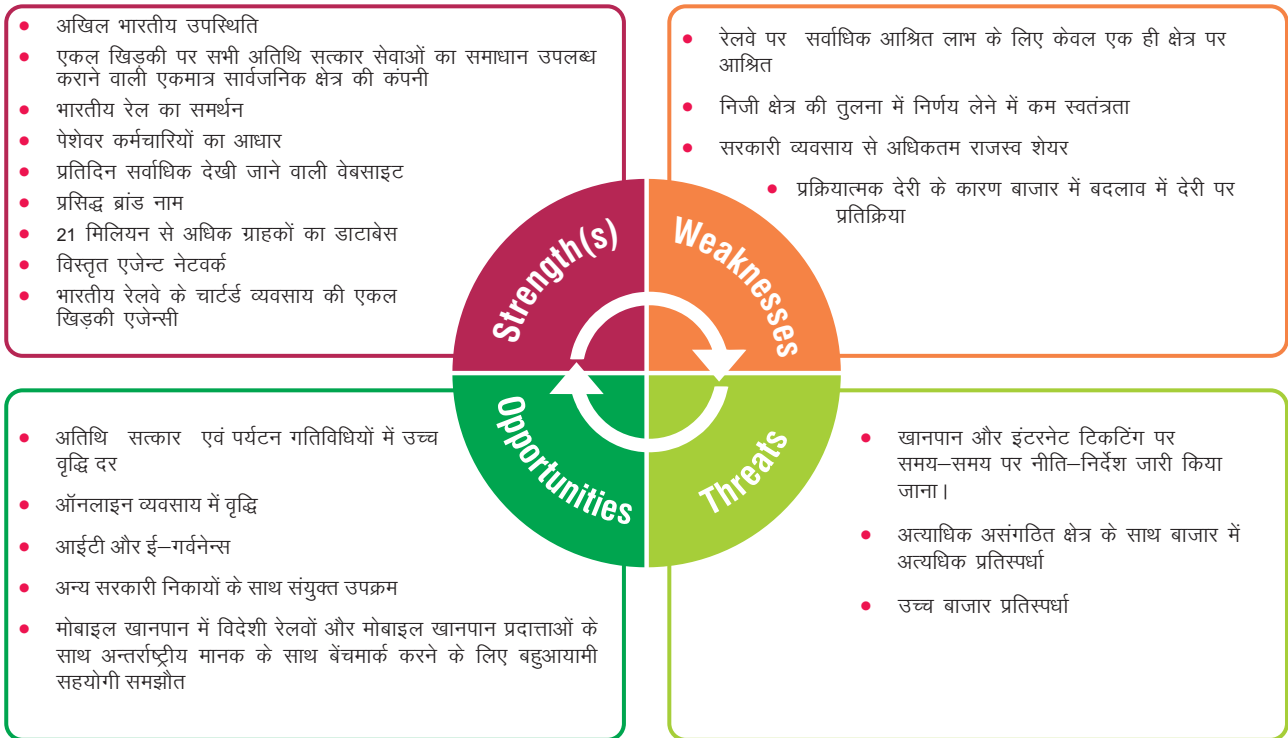
1.2.3 बोतलबंद पानी:

भारत में बोतलबंद पानी उद्योग में शीर्ष खिलाड़ियों की उपस्थिति है, लेकिन वे खराब बुनियादी ढांचे के कारण छोटे गैर-टीयर-1 शहरों में प्रवेश करने के लिए संघर्षरत हैं। इससे स्थानीय बाजार में छोटे स्थानीय खिलाड़ियों के बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर दे रहा है। असंगठित खिलाड़ियों का बाजार हिस्सा बढ़ने की उम्मीद तभी रहती है जब बोतलबंद पानी की मांग तेज होती है। यह संगठित खिलाड़ियों के राजस्व को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे स्थानीय खिलाड़ी उनके ब्रांडों की नकल करके और बाजार में कम कीमतों को रख कर उनके बाजार हिस्से को प्राप्त कर लेते हैं। सामान लाने ले जाने के लिए और वितरण नेटवर्क की कमी के कारण इस समय बोतलबंद पानी उद्योग भी असंगठित क्षेत्र है। पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उपभोक्ता को उच्च और बेहतर सेवा प्रदान करने और उनकी जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए नए संयंत्र स्थापित करना चाहिए।

स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि, पर्यटन में वृद्धि और बोतलबंद पानी की आसान उपलब्धता के साथ, भारत में बोतलबंद पानी की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ रही है। 2013 में कुल बाजार का मूल्य 60 बिलियन रु. था, जिसमें से शीर्ष पांच खिलाड़ियों ने बाजार हिस्सेदारी का 67 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा था। यह बाजार 2018 में 160 बिलियन रुपये तक पहुंचने से 22 प्रतिशत की सीएजीआर बढ़ने की आशा है।



2) एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण :-



3) परिदृश्य

आईआरसीटीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र के खानपान और आतिथ्य इकाई है। इसके व्यवसाय क्षेत्र में रेल यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों को एक छत के नीचे मूल्यवर्धित उत्पादों और एकीकृत सेवाओं को प्रदान करके यात्रा और पर्यटन, इंटरनेट टिकटिंग और बोटलबंद पेयजल (रेल नीर) प्रदान करते हैं।

अपने हितधारकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न पहलों की योजना बनाई है, जिसमें नई खानपान नीति के अनुसार 30 ग्रीनफील्ड सिग्नेचर किचनों (मौजूदा किचनों/खाद्य उत्पादन इकाइयों के नवीनीकरण सहित) की स्थापना शामिल है। चार नए रेलनीर संयंत्रों की स्थापना आईआरसीटीसी के अपने पेमेन्ट एग्रेगेशन प्लेटफॉर्म शुरू करना आईआरसीटीसी के केंद्रीय सर्वर से जुड़े डेटा नेटवर्क के माध्यम से फूड प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों के लिए एक बिलिंग प्रणाली की स्थापना करके राजस्व निगरानी को सक्षम करना आईआरसीटीसी के द्वारा प्रबंधित गैर एसबीडी राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाड़ियों में मौजूदा एल्यूमीनियम कैसरोल के बदले बगाज आधारित बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में परिवर्तित करना गैर एसबीडी, राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाड़ियों में ट्रॉली शुरू करना 50 अतिरिक्त फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट, ई-टिकटिंग में रोलिंग जमा योजना (आरडीएस) के स्वचालित टॉप अप प्रक्रिया शुरू करना।

कंपनी मौजूदा व्यवसाय लाइनों के विस्तार के साथ-साथ नए उत्पादों को पेश करने, महाराजा एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या में वृद्धि और भारत दर्शन और आस्था गाड़ियों के फेरे बढ़ाने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वायु पैकेजों, हेलीकॉप्टर एयर सेवाओं की यात्रा की संख्या बढ़ाकर गतिमान प्रकार रेल टूर पैकेज, पिक अप एंड ड्रॉप (कंसीयर्ज) सेवाएं कैब सेवाएं, मेडिकल टूरिज्म और पिछले वर्ष से अधिक व्यक्तिगत रूप से इनबाउंड के साथ-साथ आउटबाउंड यात्रा सेवाएं आदि करके पर्यटन व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी आईटीसीटीसी टिकट पोर्टल तक आसान पहुंच के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से बुकिंग के लिए ग्राहकों को बेहतर बुकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है।

रेलनेर के संबंध में, कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की परित्यक्त खानों में उपलब्ध पानी और एनटीपीसी के थर्मल संयंत्रों में अनुपयोगी उत्पादित पानी का उपयोग करने की संभावना का पता लगाएगी।



4) जोखिम और चिंताएं

4.1 खानपान

कम्पनी का खानपान व्यवसाय मुख्यतः रेलवे पर ही निर्भर है। 2001 ये व्यवसाय नीति में बार-बार बदलाव से यह एक अवसर से अधिक जोखिम हो गया है। क्षेत्रीय रेलों ने अब आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही मौजूदा विभागीय इकाइयों को निजीकरण शुरू कर दिया है। इससे विभागीय खानपान क्षेत्र के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक नई खानपान नीति से रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी के बीच एक नया प्रोटोकॉल समझौता स्थापित हो जाने से काफी हद तक भारतीय रेलवे पर आतिथ्य और खानपान सेवाओं के स्तर में उन्नयन होगा।

वर्तमान में जोखिम और चिन्ताओं में निम्न शामिल हैं:

- क) गाड़ी खानपान कारोबार में प्रवेश करने के लिए उच्च बाधाएं व्यवसाय में मौजूदा भागीदारों में देखी गई है।
- ख) भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की एफ एंड बी उद्योग के पुराने से नए भागीदारों को शामिल करने में असमर्थ स्थितियां ताकि भारतीय रेल में खानपान सेवा क्षमता को बढ़ा सके।
- ग) गाड़ियों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार रूका हुआ है। बुनियादी ढांचों का उन्नयन रूका रहने से विशेषकर करके मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में पेट्रीकार का प्राचीन डिजाइन एक चुनौती है। ये ऐसी चुनौती है जिसे शीघ्र दूर की जानी चाहिए। विशेषकर के ऑनबोर्ड और ऑफ बोर्ड सेवाओं को अलग-अलग किया जाना है यह विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर करेगा।
- घ) ठेकों के स्ट्रक्चर का संशोधन किया जाए ताकि बोली में अत्यधिक छूट के जोखिम से मूल उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता के मापदण्ड पर बल दिया जाए।
- ङ) प्रस्तावित मेन्यू की दरों का पुनःगठन हो ताकि मूल्य ऐसे हो जो वहन योग्य अर्थात् न्यूनतम कीमत जो सेवा प्रदान कर सके।

मंत्रालय द्वारा नीतियों में की गई पहलों और आईआरसीटीसी के द्वारा सक्रिय कार्रवाई करते हुए तथा भारतीय रेलवे की फील्ड यूनिटों को सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय रेलवे पर खानपान सेवाओं का बेहतर वातावरण बन सके।

4.2 इंटरनेट टिकटिंग

भारतीय रेलवे के लिए इंटरनेट टिकटिंग सेवा कम्पनी के लिए लाभ अर्जित करने का मुख्य स्रोत था कम्पनी गैर वातानुकूलित श्रेणी के लिए प्रति टिकट 20/- रु. और वातानुकूलित श्रेणी पर प्रति टिकट 40/- रु. सेवा प्रभार सहित नाम मात्र का सेवा प्रभार प्राप्त करता था। सेवा प्रभार का राजस्व भारतीय रेलवे के साथ 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है। ई-टिकटिंग पर सेवा प्रभार को 23.12.2016 से समाप्त कर दिया था जो कि अभी भी समाप्त है।

यदि सेवा प्रभार बहाल नहीं किया गया तो इससे कॉरपोरेशन के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे कम्पनी के टर्नओवर के साथ-साथ कर पूर्व लाभ और करोपरांत लाभ घटेगा।

रेलवे के राजस्व पर भी इसका प्रभाव ऑनलाइन ईटिकटिंग सेवा प्रभार से शेयर घटने और लाभांश भुगतान कम होने से असर पड़ेगा। आईटी विभाग की लचीलापन के साथ-साथ आईआरसीटीसी द्वारा किए जा रहे नए कार्यों और कम राजस्व वाले यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों पर भी असर पड़ेगा।

4.3 पर्यटन :

पर्यटन उद्योग घरेलू के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। आर्थिक मंदी और भारत के साथ दुनिया में राजनैतिक घटनाओं के कारण भारत में पर्यटन को प्रभावित कर सकती है। प्राकृतिक आपदाओं, नीतियों और रेलवे द्वारा पर्यटन पैकेज के लिए लागू प्रभारों और गाड़ियों में बदलाव भी कारक हैं जो कम्पनी के इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है।

पर्यटन उद्योग में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, अनैतिक अभ्यास, उचित विपणन और आईआरसीटीसी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा, निजी प्रदाताओं की तुलना में कम लचिलापन भी कम्पनी के प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है जिसे कम्पनी के इस क्षेत्र में किसी भी नीति, प्रक्रियाओं और रणनीति को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।



4.4 रेल नीर:

ऐसे “सार्वजनिक हित” का प्रावधान, मांग जिसकी अत्याधिक व न समाप्त होने वाली आईआरसीटीसी के लिए अपने खानपान कारोबार को पूरक के रूप में करने के लिए एक व्यावसायिक अवसर है। जिसमें निम्न जोखिम और चिंताएँ शामिल हैं:

- क) गलत निर्देशित अंत-उपयोग के कारण प्राकृतिक पानी की कमी को विशिष्ट पानी खपत में सुधार करने के लिए कुशल औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करने की आवश्यकता है। परिवहन लागतों को बचाने के लिए रेल के माध्यम से कुशल और कम लागत परिवहन उपायों की खोज करना, जिससे विपरीत प्रभाव से बाजार में अन्य ब्रांडों के मुकाबले रेल नीर गैर-प्रतिस्पर्धी हो। चयनित क्षेत्रों में ट्रेनों पर अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतियोगी किराए की मांग मंत्रालय से की जानी चाहिए।
- ख) रेलवे को स्टेशनों पर जहाँ रेल नीर की पहुंच नहीं है वहाँ उपभोग के लिए शामिल ब्रांडों का क्यूसी परीक्षणों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।
- ग) आईआरसीटीसी द्वारा ओ एंड एम ऑपरेटर के द्वारा व्यापक आधार पर अपेक्षित मुख्य रूप से अनुबंध ढांचे की खराब बैचमार्किंग के कारण वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाए हैं जिससे अत्यधिक ओ एंड एम भुगतान में वृद्धि हुई है।
- घ) वाटर वेन्डिंग व्यवसाय में व्यावसायिक प्रसार से क्यूसी मानकों को लागू करना एक चुनौती है विशेषकर के भारतीय रेलवे के नेटवर्क में जहाँ बड़े पैमाने पर पानी की गुणवत्ता विभिन्न होने से स्थल पर गुणवत्ता जांच की आवृत्ति बढ़ाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए प्लांट की क्षमता में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि से व्यवसाय श्रेणियों में संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है और छोटे स्टेशनों जो सड़क से दूरस्थ हैं, में रेल नीर आपूर्ति के लिए रेल यातायात को आपूर्ति चेन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

5) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

आईआरसीटीसी के पास सभी कार्यात्मक और परिचालनिक क्षेत्रों में सुपरिभाषित और सुसंगठित नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। कंपनी ने प्रबंधन की नीतियों का अनुसरण करने, परिसम्पतियों की सुरक्षा, धोखा-धड़ी और गलतियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सत्यता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक अंग के रूप में विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभवी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा कम्पनी के संबंधित अधिकारियों के समन्वय के साथ की जाती है।

वर्ष के दौरान कम्पनी का आंतरिक लेखा परीक्षा मैसर्स के. एस. चौबे एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया जिन्हें इस कार्य के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 179 और इसके द्वारा बनाए नियमों के अन्तर्गत तथा कम्पनी (बोर्ड बैठक और शक्तियाँ) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने के अन्तर्गत आंतरिक लेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया।

आंतरिक लेखा परीक्षा में, वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कम्पनी के परिचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को, शामिल किया गया है। इससे आंतरिक नियंत्रणों, भुगतान और खर्च की छानबीन करके और कम्पनी के वित्तीय और तकनीकी रिकार्ड की जांच की समीक्षा करके कम्पनी के कारोबार और परिचालन की सत्यता और कुशलता को सुधारने में मदद मिलती है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों और की गई कार्रवाइयों की रिपोर्टों का एक सारांश लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और लेखा परीक्षा की सिफारिशों को विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है।

6. सत्यनिष्ठा समझौता

आईआरसीटीसी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को इस उद्देश्य से लागू किया है कि कम्पनी या सरकारी विभागों और उनके प्रदाताओं के साथ सभी गतिविधियां और लेन देन स्पष्ट, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सुनिश्चित हो सके आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने से स्वस्थ व्यावसायिक पद्धतियों को स्थापित करने में मदद मिली है। सार्वजनिक खरीद/ठेकों में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी ने सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाया है। आईआरसीटीसी में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से बाहर के दो स्वतंत्र मानीटरों को नियुक्ति किया है। सत्यनिष्ठा समझौते के लिए एक समन्वयक नियुक्त किया गया है जिसका अब उन सभी निविदाओं में प्रयोग किया जा रहा है जो कि प्रारंभिक मूल्य से अलग की पहचान करता है।



7. परिचालनिक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल राजस्व 3.21 प्रतिशत घटकर 1,59,530.08 लाख रुपये से 1,54,416.33 लाख रुपये रहा। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कर पूर्व लाभ 33,144.71 लाख रुपये से बढ़कर 34,148.08 लाख रुपये होकर 3.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 कर उपरांत लाभ 21,468.97 लाख रुपये से 22,202.31 लाख रुपये होकर 3.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख वित्तीय मानकों का वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2016-17 का तुलनात्मक निष्पादन निम्नलिखित है:-

(लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
बिक्री का टर्नओवर	1,46,817.97	1,53,893.25
ब्याज, मूल्यहास आपवादिक मदें और कर पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	36,280.38	35,298.64
घटाएं: ब्याज और वित्तीय प्रभार	290.76	253.53
घटाएं: मूल्यहास	2366.11	2241.37
आपवादिक मदों से पहले कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	33,623.51	32,803.74
आपवादिक मदें: घाटा (-)/प्राप्ति(+)	524.57	340.97
आपवादिक मदों के बाद कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	34,148.08	33,144.71
घटाएं: कर के लिए व्यवस्था	11,945.77	11,675.74
कर उपरांत लाभ (पीएटी)	22,202.31	21,468.97
लाभांश (इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में) नकद आधार पर	117.96	282.39
अंतिम लाभांश (प्रतिशत) - नकद आधार पर	117.96	188.64
शुद्ध मूल्य	94,770.95	77,833.88
प्रतिशेयर आय (रुपयों में)	55.51	52.93

7.1 कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

कम्पनी के वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 का वित्तीय निष्पादन लेखा परीक्षित विश्लेषण निम्न प्रकार है:-

(क) परिचालन से राजस्व

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
क.	उत्पादों की बिक्री			
	(i) रेल नीर (पीने का बोतलबंद पानी)	16,110.77	15,456.07	4.24
	(ii) विभागीय खानपान			
	- भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री	26443.99	21,711.28	21.80
	(iii) गैर रेलवे व्यवसाय			
	- खानपान से आय	866.98	1,574.72	(44.94)
	- अन्य सेवाओं से आय	2.26	10.65	(78.78)
	कुल - उत्पादों की बिक्री	43,424.00	38,752.72	12.05



क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
ख.	सेवा की बिक्री			
	i) इंटरनेट टिकटिंग			
	लाइसेन्स शुल्क से आय-कॉल सेन्टर	135.24	250.00	(45.90)
	विज्ञापन/एसबीआई को-ब्रैन्डिड कार्ड एवं लॉयलटी कार्ड से आय	10,273.56	8,085.42	27.06
	आईएटीए/आरटीएसए/इन्टरनेट कैफे आदि से प्राप्त आय	1,240.10	2133.63	(41.88)
	अर्जित सेवा प्रभार-भारतीय रेलवे टिकट	5.54	36,224.95	(99.98)
	सेवा प्रभारों के प्रतिपूर्ति से आय	8,000	-	-
	(क)	19654.44	46,694.00	(57.91)
	ii) खानपान सेवओं से आय			
	लाइसेन्सी खानपान सेवा से प्राप्त आय			
	खानपान एवं समग्र सेवा प्रदान करने से प्राप्त आय एवं ऑन बोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाओं राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम गाड़ियों से प्राप्त आय	16,782.74	3604.29	365.63
	कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क आदि से प्राप्त आय			
	कंसेशन शुल्क से प्राप्त आय	377.32	68.65	449.63
	लाइसेन्सी शुल्क से प्राप्त आय	20,962.79	8,330.22	151.65
	लाइसेन्सी शुल्क/उपयोगकर्ता प्रभारों आदि से प्राप्त आय			
	उपयोगकर्ता-फूड प्लाजा से प्राप्त आय	88.92	197.77	(55.04)
	लाइसेन्स शुल्क-फूड प्लाजा से प्राप्त आय	5,247.36	3,617.95	45.04
	(ख)	43,459.13	15,818.88	174.73
	iii) पर्यटन			
	- यात्रा एवं टुअर आय	35,444.37	48,103.98	(26.32)
	- उपयोगकर्ता प्रभार से आय-रेल यात्री निवास	131.80	123.18	7.00
	- लाइसेन्सी शुल्क से आय-रेल यात्री निवास	169.72	194.28	(12.64)
	- महाराजा एक्सप्रेस - राजस्व	4,381.92	4,050.56	8.18
	(ग)	40,127.81	52,472.00	(23.53)
	(II) कुल-सेवाओं की बिक्री (क+ख+ग)	1,03,241.38	1,14,984.88	(10.21)
	अन्य परिचालनिक आय			
	रद्दी की बिक्री - रेल नीर	49.54	51.84	(4.44)
	रद्दी की बिक्री - विभागीय खानपान	1.59	1.49	6.71
	रद्दी की बिक्री- गैर रेलवे खानपान	0.37	1.25	(70.40)
	लाइसेन्स शुल्क - रेल नीर	101.09	101.07	0.02
	(III) कुल अन्य परिचालन आय	152.59	155.65	(1.97)
	परिचालन से प्राप्त राजस्व (सकल) (I+II+III)	1,46,817.97	1,53,893.25	(4.60)



(ख) अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
ब्याज आय			
- एफडीआर एवं टीडीआर से ब्याज आय (सकल)	4,568.12	4439.49	2.90
- ब्याज आय-अन्य	7.41	28.07	(73.60)
- मुचुअल फंड से लाभांश आय	388.89	-	-
(क)	4,964.42	4,467.56	11.12
अन्य गैर-परिचालनिक आय			
- ठेकों के जुमानों और दण्ड से प्राप्तियां	986.65	282.09	249.76
- सर्वड फरोम इण्डियां स्कीम के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडीट लाइसेन्स से आय	313.26	71.10	340.59
- विविध आय	1,334.03	816.08	63.47
(ख)			
कुल (क+ख)	7,598.36	5,636.83	34.80

(ग) व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
लाइसेन्सी खानपान सेवाओं का व्यय	23,003.12	8,162.44	181.82
पर्यटन का व्यय	30,475.19	41,459.71	(26.49)
उत्पादन एवं प्रत्यक्ष व्यय	6,714.52	24,029.40	(72.06)
कर्मचारी हित लागतें	19,215.15	17,961.91	6.98
वित्तीय लागत	290.76	253.53	14.69
मूल्यहास एवं ऋण मुक्ति व्यय	2,366.11	2,241.37	5.56
अन्य व्यय	12,983.48	10,028.46	29.47

(घ) निवर्तमान/वर्तमान परिसम्पत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
निवर्तमान परिसम्पत्तियां			
(क) परिसम्पत्तियां प्लांट और उपस्कर	15,564.37	15,777.88	(1.35)
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	765.26	1,682.92	(54.53)
(ग) निवेश सम्पत्ति	2,761.56	-	-
(ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	656.39	1,261.92	(47.98)
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	0.32	0.32	-
(ii) ऋण	1,104.50	1,177.76	(6.22)
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	96.65	40.88	136.42
(ड) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	6,362.27	6,923.41	(8.11)
(च) अन्य निवर्तमान परिसम्पत्तियां	1,362.94	1,693.44	(19.52)



विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(क) वस्तुसूची	740.60	658.05	12.54
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
i. व्यवसाय प्रतिदेय	54,720.11	28,866.52	89.56
ii. नगद और नकद समकक्ष	49,315.89	48,611.71	1.45
iii. उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक अधिशेष	34,071.36	36,684.50	(7.12)
iv. अन्य	1706.54	1591.95	7.20
(ग) वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	667.79	231.05	189.03
(घ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	59,977.37	37,461.11	60.11
कुल	2,29,873.93	1,82,663.42	25.85

(ङ) निवर्तमान/वर्तमान देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
निवर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	10,972.71	10,373.28	5.78
(ख) दीर्घकालीक व्यवस्थाएं	5,846.98	7,797.35	(25.01)
(ग) अन्य निवर्तमान देयताएं	693.45	833.06	(16.76)
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देयताएं	15,043.24	13,718.16	9.66
(ii) अन्य	41,392.87	35,899.41	15.30
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	60,826.19	35,535.68	71.17
(ग) प्रावधान	327.54	121.18	170.29
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	-	551.42	(100)
कुल	1,35,102.98	1,04,829.54	28.88

(च) नकदी प्रवाह

(लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
परिचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकदी	2,362.62	33,823.81	(93.01)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (इस्तेमाल किया)	4,020.63	9,356.52	(57.03)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(5,679.06)	(13,594.90)	(58.23)
वर्ष के अन्त में नकदी और नकदी समतुल्य	49,315.89	48,611.71	1.45



(छ) रेल मंत्रालय के साथ वर्ष 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन

वास्तविक आंकड़ों का समझौता ज्ञापन के वित्तीय लक्ष्यों की तुलना नीचे दर्शाई गई है:-

समझौता ज्ञापन के प्रतिमान	एमओयू 2017-18 (उत्कृष्ट रेटिंग के लिए)*	2017-18 के वास्तविक आंकड़ें
परिचालन से राजस्व (करोड़ रु. में)	1,304.15	1,463.81
पिछले वर्ष परिचालन हानि में कमी (सेवा शुल्क को छोड़कर)	100%	100%
पीएटी/शुद्ध मूल्य (%)	12.61	25.73
कैपेक्स (करोड़ रु. में)	55.00	34.53
तैयार माल के सूची के दिनों की संख्या और उत्पादों की बिक्री के लिए प्रगति पर कार्य (शुद्ध)	3.17	3.73
व्यवसाय प्राप्तियां (शुद्ध) परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या (सकल)	69.13	136.04

*वर्ष 2017-18 के लिए हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार संशोधित लक्ष्य

(8) क्षेत्र-वार निष्पादन

आईआरसीटीसी के चार प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं जिनमें खानपान और अतिथि सत्कार (लाइसेन्सी खानपान, विभागीय खानपान सहित); यात्रा एवं पर्यटन; इंटरनेट टिकटिंग और बोटलबंद पीने का पानी "रेल नीर"। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इन क्षेत्रों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% में परिवर्तन
क्षेत्रवार राजस्व			
लाइसेन्सी खानपान	44,611.41	16,162.91	176.01
रेल नीर	16,597.72	15,909.92	4.32
इंटरनेट टिकटिंग	20,425.32	46,993.86	(56.54)
पर्यटन	40,654.16	52,866.71	(23.10)
विभागीय खानपान	27,695.28	23,498.16	17.86
क्षेत्रवार लाभ			
लाइसेन्सी खानपान	13,686.98	6,690.04	104.59
रेल नीर	3,338.03	2,953.69	13.01
इंटरनेट टिकटिंग	10,058.35	18,687.00	(46.17)
पर्यटन	4,226.54	5,643.71	(25.11)
विभागीय खानपान	(1486.02)	(5,418.10)	(72.57)

(9) मानव संसाधन के क्षेत्र में वास्तविक विकास, नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्योगिक संबंध

कम्पनी में लोगों का एक व्यापक, संरचित तथा रणनीतिक प्रबंधन और कार्यस्थल का वातावरण है। मानव संसाधन प्रबंधन में भर्ती, प्रशिक्षण, प्रतिपुष्टि, मुआवजा, पुरस्कार, प्रोत्साहन, सुरक्षा, प्रशासन, प्रेरणा और निष्पादन प्रबंधन आदि गतिविधियां की जाती हैं। आईआरसीटीसी द्वारा निरंतर प्रयासों से सर्वश्रेष्ठ मानव पूंजी को आकर्षित करने और उन्हें प्रेरित करके नियुक्त करते हैं।

कर्मचारियों के संबंध में विवरण का ब्रेकअप का उल्लेख रिपोर्ट में कहीं और किया गया



(10) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित सूचना रिपोर्ट में कहीं ओर दी गई गई।

(11) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता

आईआरसीटीसी के पास कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013, सीएसआर नियम व सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्ग निदेशों और के अनुरूप एक सुपरिभाषित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत् विकास नीति मौजूद है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत् विकास (एसडी) के संबंध में अलग एक अध्याय अनुबंध 'ग' के रूप में संलग्न है।

(12) चेतावनी परक कथन

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण और निदेशक की रिपोर्ट जिसमें कम्पनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण और अनुमानों का वर्णन है, एक दूरदर्शी एवं प्रगतिपरक कथन है और वे लागू कानूनों और विनयों के अंतर्गत एक प्रगतिशील कथन हैं। वास्तविक आंकड़े बताये गए या अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं जो आर्थिक नीतियों, सरकारी नीतियों, और अन्य अनुषांगिक कारकों पर निर्भर कर सकते हैं। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे अग्रगामी कथनों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर न करें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक : 24 सितम्बर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./.
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 02316235



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन, निम्न प्रकार है:-

“पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में हितधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन हो, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ावा मिले” कम्पनी इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन के लिए करती है:-

- उत्कृष्टता और परिवर्तन लाने की उत्कृष्ट अभिलाषा
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता
- सभी व्यक्तियों की मान मर्यादा और उनकी सामर्थ्य का सम्मान
- प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन करना
- अनुक्रिया में तत्परता सुनिश्चित करना
- सीखने, सृजनशीलता और मिलजुलकर काम करने को बढ़ावा देना
- निष्ठावान और आईआरसीटीसी में होने का गौरव

1. निदेशक मंडल

1.1 निदेशक मंडल की संख्या

आईआरसीटीसी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत यथापरिभाषित एक “सरकारी कम्पनी” है और इसकी 100 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रपति और उनके नामितों (रेल मंत्रालय के माध्यम से) के स्वामित्व के अन्तर्गत है।

कम्पनी के विधान अनुच्छेद के अनुसार कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

1.2 निदेशक मंडल की संरचना :-

इस विषय पर कम्पनी अधिनियम 2013 व इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर 2010 में जारी डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना में पालन किया गया है जो कि निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	स्थिति
पूर्णकालिक निदेशक		
1.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल (डीआईएन: 02316235)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री श्रीराम वेंकटाचलन (डीआईएन :07445220)	निदेशक (खानपान सेवाएं)
अंश कालिक सरकारी निदेशक		
3.	श्री प्रशांत कुमार बलसावर (डीआईएन:07189241)	कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड
4.	श्रीमती स्मिता रावत (डीआईएन:07670758)	कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी), रेलवे बोर्ड
अंश-कालिक (गैर-सरकारी) निदेशक		
5.	डॉ. रबी नारायण बोहीदर (डीआईएन: 00637818)	स्वतंत्र निदेश
6.	डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएन: 07683375)	स्वतंत्र निदेश
7.	श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन: 00074469)	स्वतंत्र निदेश
8.	प्रो.सचिन चतुर्वेदी (डीआईएन: 07960871)	स्वतंत्र निदेश
9.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती (डीआईएन: 07965899)	स्वतंत्र निदेश
10.	सुश्री सरिता देशपांडे (डीआईएन: 08098222)	स्वतंत्र निदेश



वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मण्डल में निम्नलिखित बदलाव हुए:

1. डॉ. ए. के. मनोचा (डीआईएन: 06976502) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सेवा-निवृत्ति के कारण दिनांक 01 अगस्त, 2017 को निदेशक मंडल की सदस्यता समाप्त हुई।
2. श्रीमती ए. के. बरार (डीआईएन: 06780608), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), के सेवा-निवृत्ति के कारण दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को निदेशक मंडल की सदस्यता समाप्त हुई।
3. श्री महेंद्र प्रताप मल्ल (डीआईएन: 02316235), निदेशक (वित्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अतिरिक्त प्रभार दिनांक 1 अगस्त, 2017 से 17 सितंबर, 2017 तक संभाला है। 18 सितंबर, 2017 के रेल मंत्रालय के पत्र द्वारा उन्हें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी के रूप में नियुक्ति की सूचना के बाद उन्होंने निदेशक (वित्त) का कार्यभार 18 सितंबर, 2017 को छोड़ दिया और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार 18 सितंबर, 2017 संभाला। उन्होंने निदेशक (पर्यटन और विपणन) का कार्यभार दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 17 मई 2018 तक संभाला है क्योंकि श्रीमती रजनी हसीजा ने निदेशक (पर्यटन और विपणन) आईआरसीटीसी का कार्यभार 18 मई, 2018 को संभाला। रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 13 अक्टूबर, 2017 से संभाल रहे हैं।
4. रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2010/पीएल/45/14 दिनांक 9 सितंबर, 2017 के अनुसार, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी (डीआईएन: 07960871) और श्री कोमल रामचंद्रन सुंदरमूर्ती (डीआईएन: 07965899) को कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक के रूप में क्रमशः दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 और 13 अक्टूबर, 2017 को नियुक्त किया गया।
5. रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2008/पीएल/49/01 दिनांक 08 मार्च, 2018 के अनुसार, सुश्री सरिता देशपांडे (डीआईएन: 08098222) को कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक के रूप में दिनांक 29 मार्च 2018 को नियुक्त किया गया।

1.3 निदेशक की आयु और कार्यकाल :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है ये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा रेल मंत्रालय द्वारा अगले आदेश किए जाने तक नियुक्त किए जाते हैं जो भी पहले हो।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में नामित सरकारी निदेशक नामित किए जाने वाले प्राधिकारी के विवेक पर अथवा रेल मंत्रालय में अधिकारी के कार्यभार से पद मुक्त हो जाने तक रहते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इनकी निदेशक मंडल और समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के कारण निर्णय लेने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये निदेशक मंडल द्वारा गठित विभिन्न समितियों जिनमें लेखा परीक्षा समिति, मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति, सीएसआर एवं एसडी समितियों जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं।

1.4 वित्त वर्ष के दौरान/बाद में नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

वित्त वर्ष के दौरान/बाद में नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

क. प्रो. सचिन चतुर्वेदी (डीआईएन: 07960871) अंशकालिक (गैरसरकारी) निदेशक दिनांक 10 अक्टूबर 2017 से

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आयु 50 वर्ष, 10 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक हैं। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) में महानिदेशक हैं, यह नई दिल्ली स्थित स्वायत्त विचारमंच है। रेल विश्वविद्यालय में मैकमिलन सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स में ग्लोबल जस्टिस फेलो रहे हैं। यह विकास सहयोग नीतियों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग से संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। उन्होंने डब्ल्यूटीओ में विशेष ध्यान के साथ व्यापार और नवाचार संबंधों पर भी काम किया है। डॉ. चतुर्वेदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र-ईएससीएपी, यूनेस्को, ओईसीडी, राष्ट्रमंडल सचिवालय, आईयूसीएन में सलाहकार के रूप में और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण और वन मंत्रालय अन्य संगठनों में भी काम किया है।



उनके अनुभव में डच के विदेश मंत्रालय द्वारा समर्थित विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग और जैव प्रौद्योगिकी पर एक परियोजना पर एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में काम करना शामिल है। डॉ. चतुर्वेदी सार्क क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी विकास मॉनिटर (नीदरलैंड) के संपादकीय बोर्ड के सदस्य के सहयोग के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की आईजीएसएसी समिति के सदस्य, एशियाई जैव प्रौद्योगिकी विकास समीक्षा (नई दिल्ली) के संपादक रहे हैं।

इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं और चार पुस्तकें संपादित करने के साथ-साथ विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कई शोध लेख प्रकाशित हुए हैं।

ख. श्री कोमल रामचंद्रन सुंदरमूर्ती (डीआईएन: 079658 99) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से

श्री कोमल रामचंद्रन सुंदरमूर्ती, आयु 66 वर्ष 13 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक हैं। वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधन अध्ययन संकाय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री धारक हैं। ये पूर्व नियंत्रक लेखाकार, वित्त मंत्रालय और विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत रहे हैं, जिनमें महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त, संयुक्त और उप लेखा नियंत्रक निदेशक (बजट), आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के उप सचिव और अवर सचिव।

ग. सुश्री सरिता देशपांडे (डीआईएन: 080 9 8222) अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक दिनांक 29 मार्च 2018

सुश्री सरिता देशपांडे, आयु 59 वर्ष, 29 मार्च, 2018 से कंपनी के अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक हैं, हैं। इन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से कला और कानून में स्नातक की डिग्री ली है। इन्होंने जिला न्यायालय में वकालत की है। इन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित पदों जिनमें सामाजिक कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता, भोपाल नगर निगम में पार्षद और जिला स्तर पर पंच रही है।

घ. श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन: 08083674), निदेशक (पर्यटन और विपणन) दिनांक 18 मई, 2018 से

श्रीमती रजनी हसीजा ने आईआरसीटीसी में दिनांक 18 मई 2018 से निदेशक (पर्यटन और विपणन) के रूप में कार्यभार संभाला है। यह भारतीय रेलवे यातायात सेवा (1988 परीक्षा बैच) की अधिकारी हैं।

श्रीमती हसीजा, दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.फिल के साथ एक विज्ञान स्कॉलर है ये मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कानून की डिग्री धारक भी है। भारतीय रेलवे में अपने शानदार 29 साल से अधिक के करियर में इन्होंने विभिन्न मंडलों, जोनों के साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबंधकीय क्षमताओं में काम किया है और भारतीय रेलवे पर आईटी, विपणन, परिचालन और योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इन्होंने आईआरसीटीसी में आईटी बिजनेस सेगमेंट में समूह महाप्रबंधक के रूप में पूरी क्षमता के साथ संभाल चुकी हैं और एक पूरे जोन की समग्र प्रभारी रही है।

श्रीमती रजनी हसीजा ने रेलवे की इंटरनेट टिकटिंग साइट www.irctc.co.in की शुरुआत और विकास में अग्रणी भूमिका रही है। इनके ठोस तकनीकी ज्ञान, संगठनात्मक और योजना कौशल और अपने साथियों और टीम के साथ संवाद करने की क्षमता के कारण उन्होंने सफलतापूर्वक आईआरसीटीसी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और समयबद्ध परियोजनाएं पूरी की हैं, जो राष्ट्रमंडल 2010 के लिए गतिशील ऑनलाइन सह काउंटर टिकटिंग प्लेटफॉर्म की योजना और निष्पादन से लेकर महाराजा एक्सप्रेस, लग्जरी पर्यटक ट्रेन के अंतर्राष्ट्रीय विपणन शामिल रहा है।

ड. श्री नीरज शर्मा (डीआईएन: 08177824), पार्ट टाइम सरकारी निदेशक दिनांक 12 जुलाई 2018 से

श्री नीरज शर्मा, वर्तमान में, रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) के रूप में तैनात हैं, ने 12 जुलाई, 2018 को आईआरसीटीसी में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में कार्यभार संभाला है। ये भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं।

श्री शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नैनीताल से स्नातकोत्तर हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पीएचडी हैं भारतीय रेलवे के साथ 20 से अधिक वर्षों के अपने सहयोग के दौरान, उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में सहायक संचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधन, वरिष्ठ



वाणिज्यिक प्रबंधक, आईआरआईटीएम (भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट), लखनऊ, में प्रोफेसर प्रशासन, आपदा प्रबंधन, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे और मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) उत्तर रेलवे जैसे विभिन्न पदों पर रहे हैं। इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें भारतीय रेलवे पर सर्वोच्च पुरस्कार रेल मंत्री पुरस्कार से दो बार पुरस्कृत किया गया है।

2. कम्पनी के बोर्ड की बैठकों/समिति की बैठकों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कम्पनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में होती हैं। बैठक के दौरान अर्थपूर्ण विचार विमर्श और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सभी सदस्यों को सामान्यतः कम से कम 7 दिन पूर्व अग्रिम में व्याख्यात्मक विवरणों सहित विस्तृत कार्य सूची की टिप्पणियां परिपत्रित की जाती हैं।

तथापि जब कभी अत्यावश्यक मामलों पर विचार-विमर्श किया जाना होता है तो सभी निदेशकों/सदस्यों की सहमति से अल्प सूचना पर बैठकें बुलाई जाती हैं अथवा किसी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में परिपत्र द्वारा संकल्पों को पारित भी कर दिया जाता है और उनकी पुष्टि के लिए उन्हें निदेशक मंडल या समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और आपवादिक मामलों में या जहां ऐसा करना संभव न हो या मद्देन जब कभी कार्य सूची की मद के लिए कोई प्रलेख गोपनीय होने के कारण संलग्न करना व्यावहारिक नहीं होता तो उसे उपस्थित अध्यक्ष एवं सभी निदेशकों की अनुमति के साथ पटल पर रख दिया जाता है।

अनुवर्ती कार्यवाई तंत्र के लिए निदेशक मंडल/समितियों के निर्णयों पर की गई कार्यवाई की रिपोर्ट अगली बैठक में संबंधित बोर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जिससे निर्णयों की प्रभावी समीक्षा में सहायता मिलती है।

2.1 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी से संबंधित पूरी सूचना होती है। बोर्ड/समिति के सदस्य ऐसे किसी भी मामले को कार्य सूची में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वंत्र हैं जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। जब कभी आवश्यक होता है, प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक के दौरान बोर्ड/समिति द्वारा जिस विषय पर विचार विमर्श चल रहा होता है, उस संबंध में अतिरिक्त सूचना देने के लिए बुला लिया जाता है। बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं:

1. वार्षिक परिचालन परियोजनाएं तथा कोई नई सूचनाएं।
2. पूंजीगत बजट और कोई नई सूचनाएं।
3. कम्पनी के इसके परिचालनिक विभागों अथवा व्यवसाय क्षेत्रों के परिणाम।
4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
5. बोर्ड स्तर से तत्काल नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और उनकी परिलब्धियों से संबंधित जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी और कम्पनी सचिव की नियुक्तियों या उन्हें पद से हटाए जाने संबंधी सूचना शामिल हैं।
6. प्रमुख निवेश, संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनियों का गठन।
7. कम्पनी को लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन की तिमाही आधार पर समीक्षा।
8. ऐसा कोई भी मामला, जिसमें बड़े आकार के सार्वजनिक अथवा उत्पाद दायिता के दावों की संभावना हो, जिनमें कोई ऐसा निर्णय अथवा आदेश शामिल हो जिसके द्वारा कम्पनी के आचरण पर रोक लगाई गई हो अथवा किसी अन्य उद्यम के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी हो जिससे कम्पनी के फलितार्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
9. ऐसे लेन देन जो कम्पनी की साख, ब्रैंड इक्विटी, अथवा बौद्धिक सम्पदा से जुड़े हुए हों।
10. फंड निवेश की त्रैमासिक रिपोर्ट।
11. निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित मामलों पर की गई कार्यवाई की रिपोर्ट।
12. कम्पनी अधिनियम-2013 अथवा लागू नियमों और विनियमों अथवा डीपीई के द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के अन्तर्गत अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।



3. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 6 (छः) बैठकों का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य अधिकतम समय तीन माह से कम था। 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	बोर्ड की बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्य की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	86वीं	06 जून, 2017	9	8
2.	87वीं	28 जुलाई, 2017	9	8
3.	88वीं	21 अगस्त, 2017	8	7
4.	89वीं	27 अक्टूबर, 2017	10	9
5.	90वीं	15 नवम्बर, 2017	10	9
6.	91वीं	31 जनवरी, 2018	9	8

4. बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और 2017-18 के दौरान पिछली वार्षिक आम सभा की बैठक में सदस्य/अध्यक्ष

क्र. सं.	निदेशक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली आम सभा की बैठक में उपस्थिति (27.09.2017) को आयोजित	31.03.2017 को अन्य निदेशक की आयोजित बैठक	कम्पनी में समिति के सदस्यों की संख्या 31.03.2018 तक (आईआरसीटीसी सहित)	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक							
1.	डॉ. अरुण कुमार मनोचा (डीआईएन 06976502) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 तक)	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल (डीआईएन 02316235) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (18.09.2017 से)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्रीमती अमृतबीर कौर बरार (डीआईएन 06780608) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (30.11.2017 तक)	5	5	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री श्रीराम वेंकटाचलम (डीआईएन 07445220) निदेशक (खानपान सेवाएं)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
अंश कालिक सरकारी निदेशक							
5.	श्री प्रशांत कुमार बलसावर कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड (20.05.2018 तक)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्रीमती स्मिता रावत (डीआईएन 07670758) कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी) रेलवे बोर्ड	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य



क्र. सं.	निदेशक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली आम सभा की बैठक में उपस्थिति (27.09.2017) को आयोजित	31.03.2017 को अन्य निदेशक की आयोजित बैठक	कम्पनी में समिति के सदस्यों की संख्या 31.03.2018 तक (आईआरसीटीसी सहित)	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
अंश-कालिक (गैर सरकारी) निदेशक							
7.	डॉ. रबी नारायण बोहिदर (डीआईएन 00637818)	6	4	अनुपस्थित	i. उड़ीसा टूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1 (लेखा परीक्षा समिति)	शून्य
8.	डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएन: 07683375)	6	6	अनुपस्थित	i. दि पंजाब स्टेट कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन (राज्य स्वामित्व कॉर्पोरेटिव सोसाइटी) ii. एलकीम लेबोरेट्रीज लि.	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)
9.	श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन: 00074469)	6	5	उपस्थित	i. अविरल केमिकल्स प्रा. लि. ii. जय श्री कॉरप. साइंस प्रा. लि. iii. रेडसन कॉरपकेयर प्रा. लि. iv. खादी हमारा मंत्र फाऊन्डेशन v. क्वाय इनटेक प्रा. लि.	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)
10.	प्रो. सचिन चतुर्वेदी (डीआईएन: 07960871) (दिनांक 10.10.2017 से)	3	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
11.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती (डीआईएन:07965899) (दिनांक 13.10.2017 से)	3	3	लागू नहीं	शून्य	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)
14.	सुश्री सरिता देशपांडे (डीआईएन: 08098222) (दिनांक 29.03.2018 से)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

* इनमें निजी कम्पनी, सेक्शन 8 कम्पनियां और विदेशी कम्पनियां शामिल नहीं हैं।

** सीमा की गणना के उद्देश्य से केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत निवारण समितियां की अध्यक्षता/सदस्यताएं शामिल की गई हैं।

नोट:

- निदेशकों/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पदों का कम्पनी के साथ धन संबंधी अथवा लेन देन नहीं होता है।
- कम्पनी या कोई भी निदेशक एक साथ 20 (बीस) से अधिक कम्पनियों के निदेशक पद पर कार्यरत नहीं है। निदेशक मण्डल का कोई भी निदेशक सभी उन कम्पनियों जिनमें निदेशक हैं की 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 समितियों से अधिक का अध्यक्ष नहीं है।
- निदेशक और सदस्यता/अध्यक्षता होना संबंधित निदेशकों के द्वारा दिए गए प्रकटन के आधार पर है।



5. निदेशकों द्वारा प्रकटन:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 184 के अर्न्तगत निदेशकों ने प्रकटन किया है कि वे आपस में एक-दूसरे के संबंधी नहीं हैं। सरकार के द्वारा नामित निदेशक रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं और वे संस्थापकों से संबंधित हैं। चूंकि आईआरसीटीसी की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) के स्वामित्व में है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) में अपेक्षित है कि निदेशकों का दो तिहाई का कार्यकाल रोटेशन में सेवा निवृत्ति में आम सभा निर्धारित की जाती है, को आम सभा में कम्पनी मामलों के मंत्रालय की दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना के द्वारा कम्पनी को छूट प्राप्त है।

कम्पनी मामलों के मंत्रालय के अभी हाल के दिनांक 05 जुलाई 2017 की अधिसूचना में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैराग्राफ IV जो स्वतंत्र निदेशकों के आचरण के संबंध में है और जिससे कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक(कों) की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन किया जाना होता था, इस पर सरकारी कम्पनियों को छूट दी गई है।

उपरोक्त को देखते हुए, मद रोटेशन पर सेवानिवृत्ति और निदेशकों की नियुक्ति मद को आम सभा की बैठक के नोटिस में शामिल नहीं किया गया है।

6. बोर्ड की समितियां

कम्पनी के कामकाज के लिए बेहतर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्यों से निदेशक मंडल ने कुछ मामलों को बोर्ड की समितियों को प्रत्यायोजित किया है। बोर्ड की उप समितियों का विवरण निम्नलिखित है:

1. लेखा परीक्षा समिति;
2. मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति;
3. सीएसआर और एसडी समिति;
4. हितधारक संबंध समिति;
5. जोखिम प्रबंधन समिति;
6. निवेश समिति;
7. कार्यकारी बोर्ड समिति;
8. प्रशासनिक समिति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की उपरोक्त वर्णित उप-समितियों को कम्पनी के निदेशक मंडल बदलाव होने के कारण समय-समय पर पुर्नगठित किया जाता है।

6.1 लेखा परीक्षा समिति

क. विचारार्थ विषय:

कम्पनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्तावों के कारण लेखा परीक्षा समिति के संशोधित विचारार्थ विषय संक्षेप में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नज़र रखना कम्पनी के लेखा परीक्षक का शुल्क की बोर्ड को सिफारिश करना; सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन; बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना; बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरण की समीक्षा; लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और उसका कार्य निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पदकता की समीक्षा करना तथा उस पर नज़र रखना; सम्बद्ध पक्षों के साथ कंपनी के किसी लेन-देन का अनुमोदन अथवा पहले के या आगामी आशोधनों का अनुमोदन; अन्तर कॉर्पोरेट ऋण एवं निवेश की संवीक्षा; आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन; लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा; व्हिसल ब्लोअर/चौकस तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना; मुख्य वित्तीय अधिकारी (यदि बोर्ड स्तर से नीचे के स्तर की नियुक्ति है तो) की नियुक्ति का अनुमोदन आदि और कम्पनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और सेबी के द्वारा समय-समय पर जारी विनियमनों के अनुसार कोई अन्य कार्य करना।



ख. सरचना बैठकें, एवं उपस्थिति

31 मार्च 2018 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र. स.	निदेशक का नाम	स्थिति
1.	डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 4(चार) बैठकें आयोजित हुईं। कम्पनी अधिनियम और कॉरपोरेट अभिशासन पर डी.ई.पी. के दिशा निर्देशों के तहत वर्ष के दौरान किसी भी दो बैठकों के बीच चार माह/120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं था।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की स्वीकृत संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	43वीं	06 जून, 2017	4	4
2.	44वीं	21 अगस्त, 2017	4	3
3.	45वीं	15 नवम्बर, 2017	5	5
4.	46वीं	30 जनवरी, 2017	4	4

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	सदस्य	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थित	उपस्थिति का %
1.	डॉ. रबी नारायण बोहीदर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	3	75
2.	डॉ. धीरज शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	100
3.	श्रीमती कनक अग्रवाल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	100
4.	श्रीमती अमृतबीर कौर बरार निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (10.02.2017 से 30.11.2017 तक)	3	3	100
5.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.10.2017 से)	2	2	100

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रित होते हैं।

इन बैठकों में जब कभी आवश्यक होता है, समूह महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख, सांविधिक लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं। समिति को आवश्यक जानकारी देने के लिए जब कभी आवश्यक होता है, वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया जाता है।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल ने स्वीकार कर लिया गया है।



6.2 मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति

क. विचारार्थ मदें

कंपनी के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तावित सूचीबद्धता के कारण मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की संशोधित संक्षिप्त विचारार्थ मदों में वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग की सिफारिशों के अनुसार वितरण के लिए पॉलिसी का निर्णय लेना शामिल है, वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के नीचे एक स्तर) और अन्य कर्मचारियों के लिए अनुलाभ/भत्ते से संबंधित मानव संसाधन नीतियों की गणना और अनुशंसा निदेशक मंडल को करना, उपयुक्त नीतियों और प्रणालियों को तैयार करने में यह सुनिश्चित करना की कोई कर्मचारी भारत या विदेशों में किसी भी लागू कानून का उल्लंघन न करें। निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित और या कानून के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित द्वारा ऐसी अन्य गतिविधियों निष्पादन के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति में भाग ले सकते हैं।

ख. सरचना, बैठकें एवं उपस्थिति

i) सरचना

31 मार्च 2018 को समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र. स.	सदस्यों के नाम	स्थिति
1.	डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कम्पनी सचिव समिति की सचिव है।

निदेशक (खानपान सेवाएं) और समूह महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में स्थाई आमंत्रित सदस्य है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 3 (तीन) बार मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों संख्या
1.	10वीं	06 जून, 2017	3	3
2.	11वीं	27 अक्टूबर, 2017	3	3
3.	12वीं	31 जनवरी, 2017	4	3

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित समिति की बैठकों का विवरण और सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	सदस्य	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशकों के कार्यकाल के दौरान बैठक	उपस्थित	उपस्थिति प्रतिशत
1.	डॉ. धीरज शर्मा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3	100
2.	डॉ. रबी नारायण बोहिदर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3	100
3.	श्रीमती कनक अग्रवाल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	2	67
4.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.10.2017 से)	1	1	100



निदेशकों और कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक

आईआरसीटीसी, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, इसमें कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यावधि और पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी के विधान अनुच्छेद के अन्तर्गत रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	अनुलाभ	अन्य लाभ*	निष्पादन पुरस्कार	पीएफ में अंशदान	स्टॉक विकल्प	कुल
1.	डॉ. अरुण कुमार मनोचा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 तक)	9,35,984	5,70,550	1,09,992	10,72,305	1,89,251	-	28,78,082
2.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (18.09.2017 से)	34,18,291	14,41,198	16,82,338	26,06,315**	6,19,096	-	97,67,238
4.	श्रीमती अमृतबीर कौर बरार निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (30.11.2017 तक)	20,58,235	4,76,412	4,61,014	12,21,296	3,27,018	-	45,43,975
5.	श्री श्रीराम वेंकटाचलम निदेशक (खानपान सेवाएं)	33,91,088	8,45,526	1,74,510	5,90,412	6,05,376	-	56,06,912
6.	श्रीमती सुमन कालरा कम्पनी सचिव	17,99,859	3,59,639	-	3,63,344	3,08,577	-	28,31,419
7.	श्री अजय श्रीवास्तव समूह महाप्रबंधक (वित्त-II) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (21.08.2017 से)	15,57,862	6,31,345	1,46,452	44,016	-	-	23,79,675
	कुल	1,16,03,457	36,93,325	24,27,854	58,53,672	20,49,318	-	2,80,07,301

* कम्पनी के द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प उपलब्ध या पेशकश नहीं की गई क्योंकि कम्पनी के इक्विटी शेयर केवल भारत सरकार के पास हैं।

** 2015-16 और 2016-17 के लिए पीआरपी

सरकारी निदेशकों को पारिश्रमिक:

सरकारी निदेशकों को कम्पनी के द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक

अंशकालिक (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। उन्हें केवल कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित सीमा और उसके नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड की अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए केवल 15000/- रुपये का बैठक शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:



क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड बैठकें	समिति की बैठकें	
1	डॉ. रबी नारायण बोहिदर स्वतंत्र निदेशक	60,000	1,50,000	2,10,000
2	डॉ. धीरज शर्मा स्वतंत्र निदेशक	90,000	1,95,000	2,85,000
3	श्रीमती कनक अग्रवाल स्वतंत्र निदेशक	75,000	1,05,000	1,80,000
4.	प्रो.सचिन चतुर्वेदी स्वतंत्र निदेशक	15,000	45,000	60,000
5.	श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमूर्ती स्वतंत्र निदेशक	45,000	60,000	1,05,000
6.	सुश्री सरिता देशपांडे स्वतंत्र निदेशक	—	—	—

6.3 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता विकास समिति

क. विचारार्थ मदें

कंपनी के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तावित सूचीबद्धता के कारण संशोधित सीएसआर और एसडी समिति के संक्षिप्त विचारार्थ मदों में बोर्ड के नियम और संतुति, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप् के अनुसार सीएसआर नीति, सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले व्यय की समीक्षा और अनुशंसा करना, कंपनी के सीएसआर पहल पर रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता, सतत विकास के संबंध में, कार्य के दायरे में सतत विकास नीति दिशानिर्देशों और लघु, मध्यम और दीर्घकालिक एसडी योजना, संगठनों के व्यापार लक्ष्यों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रुझानों के साथ एसडी परियोजनाओं/गतिविधियों के संरेखण की निगरानी।

ख. सरचना बैठक और उपस्थिति

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्र. सं.	सदस्य	समिति में स्थिति
1.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती स्मिता रावत, अंश-कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	प्रो. सचिन चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

समूह महाप्रबंधक (इन्फ्रा) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास समिति के नोडल अधिकारी तथा समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित हुईं। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति सदस्यों की संख्या	उपस्थिति प्रतिशत
1.	16 वीं	06 जून, 2017	5	5
2.	17 वीं	21 अगस्त, 2017	4	3
3.	18 वीं	27 अक्टूबर, 2017	4	4
4.	19 वीं	30 जनवरी, 2018	5	5



समिति की आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशकों के कार्यकाल के दौरान बैठक	उपस्थित	उपस्थिति प्रतिशत
1.	डॉ. अरुण कुमार मनोचा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (31.07.2017 तक)	1	1	100
2.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (01.08.2017 से)	3	3	100
3.	श्री स्मिता रावत अंश-कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	4	4	100
4.	डॉ. रबी नारायण बोहीदर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	3	75
5.	डॉ. धीरज शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	100
6.	प्रो. सचिन चतुर्वेदी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.10.2017 से)	1	1	100

6.4 स्टेक धारक संबंध समिति/शेयर धारकों की परिवार समिति

कम्पनी के शेयरों को सूचीबद्ध करने को केन्द्रीय बजट 2017 में घोषणा की गई थी, कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के तहत 21 अगस्त 2017 को आयोजित बोर्ड की 88वीं बैठक में कम्पनी के स्टेकधारकों की संबंध समिति गठित की गई।

क. विचारार्थ विषय:

स्टेकधारक संबंध समिति के विचारणीय विषयों में तिमाही आधार पर कम्पनी के शेयरधारकों से प्राप्त परिवारों के निवारण की स्थिति प्रस्तुत करने, शेयरधारकों की शिकायतों को हल करने, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों, इक्विटी शेयरों के आबंटन, अनुमोदन की रिपोर्टिंग शामिल है। इक्विटी शेयर, डिबेंचर या किसी अन्य प्रतिभूतियों का स्थानांतरण या हस्तांतरण, डुप्लिकेट प्रमाण पत्र और विभाजित/समेकन/नवीनीकरण आदि नए प्रमाणपत्र जारी करना।

ख. सरचना बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च 2018 को समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति
1.	डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री श्रीराम वेंकटाचलन, निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कम्पनी सचिव समिति की सचिव हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान स्टेकधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

6.5 जोखिम प्रबंधन समिति

क. विचारार्थ विषय:

कंपनी के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तावित सूचीबद्धता के कारण संशोधित जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और मूल्यांकन और कंपनी की नीति, किसी भी नई व्यावसायिक योजनाओं और प्रक्रियाओं में शामिल संभावित जोखिम के होने की समीक्षा और सिफारिश, किसी बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना, जोखिम प्रबंधन नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करना, संगठन के व्यापक जोखिम पोर्टफोलियो की समीक्षा, जोखिम प्रबंधन तकनीकों में सुधार और प्रबंधन में जागरूकता बढ़ाने का सुझाव देना, प्रबंधन के क्रमिक स्तरों तक नीतियों और मानकों का सम्प्रेषण सुनिश्चित करना आदि।



ख. सरंचना बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च 2018 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

क्र. सं.	सदस्य	स्थिति
1.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री श्रीराम वेंकटाचलम, निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
3.	श्री प्रशांत कुमार बलसावर, अंश-कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	प्रो. सचिन चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

समिति की बैठक में संयुक्त महाप्रबंधक/आईटी, मुख्य जोखिम अधिकारी और विधि अधिकारी स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति में सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	दूसरी	20 जनवरी, 2018	5	3

समिति की बैठकों के आयोजन एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशकों के कार्यकाल के दौरान बैठक	उपस्थित	उपस्थिति प्रतिशत
1.	श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	1	0	—
2.	श्री श्रीराम वेंकटाचलम निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य	1	1	100
3.	श्री प्रशांत कुमार बलसावर अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0	—
4.	डॉ. धीरज शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (21.08.2017 से)	1	1	100
5.	प्रो. सचिन चतुर्वेदी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.10.2017 से)	1	1	100

अन्य कार्यात्मक समितियां:

6.6 निवेश समिति

डीपीई मार्ग निदेशों के अनुसार आईआरसीटीसी की निवेश समिति का गठन इस प्रयोजन के लिए शक्तियों के वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार अधिशेष निधि को अल्पकाल के लिए लगाने के वास्ते निवेश संबंधी निर्णय करती है। समिति द्वारा लिए गए निर्णय को आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), और निदेशक (खानपान) होते हैं। बैठकों का आयोजन जब कभी आवश्यक हो, किया जाता है और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं।

6.7 कार्यपालक बोर्ड समिति

कार्यपालक बोर्ड का गठन आईआरसीटीसी में ई-6 और उससे नीचे के कर्मचारियों की भर्ती समाहन और पदोन्नति के अवसरों के संबंध में नीति (नीतियां) तैयार करने और उसका प्रारूप बनाने और इसके अलावा यह समिति, आंतरिक विश्लेषण के लिए नए कार्यों, व्यावसायिक क्षेत्रों की वृद्धि और कम्पनी परिचालनिक निष्पादन के आंतरिक प्रयोजनों आदि पर भी विचार करेगी।



समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) हैं।

कार्यपालक बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं जो 26 मई 2017, 03 अगस्त 2017, 06 सितम्बर 2017, 06 अक्टूबर 2017, 02 नवम्बर 2017, 27 फरवरी 2018 एवं 28 मार्च 2018 को आयोजित की गईं। बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वार्षिक कार्यात्मक कार्यपालकों को भी कार्यपालक बोर्ड की बैठकों में यथा आवश्यक होने पर आमंत्रित किया जाता है।

6.8 प्रशासनिक समिति

प्रशासनिक समिति का गठन कंस्ट या एफडीआर बैंक खातों को खोलना और बंद करने के मामलों के अनुमोदन और रेल नीर परियोजनाओं के लिए कार्यात्मक पूंजी सुविधा के लिए वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क हेतु तथा आबकारी, आयकर और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकरण तथा कम्पनी की ओर से कागजातों को हस्तांतरित और निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए किया गया है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं निदेशक (खानपान सेवाएं) होते हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशासनिक समिति की दिनांक 25 अप्रैल 2017, 07 जून 2017, 28 अगस्त 2017, 18 सितम्बर 2017, 09 अक्टूबर 2017 एवं 01 फरवरी 2018 को बैठकें आयोजित की गईं जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

6.9 शेयर हस्तांतरण समिति

निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की ओर से कम्पनी सचिव को एक सदस्यीय समिति के रूप में शेयर हस्तांतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि वे जब भी इसके लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त होंगे तो उसका अनुपालन करेंगे। रेल मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2017-18 के दौरान एक बार 12 सितम्बर 2017 को शेयर हस्तांतरण किए गए।

7. स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक :

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-IV की अपेक्षाओं के पालन और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के द्वारा गैर सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) की भूमिका और उत्तरदायित्व 20 जून 2013 के अनुसार कैलेंडर वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग से बैठक दिनांक 30 जनवरी 2018 को आयोजित की गई। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया और बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया।

8. आम सभा की बैठकें

वार्षिक आम सभा (एजीएम)

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्न प्रकार है:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
16वीं	2014-15	18.09.2015	शुक्रवार	1600 बजे	समिति कक्ष, कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	नहीं
17वीं	2015-16	27.09.2016	शुक्रवार	1200 बजे	सम्मेलन कक्ष, कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	नहीं
16वीं	2016-17	20.09.2017	बृहस्पतिवार	1100 बजे	समिति कक्ष, कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	नहीं

9. प्रकटन

- कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 में सभी अपेक्षाओं का आईसीएसआई के द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।



- (ii) कंपनी के निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों अथवा कंपनियों और फर्मों आदि जिनमें वे प्रत्यक्ष अथवा उनके संबंधियों के माध्यम से निदेशक के रूप में और/या साझेदार इच्छुक है, के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
- (iii) ऐसी किसी भी मद का खर्च, जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं हैं, बही खातों में नहीं डाला गया है। व्यक्तिगत प्रकृति का कोई भी खर्च निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया गया है।
- (iv) कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों को मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड को इस संबंध में सूचना दी जाती है ताकि कंपनी पर लागू सभी नियमों का उचित अनुपालन हो सके।
- (v) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 में अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- (vi) पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।
- (vii) कम्पनी आवधिक रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के संबंध में बोर्ड को सूचित करती रहती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में “जोखिम और चिंताएं” नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं।
- (viii) **निगरानी तंत्र:**— कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुपालन में कम्पनी पुष्टि करती है कि व्हिसल ब्लोअर नीति के अन्तर्गत अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को गैर कानूनी या अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे देने के लिए आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अन्तर्गत निगरानी तंत्र मौजूद है। यहां अपने सभी व्यवसाय गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। कम्पनी पुष्टि करती है कि किसी भी व्यक्ति या लेखा परीक्षा समिति से मिलने से रोका नहीं गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति कम्पनी वेबसाइट www.ircctc.com पर उपलब्ध है।
- (ix) वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय और बढ़ने के कारण का विवरण वर्ष 2017-18 में कुल खर्च की तुलना में प्रशासनिक और कार्यालयी खर्चों का प्रतिशत 10.74 प्रतिशत रहा।

10. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेन्स मेनुअल और बोर्ड चार्टर, भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू कार्य-निष्पादन, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स, सीएसआर एवं धारणीयता नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, धोखाधड़ी पता करने और बचाव नीति आदि इस उद्देश्य से आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ircctc.com पर अपलोड किए गए हैं और वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

विभिन्न विभागों की निविदाएं, दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्यौरा अन्य अधिकारिक न्यूज रिलीज के साथ भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

11. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

परम्परा के अनुसार, बोर्ड में नए निदेशक के शामिल होने पर, कंपनी के दृष्टिकोण, मिशन, रणनीतिक दिशा, मूल मूल्यों, वित्तीय मामलों और व्यावसायिक संचालन के संबंध में औपचारिक प्रशिक्षण और ओरियंटेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशरों, रिपोर्ट और आंतरिक नीति, वार्षिक रिपोर्ट, मेमोरैंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच एमओयू, जो उन्हें प्रक्रियाओं, प्रथाओं और जोखिम प्रोफाइल से परिचित कराने में मदद करते हैं, कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए बाहरी प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

- i. श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक ने वडोदरा में “लेखा परीक्षा समिति के प्रभावी कामकाज” पर ऑरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम 18 अगस्त, 2017 को डीपीई द्वारा आयोजित किया गया था।
- ii. श्री सी.आर. सुंदरमूर्ती, स्वतंत्र निदेशक ने विशाखापत्तनम में “सीपीएसई के नए नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की क्षमता निर्माण” पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम 8 से 9 जनवरी, 2018 तक डीपीई द्वारा आयोजित किया गया था।

12. लेखा परीक्षा की शर्तें

कंपनी इस बात के लिए प्रयासरत रही है कि बिना शर्त वाली वित्तीय विवरणियां प्रयोग में लाई जाना सुनिश्चित करे।



13. शेयरधारियों के लिए सामान्य सूचना

(क) चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 27 सितम्बर 2018

समय : 1500 बजे

स्थान : समिति कक्ष, (कमरा नम्बर 237) दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

(ख) शेयर होल्डिंग का प्रतिशत

श्रेणी	लिए गए शेयरों की संख्या	लिए गए शेयरों का प्रतिशत
केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) भारत के राष्ट्रपति और इसके नामितों	4,00,00,000	100
कुल	4,00,00,000	100

(ग) संयंत्रों के स्थान/परिचालन इकाइयाँ

रेलनीर संयंत्र और विभिन्न राज्यों में स्थित जोनल कार्यालयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार का पता (इस रिपोर्ट में शामिल कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित मामलों के संबंध में)

कंपनी सचिव, आईआरसीटीसी

11वां तल, बी-148, स्टेट्समैन हाऊस, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

टेलीफोन नं. : 91-11-23327746, ई-मेल का पता _companysecretary@irctc.com, Website: www.irctc.com

14. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और श्री अजय श्रीवास्तव, समूह महाप्रबंधक (वित्त-II) मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में द्वारा विधिवत रूप हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 24 अगस्त 2018 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की 48वीं बैठक में और तत्पश्चात् उसी दिन निदेशक मंडल की 94वीं बैठक में, प्रस्तुत किया गया था। लेखा समीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **अनुबंध - "ख-2"** में संलग्न है।

15. कॉरपोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा रेटिंग :-

आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रारूपों में रेल मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए डीपीई द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन मार्गनिदेश 2010 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गई थी।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने कॉरपोरेट अभिशासन की कोटि में आईआरसीटीसी को वर्ष 2016-17 में **"उत्कृष्ट"** की श्रेणी में रखा है। स्वयं निर्धारण के आधार पर कंपनी वर्ष 2017-18 में उत्कृष्ट रेटिंग की उपलब्धि की आशा करती है।

16. कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मार्गनिर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित कंपनी के द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र मैसर्स बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया है, को इस रिपोर्ट के **अनुबंध - "ख-3"** के रूप में संलग्न किया गया है।

17. सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और इसके बाद के नियमों के अन्तर्गत मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा पर टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ड** के रूप में संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./.

(एम. पी. मल्ल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN: 02316235

दिनांक : 24 सितम्बर, 2018

स्थान : नई दिल्ली



अनुबंध – “ख-1”

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा।

मैं, एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन दल ने पुष्टि की है कि उन्होंने 2017-18 के दौरान आचरण संहिता और कंपनी के प्रमुख मूल्यों का अनुपालन किया है।

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /—

(एम. पी. मल्ल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 02316235

अनुबंध—“ख-2”

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

- मैंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह की समीक्षा की है और अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि:
 - इन विवरणों में कोई वास्तविक असत्य विवरण शामिल नहीं है या न ही किसी वास्तविक तथ्य को छिपाया गया है या दिग्भ्रमित किए जाने वाले विवरण निहित हैं;
 - इन विवरणों में कंपनी मामलों का सही एवं निष्पक्ष परिदृश्य एक साथ प्रस्तुत किया गया है और ये प्रचलित लेखांकन मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी, किसी धोखाधड़ी वाले लेन-देन, गैर कानूनी या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन वाली गतिविधियों में, शामिल नहीं रही है।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आन्तरिक नियंत्रण की संकल्पना और संचालन संबंधी कमियों, यदि कोई हों, जो हमारी जानकारी में हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों, से अवगत करा दिया है।
- हमने लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि:—
 - वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।
 - वर्ष 2017-18 के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।
 - ऐसी किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना की जानकारी हम लोगों को नहीं है और न ही कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी प्रबंधन या कर्मचारी की कोई संलिप्तता है।

हस्ता. /—
(एम.पी. मल्ल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 02316235

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /—

(अजय श्रीवास्तव)

समूह महाप्रबंधक (वित्त-II)
मुख्य वित्त अधिकारी



अनुबंध – “ख-3”

बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकेट ए/3,
सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
फोन : 011-27931217
मोबाइल : 9811387946
ई-मेल : balikasharma@gmail.com

कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,

इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,

11वां तल, बी-148, स्टेट्समैन हाऊस,

बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

सीआईएन यू74899डीएल1999जीओआई101707

हमने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, **इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड** द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उन्हें लागू करने तक का ही हमारी जांच का दायरा रहा है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी ने, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की अर्थक्षमता के लिए न तो किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा निपटाए गए कंपनी के मामलों के संबंध में उनकी दक्षता या कार्यकुशलता का प्रमाण है।

कृते बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./—
बालिका शर्मा एवं एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
एफसीएस नं. 4816
सी.पी.नं. 3222



कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता के संबंध में रिपोर्ट

1. कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का संक्षिप्त वर्णन जिसमें शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों की रूप रेखा का वर्णन और सीएसआर नीति और परियोजना अथवा कार्यक्रमों के वेबलिंग का संदर्भ शामिल है।

क. प्रस्तावना

आईआरसीटीसी में निम्नलिखित रूप से तैयार की गई विधिवत अनुमोदित सीएसआर और धारणीयता नीति है:-

- (क) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135
- (ख) कम्पनियां (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम 2014
- (ग) समय-समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र और अधिसूचनाएं
- (घ) समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश।

इस नीति में कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को चित्रित करने के लिए आईआरसीटीसी के दर्शन शामिल हैं और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण और धारणीयता विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों और तंत्र को प्रस्तुत करते हैं।

आईएससीटीसी अपने सीएसआर और धारणीयता पहल के माध्यम से सीएसआर और धारणीयता नीति के पीछे नीचे उल्लिखित प्रमुख मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहती है।

“रेलवे यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और समाज समेत सभी हितधारकों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जिम्मेदार एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बने रहने के लिए”।

उद्देश्य और क्षेत्र:

नीति में उल्लिखित व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी की सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों को लागू किया जा रहा है:

- ❖ कम्पनी के क्षेत्रों/इकाइयों के स्थानीय क्षेत्रों के परियोजना क्षेत्रों जैसा भी हो की परिधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नीति के प्रयोजन के लिए, स्थानीय क्षेत्र जिनमें जोन/संयंत्र और स्थानों के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र (ओं) का गठन करता है, जहां आईआरसीटीसी अपना व्यवसाय करता है।
- ❖ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम चलाना जिससे समय अवधि के दौरान परिचालन के क्षेत्र के आसपास के स्थानीय समुदायों का जीवन स्तर बढ़ाने और आर्थिक रूप से सबल करने का परिणाम प्राप्त हो।
- ❖ अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से आईआरसीटीसी के लिए समुदाय, सद्भावना और कॉर्पोरेट इकाई के रूप में आईआरसीटीसी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को मजबूत बनाने में मदद करना।
- ❖ समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों में विकास पर जोर देने के साथ सामुदायिक समावेशी विकास करना।

प्रमुख क्षेत्र:

अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करते समय आईआरसीटीसी उन मुद्दों को प्राथमिकता देगी जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सर्वाधिक चिंता के क्षेत्र हैं। जैसे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, शौचालयों का प्रावधान विशेष रूप से लड़कियों के लिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, आदि

आईएससीटीसी की सीएसआर और धारणीयता नीति का मुख्य फोकस टिकाऊ विकास और समावेशी विकास पर है, और सुविधा विहिन वंचित, उपेक्षित, कमजोर और समाज के कमजोर वर्गों जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार, बूढ़े और वृद्ध, महिला/बालिकाएं, शारीरिक रूप से अशक्त आदि के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है।

वित्त वर्ष 18 के दौरान, “स्वच्छता, पर्यावरण धारणीयता और स्वास्थ्य” पर विशेष जोर दिया गया है।



उचित स्वच्छता और स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से और स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ वातावरण को सक्षम सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को समाप्त करने के लिए, गोरखपुर, जयपुर, ग्वालियर, आगरा कैंट और वडोदरा रेलवे स्टेशनों पर मॉड्यूलर नम्मा: शौचालय उपलब्ध कराए गए।

कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में 402 लाख रुपये सीएसआर फंड से योगदान दिया।

पर्यावरण धारणीयता के तहत, कंपनी ने हावड़ा मण्डल, हैदराबाद मण्डल, रांची मण्डल, दिल्ली मण्डल, विजयवाड़ा मण्डल, लखनऊ मण्डल और मुंबई मण्डल में 50 पीईटी बोटल क्रशर मशीनों को स्थापित करने के लिए पहल की।

स्वास्थ्य के तहत, कंपनी ने पुणे और अजमेर में थैलिसिमिया और ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के मरीजों के लिए रक्त संचरण केंद्र के लिए उपकरणों को प्रायोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। कंपनी ने कैंसर रोगी सहायता संघ (सीपीएए) के माध्यम से जरूरतमंद कैंसर रोगियों को अपनाने के लिए वित्तीय रूप से योगदान दिया।

गतिविधियों का ब्यौरा, आबंटित बजट और व्यय किया गया खर्च पैराग्राफ -5 में दिया गया है।

सीएसआर नीति का वेब लिंक :

कंपनी की सीएसआर नीति वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.irctc.com/DownloadDocuments?workflow=getFile&doc_cat_id=5&doc_id=2251&get_file_name=IRCTC_CSR_n_SD_Policy.pdf

2. समितियों की संरचना

कम्पनियों के पास सीएसआर और धारणीयता कार्यसूची के लिए दो स्तरीय संगठन संरचना है और नीचे उल्लिखित समयबद्ध तरीके से गतिविधियों के कार्यान्वयन और धन के उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है:

I. टीयर-I अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति और,

II. टीयर-II: नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति के नीचे

टीयर-I: बोर्ड स्तर पर गठित सीएसआर और धारणीयता विकास समिति।

31 मार्च 2018 को संरचना

❖ श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / आईआरसीटीसी	:	अध्यक्ष
❖ श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (एनएफआर एवं टी) रेलवे बोर्ड और अंशकालिक सरकारी निदेशक	:	सदस्य
❖ डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
❖ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य

टीयर-II: बोर्ड स्तर से नीचे की समिति की संरचना

स्तर-II समिति जो कि बोर्ड स्तर से नीचे की समिति में तीन सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के रूप में नोडल अधिकारी, दूसरा सदस्य, शुरू की जाने वाली परियोजना की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग का प्रतिनिधि तथा तीसरा एक सदस्य वित्त विभाग से होता है।

3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

28415 लाख (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार)

4. निर्धारित सीएसआर खर्च:

568 लाख (उपर्युक्त क्र.सं. 3 पर राशि का लाभ 2 प्रतिशत)

5. वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर की मद में खर्च की गई राशि का विवरण

क. वित्त वर्ष के दौरान कुल खर्च की जाने वाली राशि	568 लाख रु.
ख. खर्च की गई राशि	543.67 लाख रु.
ग. खर्च न की गई राशि	24.29 लाख रु.



वित्त वर्ष के दौरान जिस प्रकार राशि खर्च की गई उसका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार परियोजना (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2017-18 के दौरान खर्चा (लाख रु. में)	31.03.2017 तक संचयी खर्च (लाख रु. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे।	कुल (लाख रु. में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रु. में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख रु. में)			
1.	नम्मा: शौचालय का निर्माण (08)	स्वच्छता	जयपुर (01) गोरखपुर (02) ग्वालियर (01) आगरा (02) वड़ोदरा (02) थाने (01)	135.00	35.41	-	35.41	96.06	प्रत्यक्ष
2.	गोल्फ कार्ट का रख-रखाव एवं बैट्री बदलना	स्वच्छता और पर्यावरण	नई दिल्ली	0.65	0.65	-	0.65	0.65	प्रत्यक्ष
3.	असम और बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दानापुर संयंत्र से रेलनीर पीने के पानी की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल / पीने का पानी	असम और बिहार	0.52	0.52	-	0.52	0.52	प्रत्यक्ष
4.	रेल नीर संयंत्र दानापुर में सीएसआर गतिविधियां- गांव की सड़क पर 25 सौलर लाइटों की व्यवस्था	पर्यावरण	दानापुर	6.06	6.06	-	6.06	6.06	प्रत्यक्ष
5.	थैलिसिमिया और ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) के मरीजों के लिए रक्त संचरण केंद्र के लिए उपकरणों को प्रायोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान	स्वास्थ्य देखभाल	पुणे और अजमेर	13	13	-	13	13	एनजीओ – दि विशिंग फैक्ट्री
6.	सीएसआर के अन्तर्गत ग्रामीण गांव का विकास 'एकल अभियान, एकल विद्यालय- दूरस्थ जनजातीय ग्रामीण बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा	शिक्षा	चम्पारन (बिहार)	10	10	-	10	10	एनजीओ- एकल अभियान
7.	भारतीय स्त्री शक्ति (बीएसएस) के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका को बढ़ाना	सामाजिक उत्थान	मुंबई	5.00	5.00	-	5.00	5.00	एनजीओ – भारतीय स्त्री शक्ति
8.	एनजीओ सोच के माध्यम से आसाम में बाढ़ पीड़ितों के लिए रेल नीर पीने के पानी की 35 कार्टन की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल / पीने का पानी	आसाम	2.27	2.27	-	2.27	2.27	एनजीओ – सोशल ऑरगेनाइजेशन फॉर चेंज और हेल्प
9.	सीएसआर के अन्तर्गत सरोजनी नगर स्थित 'दि लिटल किंगडम नर्सरी स्कूल' में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था	पीने का पानी	नई दिल्ली	0.46	0.46	-	0.46	0.46	प्रत्यक्ष



क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार परियोजना (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2017-18 के दौरान खर्चा (लाख रु. में)	31.03.017 तक संचयी खर्च (लाख रु. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे।	कुल (लाख रु. में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रु. में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख में)			
10.	एनजीओ भारतीय संकल्प पाथ फाउंडेशन, नई दिल्ली के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना	समाजिक उत्थान	बिहार	1.8	1.8		1.8	1.8	एनजीओ – भारतीय संकल्प पाथ फाउंडेशन
11.	कैंसर पेसेन्ट ऐड एसोसिएशन (सीपीएए) के माध्यम से कैंसर के मरीजों को अपनाना	स्वास्थ्य देखभाल	मुंबई	15	15		15	15	कैंसर पेसेन्ट ऐड एसोसिएशन (सीपीएए)
12.	स्वच्छ भारत गतिविधियां स्वच्छता	स्वच्छता	स्वच्छ भारत कोष	402.02	402.02		402.02	402.02	स्वच्छ भारत कोष
13.	पश्चिम जोन में वाटर वेन्डिंग मशीनें लगाना	पीने का पानी	मुंबई	2.19	2.19		2.19	2.19	प्रत्यक्ष
14.	दिल्ली, चेन्नै खण्ड के विभिन्न स्टेशनों पर लिफ्टेवल व्हील चैयर	स्वास्थ्य देखभाल	दिल्ली –चेन्नै रूट	29.29	29.29		29.29	29.29	प्रत्यक्ष
15.	पेट बोटल क्रशर मशीन लगाना	पर्यावरण	सम्पूर्ण भारत	57.23	Nil		Nil	Nil	प्रत्यक्ष
16.	अशक्त जनों के लिए सामाजिक कल्याण संगठन, वॉइस ऑफ वर्ल्ड के लिए वित्तीय सहायता	समाजिक उत्थान	कोलकाता	10	10		10	10	एनजीओ- वॉइस ऑफ वर्ल्ड
17.	राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में वाटर वेन्डिंग मशीनें लगाना	पीने का पानी	नई दिल्ली	10	10		10	10	प्रत्यक्ष
		कुल		700.49	543.67		543.67	604.32	

6. यदि कम्पनी ने पिछले तीन वर्ष या उसके किसी अंश के दौरान शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि का खर्च नहीं किया तो कम्पनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसा न करने के कारण बताएगी:-

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आवंटित बजट में से 24.29 लाख खर्च नहीं हुए थे क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीईटी बोटल क्रशर की स्थापना की परियोजना के लिए खरीद की गई थी लेकिन मशीनों को संबंधित स्थानों पर लगाया नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त रेलवे से स्थान की अनुपलब्धता के कारण नम्मा: शौचालय का अनुबंध को जल्दी ही बंद करना पड़ा था।

इस कमी (24.29 लाख) को समाप्त नहीं करके अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आगे बढ़ाया जाएगा और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित बजट के साथ खर्च किया जाएगा।

7. दायित्व घोषणा

कम्पनी का निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग कम्पनी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का अनुपालन सीएसआर उद्देश्य और कम्पनी की नीति के अनुसार की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सियाराम)

सीएसआर नोडल अधिकारी

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली

(एम. पी. मल्ल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष /
के सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन 02316235



निदेशकों की रिपोर्ट – अनुबंध – “घ”

अखिल रोहतगी
एम.कॉम, एल.एल.बी., एफ.सी.एस

अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
फोन : 011-23926504, 9810690633
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

फार्म नं. एमआर-3

सचिवीय लेखा रिपोर्ट

समाप्त वित्त वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कम्पनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक)
नियम 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,
11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस,
बी-148, बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

हमने इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, (जिसे एतद्पश्चात कम्पनी के रूप में जाना जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट कार्यविधियों का पालन करने के संबंध में कॉरपोरेशन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट के आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर मेरे द्वारा अपना मत व्यक्त किए जाने के लिए यथोचित आधार प्राप्त हो।

हमारे द्वारा कम्पनी की किताबों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और विवरणों और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड का सत्यापन करने तथा सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान नीचे दी गई सांविधिक व्यवस्थाओं का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में एतद्पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अध्ययधीन यथोचित व्यापक आधार वाली प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र की व्यवस्था है:

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अनुसार इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रखी गई किताबों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम;
- सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट 1999 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम इस पर लागू नहीं होंगे क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के उक्त अधिनियम के कोई उपबंध/विनियम/नियम लागू नहीं होते इसमें कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक कर्ज शामिल नहीं था।
- डिपॉज़िटरीज़ एक्ट 1996 उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी के शेयर में उक्त अधिनियम में उल्लिखित किसी भी डिपॉज़िटरी में पंजीकृत नहीं है।
- सिक्योरिटीज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित विनियम और मार्ग निदेश लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं है।



(vi) अन्य लागू नियम, नियम और मार्गनिदेश नीचे उल्लिखित हैं:

- क. "सार्वजनिक उद्यम विभाग", भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के मार्गनिदेश
- ख. खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसके नियम और विनियम
- ग. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009
- घ. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- ङ. शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट
- च. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
- छ. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- ज. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006
- झ. कार्यस्थल पर महिलाओं का शारीरिक शोषण अधिनियम 2013
- ञ. यथा लागू पर्यावरण नियम
- ट. यथा लागू श्रम कानून

हमने समय-समय से प्रभावी आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों को लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमें दी गई व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार कम्पनी ने ऊपर उल्लिखित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्ग निदेशों को व्यवस्थाओं का पालन किया है सिवाय की रेलनीर की कुछ यूनिटों का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं कराया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड, कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के यथोचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। आलोच्य अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय रहते सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थी तथापि कुछ मामलों में बैठकें कम समय में सूचना देकर आयोजित की गई थी और परंतु इसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के संबंध में लागू व्यवस्थाओं का पालन किया गया है। इसके अलावा, बैठक के आयोजन और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

बैठकों में अधिकांश निर्णय पूर्ण बहुमत से लिए गए हैं। प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि बोर्ड में विचारविमर्श के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कार्यवृत्त की किसी भी मद पर किसी भी सदस्य द्वारा विरोध नहीं जताया गया।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिदेशों को मॉनिटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

कृते अखिल रोहतगी एंड कम्पनी

हस्ता./—

अखिल रोहतगी

प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी

एफसीएस नं. 1600

सीपी नं. 2317

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली



अखिल रोहतगी

एम.कॉम, एल.एल.बी., एफ.सी.एस

अखिल रोहतगी एंड कम्पनी

कम्पनी सचिव

21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.

फोन : 011-23926504, 9810690633

ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,

11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस,

बी-148, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस,

नई दिल्ली – 110001

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट निम्न के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिपोर्ट का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की सत्यता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का अनुसरण किया है। इसका सत्यापन हमने परीक्षण के आधार पर किया था ताकि, सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्यों का दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां हमारे मत के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उनकी उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन से प्राप्त किए हैं।
5. कॉरपोरेट के उपबंधों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी के भविष्य में अर्थक्षम होने और न ही कम्पनी के कार्यों को प्रबंधन द्वारा संचालित करने की कारगरता अथवा प्रभावोत्पदकता के संबंध में आश्वासन हैं।

कृते अखिल रोहतगी एंड कम्पनी

हस्ता./—

अखिल रोहतगी

प्रेक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी

एफसीएस नं. 1600

सीपी नं. 2317

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली



निदेशकों की रिपोर्ट – अनुबंध – “ड”

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरण सार

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

सीआईएन	यू74899डीएल1999जीओआई101707
पंजीकरण की तारीख	27 सितम्बर 1999
कम्पनी का नाम	इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
कम्पनी की कोटि/उपकोटि	कम्पनी शेयरों द्वारा लिमिटेड/सरकारी कम्पनी
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क का विवरण	11वां तल, बी-148, स्टेट्समैन हाऊस, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 टेलि. नं.: 011-23311263-64, फैक्स नं.: 011-233311259 ईमेल: companysecretary@irctc.com
क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	जी नहीं
पंजीकार और अन्तरण एजेंट, यदि को हो, का नाम पता और सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सभी व्यावसायिक गतिविधियां नीचे दर्शायी गई हैं:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादन/सेवाओं का नाम एवं उनका विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	इंटरनेट टिकटिंग	—	13.40%
2	खानपान एवं आतिथ्य सरकार	—	48.24%
3	यात्रा एवं पर्यटन	—	27.35%
4	रेल नीर	—	11.01%

III. होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट कम्पनी के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग, सहायक/एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू होने वाली धारा
1	रॉयल इंडिया रेल टुअर्स लिमिटेड* भूतल, एसटीसी, बिल्डिंग, (जवाहर व्यापार भवन), 1-टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-1100 01	यू60100डीएल2008 पीएलसी185285	एसोसिएट	50%	कम्पनी अधिनियम 2013 का 2(6)

* इक्विटी साझेदारी के बीच विवाद के कारण आईआरसीटीसी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ करार 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया था और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 397 और 398 के अन्तर्गत कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई तथा मामला कोर्ट में न्यायधीन हैं आगे आईआरसीटीसी ने कम्पनी लॉ बोर्ड से बिना सीएलबी के अनुमोदन से बोर्ड और आम बैठक आयोजित नहीं करने के लिए 2013 में अनुमति प्राप्त कर ली है।



IV. शेयर होल्डिंग का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

i. कोटिवार शेयर होल्डिंग

शेयर धारकों की कोटियां	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2017)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2018)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत / हिन्दू अविभाजित परिवार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) केन्द्रीय सरकार	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
ग) राज्य सरकार(रें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) निकाय निगम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप+जोड़ (क) (1):—	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
(2) विदेश									
(क) विदेशों में रहने वाले भारतीय—व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) अन्य—व्यक्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) निकाय निगम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप—जोड़ (क) (2):—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रमोटरों की कुल शेयर होल्डिंग (क)=(क)(1)+(क)(2)	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
ख पब्लिक शेयर होल्डिंग									
(1) संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) म्युचुअल फंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) राज्य सरकार (रें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) वेन्चर कैपिटल फंड्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) बीमा कम्पनियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
छ) एफआईआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ज) फॉरन वेन्चर कैपिटल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झ) अन्य(स्पष्ट करें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप जोड़ (ख)(1):—	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2. गैर सांस्थानिक									
क) निकाय / निगम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) भारतीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) ओवरसीज़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) 1 लाख रुपये तक की नाम मात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नाम मात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप जोड़ (ख) (2):—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख) (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सकल जोड़ (क+ख+ग)	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100:	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100:	0.00



ii. प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग (01.04.2017)			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग (31.03.2018)			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/त्रुटिग्रस्त रखे गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी/त्रुटिग्रस्त रखे गए शेयरों का प्रतिशत कुल शेयरों का भारित	
1	भारत के राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा नामित	4,00,00,000	100%	0.00	4,00,00,000	100%	0.00	0.00
	कुल	4,00,00,000	100%	0.00	4,00,00,000	100%	0.00	0.00

iii. प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो कृपया उल्लेख करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	4,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ			
3.	वर्ष के अंत में	4,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%

iv. पहले 10 शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंग का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटर्स और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं			
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)				
3.	वर्ष के अंत में				

v. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	0	0.00	0	0.00
3.	वर्ष के अंत में	0	0.00	0	0.00



V. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की, बकाया ब्याज / प्रोद्भूत, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित, ऋणग्रस्तता

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष (01.04.2017) के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता	शून्य			
i) मूलधन				
ii) देय ब्याज परंतु अदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
— वृद्धि				
— कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष (31.03.2018) के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन की राशि				
ii) देय ब्याज परंतु अदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		पूर्ण-कालिक निदेशक				
		डॉ. ए.के. मनोचा पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक (01.08.2017 से निदेशक पद छोड़ा)	श्री एम.पी. मल्ल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्रीमती ए.के. बरार पूर्व निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (01.12.2017 से निदेशक पद छोड़ा)	श्री वी. श्रीराम निदेशक (खानपान सेवाएं)	
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अर्न्तनिहित उपबंधों के अनुसार वेतन	21,97,540	66,43,702	36,06,549	45,86,876	1,70,34,667
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत पर अनुलाभ की राशि	5,70,550	14,41,198	4,76,412	8,45,526	33,33,686
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	—	—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—	—
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप — अन्य, स्पष्ट करें	—	—	—	—	—
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
	1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—	11,99,166	—	46,070	12,45,236
	2. मनोरंजन खर्च	15,828	16,796	20,235	—	52,859
	3. विद्युत खर्च	24,053	80,514	45,358	8,440	1,58,365
	4. टीएडीके	70,111	3,85,862	3,95,421	1,20,000	9,71,394
	कुल जोड़ (क)	28,78,082	97,67,238	45,43,975	56,06,912	2,27,96,207
	अधिनियम के अनुसार सीमा*	लागू नहीं				

*कम्पनी कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 से छूट प्राप्त है।



ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवण	निदेशकों के नाम						कुल राशि
1.	स्वतन्त्र निदेशक	डॉ. रबी नारायण बोहिदर	डॉ. धीरज शर्मा	श्रीमती कनक अग्रवाल	श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती (13.10.2017 से नियुक्ति)	प्रो. सचिन चतुर्वेदी (10.10.2017 से नियुक्ति)	सुश्री सरिता देशपांडे (10.10.2017 से नियुक्ति)	
क.	बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	2,10,000	2,85,000	1,80,000	1,05,000	60,000	शून्य	8,40,000
ख.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	2,10,000	2,85,000	1,80,000	1,05,000	60,000	शून्य	8,40,000
2.	गैर-कार्यकारी निदेशक	श्री बी. प्रशांत कुमार			सुश्री स्मिता रावत			कुल राशि
क)	बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	शून्य			शून्य			शून्य
ख)	कमीशन	शून्य			शून्य			शून्य
ग)	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य			शून्य			शून्य
	कुल (2)	शून्य			शून्य			शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	शून्य			शून्य			8,40,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	लागू नहीं						
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा*	लागू नहीं						

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी			कुल राशि (रु. में)
		मु.क.अ.*	सुश्री सुमन कालरा कम्पनी सचिव	मु.वि.अ.*	
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	-	24,71,780	16,01,878	40,73,658
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत पर अनुलाभ की राशि	-	3,59,639	6,31,345	9,90,984
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन				
	- लाभ के % के रूप				
	- अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-
	1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
	2. मनोरंजन खर्च	-	-	73,226	73,226
	4. टीएडीके	-	-	-	-
	4. टीएडीके	-	-	73,226	73,226
	कुल	-	28,31,419	23,79,675	52,11,094

* सीएमडी आईआरसीटीसी को मु. का. अ. माना जाता है।

* श्री अजय श्रीवास्तव समूह महाप्रबंधक (वित्त-II) को दिनांक 21.08.2017 को आयोजित 88वीं बोर्ड की बैठक में मुख्य वित्त अधिकारी के रूप नामित किया गया है।



VII. जुर्माना/सजा/समाधान

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड/ सजा/ समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो, (विवरण दिया जाए)
क. कम्पनी					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					
ख. निदेशक					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					
ग. अन्यदोषी अधिकारी					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समझौता					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक : 24 सितम्बर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./.
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 02316235



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-‘च’

निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट

(वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का प्रबंधन द्वारा उत्तर)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(क)	हमें वह सारी सूचना व व्याख्याएं प्राप्त हो गई हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी सिवाए रेलवे और अन्य पार्टियों को प्राप्य/देय अधिशेष पुष्टिकरण को छोड़कर। इसके अतिरिक्त हमें बताया गया कि पुराना अधिशेष जो कि वर्ष 2010 में खानपान व्यवसाय स्थानांतरित करने की अवधि और पिछले लेखाकरण पद्धति से ऑरेकल पद्धति में डेटा ले जाने के कारण है तथा रेलवे के साथ-साथ अन्य पार्टियों से पुष्टिकरण/समाधान की शर्त के अधीन है।	व्यवसाय प्राप्तियां/व्यवसाय देयता का लगभग 75 प्रतिशत बकाया क्षेत्रीय रेलों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे लेखा-जोखा नकद आधार पर रखता है और इस लिए रेलवे द्वारा किसी निश्चित तिथि तक प्राप्तियों/देयताओं की पुष्टि नहीं कर सकती है। तथापि संबंधित क्षेत्रीय रेलों के साथ नियमित समाधान बैठक रेलवे से समाधान और बकाया वसूली के लिए की जाती है।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ख)	वित्तीय वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों में खानपान सेवा को कम्पनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ विभागीय प्रबंधित गाड़ी को अनबंडलिंग/आंशिक अनबंडलिंग मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, जिससे अलग-अलग लाइसेन्सधारियों को भोजन बनाने और भोजन सेवा अनुबंध दिया गया है और कुछ मामलों में एक ही लाइसेन्सधारक को दिया गया। कम्पनी के प्रबंधन को देखते हुए ऐसी गाड़ियों के संचालन की प्रकृति विभागीय खानपान है। चूंकि अधिकांश गाड़ियों में भोजन आंशिक रूप से बेस किचन से आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार इसको विभागीय खानपान की प्रकृति मानते हुए कम्पनी को खानपान नीति के संदर्भ में भारतीय रेल को देय राजस्व के किसी भी हिस्से को (भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के बीच 15:85 के अनुपात और 40:60 लाइसेन्सी मॉडल के मामले में) प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए कहा गया है कि इसके लिए रेल मंत्रालय को लिखा गया है कि विभागीय रूप से चलने वाली गाड़ियों से लाभ अर्जित करने की दशा में ही रेलवे को हिस्सेदारी दी जा सकती है जिसका आंकलन पूरे भारत के आधार पर हो और इसके लिए गाड़ी/यूनिटवार कार्यों का विवरण उपलब्ध नहीं है। यहां बताया गया है कि मामले को रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।	भोजन तैयार करने के साथ-साथ भोजन परोसने का अस्थाई लाइसेन्स लाइसेन्सधारकों को आंशिक अनबंडलिंग मॉडल के अधीन दिया गया है जो कि विभिन्न स्टेशनों पर भोजन तैयार करने के लिए बेस किचनों की स्थापना होने तक है और ऐसे परिचालन विभागीय खानपान की प्रकृति के हैं। इस लिए इसे विभागीय खानपान के अधीन बुक किया गया है और रेलवे के साथ राजस्व साझा नहीं किया गया है। क्योंकि रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/टीजीप्प/600/4 दिनांक 0/3/2007 के अन्तर्गत प्राप्त स्पष्टीकरण में राजस्व साझेदारी तब होगी जब विभागीय खानपान को पूरे भारत में लाभ होगा।



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ड)(i)	भारतीय लेखाकरण मानक 31 के संबंध में संयुक्त उपक्रमों के लिए यथा अपेक्षित मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी मैसर्स रॉयल इंडियन रेल टूरर लिमिटेड के साथ चल रही मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय लेखा 2010-11 से तैयार नहीं हो सके हैं और इसलिए कम्पनी न तो समेकित वित्तीय विवरण दे रही हैं और न ही संयुक्त कम्पनी के वित्तीय स्थिति का प्रकटन कर पा रही है। कम्पनी के पास उपलब्ध कानूनी मत के आधार पर और संयुक्त उपक्रम करार को समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का मत है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड अपेक्षित राहत पाने के लिए मध्यस्थता वाले खण्ड का सहारा नहीं ले सकती है। इस समय इसके परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किए जा सकते। (नोट सं. 37.3 और 45 को देखें)।	मामला न्यायाधीन है और वित्त वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों के नोट नं 37.3 और 45 में तथ्यों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इस नोटों में वित्त वर्ष 2011-12 से वित्तीय विवरणों में सांविधिक प्राधिकारियों की सलाह पर प्रकटन किया जा रहा है। इसके अलावा मामले में कोई बदलाव नहीं आया है।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ड)(ii)	परिचालन क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानक 108 के मामले में, हमने वित्तीय लेखा प्रणाली में विभाजित नहीं किए गए हैं खर्चों के पृथक्करण/पुनः वर्गीकरण के लिए प्रबंधन के विवरणों पर भरोसा किया है।	कंपनी ने अपने व्यवसाय के पांच वर्णनीय क्षेत्रों की पहचान की है, जो कि निम्न प्रकार :- लाइसेंसी खानपान • विभागीय खानपान • रेल नीर • पर्यटन • इंटरनेट टिकटिंग। कंपनी वित्तीय विवरणों में उपरोक्त क्षेत्रों का प्रकटन करने की नीति और प्रथा का निरंतर पालन कर रही है। इसके अतिरिक्त खानपान व्यवसाय से संबंधित मानव संसाधन लागत का विनिधान निकाले गए आंकड़ों के आधार पर था। इस विनिधान को वित्तीय लेखा प्रणाली में नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में खानपान नीति 2017 को लागू किया जा रहा था, इसमें पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में खानपान व्यवसाय को रेलवे से उत्तरोत्तर ग्रहण किया जा रहा था और कार्यरत कर्मचारी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में तदनुसार बदले जा रहे थे।
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ड)(iii)(क)	वैट कमीशनर के दिनांक 23 मार्च 2006 के आदेशों में गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री समझकर वैट लगाया गया है। कम्पनी के तर्क को अपीलीय प्राधिकारी और माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है और उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका विचारधीन है। कम्पनी की दूरदर्शी नीति के रूप में वैट दायित्व प्रदान	मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के पास लंबित है और इसे वित्त वर्ष 2017-18 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट सं. सं. 37.4 में पहले से ही प्रकटन किया गया है। शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन पहले से ही दायर किया जा चुका है। इस नोट को वित्तीय विवरणों में वित्त वर्ष 2014-15 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की सलाह पर प्रकटन किया जाता रहा है और मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ड)(iii)(ख)	किया जा रहा है लेकिन संबंधित वैट इनपुट और तब से सेवा कर भुगतान में से केवल एक ही कर लागू हो सकता है। यदि कम्पनी के विरुद्ध निर्णय आता है तो पूर्ण वैट उत्तरदायित्व ब्याज सहित (जो लगाया है) कम्पनी के द्वारा व्यय की पूरी राशि जमा करानी होगी और सेवा कर की वापसी के लिए अलग से दावा दायर करना होगा (नोट सं. 37.4 देखें) माल और सेवा कर के तहत क्रेडिट पात्रता और देयता इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन के अधीन है। इसके अलावा कंपनी ने आवेदन किया है कि रेलवे द्वारा जीएसटी शासन से पहले रीलीज लाइसेंस शुल्क के कंपनी के हिस्से पर किसी भी प्रकार की जीएसटी देयता नहीं है और नई खानपान नीति 2017 के तहत गाड़ियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जीएसटी शासन के दौरान कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह, कंपनी को प्रतिपूर्ति इनपुट लागत पर दावा किए गए जीएसटी क्रेडिट के कारण भारतीय रेलवे से प्राप्त इंटरनेट टिकटिंग खर्च के लिए प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों पर कोई जीएसटी देयता अर्जित नहीं की गई है। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी उपर्युक्त मामलों पर अग्रिम निर्णयों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इस पर कोई प्रावधान/ उत्तरदायित्व अर्जित नहीं किया गया है।	1) भारतीय रेलवे ने वर्ष 2014 में यात्रियों को भोजन आपूर्ति के लिए विभिन्न लाइसेन्सधारकों को लाइसेन्स प्रदान किए, जो कि यात्रियों को ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं 5 वर्ष की अवधि के लिए दे रहे हैं। भारतीय रेलवे और लाइसेन्सधारकों के बीच हुए करार के अनुसार लाइसेन्स फीस की राशि अग्रिम रूप से अर्थात् पहले 2 वर्ष के लिए, फिर अगले 2 वर्ष हेतु और अन्त में एक वर्ष के लिए भुगतान की जानी थी। रेल मंत्रालय ने खानपान नीति 2017 के अन्तर्गत आईआरसीटीसी को ऑनबोर्ड खानपान ठेकों की जिम्मेदारी प्रदान की और तदनुसार त्रिपक्षीय करार भारतीय रेलवे, आईआरसीटीसी और लाइसेन्स धारकों के मध्य किए गए, जिसमें भारतीय रेलवे ने ऑनबोर्ड खानपान के अपने सभी अधिकार और जिम्मेदारियां आईआरसीटीसी को सौंप दिए गए। आईआरसीटीसी लाइसेन्सधारक से प्राप्त लाइसेन्सी फीस की 40 प्रतिशत राशि को भारतीय रेलवे को त्रिपक्षीय करार के अनुसार साझा करेगी। माल और सेवा कर अधिनियम 2017 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ और 01 जुलाई 2017 से और उसके पश्चात् की आपूर्ति पर लागू हुआ है। इस मामले में आईआरसीटीसी को माल और सेवाकर लागू होने से पहले लाइसेन्स फीस की राशि प्राप्त हुई थी। भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त लाइसेन्स शुल्क उस समय या उसके प्राप्ति के समय वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सेवा कर प्रभार्य नहीं था भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को आनुपातिक राशि निविदा के शेष भाग के लिए थी जो कि जीएसटी लागू होने से पहले का था। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी 100% सहायक को लाइसेन्स सौंपने से लेनदेन का नाम नहीं बदल जाता है क्योंकि लाइसेन्स जीएसटी लागू होने से पहले प्रदान किए गए थे। करभार तभी लगता है जब सेवा प्राप्त करने वाले को सेवा प्रदान/आपूर्ति की जाती है। अतः सेवा लाइसेन्स प्रदान करना उस समय दी गई थी जब भारतीय रेलवे लाइसेन्स प्रदान किया गया था। जैसा कि विभिन्न अदालती मामलों में कहा गया कि अधिनियम के नियमन या संशोधन से पूर्व कर नहीं लगाया जा सकता है।



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(ज)	लेन देन के अन्तर्गत बैंकों के साथ लेन-देन समाधान कम्पनी के इन्टरनेट टिकटिंग सेन्टर में रख-रखाव किए जाने वाले कुछ बैंक खाताओं में रेलवे की ओर से बहुत अधिक मात्रा में टिकट बुकिंग और रद्दीकरण लेन-देन के कारण नहीं हो सके हैं (नोट नं. 38 देखें।)	चूंकि सेवा प्राप्त करने वाला वही व्यक्ति है और कोई अतिरिक्त लाभ/सेवाएं भी नहीं दी गई है। 2) आईआरसीटीसी का रेलवे के लिए टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.irctc.gov.in है। भारत सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री के डिजीटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक हित में रेल मंत्रालय के माध्यम से आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग पर लगाए गए सेवा प्रभार को समाप्त कर दिया है। इसलिए आईआरसीटीसी यात्रियों से सेवा प्रभार के रूप में कोई राशि वसूल नहीं रहा है। आईआरसीटीसी परिचालन खर्च उठा रहा है जिनमें सर्वर के अपग्रेडेशन और रखरखाव खर्च, सर्वर के रखरखाव के लिए नियुक्त मानव शक्ति और अन्य प्रासंगिक खर्च शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने इसके लिए किए जा रहे खर्चों का विवरण रेल मंत्रालय को भेजा था और मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के द्वारा यात्रियों को प्रदान की जा रही ई-टिकटिंग सुविधा के लिए परिचालन खर्चों के बदले 80/-करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। आईआरसीटीसी द्वारा किए जा रहे खर्चों पर कोई लाभ नहीं लगाया गया है। रेलवे से प्राप्त राशि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(31) में परिभाषित के अन्तर्गत नहीं आती है क्योंकि केन्द्रीय या राज्य सरकारों से प्राप्त व्यर्थ की प्रतिपूर्ति को इसमें छूट प्रदान है। धारा 15(2) में कर योग्य आपूर्ति के मूल्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त व्यर्थ की प्रतिपूर्ति की राशि को शामिल नहीं करती है। तथापि, आईआरसीटीसी ने उपरोक्त मामले पर अग्रिम निर्णयों के लिए निवेदन किया है और अग्रिम निर्णयों के प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में, लेखांकन समाधान मासिक आधार पर बैंक खातों में जमा/डेबिट की गई राशि और आईआरसीटीसी लेनदेन डेटा के साथ उपलब्ध रिकॉर्ड्स के बीच किया जाता है। यदि राशि दोनों रिकॉर्डों में मेल खाती है और कोई विसंगति नहीं मिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि समाधान अंतिम है। अगर यह पाया जाता है कि इन रिकॉर्डों के बीच कोई विसंगति है, तो असाधारण लेनदेन को खोजने के लिए लेनदेन स्तर पर समाधान किया जाता है। इसके पश्चात् संबंधित बैंकों के साथ नियमित आधार पर समन्वय करके मेल नहीं खाते लेनदेन की वसूली की जाती है। लेनदेन की मात्रा बहुत बड़ी है। वर्तमान में दैनिक आधार पर लगभग 8 से 9 लाख लेनदेन पेमेंट गेटवे और नेट बैंकिंग /



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट की मद संख्या 2(झ)	रिकॉर्डों एवं कागजातों के सत्यापन के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी के साइज और परिचालन की प्रकृति पर विचार करते हुए संगठन के अंदर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और ईआरपी प्रणाली का अपग्रेड और अनुकूलन बनाने तथा विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों के आवधिक पुनरीक्षण के लिए मजबूत एमआईएस का विकास अपेक्षित है। इसी प्रकार हमारा मत है कि परम्परागत लेन-देन की पहचान और समाधान पहले के वित्तीय प्रणाली से आंकड़ों को वर्तमान ओरेकल प्रणाली में अनुरक्षित करने के साथ-साथ रेलवे से/को परिचालन को स्थानांतरण करने से है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है।	एटीएम सह डेबिट कार्ड (43 बैंकों के लिए एनजीईटी टिकटिंग सेवाएं) के माध्यम से किए जा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों का प्रकटन पहले से ही वित्तीय विवरणों के नोट सं. 38 में किया चुका है। इस नोट का प्रकटन संविधानिक लेखा परीक्षकों के सलाह पर वित्त वर्ष 2012-13 से किया जा रहा है। क. आंतरिक लेखा परीक्षा एक प्रतिष्ठित पेशेवर फर्म द्वारा की जाती है जो कि सीएंडएजी के साथ सूचीबद्ध होती है और लेखा परीक्षा कम्पनी के परिचालन के अनुरूप काम के विस्तृत दायरे के अनुसार की जाती है। ख. निगम में निम्नलिखित को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी तरह से है: - निगम को लागत लेखा परीक्षा की गैर-प्रयोज्यता के बावजूद निगम प्रतिष्ठित लागत लेखाकार फर्म द्वारा स्वेच्छा से लागत लेखापरीक्षा करवा रही है। - सीएंडएजी द्वारा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा, निगम में आयोजित की जाती है। जिनमें विभिन्न कर लेखा परीक्षा आदि हैं। - लेनदेन निगम में एसओपी (शक्तियों की अनुसूची) में प्राधिकृत करके किया जा रहा है। - धोखाधड़ी को रोकने और पहचानने के लिए निगम में विसल ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी रोधी नीति और निगम में सतर्कता विभाग धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने के लिए है और निगम में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। - निगम की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय मामलों/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करती है - लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./.

(एम. पी. मल्ल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN: 02316235

दिनांक : 24 सितम्बर, 2018

स्थान : नई दिल्ली



सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

1011-1014, 10वां तल, आरजी ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस
पीतमपुरा, दिल्ली-110005, फोन: 011-42502244, 3562
ईमेल: info@serva.in; वेबसाइट: www.serva.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,

भारतीय लेखा मानक पर स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे क्रेटरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") भारतीय लेखामानक पर स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों व इसके साथ संलग्न 31 मार्च, 2018 को मौजूद तुलन पत्र, उस समय समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण, (अन्य महत्वपूर्ण आय सहित) नकदी प्रवाह विवरण, समाप्त वर्ष में इक्विटी में बदलाव विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे आगे स्टैण्डअलोन भारतीय लेखाकरण प्रणाली वित्तीय विवरण कहा गया है) शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मण्डल कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत लेखाकरण मानकों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) ("अधिनियम") में उल्लिखित लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन महत्वपूर्ण अन्य आय सहित और नकदी प्रवाह और कम्पनी की इक्विटी शेयर में बदलाव की सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं।

इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, यथोचित लेखाकरण नीतियों का चुनाव करने और उन्हें लागू करने, व्यावहारिक और भरोसेमंद निर्णय लेने एवं अनुमान तैयार करने और सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, स्टैण्डअलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित जो लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावी रूप से परिचालित किए जा रहे थे, के तौर तरीके शामिल हैं और ये किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से मुक्त हैं भले ही वह धोखाधड़ी के कारण हों अथवा भूलवश हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन स्टैण्डअलोन भारतीय लेखामानकों के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम की व्यवस्थाओं को अपनाया है, और अधिनियम की व्यवस्थाओं और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लेखाकरण और लेखा परीक्षा मानकों और ऐसे मामलों को जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित था, के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षा की है।

हमने अपने लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार हमसे यह अपेक्षा की जाती है हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और यह जानने के लिए पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि स्टैण्डअलोन भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण सभी प्रकार के असत्य तथ्यों से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती है कि स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटीकरणों के संबंध में लेखा परीक्षा वाले साक्ष्य प्राप्त हो सकें। अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं जिसमें स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा भूलवश किन्हीं गलत तथ्यों के जोखिम का मूल्यांकन करना शामिल होता है। ऐसे जोखिम वाले मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक स्टैण्डअलोन लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि, ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो ऐसी स्थितियों में उचित हों। लेखा परीक्षा में प्रयोग में लाई जाने वाली लेखाकरण नीतियों और कम्पनी के निदेशकों के द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की व्यावहारिकता का मूल्यांकन किया जाता है साथ ही वित्तीय स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानक विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमें मिले हैं वे पर्याप्त हैं और हमारे लेखा परीक्षा का मत तैयार करने के लिए उपयुक्त हैं।



मत

हमारे मतानुसार हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार उपर्युक्त स्टैण्ड अलोन भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों जिनमें भारतीय लेखामानक शामिल हैं, के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं: जिसमें कम्पनी की स्टैण्ड अलोन भारतीय लेखामानक 31 मार्च 2018 को वित्तीय स्थिति और इसकी वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य महत्वपूर्ण आय, इसका नकदी प्रवाह और इस तिथि को वर्ष में इक्विटी बदलाव को दर्शाता है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट की रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के अनुसार जिसे धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है कि अपेक्षानुसार हम अनुबंध 'क' के रूप में एक विवरण दे रहे हैं जो आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के संबंध में विनिर्दिष्ट विवरण है।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार यथा अपेक्षित हमारी रिपोर्ट निम्नलिखित है:
 - क. हमें वह सारी सूचना व व्याख्याएं प्राप्त हो गई हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी सिवाए रेलवे और अन्य पार्टियों को प्राप्य/देय अधिशेष पुष्टिकरण को छोड़कर। इसके अतिरिक्त हमें बताया गया कि पुराना अधिशेष जो कि वर्ष 2010 में खानपान व्यवसाय स्थानांतरित करने की अवधि और पिछले लेखाकरण पद्धति से ऑरेकल पद्धति में डेटा ले जाने के कारण है तथा रेलवे के साथ-साथ अन्य पार्टियों से पुष्टिकरण/समाधान की शर्त के अधीन है।
 - ख. वित्तीय वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों में खानपान सेवा को कम्पनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ विभागीय प्रबंधित गाड़ी को अनबंडलिंग/आंशिक अनबंडलिंग मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, जिससे अलग-अलग लाइसेन्सधारियों को भोजन बनाने और भोजन सेवा अनुबंध दिया गया है और कुछ मामलों में एक ही लाइसेन्सधारक को दिया गया। कम्पनी के प्रबंधन को देखते हुए ऐसी गाड़ियों का संचालन की प्रकृति विभागीय खानपान है। चूंकि अधिकांश गाड़ियों में भोजन आंशिक रूप से बेस किचन से आपूर्ति की जा रही। इस प्रकार इसको विभागीय खानपान की प्रकृति मानते हुए कम्पनी को खानपान नीति के संदर्भ में भारतीय रेल को देय राजस्व के किसी भी हिस्से को (भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के बीच 15:85 के अनुपात और 40:60 लाइसेन्सीधारक मॉडल के मामले में) प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए कहा गया है कि इसके लिए रेल मंत्रालय को लिखा गया है कि विभागीय रूप से चलने वाली गाड़ियों से लाभ अर्जित करने की दशा में ही रेलवे को हिस्सेदारी दी जा सकती है जिसका आंकलन पूरे भारत को आधार पर हो इसके लिए गाड़ी/यूनिटवार कार्यों का विवरण उपलब्ध नहीं है यहां बताया गया है कि मामले को रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।
 - ग. हमारे मतानुसार कम्पनी द्वारा कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार लेखा संबंधी बही खातों को संजोकर रखा गया है। जैसा कि हमें उक्त बही खातों की जांच करने पर पता चला है।
 - घ. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट में इक्विटी में बदलाव विवरण लेखा के बही खातों के अनुरूप है।
 - ङ. हमारे मतानुसार उपर्युक्त स्टैण्ड अलोन भारतीय लेखामानक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं सिवाय निम्नानुसार:
 - i. भारतीय लेखाकरण मानक 31 के संबंध में संयुक्त उपक्रमों के लिए यथा अपेक्षित मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी मैसर्स रॉयल इंडियन रेल टूरर लिमिटेड के साथ चल रही मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय लेखा 2010-11 से तैयार नहीं हो सका है और इसलिए कम्पनी न तो समेकित वित्तीय विवरण दे रही और न ही संयुक्त कम्पनी के वित्तीय स्थिति का प्रकटन कर पा रही है। कम्पनी के पास उपलब्ध कानूनी मत के आधार पर और संयुक्त उपक्रम करार को समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का मत है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड अपेक्षित राहत पाने के लिए मध्यस्थता वाले खण्ड का सहारा नहीं ले सकती है। इस समय इसके परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किए जा सकते। (नोट सं. 37.3 और 45 को देखें)।
 - ii. परिचालन क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानक 108 के मामले में, हमने वित्तीय लेखा प्रणाली में विभाजित नहीं किए गए हैं खर्चों के पृथक्करण/पुनः वर्गीकरण के लिए प्रबंधन के विवरणों पर भरोसा किया है।



iii. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 31

- क. वैट कमीशनर के दिनांक 23 मार्च 2006 के आदेशों में गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री समझकर वैट लगाया गया है। कम्पनी के तर्क को अपीलीय प्राधिकारी और माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है और उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका विचारधीन है। कम्पनी की दूरदर्शी नीति के रूप में वैट दायित्व प्रदान किया जा रहा है क्योंकि केवल एक ही कर लागू हो सकता है। यदि कम्पनी के विरुद्ध निर्णय आता है तो पूर्ण वैट उत्तरदायित्व ब्याज सहित (जो लगाया है) कम्पनी के द्वारा व्यय की पूरी राशि जमा करानी होगी और सेवा कर की वापसी के लिए अलग से दावा दायर करना होगा (नोट सं. 37.4 देखें)
- ख. माल और सेवा कर के तहत क्रेडिट पात्रता और देयता इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन के अधीन है। इसके अलावा कंपनी ने आवेदन किया है कि रेलवे द्वारा जीएसटी शासन से पहले रीलीज लाइसेंस शुल्क के कंपनी के शेयर पर किसी भी प्रकार की जीएसटी देयता नहीं है और नई खानपान नीति 2017 के तहत गाड़ियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जीएसटी शासन के दौरान कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह, कंपनी को प्रतिपूर्ति इनपुट लागत पर दावा किए गए जीएसटी क्रेडिट के कारण भारतीय रेलवे से प्राप्त इंटरनेट टिकटिंग खर्च के लिए प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों पर कोई जीएसटी देयता अर्जित नहीं की गई है। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी उपर्युक्त मामलों पर अग्रिम निर्णयों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इस पर कोई प्रावधान/ उत्तरदायित्व अर्जित नहीं किया गया है।
- च. 31 मार्च 2017 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कोई भी निदेशक ऐसा नहीं था जो अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च 2017 को निदेशक बनने के लिए अर्हता प्राप्त न हो।
- छ. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता को अलग रिपोर्ट में अनुबंध 'ख' में दिया गया है: और
- ज. कि लेन देन के अन्तर्गत बैंकों के साथ लेन-देन समाधान कम्पनी के इंटरनेट टिकटिंग सेन्टर में रख-रखाव किए जाने वाले कुछ बैंक खाताओं में रेलवे की ओर से बहुत अधिक मात्रा में टिकट बुकिंग और रद्दीकरण लेन-देन के कारण नहीं हो सके हैं (नोट नं. 38 देखें।)
- झ. रिकॉर्डों एवं कागजातों के सत्यापन के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी के साइज और परिचालन की प्रकृति पर विचार करते हुए संगठन के अंदर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और ईआरपी प्रणाली का अपग्रेड और अनुकूलन बनाने तथा विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों के आवधिक पुनरीक्षण के लिए मजबूत एमआईएस का विकास अपेक्षित है। इसी प्रकार हमारा मत है कि परम्परागत लेन-देन की पहचान और समाधान पहले के वित्तीय प्रणाली से आंकड़ों को वर्तमान ओरेकल प्रणाली में अनुरक्षित करने के साथ-साथ रेलवे से/को परिचालन को स्थानांतरण करने से है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है।
- ट. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराई गई व्याख्याओं के अनुसार:-
- (क) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर बकाया मुकदमेंबाजी के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दिया है- (टिप्पणी संख्या 31 देखें);
- (ख) कम्पनी डेरीवेटिव ठेके सहित किसी भी दीर्घकालीन ठेकों में शामिल नहीं हुए हैं।
- (ग) कम्पनी द्वारा निवेशकों के शिक्षा और सुरक्षा निधि के लिए अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि का कोई अंतरण नहीं हुआ।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 000272एन

हस्ता./—
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

दिनांक : 24.08.2018
स्थान : नई दिल्ली



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध – 'क'

मैसर्स इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की समसंख्यक तारीख वाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारतीय लेखाकरण मानकों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट के संदर्भ में रिपोर्ट है:

- (i) क) कंपनी, मात्रात्मक ब्यौरा और अचल परिसम्पत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रख रही है।
- (ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान और नियमित अंतराल पर वर्ष में एक बार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक सत्यापन कराया जाता है। हमारे मतानुसार भौतिक सत्यापन का सविस्तार एवं औपचारिक किए जाने की आवश्यकता है। इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।
- (ग) अचल परिसम्पत्तियों की टाइटल डीड कम्पनी के नाम पर है।
- (ii) (क) वस्तु सूची की भौतिक जांच उचित अंतराल पर कम्पनी द्वारा कराई जा रही है और वर्ष के दौरान वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। वस्तु सूची में परिभाषित मात्रा, मूल्य लिया गया और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- (iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के तहत आने वाली किसी कंपनी, फर्म, सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी (एलएलपी) वाले या अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। अतः अनुच्छेद (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (iv) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के अधीन आने वाले निदेशकों और पार्टियों को धारा 186 के अन्तर्गत ऋण और अग्रिम नहीं दिया है अतः अनुच्छेद (iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।
- (v) कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः अनुच्छेद (V) लागू नहीं होता है।
- (vi) जैसी कि हमें सूचना एवं स्पष्टीकरण दिया गया है, कंपनी अधिनियम, की धारा 148 के उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी के लिए लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है, किन्तु कम्पनी के द्वारा इसको स्वैच्छिक रूप से रखा जा रहा है।
- (vii) (क) कंपनी नियमित रूप से कटौती/उपार्जित अविवादित संवैधानिक देयताओं जिनमें आयकर, माल एवं सेवाकर, सेवाकर, उपकर और अन्य सांविधानिक देयता जो भी लागू हो, को नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2018 को देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि का कोई भी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, माल एवं सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और अन्य संवैधानिक देयता का बकाया नहीं था।
- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष बकाया मामलों के कारण लेखा विवरण नोट के पैरा 37.2 और 37.4 के अन्तर्गत वैट के किसी प्रकार के दायित्व के अन्तर्गत निम्नलिखित विवादास्पद राशि को जमा नहीं किया गया है :-

क्र. सं.	कानून का नाम	बकाया की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद बकाया है	राशि लाख रु. में
1.	सेवा कर-दक्षिण जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	सीस्टैट, ट्राईब्यूनल	679.03
2.	सेवा कर-पूर्व जोन	विविध	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, कोलकाता	54.80
3.	सेवा कर-उत्तर जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, नई दिल्ली	390.03
4.	सेवा कर-दक्षिण मध्य जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, नई दिल्ली	283.44
5.	सेवा कर-पश्चिम जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, नई दिल्ली	978.33
कुल				2385.30



- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी के मामले में चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था से या कोई डिबेन्चर जारी करके ऋण नहीं लिया है।
- (ix) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (डिब्ट इन्स्ट्रुमेंट सहित) के द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है। कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।
- (x) कम्पनी के लेखों और रिकॉर्डों की जांच के दौरान सामान्यतः भारत में अपनाई जाने वाली लेखा परीक्षा पद्धति अपनाई गई है और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी पर और कम्पनी के द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई न ही प्रबंधन द्वारा ऐसा कोई मामला सूचित किया गया था।
- (xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या व्यवस्था कम्पनी अधिनियम के अनुसूची ट के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 में अपेक्षित व्यवस्था/अनुमोदनों के शासनादेश के अनुरूप किया जा रहा है।
- (xii) कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है अतः आदेश का अनुच्छेद (xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन की हमारी जांच में अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन जहां लागू है, किया गया है। लेखाकरण मानकों में अपेक्षित ऐसे लेन-देन का विवरण का स्टैंड अलोन भारतीय लेखाकरण मानकों के वित्तीय विवरण में प्रकटन किया गया है।
- (xiv) कम्पनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान शेयरों का कोई प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अन्तर्गत अपेक्षित लागू नहीं होता है।
- (xv) कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेन देन नहीं किया है। अतः आदेश का अनुच्छेद (xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) कम्पनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अधीन पंजीकृत करना अपेक्षित नहीं है।

कृते सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 000272एन

हस्ता./—
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

दिनांक : 24.08.2018
स्थान : नई दिल्ली



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध – 'ख'

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के अर्न्तगत आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने मैसर्स इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय लेखाकरण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर 31 मार्च, 2018 को मौजूद कम्पनी के स्टैंड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की वर्ष की लेखा परीक्षा आज की तारीख को समाप्त हुई।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है जो इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्त नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर दिशा निदेशों के नोट में कहा गया है, के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाना, व्यावहारिक और भरोसेमंद निर्णय लेने एवं अनुमान तैयार करने और सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, जो लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावी रूप से परिचालित किए जा रहे थे, के तौर तरीके शामिल हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 के अर्न्तगत अपेक्षित इस जिम्मेदारी में समय पर भरोसेमंद वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कम्पनी के वित्तीय लेखाकरणों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर अपने लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करना है। हम अपनी लेखा परीक्षा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्त नियंत्रणों के गाईडेंस नोट के अनुसार और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित मानी गई जो कि आंतरिक नियंत्रणों को लेखा परीक्षा ('गाईडेंस नोट') पर आवश्यक सीमा पर लागू दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू और दोनों ही इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी है। निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों और गाईडेंस नोट के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और यह जानने के लिए आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बना कर लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरणों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण क्या पर्याप्त हैं, स्थापित है और अनुरक्षित किए जा रहे हैं और क्या ऐसे सभी नियंत्रण सभी प्रकार के तथ्यों के अनुसार हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती है कि वित्तीय लेखाकरण में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्तता और उनका प्रभावी रूप से परिचालन के साक्ष्य प्राप्त हो सकें। वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में भारतीय लेखाकरण मानकों वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आपसी समझ बनानी, किसी तथ्यात्मक कमियों का मूल्यांकन और डिजाइन की जांच एवं मूल्यांकन, जोखिम आंकलन पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी परिचालन पर आधारित है। इसके लिए चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करना है, जिसमें भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों में असत्य तथ्यों के जोखिम का धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा लेखा परीक्षा में मिले साक्ष्य नीचे दी गई हमारी टिप्पणी में निहित सीमाओं को छोड़कर पर्याप्त है और कम्पनी के वित्तीय लेखाकरण पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर वे पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा मत तैयार करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कम्पनी का वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया डिजाइन की है जो भरोसेमंद वित्तीय विवरणों के संबंध में आश्वस्त करती है और जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरित नियंत्रण में जो नीतियां और प्रक्रिया शामिल हैं उनमें (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का लेन-देन और विन्यास से संबंधित रिकॉर्डों का अनुरक्षण, उचित विवरण, शुद्धता और न्यायपूर्ण झलके (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेन-देन के रिकॉर्ड अपेक्षित वित्तीय विवरण को तैयार करने की अनुमति और भरोसेमंद आश्वासन और कम्पनी की प्राप्तियों और खर्चों को प्रबंधनों और निदेशकों के प्राधिकार पर ही, होना और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में अनाधिकृत अधिग्रहण को रोकना या समय पर पता लगाने, प्रयोग करने, निपटान के संबंध में भरोसेमंद आश्वासन हैं जो कि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।



वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं होने के कारण, सांठगांठ या नियंत्रण रखने में खराब प्रबंधन, त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण या धोखाधड़ी होना और पता नहीं लगना। वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी प्रकार का मूल्यांकन प्रदर्शन भी भविष्य की अवधि के लिए जोखिम हो सकता है क्योंकि स्थिति में बदलाव के कारण वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन की मात्रा या पद्धति बिगड़ सकती है।

हमने प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कागजातों के द्वारा कम्पनी की परिचालन पद्धतियों और शामिल जोखिमों की संभावना की पहचान के लिए विस्तार से समीक्षा की है। चूंकि वित्तीय विवरणों पर आन्तरिक नियंत्रण पर ऐसा प्रलेखन का पहला वर्ष होने के कारण कम्पनी के पूरे व्यापार को काफी हद तक शामिल करने का प्रयास किया है। बहुभौगोलिक स्थानों पर होने के कारण जोखिम नियंत्रण उपायों की जांच कुछ चुने हुए स्थानों पर की गई। तथापि हमने उपरोक्त सीमाओं के वर्णन में कम्पनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लागू प्रकृति और लेखा परीक्षा जांच तक सीमित कर विचार किया है और यह सीमाएं कम्पनी के भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं कर सकती है।

मत

हमारे मतानुसार कम्पनी को सभी महत्वपूर्ण अनुपालन, वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और 31 मार्च 2018 तक वित्तीय लेखाकरण पर ऐसा वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित है, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा परीक्षा पर जारी गाईडेंस नोट में बताए गए आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटक कम्पनी द्वारा वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मापदंड पर आधारित है।

कृते सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 000272एन

हस्ता./—
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

दिनांक : 24.08.2018
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध — 'ग'

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन निर्देश।

1. क्या कम्पनी के पास पूर्ण स्वामित्व और पट्टा विलेख के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख है यदि नहीं तो कृपया बताएं कि स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख भूमि का क्षेत्रफल जिसका स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है?

उपलब्ध कराए गए कागजों के आधार पर कोई नहीं।

2. क्या कोई उधारी/ऋण / ब्याज आदि माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है, यदि हां तो कारण बताएं और राशि का उल्लेख करें। — कोई नहीं
3. क्या तृतीय पक्ष के पास पड़ी वस्तु सूचियों एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार/अनुदान (अनुदानों) से प्राप्त परिसम्पत्तियों का उचित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है।

हां, आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सरकार/अन्य प्राधिकारियों से कोई परिसम्पत्तियां उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

कृते सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 000272एन

हस्ता./—
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

दिनांक : 24.08.2018
स्थान : नई दिल्ली



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
I. परिसम्पत्तियां			
1 गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	15,564.37	15,777.88
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	765.26	1,682.92
(ग) सम्पत्ति निवेश	5	2,761.56	—
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	5A	656.39	1,261.92
(ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां	6		
(i) निवेश	6.1	0.32	0.32
(ii) ऋण	6.2	1,104.50	1,177.76
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6.3	96.65	40.88
(ड़) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	7	6,362.27	6,923.41
(च) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	8	1,362.94	1,693.44
		28,674.26	28,558.53
2 चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सूचियां	9	740.60	658.05
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	10		
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	54,720.11	28,866.52
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	49,315.89	48,611.71
(iii) बैंक अधिशेष (ii) उपर्युक्त को छोड़कर	10.3	34,071.36	36,684.50
(iv) अन्य	10.4	1,706.54	1,591.95
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	11	667.79	231.05
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	59,977.37	37,461.11
		201,199.66	154,104.89
कुल परिसम्पत्तियां		229,873.93	182,663.42
II. इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	4,000.00	4,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	90,770.95	73,833.88
		94,770.95	77,833.88
2 देयताएं			
(i) गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	15		
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	10,972.71	10,373.28
(ख) प्रावधान	16	5,846.98	7,797.35
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	17	693.45	833.06
		17,513.14	19,003.69
(ii) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	18		
(i) व्यापार देय	18.1	15,043.24	13,718.16
(ii) अन्य	18.2	41,392.87	35,899.41
(ख) अन्य चालू देयताएं	19	60,826.19	35,535.68
(ग) प्रावधान	20	327.54	121.18
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	21	—	551.42
		117,589.84	85,825.85
कुल इक्विटी और देयताएं		229,873.93	182,663.42

सामान्य सूचना
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे क्रेटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./—
सी.ए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

हस्ता./—
महेन्द्र प्रताप मल्ल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

हस्ता./—
वी. श्रीराम
निदेशक (खानपान सेवाएं)
डीआईएन: 07445220

हस्ता./—
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./—
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-9199

दिनांक : 24.08.2018
स्थान : नई दिल्ली



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I. परिचालनों से राजस्व (उत्पाद शुल्क सहित)	22	146,817.97	153,893.25
II अन्य आय	23	7,598.36	5,636.83
III कुल राजस्व (I+II)		154,416.33	159,530.08
खर्च			
उपभोज्य सामग्री की लागत	24	9,529.34	9,472.92
उत्पाद शुल्क	-	436.70	1,573.55
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	25	15,805.01	11,493.49
तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, चल रहे कार्य और स्टॉक-इन-ट्रेड	26	(26.56)	49.56
लाइसेन्सी खानपान सेवाओं का खर्चा	27	23,003.12	8,162.44
पर्यटन का खर्चा	28	30,475.19	41,459.71
उत्पादन एवं प्रत्यक्ष खर्चा	29	6,714.52	24,029.40
कर्मचारी हित खर्चा	30	19,215.15	17,961.91
वित्त लागत	31	290.76	253.53
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	2,366.11	2,241.37
अन्य खर्चा	33	12,983.48	10,028.46
IV कुल व्यय (IV)		120,792.82	126,726.34
V आपवादिक एवं असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)		33,623.51	32,803.74
VI आपवादिक मदें		524.57	340.97
VII कर पूर्व लाभ (V+VI)		34,148.08	33,144.71
VIII कर खर्च :			
(1) चालू कर	34	11,603.63	11,787.14
(2) आस्थगित कर		342.14	(111.40)
IX निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ/हानि (VII-VIII)		22,202.31	21,468.97
X अविच्छिन्न परिचालनों से लाभ/हानि		-	-
XI अविच्छिन्न परिचालनों के कर खर्च		-	-
XII अविच्छिन्न परिचालनों से लाभ/हानि (X - XI)		-	-
XIII अवधि के लिए लाभ/हानि (IX + XII)		22,202.31	21,468.97
XIV अन्य व्यापक आय			
क. (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत की गई मदें			
(ii) कर से संबंधित मदों को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।		-	-
ख. (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की गई मदें		-	-
- पोस्ट रोजगार लाभों के दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	35	632.82	(148.87)
(ii) कर से संबंधित मदों को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।		(219.01)	51.52
XV अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल सहित		22,616.12	21,371.62
XVI प्रति इक्विटी अर्जित शेयर			
(निरंतर संचालन के लिए)			
(1) मूलभूत (₹.)	36	55.51	52.93
(2) डाइलुटिड (₹.)	36	55.51	52.93
XVII प्रति इक्विटी शेयर आय: (अविच्छिन्न परिचालनों के लिए)			
(1) मूलभूत (₹.)	36	-	-
(2) डाइलुटिड (₹.)	36	-	-
XVIII प्रति इक्विटी शेयर आय: (निरंतर और अविच्छिन्न परिचालन के लिए)			
(1) मूलभूत (₹.)	36	55.51	52.93
(2) डाइलुटिड (₹.)	36	55.51	52.93

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे क्रेटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./-
सी.ए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

हस्ता./-
महेन्द्र प्रताप मल्ल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02316235

हस्ता./-
वी. श्रीराम
निदेशक (खानपान सेवाएं)
डीआईएन: 07445220

हस्ता./-
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-9199

दिनांक : 24.08.2018
स्थान : नई दिल्ली



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए कैश फ्लो का विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो		
कर पूर्व लाभ	34,148.08	33,144.71
निम्न के लिए समायोजना:-		
मूल्यह्रास	2,366.11	2,241.37
फिक्स परिसम्पत्ति की बिक्री से लाभ	40.65	92.03
ब्याज आय	(4,957.01)	(4,439.13)
अन्य व्यापक आय	632.82	(148.87)
परिचालन पूंजी परिवर्तन से परिचालन लाभ	32,230.65	30,890.11
निम्न के लिए समायोजना:-		
वस्तुसूची में कमी/(वृद्धि)	(82.55)	168.02
व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(25,853.58)	(3,718.57)
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(55.77)	83.07
अन्य प्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	3.29	5.75
प्रचलित कर परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-	128.19
अन्य प्रचलित परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(22,516.25)	(6,207.85)
अन्य अप्रचलित कर परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	330.51	580.72
वित्तीय परिसम्पत्तियों ऋण में कमी/(वृद्धि)	73.26	(106.31)
अन्य अप्रचलित वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)	599.43	432.20
अप्रचलित प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	(1,950.37)	634.95
अन्य अप्रचलित देयताओं में कमी/(वृद्धि)	(139.61)	25.41
व्यापार देयताएं में कमी/(वृद्धि)	1,325.08	8,588.05
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)	5,493.46	6,161.86
अन्य प्रचलित देयताओं में कमी/(वृद्धि)	25,290.50	10,104.10
वर्तमान प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	206.36	(137.57)
परिचालन से प्राप्त कैश	17,276.24	16,742.02
प्रदत्त आयकर	14,954.41	47,632.13
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश	12,591.79	13,808.32
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो	2,362.62	33,823.81
सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों के बिक्री/निपटन से	20.92	11.69
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(3,452.55)	(3,212.52)
ब्याज प्राप्तियां	4,839.13	6,479.79
अन्य बैंक में जमा राशि में बदलाव	2,613.14	6,077.56
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद्ध नकद	4,020.63	9,356.52
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो	(5,679.06)	(13,594.90)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(5,679.06)	(13,594.90)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद	(5,679.06)	(13,594.90)
नकद और नकद समकक्ष (क+ख+ग) शुद्ध (वृद्धि)/कमी	704.19	29,585.43
अथशेष नकद और नकद समकक्ष	48,611.71	19,026.28
नकद और नकद समकक्ष समाधान	49,315.89	48,611.71
नकद और नकद सम कक्ष का समाधान		
नकद और नकद समावेशी के		
नकद हस्ते	55.61	63.26
चेक्स/ड्राफ्ट्स/हस्ते	8,090.93	53.25
बैंक में अधिशेष		
- चालू खाते में	30,978.92	27,243.38
- फ्लेक्सी खाते में	10,190.43	21,251.82
- तीन महिनो से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा		
तुलन-पत्र के अनुसार नकद और नकद सम कक्ष	49,315.89	48,611.71

टिप्पणियां 1. भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स इन्स्टीट्यूट द्वारा जारी कैश फ्लो विवरण भारतीय एएस-7 में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष विधि के तहत कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया है।

2. पिछले वर्षों के आंकड़ों का जहां भी आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टिकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहित किया गया है।

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजि. सं.: 000272N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से इंडियन रेलवे क्रेटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./—

सी.ए. नितिन जैन

पार्टनर

एम नं.: 506898

दिनांक : 24.08.2018

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./—

महेन्द्र प्रताप मल्ल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सीआईएन: 02316235

हस्ता./—

वी. श्रीराम

निदेशक (खानपान सेवाएं)

सीआईएन: 07445220

हस्ता./—

अजय श्रीवास्तव

समूह महाप्रबंधक (वित्त)

मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./—

सुमन कालरा

कम्पनी सचिव

एम नं.: एफसीएस-9199



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख रु.) में	राशि (लाख रु.) में
1 अप्रैल 2017 को अधिशेष	400.00	4,000.00
(प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	—	—
31 मार्च 2018 तक बैंक अधिशेष (प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)	400.00	4,000.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	38,491.70	35,342.18	73,833.88
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	—	—	—
वर्ष के आरंभ में पुनःवर्णित बैंक अधिशेष	38,491.70	35,342.18	73,833.88
वर्ष के लिए लाभ	—	22,202.31	22,202.31
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	—	413.82	413.82
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	—	22,616.12	22,616.12
प्रतिधारण आय से अन्तरण	3,500.00	—	3,500.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान	—	(4,718.49)	(4,718.49)
लाभांश पर लाभांश कर पर इक्विटी शेयर को दिया भुगतान	—	(960.57)	(960.57)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	—	(3,500.00)	(3,500.00)
जारी किए बोनस शेयर	—	—	—
वर्ष के अंत में अधिशेष	41,991.70	48,779.25	90,770.95

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख रु.) में	राशि (लाख रु.) में
1 अप्रैल 2016 को अधिशेष	200.00	2,000.00
(प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	200.00	2,000
31 मार्च 2018 तक बैंक अधिशेष (प्रत्येक 10 रुपये का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)	400.00	4,000.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	34,991.70	33,065.46	68,057.16
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	—	—	—
वर्ष के आरंभ में पुनःवर्णित बैंक अधिशेष	34,991.70	33,065.46	68,057.16
वर्ष के लिए लाभ	—	21,468.97	21,468.97
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	—	-97.35	-97.35
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	—	21,371.62	21,371.62
प्रतिधारण आय से अन्तरण	3,500.00	—	3,500.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान	—	(11,295.40)	(11,295.40)
लाभांश पर लाभांश कर पर इक्विटी शेयर को दिया भुगतान	—	(2,299.50)	(2,299.50)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	—	(3,500.00)	(3,500.00)
जारी किए बोनस शेयर	—	(2,000.00)	(2,000.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष	38,491.70	35,342.18	73,833.88



भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार लेखाकरण नीतियां (भा. ले.मा.)

1. कॉरपोरेट सूचना

रेल मंत्रालय द्वारा इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की स्थापना की गई है। आईआरसीटीसी अधिवासी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में 27 सितंबर, 1999 को रेलवे की पूरी खानपान और पर्यटन गतिविधियों को नए कॉरपोरेशन में जोड़ने के मूल उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ इन सेवाओं को व्यावसायिक और उन्नयन कर सकें। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य एजेंसियों, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के साथ समन्वय से उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए विशिष्ट वाहन होगा। कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी-148 स्टेट्समैन हाऊस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 पर स्थित है।

2. तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष पर जिसे वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखाकरण मानकों, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम 2016 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम 2017 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) मापन का आधार

कॉरपोरेशन ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के अन्तर्गत निम्न लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार का उपयोग कर रही और भारतीय लेखाकरण मानक में अपेक्षित निम्न मद का उचित मूल्य पर माप किया जा रहा है:

- परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय साधन पर नीति देखें) को उचित मूल्य पर मापा गया है।

ग) अनुमान और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और कल्पनाओं की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन नीतियों के सिद्धांतों और वित्तीय विवरणों की तारीख में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि को प्रभावित करती है। ऐसे अनुमानों के उदाहरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधान आदि के अनुमानित उपयोगी जीवन शामिल हैं। वास्तविक अनुमान इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच में भविष्य में परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं और परिणाम उस अवधि में पहचाने गए हैं जिनके परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हो चुके हैं।

घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की जाती हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपए में दो दशमलव अंकों के साथ पूर्णांक किया जाता है, सिवाए जिसमें अन्यथा कहा गया हो।

ई) वैधानिक भुगतान योग्य और वापसी योग्य देयताएं को प्रचलित प्रकृति के कारण प्रचलित परिसम्पत्तियां कहलाती हैं।

च) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण अपरोक्ष विधि से तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना रोकड़ वाले लेन देन करने और विगत के आस्थगित अथवा प्रोद्भवन अथवा भविष्य में नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, वित्तपोषण और निवेश वाली गतिविधियों को अलग-अलग करके दर्शाया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से नकदी प्रवाह और नकद और नकद समकक्षों में हस्ते नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों के साथ मांग जमा, शुद्ध बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि मांग पर प्रतिदेय हो, को कंपनी के नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।



भारतीय लेखाकरण मानक 7 में संशोधन

अप्रैल 2017 से प्रभावी भारतीय लेखाकरण मानक 7 के संशोधनों को अपनाया गया है। एक संस्था को प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जिसमें वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तन से उत्पन्न दोनों परिवर्तन शामिल हैं।

अथशेष और इतिशेष के बीच समाधान को तुलन-पत्र में वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं को शामिल करने के सुझाव को शामिल किया जाता है ताकि, प्रकटन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। संशोधन को शामिल करने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ) विदेशी मुद्रा

i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक के साथ-साथ प्रस्तुतीकरण मुद्रा भी है।

ii) लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है मौद्रिक विदेशी मुद्रा संपत्ति और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि पर विनिमय की दरों में बदला या परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे लेनदेन के निपटारे के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय लाभ और हानि, वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं के बदलाव लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण की लागत जिसमें इंस्टॉलेशन प्रभार और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं में दर्ज किया जाता है बशर्ते ये मान्यता मानदंड को पूरा करते हैं।
- ii) पहचान मानदंड पूरा होने पर प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत में रखते हैं यदि ये मान्यता मापदण्ड को पूरा करते हैं।
- iii) कंप्यूटर्स के मामले में कंप्यूटर के साथ खरीदे गए ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की लागत कंप्यूटर के साथ पूंजीगत व्यय में की गई है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव प्रभार को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।
- iv) कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर ली गई इमारतों पर व्यय को लीजहोल्ड-ऑफिस डेवेलपमेंट के रूप में पूंजीगत व्यय में दर्ज किया गया है।
- v) खानपान इकाइयों में रखे गए उपकरण और संयंत्रों को जहां है जैसा के आधार पर रखा जाता है। ऐसी संपत्तियों के मूल्य की अनुपलब्धता के कारण, भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते में ऐसी परिसंपत्तियों को 1/- रु. के प्रति मद के नाम मात्र की कीमत पर इनकी गणना की जाती है।
- vi) लक्जरी पर्यटन ट्रेन को पूंजीगत और फिक्स्ड परिसम्पत्ति अनुसूची में "लक्जरी पर्यटक ट्रेन" के रूप में दिखाया गया है, इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान को सरकारी अनुदान मानने पर नीति देखें।
- vii) परिसंपत्ति की लागत से बिक्री और संचित मूल्यहास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरणों में मान्यता दी गई है।

झ) मूल्यहास और परिशोधन: -

- (क) मूल्यहास कुछ वस्तुओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट जीवन काल के अनुसार दिया जाता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में नहीं ली गई कुछ परिसम्पत्तियों की सूची नीचे दी गई है:-



विवरण	उपयोगी जीवन काल
रेलवे भूमि परिसर पर रेल नीर प्लांटों के अतिरिक्त सिविल कार्यों पर हुए व्ययों को लीजहोल्ड सुधार के रूप में गणना की गई है और मूल्यह्रास दस वर्ष की अवधि रखी गई है।	10 वर्ष
रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय प्लैट 30 वर्ष की अवधि की लीज पर है और इसका मूल्यह्रास वहीं अवधि है।	30 वर्ष
आईआरसीटीसी ने रेल नीर प्लांट नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ की स्थापना के लिए रेलवे भूमि को लीजआधार पर लिया है। जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा लीज अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार अधिकतम लीज अवधि 35 वर्ष है और जिसे आगे और 35 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अतः नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ के रेल नीर प्लांटों का मूल्यह्रास तदनुसार निर्धारित किया गया है।	35 वर्ष

- (ख) मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए तैयार होने की तारीख से यथा-अनुपात के आधार पर गणना की जाती है। मूल्यह्रास वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री, खारिज और क्षति होने की तारीख तक दी जाती है।
- (ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग हिस्सों की मदों का अलग-अलग मूल्यह्रास हो सकता है, यदि मद की कुल लागत पार्ट्स की लागत का महत्वपूर्ण भाग है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है और यह इनहाउस तकनीकी विशेषज्ञ के अनुमान और प्रमाण पत्र के आधार पर है।
- (घ) पट्टेधारक कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास और पट्टेदार भूमि (जिसके लिए पट्टा समझौते मौजूद हैं) का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के दौरान लिया गया है। रेलवे भूमि पर स्थित परिसर पर सिविल कार्य पर खर्च (जिसके लिए कोई पट्टा समझौते मौजूद नहीं है) को लीजहोल्ड सुधार के रूप में दिखाया गया है और इसकी मूल्यह्रास अवधि दस वर्ष है।
- (ङ) मूल्यह्रास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।
- (च) मूल्यह्रास की गणना मूल्यह्रास राशि अर्थात् मूल्य में इसके अवशिष्ट मूल्य घटाकर की जाती है।
- (छ) पट्टेदार भूमि पर निर्मित आवासीय प्लैटों के संबंध में मूल्यह्रास भूमि के पट्टे के आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कम्पनी अधिनियम की अनुसूचि के अनुसार निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवन काल
संयंत्र और मशीनरी-रेल नीर संयंत्र सतत् प्रक्रिया	25 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी रेल नीर संयंत्र के अलावा	15 वर्ष
कम्प्यूटर	3 वर्ष
नेटवर्क एवं सर्वर	6 वर्ष
एयरकंडीशनर	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
भवन	35 वर्ष
अमूर्त परिसम्पत्तियां	4 वर्ष
संस्थापन एवं उपकरण	10 वर्ष
लग्जरी टूरिस्ट गाड़ी	15 वर्ष

ज) पूंजीगत कार्य प्रगति पर/पूंजीगत अग्रिम-

चालू पूंजीगत कार्यों में ऐसी परिसम्पत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों (पीपीई) की कीमत जो उनके वास्तविक उपयोग के लिए तैयार नहीं हुई है और परिसम्पत्ति की कीमत को तुलनपत्र की तिथि से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता है, को शामिल किया गया है, पी. पी. ई. अधिग्रहण के लिए भुगतान किए अग्रिमों को अप्रचलित वर्तमान परिसम्पत्तियों के अधीन पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है।



झ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, वेब पोर्टल, पर्यटन पोर्टल आदि अधिग्रहण हेतु किए गए भुगतान पर रिकॉर्ड की जाती है और अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु 4 वर्ष मानी गई है।

ज) संयुक्त व्यवस्था में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इन्सट्रुमेंट में निवेश की लागत भारतीय लेखाकरण मानक-27 अलग वित्तीय विवरणों में दी जाती है।

ट) निवेश गुण

क) निवेश गुण लागत मूल्यहास के शुद्ध संचित और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर दिखाया जाता है।

ख) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर निवेश की संपत्ति के भवन के मूल्यहास घटक को कम करता है।

ग) निवेश संपत्तियों की तब मान्यता हटा दी जाती है जब उनका निपटान किया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लेते हैं और उनके निपटारे से कोई भविष्य में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। शुद्ध निपटान प्राप्ति के बीच का अंतर और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि मान्यता हटाने की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

ठ) चालू और गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए परिचालन चक्र

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू वर्गीकृत किया है जो रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अन्दर वसूले जाने की संभावना है और अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर चालू में वर्गीकृत किया गया है।

ड) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

क. प्रावधान: —

देयताओं के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित परिणाम का उपयोग करके मापा जा सकता है जब:

(क) पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो।

(ख) दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; तथा

(ग) दायित्व की मात्रा विश्वसनीय अनुमान से लगाया जा सकता है। किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति केवल तब ही पहचानी जाती है जब यह वास्तव में निश्चित है, कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

जिस प्रावधान में 12 महीनों से अधिक में निपटान होने की आशा है, को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो कि दायित्वों के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। समय अधिक लगने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ख. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

(क) निम्नलिखित देयताओं का प्रकटन निम्न मामलों में किया जाता है:

- पूर्व घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है तो दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या
- वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है; या
- एक संभव दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ हो।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन वहां किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव हो।

(ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधानों की आवश्यकता होती है और आकस्मिक देयताओं की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयताओं के निपटान पर संभावित बहिर्वाह के अनुमान के अनुसार अनुमानित प्रावधानों का शुद्ध है।



ढ) राजस्व मान्यता :-

कॉरपोरेशन खानपान सेवाओं (चल और स्थैतिक दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल सेवाएं, चालू यूनिटों में सेवाएं विभागीय खानपान केटरिंग यूनिटों के परिचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा, स्थैतिक खानपान स्टालों, ऑटोमेटिक वेन्डिंग मशीनों, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क-139 कॉल सेन्टर का प्रबंधन विख्यात टुअर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज की व्यवस्था संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंधन रेलनीर-पैक किए गए पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के व्यवसाय में है।

i. बिक्री

रेलनीर-पैक किए गए पीने के पानी, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, में जाती है और जहां लागू है, वहां भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसार वैट आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर-डिपो और अंतर-यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

ii. इंटरनेट टिकटिंग से आय :-

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट-समर्थित पेमेन्ट गेटवे www.ircrc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है और तदनुसार रेलवे की शेयर को खर्च दिखाया जाता है।

iii. खानपान सेवाओं से आय :-

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि गाड़ियों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है :-

• ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी, दूरतों और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गई खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

• कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :-

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :-

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक-बारगी कन्सेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना	रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना	(i) आईआरसीटीसी की पूर्व की नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस



क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	स्वचालित वैडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
5.	रेलवे स्टेशनों पर स्थैतिक यूनितों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	जिन्हें ठेका दिया जाता है के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्ता प्रभार और लाइसेंस फीस

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा-जोखा किया गया है :-

- **कन्सेशन फीस** : राजस्व की पहचान से संबंधित भारतीय लेखाकरण मानक 18 में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथा अनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक-बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।
- **उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्ता प्रभार को तब तक प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक की परियोजना परिचालन में है।
- **लाइसेंस शुल्क**:
 - (क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक कि परियोजना परिचालन में है।
 - (ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।
 - (ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।
- **ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय** : निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :-
 - i. ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथानुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथानुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।
 - ii. **अन्य आय** : ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।



i. पैकेज टुअर से आय :-

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष चार्टरों कोच और शायिकाओं की बुकिंग करते हैं। विशेष ट्रेनों चार्टरों कोच से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूरों के मामले में, आय में किराया, ब्लॉक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन के सेवा प्रभार सम्मिलित होते हैं।

संपूर्ण टूर पैकेजों, बौद्ध सर्किट विशेष और भारत दर्शन गाड़ियों के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर को छोड़कर कुल रकम शामिल होती है।

ii. टीडीआर सहित सावधि जमा राशियों पर ब्याज से आय और लाभांश आय :-

सावधि जमा एवं टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब कम्पनी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

iii. ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस :-

विदेश व्यापार नीति-2009-2014 के अनुसार 'सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसएफआईएस) के अन्तर्गत एक गैर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस प्राप्त किया गया है। उक्त लाइसेंस का प्रयोग कुछ निर्धारित मदों के लिए सीमा और आयात शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अनुसार अब सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम को सर्विस एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम में बदल दिया है।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अन्तर्गत सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इण्डिया (एसएफआईएस) के अन्तर्गत जारी ड्यूटी बीजक बिना रोक टोक के हस्तांतरणीय होगा और इंडिया स्कीम के अन्तर्गत निर्यात के लिए जारी बीजक को सीमाकर, उत्पाद शुल्क और सेवाकर के भुगतान हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बीजक को नई नीति के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।

निर्यात पात्रता की पहचान जब उत्पाद शुल्क बीजक सभी अपेक्षित कागजातों को जमा करने और संबंधित विभाग से स्वीकृति होने के बाद होती है।

ण) व्यय :-

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निश्चित नहीं हैं, निश्चित हो जाने पर लेखा में लिया जाते हैं।

(i) रेलनीर-पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :

व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) भुगतान किया गया खानपान प्रभार

(क) ऑनबोर्ड क्रेटरिंग प्रभार :

ठेकेदार को भुगतान किए गए क्रेटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :-

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय की निम्नानुसार पहचान की गई है/लेखा-जोखा किया गया है:



भुगतान की गई कन्सेशन फीस : ऑन बोर्ड क्रेटरिंग ठेका, ऑटोमेटिक वेन्डिंग मशीन स्थैतिक यूनितों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की, कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द / समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जिस अवधि तक परियोजना परिचालन में है।

भुगतान की गई लाइसेंस फीस:

(क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है। जब तक कि परियोजना परिचालन में है।

ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

पर्यटन व्यय :

भारतीय रेल द्वारा ली जाने वाली टिकट की कीमत, अन्य प्रभार, यदि कोई हो, और विशेष गाड़ी/कोच चार्टर/बर्थ बुक कराने पर सेवा प्रभारों की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

पूरे टूर पैकेज और बौद्ध सर्किट विशेष गाड़ी के मामले में, भारतीय रेल द्वारा ली गई टिकट की कीमत, सेवा प्रभार अन्य प्रभार यदि कोई हो, सड़क यात्रा व्यय और आवास एवं भोजन प्रभार आदि की गणना की प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

त) पट्टों –

जहां कंपनी पट्टेदार है:

वित्त पट्टा

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पट्टे पर हैं, के सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफलों को वस्तुतः हस्तांतरित कर दिए गए हैं, को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर ली गई संपत्ति के उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर जो भी कम हो, पट्टे की स्थापना पर वित्तीय पट्टों का पंजीकरण किया जाता है। संबंधित किराये को दायित्वों, वित्त प्रभार का शुद्ध, उचित रूप में उधार या अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल हैं। प्रत्येक पट्टा भुगतान के दायित्वों और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टे की अवधि में लाभ या हानि के लिए प्रभारित किया जाता है, जब तक कि वह सीधे योग्य परिसंपत्ति के कारण नहीं हो, इस स्थिति में वे उधार लेने की लागत नीति के अनुसार पूंजीकृत होते हैं। आकस्मिक किराया उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। पट्टेदार संपत्ति परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यहास होता है।

परिचालन लीज

पट्टे पर जहां पट्टादाता अप्रभावी रूप से पट्टे की शर्तों में सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभ को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतानों को लाभ और हानि के विवरण में पट्टा अवधि में सीधे-रेखा के आधार पर खर्च के रूप में पहचाना जाता है, इसके अलावा, जहां लीज भुगतान अपेक्षाकृत सामान्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ अपेक्षित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।

जहां कंपनी पट्टादाता है:

वित्त पट्टा

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पट्टे पर हैं, व सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफल हस्तांतरित कर दिए गए हैं को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों के अन्तर्गत पट्टों से प्राप्त राशि को कम्पनी के पट्टों से शुद्ध निवेश में प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है।



परिचालन पट्टा

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टों को परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अधीन परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों लागत शामिल हैं, इसमें शामिल मूल्यहास को लाभ और हानि के विवरण में एक खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। पट्टे की आय को लाभ और हानि के विवरणों में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय जहां पट्टा भुगतान अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए संरचित हैं।

थ) परिसम्पत्तियों की हानि: —

‘परिसंपत्तियों की हानि’ पर भारतीय लेखाकरण मानक 36 में नकदी अर्जित इकाइयों में परिसंपत्तियों की हानि के रूप में परिभाषित की पहचान तुलन-पत्र की तारीख में उपलब्ध रकम के साथ-साथ उसके बाद वसूली योग्य राशि और आस्तियों की हानि यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्रदान की है। बाद में उलट जाने की जरूरत है, उत्क्रमण के वर्ष के लिए जिम्मेदार है। परिसम्पत्तियों की हानि यदि बाद में वापस की जाती है तो उसे वापिस वर्ष में लेखा में लिया जाता है।

द) उधार लागत:—

संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष और विशिष्ट उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। एक क्वालीफाइंग परिसंपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो उसके इच्छित उपयोग के लिए निर्धारित समय पर तैयार हो जाती है। अन्य सभी उधार की लागत उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उन्हें खर्च किया है।

घ) कर्मचारी लाभ: —

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूरी तरह से देय सभी कर्मचारी लाभ अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। लाभ, जैसे कि वेतन, मजदूरी, और अल्पकालिक मुआवजे की अनुपलब्धता आदि, उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व, जैसे दीर्घकालिक मुआवजा अनुपलब्धता, अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी को उसी तरीके से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि (ग) (iii) में उल्लिखित परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में है।

(ग) सेवा के पश्चात् के लाभ

- (i) **परिभाषित योगदान योजना:** कंपनी भविष्य निधि योजना में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित योगदान प्रदान करती है। योजनाओं के तहत भुगतान/देय योगदान उस अवधि के दौरान पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।
- (ii) **परिभाषित लाभ योजना:** कंपनी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का अधिकार इस शर्त पर की कर्मचारी सेवा में सेवानिवृत्ति की उम्र तक और न्यूनतम सेवा अवधि तक सेवा की है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किए गए एक ही लेखा पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अनुमानित लागत रोजगार की अवधि में अर्जित की जाती है।
- (iii) **ग्रेच्युटी एक सेवा के पश्चात् परिभाषित लाभ योजना है।** तुलनपत्र में देयताओं की पहचान पत्र की तारीख में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य का योजना संपत्तियों से घटाते हैं। परिभाषित लाभ दायित्व को परिलक्षित इकाई क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्यूअरी द्वारा गणना की जाती है।
- (iv) **परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में अभिज्ञ समायोजन और बीमांकिक अवधारणाओं में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न लाभ और हानि का पुनःमापन उन अन्य अवधियों में पहचाने जाते हैं।** जिस अवधि में सीधे रूप से अन्य व्यापक आय में वे हुए हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में आय में शामिल रखा गया है।



(घ) विदेशी सेवा अंशदान के प्रति प्रावधान/देयताएं – पेंशन और छुट्टी वेतन, प्रतिनियुक्ति/डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों और विनियमों के मामले में किए गए हैं और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ या हानि के विवरण में प्रभाषित किए जाते हैं।

न) वस्तुसूचियां:

- वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।
- कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (केनवेट का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फीफो के आधार पर घटित होता है।
- तैयार माल और कार्य प्रगति पर है, में कच्चा माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथा लागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।
- पैकड मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फीफो के आधार पर लागत या एनआरवी पर किया जाता है।

क) कराधान :-

(क) वर्तमान आयकर :-

- करों में वर्तमान आयकर सहित कर लागू दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है।
- टैक्स की दरें और कर कानून से जो राशि की गणना की जाती है वे उन देशों में रिपोर्टिंग की तिथि पर, जो अधिनियमित या वैध रूप से अधिनियमित होते हैं, जहां कंपनी चल रही है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।
- वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर संपत्ति और देनदारियों से कर वसूल करने की अपेक्षा की गई राशि या कराधान प्राधिकरणों को भुगतान किया जाता है अतिरिक्त करों के लिए दायित्व, यदि कोई हो, कर निर्धारण पूरा होने पर दिया/भुगतान किया जाता है।
- ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

(ख) आस्थगित कर

कॉरपोरेशन ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक-12 'आय कर' में जारी आस्थगित करों के अनुसार लेखाकरण किया है।

- आस्थगित आयकर परिसंपत्ति और देनदारियों को अस्थायी मतभेदों के लिए पहचाना जाता है जो कि अधिनियमित टैक्स दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है या रिपोर्टिंग तिथि पर वस्तुतः अधिनियमित किए गए हैं।
- आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यहां संभवतः कर योग्य लाभ कटौतियों अस्थाई अन्तर पर उपलब्ध होगा और उपयोग नहीं किए, कर जमा आगे बढ़ा और उपयोग नहीं, कर हानियों का उपयोग किया जाएगा।
- आस्थगित आयकर संपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह संभव नहीं है कि आस्थगित आय कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
- ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

प) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ मानता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर डायल्युटिड आय का निर्धारण करने में, इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायल्युटिड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित की जाती है।



फ) अनुदान

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान देयताओं में आस्थगित आय के रूप में शामिल हैं और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के लिए जमा किया जाता है और अन्य आय में रखा जाता है।
- राजस्व व्यय से संबंधित अनुदान संबंधित खर्चों में समायोजित किया जाता है। राजस्व और पूंजी अनुदान का अप्रयुक्त भाग दायित्व के रूप में दिखाया गया है।
- गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और तुलन-पत्र में अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके रखा जाता है।

ब) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद समकक्ष में नकद और बैंक बैलेंस, चैक, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली मांग जमा, जो कि मूल्य में परिवर्तन और शुद्ध बैंक ओवर ड्राफ्टों का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

कक) वित्तीय साधन : -

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को अपने उचित मूल्य में अधिक या कम लेनदेन की लागत से मान्यता प्राप्त है जो कि प्रत्यक्ष अधिग्रहण या वित्तीय साधनों के जारी होने के कारण हो सकते हैं।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, अगर ये वित्तीय संपत्ति एक ऐसे व्यवसाय में प्रयोग होती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत शर्तों को निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उजागर करना है जो केवल पूरी तरह से मूलधन और मूलधन पर ब्याज के बकाया का भुगतान करना है। प्रभावी ब्याज दर विधि में कम हानि, यदि कोई हो, का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित वित्तीय संपत्ति का परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है: -

- प्रतिभूति जमा
- रिटेंशन मनी
- नकद और नकद समकक्ष
- अन्य वित्तीय साधनों के साथ समायोज्य अग्रिम

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाती हैं यदि ये वित्तीय संपत्ति एक ऐसे व्यवसाय में प्रयोग होती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तों दोनों के द्वारा निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह बनता है, को बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को पहले और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधियों अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, नुकसान हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पीएंडएल में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता हटाने संचयी लाभ या हानि को इक्विटी को पहले ओसीआई में मान्यता को पी एंड एल में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है।



लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो कि वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं पूरा करती हैं, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को परिलक्षित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफओवीटीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडों को पूरा करती है। यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर सकता है।

एफ.वी.टी.पी.एल श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सभी परिवर्तन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देनदारियों, प्रतिभूति जमा, प्रतिदेय अग्रिम और रिटेंशन मनी को प्रदत्त परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं में शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया गया है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी वित्तीय देनदारियों को परिलक्षित नहीं किया है।

मान्यता हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल है को स्थानांतरित करता है।

वित्तीय दायित्व

जब देयताओं के अन्तर्गत दायित्व की बाध्यता खारिज या रद्द या समाप्त की जाती है तो वित्तीय देयता की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से हटाकर उसी ऋणदाता से बदल मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित करके बदल दिया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त माना जाता है और एक नई देयताओं के रूप में मान्यता में माना जाता है और नई देयता के मान्यता और संबंधित क्रेडिटिंग राशि में अंतर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

खख) उचित मान मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या भुगतान करने के लिए भुगतान किया जाता है। उचित मूल्य माप अनुमान पर आधारित है जो कि परिसंपत्ति को बेचने के लेन-देन या दायित्वों का स्थानांतरण निम्न हैं:-

परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, या

एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या दायित्व के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी को प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग संपत्ति या दायित्वों के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने उनके आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी वैल्यूएशन तकनीकों का उपयोग, करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनात्मक इनपुट के उपयोग को अधिकतम करके और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करते हैं।



परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए जो उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार करते हैं जो सम्पूर्ण रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) बाजार मूल्य

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकों जिसके लिए न्यूनतम मूल्य इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण सबसे कम स्तर का इनपुट अप्रभावी है।

परिसंपत्तियों और देयताओं पर वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार में पहचाने जाते हैं, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण का क्या फिर से मूल्यांकन (निम्न स्तर इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए सम्पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है) अनुक्रम स्तरों के बीच प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया गया है

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में झुकाव का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी अनुबंधों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में नवीनतम मूल्यांकन में प्रमुख लागू इनपुट का सत्यापन करने जानकारी को स्वीकार करने में करती है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि प्रासंगिक बाह्य स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन और देयता में परिवर्तन क्या उचित है।

उचित मूल्य प्रकटन के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों को प्रकृति, विशेषताओं और परिसंपत्तियों या दायित्वों के जोखिम और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित किया है जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।

- समूह के वित्तीय विवरणों को जारी करने की तारीख तक जारी किए गए मानकों में संशोधन, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं, का प्रकटन नीचे किया गया है। समूह इन मानकों को अपनाने की इच्छा रखता है, यदि लागू हो, जब वे प्रभावी हो जाएंगे।

मानक जारी किंतु प्रभावी नहीं

➤ ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 में संशोधन

एमसीए ने 28 मार्च, 2018 को ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर भारतीय लेखाकरण मानक 115 को अधिसूचित किया है। मानक में एक नया पांच बिन्दु का मॉडल स्थापित किया है जो कि ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व पर लागू होगा। भारतीय लेखाकरण मानक-115 के तहत, राजस्व को उस राशि पर पहचाना जाता है जो उस व्यक्ति को विचार करता है जिस पर किसी इकाई को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में एक हकदार होने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय लेखाकरण मानक 115 के सिद्धांत में राजस्व को मापने और पहचानने के लिए एक और संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नया राजस्व मानक सभी संस्थाओं पर लागू होता है और भारतीय लेखाकरण मानक के तहत सभी मौजूदा राजस्व मान्यता आवश्यकताओं को अतिक्रमण कर जाएगा।

भारतीय लेखाकरण मानक 115 की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष द्वारा मानक अपनाने की आवश्यकता है। कंपनी वर्तमान में भारतीय लेखाकरण मानक 115 की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरण पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।



नोट- 3 सम्पत्ति, संयंत्रों और उपकरण

राशि (लाख रु. में)

विवरण	लीजहोल्ड लैण्ड	फ्रीहोल्ड लैण्ड	लीजहोल्ड भूमि पर प्लैट	लीजहोल्ड सुधार	मवन फैंक्री लीज होल्ड	मवन कार्यालय लीज होल्ड	संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत लगाना एवं उपकरण	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं स्थापना	लजरी पर्यटन माडियां	कुल
सकल आगे बढ़ाई राशि														
1 अप्रैल 2016 को	1,182.75	1,296.31	951.87	1,427.40	2,191.27	169.61	4,569.18	488.91	7,318.17	464.75	1,755.50	651.72	5,079.34	27,546.79
जुड़ी	43.07	-	-	15.12	270.80	-	1,057.43	42.62	605.39	18.59	73.75	29.49	33.21	2,189.47
निपटान/समायोजन	-	-	-	140.72	-	-	-	-	12.33	0.39	33.76	7.38	-	194.58
31 मार्च 2017 को	1,225.82	1,296.31	951.87	1,301.80	2,462.07	169.61	5,626.61	531.53	7,911.23	482.95	1,795.49	673.83	5,112.55	29,541.68
जुड़ी	311.70	-	-	20.40	10.78	8.73	307.64	1.56	1,231.96	10.12	98.84	25.22	1.53	2,028.48
निपटान/समायोजन	28.92	435.74	-	139.75	-	-	115.18	-	975.17	11.99	262.62	135.22	4.42	2,109.01
31 मार्च 2018 को	1,508.60	860.57	951.87	1,182.45	2,472.85	178.34	5,819.07	533.09	8,168.02	481.08	1,631.71	563.83	5,109.66	29,461.15
संचित मूल्यहास और हानि														
01 अप्रैल 2016 को	1.33	-	138.95	722.00	303.28	17.63	1,619.03	232.74	4,677.04	218.59	1,370.53	455.87	2,472.04	12,229.03
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	1.33	-	29.99	108.69	58.39	12.85	137.55	32.60	728.57	41.45	144.12	30.93	299.11	1,625.58
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	51.17	-	-	-	-	10.37	0.13	25.78	3.42	-	90.87
31 मार्च 2017 को	2.66	-	168.94	779.52	361.67	30.48	1,756.58	265.34	5,395.24	259.91	1,488.87	483.38	2,771.15	13,763.75
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	3.73	-	29.99	83.05	65.84	12.86	167.03	34.01	849.35	33.27	89.00	27.19	320.44	1,715.76
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	132.57	-	-	109.75	-	952.19	11.07	244.69	128.97	3.52	1,582.76
31 मार्च 2018 को	6.39	-	198.93	730.04	427.51	43.34	1,813.86	293.35	5,292.40	282.11	1,333.18	381.60	3,088.07	13,896.79
शुद्ध आगे बढ़ी कीमत														
31 मार्च 2018 को	1,502.21	860.57	752.94	452.41	2,045.34	135.01	4,005.21	233.74	2,875.62	198.97	298.53	182.23	2,021.58	15,564.37
31 मार्च 2017 को	1,223.16	1,296.31	782.93	522.24	2,100.40	139.14	3,870.03	266.19	2,515.99	223.04	306.62	190.45	2,341.39	15,777.88
31 मार्च 2016 को	1,181.42	1,296.31	812.92	705.40	1,887.99	151.99	2,950.15	256.17	2,641.13	246.16	384.97	195.85	2,607.30	15,317.75

नोट सं. 4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख रु. में)

विवरण	रेल नीर संयंत्र विजयवाड़ा	रेल नीर संयंत्र कौरपोरेट कार्यालय गुरुग्राम	रेल नीर संयंत्र संयंत्र संक्रेल	रेल नीर संयंत्र बिलासपुर	रेल नीर संयंत्र, मसूरी,	रेल नीर संयंत्र, सनद/मन्डीदीप	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	-	858.33	-	500.50	-	-	60.33	1,419.16
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	-	678.23	-	-	-	-	86.03	764.26
समायोजन	-	-	-	500.50	-	-	-	500.50
1 अप्रैल 2017 को अथशेष	-	1,536.56	-	-	-	-	146.36	1,682.92
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	56.00	760.34	197.77	-	282.84	176.27	18.53	1,491.75
समायोजन	-	2,296.90	-	-	-	-	112.51	2,409.41
31 मार्च 2018 को अथशेष	56.00	-	197.77	-	282.84	176.27	52.38	765.26

नोट :- 4.1

- (i) रेल नीर संयंत्रों के अलावा रेलवे ने रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों में किए गए सिविल कार्य के व्यय को लीज में सुधार के रूप में माना गया है और इसमें 10 साल की अवधि में मूल्यहास हुआ है।
(ii) रेलवे की भूमि पर 30 वर्ष की अवधि के लिए आवासीय प्लेटों का निर्माण लीज पर किया गया है और उसी अवधि में मूल्यहास हुआ है। 30 वर्ष की अवधि के लिए रेलवे की भूमि पर लीज किया गया है।

नोट :- 4.2 : आईआरसीटीसी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ में रेल नीर संयंत्रों की स्थापना के लिए रेलवे से भूमि लीज पर ली है, जिसकी लीज अवधि रेलवे के प्राधिकारियों के द्वारा तय नहीं की गई। रेलवे की नीति के अनुसार लीज की अधिकतम समय सीमा 35 वर्ष तक हो सकती है जो कि आगे 35 वर्ष के लिए नवीकरणीय होगी। नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ में रेल नीर संयंत्रों की बिल्डिंगों का मूल्यहास को सीधे रूप में वित्तीय पॉलिसी का निरंतर पालन किया है। आईआरसीटीसी ने रेलवे द्वारा प्रदान की गई लीज की अधिकतम समयसीमा की पुष्टि के लिए रेलवे को लिखा है जिसके उत्तर प्रतिक्रिया है।

नोट :- 4.3 : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने सीडब्ल्यूआईपी से निवेश सम्पत्ति 2,296.90 स्थानांतरित किए गए हैं।



विवरण	गुडगांव में भूमि	गुडगांव में निर्माणाधीन भवन	राशि (लाख रु. में) निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति
नोट-5 : निवेश सम्पत्ति			
01 अप्रैल 2016 को अधिशेष	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2017 को इतिशेष	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	464.66	2,296.90	2,761.56
समायोजन/निपटान	-	-	-
31 मार्च 2018 को इतिशेष	464.66	2,296.90	2,761.56
परिशोधन एवं हानि			
01 अप्रैल 2016 को अधिशेष	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन/निपटान	-	-	-
31 मार्च 2017 को इतिशेष	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन/निपटान	-	-	-
31 मार्च 2018 को इतिशेष	-	-	-
शुद्ध आगे बढ़ाई वेल्यू	464.66	2,296.90	2,761.56
31 मार्च 2018 को	464.66	2,296.90	2,761.56
31 मार्च 2017 को	-	-	-
31 मार्च 2016 को	-	-	-

नोट: 5.1 — वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने कोई राजस्व अर्जित नहीं किया है और 31 मार्च, 2018 तक कोई भी मूल्यह्रास नहीं वसूला क्योंकि यह निर्माणाधीन था।

नोट : 5.2 — 31 मार्च, 2018 को निर्माणाधीन निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 7338.00 लाख रुपये है, जो एक मौजूदा बाजार दरों को अपनाने के द्वारा मूल्यवान भूमि और भवन विधि के आधार पर पंजीकृत है।

Particulars	Software's	Licenses	Total
नोट-5ए : अमूर्त परिसम्पत्तियां			
01 अप्रैल 2016 को अधिशेष	2,118.58	1,341.81	3,460.39
वर्ष के दौरान जोड़	718.23	41.08	759.31
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2017 को इतिशेष	2,836.81	1,382.89	4,219.70
वर्ष के दौरान जोड़	44.83	-	44.83
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	54.23	8.53	62.76
31 मार्च 2018 को इतिशेष	2,827.41	1,374.36	4,201.77
परिशोधन और हानि			
01 अप्रैल 2016 को अधिशेष	1,037.30	1,304.70	2,342.00
वर्ष के दौरान परिशोधन	565.92	49.85	615.77
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-
31 मार्च 2017 को इतिशेष	1,603.22	1,354.55	2,957.77
वर्ष के दौरान परिशोधन	639.96	10.39	650.35
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-54.22	-8.53	-62.75
31 मार्च 2018 को इतिशेष	2,188.95	1,356.41	3,545.37
शुद्ध आगे बढ़ाई वेल्यू	638.45	17.95	656.39
31 मार्च 2018 को	1,233.59	28.34	1,261.92
31 मार्च 2017 को	1,081.28	37.11	1,118.39
31 मार्च 2016 को			



		राशि (लाख रु. में)	
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
नोट:- 6 वित्तीय परिसम्पत्तियां – अप्रचलित			
नोट:- 6.1 अप्रचलित निवेश			
क. संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों पर निवेश			
रॉयल इण्डियन रेल टूअर्स लि. के प्रत्येक 10/- रु. 25,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 को 25,00,000 10/- रु. प्रत्येक इक्विटी शेयर)	250.00	250.00	
घटाएं : निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)	
ख. अन्य निवेश			
एनएससी 8वें इश्यू पर निवेश	0.20	0.20	
जोड़ें : उपार्जित ब्याज	0.12	0.12	
कुल निवेश	0.32	0.32	
नोट:- 6.1 क			
कुल अप्रचलित निवेश			
बिना निवेश वाले निवेश की कुल राशि	250.00	250.00	
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	(250.00)	(250.00)	
नोट:- 6.2			
ऋण			
प्रतिभूति जमा	1,104.50	1,177.76	
कुल	1,104.50	1,177.76	
नोट:- 6.3 अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिपक्वता के लिए 12 महीने से अधिक सावधि जमा जो मार्जिन मुद्रा या उधार प्रतिभूति गारंटी या अन्य जिम्मेदारी और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी ली गई या सुरक्षा के 12 महीनों से अधिक की प्रतिबद्धताओं की अवधि वाली सावधि जमा	96.65	40.88	
कुल	96.65	40.88	
		राशि (लाख रु. में)	
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
नोट:- 7 आस्थगित कर			
क. आस्थगित कर देयताएं			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,011.01	1,038.16	931.85
आस्थगित कर देयताओं का योग	1,011.01	1,038.16	931.85
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां			
कर्मचारी लाभ	2,136.88	2,740.45	2,568.31
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	—	—	—
संदिग्ध कर्ज	1,354.71	1,353.63	1,353.63
संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	3,795.17	3,780.98	3,683.89
निवेश	86.52	86.52	86.52
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	7,373.28	7,961.58	7,692.35
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों	6,362.27	6,923.41	6,760.50



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों / (देयताओं) का संचलन

राशि (लाख रु. में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचरी लाभ	संदिग्ध ऋण	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	कुल
1 अप्रैल 2016 को अथशेष	(931.85)	2,568.31	1,353.63	3,683.89	86.52	6,760.50
वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित / (जमा)						
लाभ एवं हानि के लिए	(106.31)	120.61	—	97.09	—	111.40
अन्य व्यापक आय के लिए	—	51.52	—	—	—	51.52
31 मार्च 2017 को इतिशेष	(1,038.16)	2,740.45	1,353.63	3,780.98	86.52	6,923.41
वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभारित / (जमा)						
लाभ एवं हानि के लिए	27.15	(384.56)	1.08	14.19	—	(342.14)
अन्य व्यापक आय के लिए	—	(219.01)	—	—	—	(219.01)
31 मार्च 2018 को इतिशेष	(1,011.01)	2,136.88	1,354.71	3,795.17	86.52	6,362.27

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
-------	------------------	------------------

नोट :- 8

अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियां

क) अग्रिम पूंजी

फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए भारतीय रेल को अग्रिम पूंजी (संदर्भ नोट :- 58)	211.43	211.43
फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को अग्रिम पूंजी (संदर्भ नोट :- 58)	342.00	342.00
इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में निक्सी कम्पनी को अग्रिम पूंजी	—	72.42
भुवनेश्वर में बजट होटल की भूमि के लिए अग्रिम पूंजी	61.48	61.48

ख. अन्य

सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	567.83	517.65
आयकर की वापसी	160.42	452.54
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन *	19.78	35.92
कुल	1,362.94	1,693.44

*यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 9

सूची

(जैसा कि लिया गया, मूल्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

कच्चा माल	296.36	240.38
कार्य प्रगति पर	59.54	59.44
तैयार माल	366.33	276.80
व्यापार माल — पैकड (पीडी) मदें	18.37	81.43
लागत के निचले स्तर पर कुल सूची और शुद्ध वसूली मूल्य	740.60	658.05



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
नोट :- 10		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
नोट :- 10.1		
व्यापार प्राप्ति		
असुरक्षित		
उचित समझा गया	51,057.73	25,204.14
संदिग्ध समझा गया	7,514.35	7,511.22
घटाए: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(3,851.97)	(3,848.84)
कुल व्यापार प्राप्ति	54,720.11	28,866.52
नोट :- 10.2		
नकद और नकद समकक्ष		
नकदी उपलब्ध	55.61	63.26
चेक / ड्राफ्ट	8,090.93	53.25
बैंक में अधिशेष		
—चालू खाते में	30,978.92	27,243.38
—फ्लेक्सी चालू खाते में	10,190.43	21,251.82
कुल	49,315.89	48,611.71
नोट :- 10.3		
नकद और नकद के समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष		
परिपक्वता के लिए तीन महीने या उससे अधिक परंतु 12 महीने से अधिक नहीं सावधि जमा (संदर्भ नोट 56)	33,836.02	36,250.32
बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि	235.34	434.18
कुल	34,071.36	36,684.50
नोट :- 10.4		
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां		
प्रोद्भुत ब्याज परंतु सावधि और फिक्स जमाओं पर देय नहीं	1,421.09	1,303.21
अन्य अग्रिम एवं प्राप्ति	285.45	288.74
कुल	1,706.54	1,591.95
नोट :- 11		
अन्य प्रचलित कर परिसम्पत्तियां		
आयकर वापसी	231.05	231.05
आयकर के लिए प्रावधान (टीडीएस एवं अग्रिम कर का शुद्ध)	436.74	—
कुल	667.79	231.05



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
नोट :- 12		
अन्य प्रचलित परिसम्पत्तियां		
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य अग्रिम	1,998.94	1,779.72
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(62.48)	(62.48)
सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	3,764.86	1,947.85
रेलवे के पास जमा अन्य	53,753.10	33,172.33
("सर्वड फरोम इंडिया स्कीम) के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स	243.05	69.76
अन्य		
प्रदत्त व्यय	263.75	535.92
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	16.15	18.01
कुल	59,977.37	37,461.11

* यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 13

इक्विटी शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

प्रत्येक 10 रु. मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
(31 मार्च 2017 प्रत्येक 10 रु. की दर से 5,00,00,000 शेयर)	5,000.00	5,000.00

जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी

प्रत्येक 10 रु. मूल्य के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	4,000.00
(31 मार्च 2017 एवं 1 अप्रैल 2015, प्रत्येक 10 रु. की दर से 2,00,00,000 शेयर)	4,000.00	4,000.00

नोट :- 13.1

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयरपूंजी का समाधान

	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या लाखों में	राशि (लाख रु. में)	शेयरों की संख्या लाखों में	राशि (लाख रु. में)
जारी सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के प्रारंभ में बकाया	400.00	4,000.00	200.00	2,000.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (बोनस)	—	—	200.00	2,000.00
जारी/सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के अंत में बकाया	400.00	4,000.00	400.00	4,000.00

नोट 13.2

शेयरों से संबंधित अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध

कम्पनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10 रु. प्रतिशेयर है। प्रत्येक शेयर धरक को प्रतिशेयर के बदले एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी आम सभा की बैठक में लिया जाना है। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं हैं, अतः तरलता की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने की पात्रता है।



नोट :- 13.3

कम्पनी में संकलित शेयर के 5 प्रतिशत से अधिक के हिस्से के शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि (लाख रु. में)

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या लाखों में	होल्टिंग का %	शेयरों की संख्या लाखों में	होल्टिंग का %
इक्विटी शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं इसके नामित	400.00	100%	400.00	100%
कुल	400.00	100%	400.00	100%

नोट :- 13.4

पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह से बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2017 को संख्या लाखों में	31 मार्च 2016 को संख्या लाखों में	31 मार्च 2015 को संख्या लाखों में	31 मार्च 2014 को संख्या लाखों में	31 मार्च 2013 को संख्या लाखों में
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	200.00	—	—	—	—
कुल	200.00	—	—	—	—

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
नोट :- 14		
अन्य इक्विटी		
सामान्य आरक्षित	41,991.70	38,491.70
प्रतिधारित आय	48,779.25	35,342.18
कुल	90,770.95	73,833.88

नोट :- 14.1

सामान्य आरक्षित

अथशेष	38,491.70	34,991.70
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	3,500.00	3,500.00
इतिशेष	41,991.70	38,491.70

नोट :- 14.2

प्रतिधारित आय

अथशेष	35,342.18	33,065.46
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण के अन्तरण के दौरान लाभ	22,202.31	21,468.97
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व शुद्ध के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	413.82	(97.35)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(4,718.49)	(11,295.40)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर का भुगतान	(960.57)	(2,299.50)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	(3,500.00)	(3,500.00)
	48,779.25	37,342.18
घटाएं: जारी बोनस शेयर	—	(2,000.00)
इतिशेष	48,779.25	35,342.18



प्रस्तावित और वितरित किया गया

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किया गया नकद लाभांश		
वर्ष 2017-18 के दौरान अंतिम लाभांश : 11.80 रु. प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2016-17 को 18.86 प्रति शेयर)	4,718.49	7,545.40
वर्ष के दौरान चुकाया गया अंतिम लाभांश	—	3,750.00
अन्तिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	960.57	2,299.50
	5,679.06	13,594.90
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश*		
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश 22.24 रु. प्रति शेयर (31 मार्च 2017 11.80 रु. प्रतिशेयर)	8,880.92	4,718.49
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	1,807.98	960.57
	10,688.90	5,679.06

*इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) शेयरधारकों के द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2018 तक उत्तरदायी नहीं माना गया है।

नोट :- 15 वित्तीय देयताएं – अप्रचलित

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
नोट :- 15.1		
अन्य		
प्रतिभूति जमा	10,972.71	10,373.28
कुल	10,972.71	10,373.28
नोट :- 16		
प्रावधान – अप्रचलित		
कर्मचारी लाभांश के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति लाभ (संदर्भ नोट :-42)	5,846.98	7,797.35
कुल	5,846.98	7,797.35
नोट :- 17		
अन्य अप्रचलित देयताएं		
आस्थगित अनुदान	371.90	476.71
प्रतिभूति जमा का स्थगित भाग*	321.55	356.35
कुल	693.45	833.06

* यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के अंतर के बीच परिशोधन के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 18 वित्तीय देयताएं—प्रचलित

नोट :- 18.1 व्यापार देय

एमएसएमई (नोट सं. 66 देखें) को देय	86.15	36.30
अन्य को देय		
माल के लिए	2,241.00	1,753.12
सेवा के लिए	12,716.09	11,928.74
कुल	15,043.24	13,718.16



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
नोट :- 18.2		
अन्य वित्तीय देयताएं		
बयाना राशि जमा	1,944.32	1,897.41
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	1,311.05	910.75
अन्य को देय के लिए – खर्च का प्रावधान	36,396.00	31,349.75
अग्रिम लीज किराया	1,741.50	1,741.50
कुल	41,392.87	35,899.41

नोट :- 19

अन्य प्रचलित देयताएं

क) अग्रिम में प्राप्त आय

असमाप्त छूट शुल्क	1.87	2.15
असमाप्त लाइसेंस शुल्क	16,622.72	7,442.92
असमाप्त उपभोक्ता प्रभार	38.63	36.32
रोलिंग जमा अग्रिम आय	22,720.66	12,242.88
अग्रिम प्राप्त	5,704.49	3,841.90
	45,088.37	23,566.17

ख) अन्य

वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (संदर्भ नोट :- 37.4)	8,251.01	8,210.01
ज्देय कर (वैधानिक देयताएं)	4,289.37	725.55
प्रतिभूति जमा का आस्थगित भाग*	151.80	223.81
वैधानिक बकाया	2,949.28	2,722.24
आस्थगित अनुदान	96.36	87.91
कुल	60,826.19	35,535.68

* यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के अंतर के बीच परिशोधन के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :- 20

प्रावधान-प्रचलित

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (संदर्भ नोट :-42)	327.54	121.18
कुल	327.54	121.18

नोट :- 21

प्रचलित कर देयताएं

आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध अग्रिमकर और टीडीएस)	—	551.42
आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध अग्रिमकर और टीडीएस)	—	551.42



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 22		
परिचालन से राजस्व		
क. उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)		
रेलनीर (पैक किया हुआ पीने का पानी)	16,110.77	15,456.07
विभागीय खानपान		
—फूड एंड बेवरेज की बिक्री	26,443.99	21,711.28
गैर-रेलवे व्यवसाय		
—खानपान से आय	866.98	1,574.72
—अन्य सेवाओं से आय	2.26	10.65
	43,424.00	38,752.72
कुल-उत्पादों की बिक्री	43,424.00	38,752.72
ख. सेवा की बिक्री		
i) इंटरनेट टिकटिंग		
कॉल सेंटर – लाइसेंस शुल्क से आय	135.24	250.00
प्रचार से प्राप्त आय/एसबीआई को-ब्रैन्डिड एवं लॉयल्टी कार्ड्स	10,273.56	8,085.42
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे इत्यादि से प्राप्त आय	1,240.10	2,133.63
भारतीय रेल- अर्जित सेवा प्रभार	5.54	36,224.95
सेवा प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति (संदर्भ सं. 59)	8,000.00	—
(क)	19,654.44	46,694.00
ii) लाइसेंस खानपान सेवाएं से आय		
प्रदान की गई व्यापक सेवाओं और खानपान से आय	16,782.74	3,604.29
राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाएं		
कंसेशन शुल्क, लाइसेंस शुल्क इत्यादि से आय		
कंसेशन शुल्क से आय	377.32	68.65
लाइसेंस शुल्क से आय	20,962.79	8,330.22
उपभोक्ता प्रभार से आय-फूड प्लाजा	88.92	197.77
लाइसेंस शुल्क से आय-फूड प्लाजा (संदर्भ नोट सं. 57)	5,247.36	3,617.95
(ख)	43,459.13	15,818.88
iii) पर्यटन		
यात्रा एवं पर्यटन राजस्व	35,444.37	48,103.98
उपभोक्ता प्रभार से आय-रेल यात्री निवास	131.80	123.18
लाइसेंस शुल्क से आय-रेल यात्री निवास	169.72	194.28
महाराजा एक्सप्रेस – राजस्व	4,381.92	4,050.56
(ग)	40,127.81	52,472.00
कुल- सेवा की बिक्री (क+ख+ग)	103,241.38	114,984.88
अन्य परिचालन आय		
स्क्रेप बिक्री – रेल नीर	49.54	51.84
स्क्रेप बिक्री – विभागीय खानपान	1.59	1.49
स्क्रेप बिक्री – गैर – रेलवे खानपान	0.37	1.25
लाइसेंस फी – रेल नीर	101.09	101.07
	152.59	155.65
	152.59	155.65
परिचालन से राजस्व (सकल)	146,817.97	153,893.25



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 23		
अन्य आय		
ब्याज एवं निवेश आय		
एफडीआर एवं टीडीआर पर ब्याज से आय (सकल)	4,568.12	4,439.49
ब्याज आय – अन्य	7.41	28.07
मुचुअल फंड से लाभांश आय	388.89	–
(क)	4,964.42	4,467.56
अन्य गैर – परिचालनिक आय		
कारुन्टरमेंडिंग प्रभार एवं जमा प्रतिभूति जब्त	232.34	168.86
संविदाओं को जब्त करने पर अर्जित आय	16.92	–
निविदा फॉर्म की बिक्री	5.81	7.24
विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से आय	2.11	29.48
पूंजी अनुदान की ऋण मुक्ति	96.36	71.79
आस्थगित प्रतिभूति जमा – देयता से ऋणमुक्ति से आय	307.12	238.78
प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय	17.91	23.00
ठेकों पर जुर्माना/दण्ड से प्राप्त आय	986.65	282.09
“सर्वड फरोम इण्डिया” के तहत ड्यूटी क्रेडिट	313.26	71.10
लाइसेन्स के अन्तर्गत आय	655.46	276.92
विविध आय	2,633.94	1,169.27
(ख)		
कुल (क+ख)	7,598.36	5,636.83
नोट :- 24		
उपयोग की गई सामग्री की लागत		
रेल नीर (बोतल बंद पीने का पानी)		
अथशेष स्टॉक	189.30	235.10
जोड़े : खरीद और खर्च	7,397.29	6,625.47
	7,586.59	6,860.57
घटाए : इतिशेष स्टॉक	254.94	189.30
(क)	7,331.65	6,671.27
विभागीय खानपान		
अथशेष स्टॉक	51.08	123.71
जोड़ें : खरीद और व्यय	2,188.04	2,729.02
	2,239.12	2,852.73
घटाएं : इतिशेष स्टॉक	41.43	51.08
(ख)	2,197.69	2,801.65
कुल (क+ख)	9,529.34	9,472.92
नोट :- 25		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
पैकड/तैयार भोजन की पुनः बिक्री के लिए खरीद	15,460.49	10,661.13
खरीद – गैर – रेलवे खानपान	344.52	832.36
	15,805.01	11,493.49
कुल	15,805.01	11,493.49



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 26		
तैयार सामान की वस्तु सूची में बदलाव, कार्यप्रगति और व्यापार के लिए स्टॉक		
अथशेष स्टॉक		
रेल नीर (बोतलबंद पीने का पानी)		
तैयार माल	272.51	313.10
कार्य प्रगति पर	59.44	50.06
	331.95	363.16
इतिशेष स्टॉक		
तैयार माल	356.51	272.51
कार्य प्रगति पर	59.54	59.44
कुल	416.05	331.95
विभागीय खानपान		
अथशेष स्टॉक		
तैयार माल	7.08	—
पैकड मर्दे	65.08	87.77
इतिशेष स्टॉक	72.16	87.77
तैयार माल	2.22	7.08
पैकड मर्दे	17.05	65.08
	19.27	72.16
	52.89	15.61
महाराजा एक्सप्रेस		
अथशेष स्टॉक		
तैयार माल	13.58	16.32
इतिशेष स्टॉक		
तैयार माल	8.93	4.65
तैयार माल में (कमी)/वृद्धि	(26.56)	49.56
नोट :- 27		
लाइसेन्स खानपान सेवाओं का खर्च		
प्रदान की गई व्यापक सेवाएं और खानपान सेवाओं का खर्च		
ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य प्रभार — राजधानी एवं शताब्दी/प्रीमियम गाड़ियां	15,157.97	3,612.60
	15,157.97	3,612.60
कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, (रेलवे का शेयर) इत्यादि खर्च		
कंसेशन शुल्क	150.93	10.30
लाइसेन्स शुल्क	5,560.05	2,981.90
उपभोक्ता प्रभार — फूड प्लाजा	35.57	79.11
लाइसेन्स शुल्क — फूड प्लाजा	2,097.75	1,428.11
सेवा कर — फूड प्लाजा (संदर्भ नोट 37)	—	49.55
रेलवे भूमि का लाइसेन्स शुल्क — फूड प्लाजा	0.85	0.87
	7,845.15	4,549.84
	23,003.12	8,162.44



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 28		
पर्यटन के खर्च		
यात्रा एवं पर्यटन खर्च	26,293.46	37,474.56
लाइसेन्स शुल्क — रेल यात्री निवास	42.43	48.57
उपभोक्त प्रभार — रेल यात्री निवास	32.95	30.79
रेलवे भूमि का लाइसेन्स शुल्क का भुगतान—रेल यात्री निवास	0.04	0.04
मरम्मत एवं अन्य प्रभार	369.13	247.09
महाराजा एक्सप्रेस के खर्च	3,737.18	3,658.66
	30,475.19	41,459.71
	30,475.19	41,459.71
नोट :- 29		
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष कर		
रेल नीर (बोतलबंद पीने का पानी)		
— प्रचालन एवं रखरखव प्रभार	1,173.93	866.63
— लाइसेन्स शुल्क रेलवे भूमि	199.58	186.70
— विद्युत एवं ईंधन	826.96	714.10
— रख—रखाव एवं मरम्मत—संयंत्र एवं मशीनरी	84.81	27.00
— रख—रखाव एवं मरम्मत—अन्य	73.93	36.44
— अन्य प्रत्यक्ष खर्च	58.43	136.19
(a)	2,417.64	1,967.06
विभागीय खानपान		
— आगत लदान और उत्तरान भाड़ा —खानपान	58.85	33.00
— भोजन निरीक्षण खर्च	8.33	1.37
— ईंधन	237.14	289.45
— ऑनबोर्ड सेवा प्रभार	744.04	345.71
— अन्य प्रत्यक्ष खर्च	80.62	118.84
(b)	1,128.98	788.37
इंटरनेट टिकटिंग		
— रख—रखाव एवं अन्य प्रभार	2,853.88	2,886.12
— रद्दीकरण प्रभार	7.26	43.77
— रेलवे शेयर (नोट सं.—57 में उल्लेख)	2.77	18,112.47
— इंटरनेट उपयोग प्रभार	108.69	129.42
— मैसेजों पर खर्च	195.30	102.18
(क)	3,167.90	21,273.96
कुल	(क+ख+ग) 6,714.52	24,029.40
नोट :- 30		
कर्मचारी हित खर्च		
कर्मचारी हित खर्च		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	15,236.32	14,085.02
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	2,611.92	3,341.69
उपादान	1,302.48	222.79
कर्मचारी कल्याण खर्च	64.43	312.41
	19,215.15	17,961.91
	19,215.15	17,961.91



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 31		
वित्तीय लागत		
ब्याज खर्च	4.27	2.82
प्रतिभूति जमा पर छूट की अनदेखी	286.49	250.71
	290.76	253.53
	290.76	253.53
नोट :- 32		
मूल्सह्रास एवं ऋणमुक्ति लागत		
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (संदर्भ नोट-3)	1,715.76	1,625.60
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (संदर्भ नोट-5)	650.35	615.77
	2,366.11	2,241.37
	2,366.11	2,241.37
नोट :- 33		
अन्य निवेश		
विद्युत एवं पानी	266.64	306.67
कार्यालय किराया	2,499.61	1,234.26
कर्तव्य, दरें और कर	46.37	15.50
मरम्मत एवं अन्य	956.68	592.22
बीमा	36.37	40.12
यात्रा खर्च	690.06	562.47
वाहन खर्च	188.80	249.52
निदेशक बैठक शुल्क	8.41	2.56
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट सं. 33.1 देखें)	14.25	11.70
लागत लेखा परीक्षा शुल्क	2.75	2.78
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	4.42	2.62
सम्प्रेषण खर्च	294.94	443.80
विधि एवं व्यावसायिक शुल्क	202.46	234.44
ग्राहक संतुष्ट सर्वे पर खर्च	272.03	352.12
माल जावक एवं सीएफए प्रभार	2,647.14	2,451.87
संदिग्ध एवं अग्रिम ऋणों के लिए प्रावधान	553.26	434.76
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व	110.87	118.47
पूर्व अवधि व्यय	2,387.61	1,080.00
डिजीटलीकरण यात्रा व्यय (यात्रा बीमा)	527.00	593.55
विज्ञापन खर्च	223.87	409.29
व्यवसाय विकास/विपणन व्यय	293.27	347.67
वेन्डर कमिशन	8.22	8.79
विदेशी विनिमय उतार चढ़ाव में घाटा	229.10	162.37
एमएसएमई पर ब्याज	40.65	92.03
विविध खर्च	478.70	278.87
कुल	12,983.48	10,028.46



राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 33.1		
लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
ऑडिट शुल्क	7.15	6.55
कर ऑडिट शुल्क	2.48	2.27
अन्य क्षमता में		
कम्पनी के कानूनी मामले	—	—
व्यय की प्रतिपूर्ति	4.62	2.88
कुल	14.25	11.70
नोट :- 33		
आपवादिक मदें		
अतिरिक्त बकाया लिखित प्रावधान	524.57	340.97
कुल	524.57	340.97
नोट :- 34		
आयकर खर्च		
प्रचलित आयकर		
प्रचलित आयकर प्रभार	11,603.63	11,787.14
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	342.14	(111.40)
कुल	11,945.76	11,675.74
अन्य व्यापक आय में आयकर खर्च		
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	219.01	(51.52)
	219.01	(51.52)
कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधान		
निरंतर परिचालन से कर पूर्व लेखा लाभ	34,780.90	32,995.84
कर पूर्व लेखा लाभ	34,780.90	32,995.84
भारत की सांविधिक आय कर दर 34.608%	12,037.31	11,419.21
कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य नहीं (कर योग्य) में कर योग्य राशि का प्रभाव		
जोड़ें : भारतीय मानक लेखाकरण में आयकर में समायोजन की अनुमति नहीं है	-7.10	4.54
देरी से कर जमा कराने पर ब्याज का भुगतान	32.86	3.13
सीएसआर व्यय	191.47	150.46
पूर्व अवधि का व्यय एवं खर्च	1.95	43.83
एमएसएमई पर ब्याज	2.84	3.04
छूट प्राप्त आय	-94.57	—
दरों में बदलाव और अन्य मदों पर असर	—	—
	127.46	205.01
प्रभावी आयकर दरों पर	12,164.77	11,624.22
लाभ और हानि के विवरणों पर दिखाए गए आयकर खर्च (सतत् परिचालन से संबंधित)	12,164.77	11,624.22
प्रभावी आयकर दरों पर	34.98%	35.23%



विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	राशि (लाख रु. में) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट :- 35		
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक		
निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन		
—उपादान	699.71	(126.49)
—छुट्टी यात्रा रियायत	(66.89)	(22.38)
कुल	632.82	(148.87)
निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन पर कर	(219.01)	51.52
कुल	(219.01)	51.52
विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	(प्रति शेयर)	

नोट :- 36

प्रतिशेयर आय (ईपीएस)

मूल ईपीएस

निरंतर परिचालन से	55.51	52.93
रुके हुए परिचालन से	—	—
ईपीएस कम करना		
निरंतर परिचालन से	55.51	52.93
रुके हुए परिचालन से	—	—

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
36.1 प्रति शेयर बुनियादी आय		
प्रति शेयर मूल्य आय की गणना में इस्तेमाल होने वाली इक्विटी शेयर की औसत आय और भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान प्रतिशेयर आय को वर्ष के दौरान बोनस शेयर जारी करने के लिए समायोजन के बाद पुनः पेश किया गया है।		
कम्पनी के इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ		
निरंतर परिचालन से	22,202.31	21,171.24
रुके हुए परिचालन से	—	—
प्रति शेयर की मूल आय की गणना में प्रयोग की गई आय	22,202.31	21,171.24
प्रति शेयर मूल्य आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	400.00	400.00

36.2 प्रति शेयर कम की गई आय

प्रतिशेयर कम की गई आय की गणना में इस्तेमाल होने वाली इक्विटी शेयर की औसत भारित संख्या

कम्पनी के इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ

निरंतर परिचालन	22,202.31	21,171.24
रुके परिचालन से	—	—
निरंतर परिचालन से प्रतिशेयर कम की गई आय की गणना में इस्तेमाल आय	22,202.31	21,171.24
प्रति इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कम की गई आय को औसतन भारित संख्या में समाधान की गणना में इस्तेमाल प्रतिशेयर मूल आय निम्न हैं:		
प्रतिशेयर बुनियादी संख्या के उद्देश्य के लिए भारित औसत शेयर	400.00	400.00
डाईलुशन का प्रभाव	—	—
शेयरों की प्रति शेयर की कमाई के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	400.00	400.00
प्रतिशेयर डाईल्युटिड आय		



नोट :- 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

नोट :- 37.1-प्रावधान

भारतीय लेखाकरण मानक 37 के प्रावधान के आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों के अनुसरण में, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान से संबंधित प्रकटीकरण

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		पेन्शन के लिए प्रावधान		छुट्टी के बदले नकद भुगतान का प्रावधान (सेवानिवृत्त लाभ)		उपादान के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्त लाभ)	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अथ शेष	3,848.84	3,848.84	62.48	62.48	2,940.94	2291.96	72.26	2123.39	874.65	656.13
जोड़	3.13	-	-	-	723.22	648.98	710.52	555.63	582.2	349.28
उपयोग / योगदान	-	-	-	-	(2,851.71)	-	(535.90)	(2,606.76)	(775.27)	(130.76)
समायोजन / रिवर्सल	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33	-
इति शेष	3,851.97	3,848.84	62.48	62.48	812.45	2,940.94	246.88	72.26	684.91	874.65

विवरण	विकल्प देने वालों के लिए पेन्शन का प्रावधान		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान		अर्द्धवेतन छुट्टी के लिए प्रावधान		छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अथ शेष	1,711.62	398.43	857.67	630.3	1,401.90	1257.22	59.50	63.74
जोड़	-	1,341.90	186.49	227.37	261.24	144.68	88.53	30.76
उपयोग / योगदान	-	(28.71)	-	-	-	-	-	(34.99)
समायोजन / रिवर्सल	(123.02)	-	-	-	(5.02)	-	(8.64)	-
इति शेष	1,588.60	1,711.62	1,044.16	857.67	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50

नोट:

- संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।
- सेवानिवृत्त लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- आईआरसीटीसी ने एनपीएस के तहत पीएफआरडीए के माध्यम से 01.04.2007 से आईआरसीटीसी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की है। 01.04.2007 से 31.03.2017 तक और वित्त 2017-18 के लिए नियोजता योगदान 937 कर्मचारियों के लिए संबंधित पीआरएएन में स्थानांतरित कर दिया गया है। शेष कर्मचारियों के लिए प्रावधान अभी भी खातों में पड़ा हुआ है।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने 01 जनवरी 2007 से कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना बनाई है। यह योजना अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय में लम्बित है तथापि कम्पनी ने ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार लेखों में देयता का प्रावधान किया है।
- पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए (आईआरसीटीसी -रेलवे के बीच) मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेने वालों के लिए प्रावधान किया गया है ताकि, आईआरसीटीसी की पेंशन देयता के अंतर के 100 प्रतिशत परिवर्तन का पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सके। इससे पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचा जा सकेगा। मानिद प्रतिनियुक्ति विकल्पों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान में 67.45 लाख का प्रावधान शामिल है।



नोट :- 37.2 आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रमाणिकृत और प्रमाणित)

निगम के विरुद्ध दावों को ऋण स्वीकार नहीं

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क.	सेवा कर	8,445.45	8,405.73
ख.	वैट एवं अन्य कर	2,577.60	2,561.70
ग.	अन्य	6,465.09	3,933.79
	कुल	17,488.14	14,901.22

नोट :- 37.3

10.12.2008 को किए गए संयुक्त उपक्रम समझौते के कारण रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) का गठन कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था जिसमें आईआरसीटीसी एवं कॉक्स एंड किंग्स इसके शेयरधारी थे।

23 कोचों की एक लग्जरी गाड़ी को आईआरसीटीसी ने निर्माण, निधि दे और साज-सज्जा के द्वारा तैयार करके रॉयल रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को परिचालन के लिए तदर्थ आधार पर सौंपा गया था और इसका नाम महाराजा एक्सप्रेस रखा गया था। यह गाड़ी मार्च 2010 से अप्रैल 2011 तक चलाई गयी थी। इस अवधि के दौरान यह देखा गया कि गाड़ी परिचालन से संबंधित पक्षों के बीच विभिन्न समझौतों को अंतिम रूप नहीं देने दिया गया जिसमें गाड़ी के लिए लीज समझौता और भारतीय रेल के बीच समझौता ज्ञापन भी शामिल था। इसके अलावा देय कर्षण प्रभार आदि का भी भुगतान नहीं किया गया। अंततोगत्वा, आईआरसीटीसी ने 12.08.2011 को कॉक्स एंड किंग्स के साथ समझौते को समाप्त कर दिया और इस गाड़ी को आरआईआरटीएल से वापस भी ले लिया।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आईआरसीटीसी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कॉक्स एंड किंग्स ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने आईआरसीटीसी के पक्ष में निर्णय दिया, साथ ही यह टिप्पणी भी दी कि दोनों पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए पंचाट अधिकरण की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंचाट अधिकरण के समक्ष कॉक्स एंड किंग्स की प्रार्थना संयुक्त उपक्रम समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए है।

कंपनी के पास उपलब्ध कानूनी राय और संयुक्त उपक्रम समझौते के समाप्त होने के मद्देनजर आईआरसीटीसी का यह मानना है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड मांगी गई राहत के सम्बन्ध में पंचाट का लाभ नहीं उठा सकती। आई आर सी टी सी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।

आईआरसीटीसी कॉक्स एंड किंग्स के इस दावे को नहीं मानती कि संयुक्त उपक्रम समझौते और परिणामतः वित्तीय प्रभाव को फिर से शुरू किया जाए जो कि इस समय आंका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 397 और 398 के अंतर्गत कॉक्स एंड किंग्स तथा इसके अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है, जो न्यायाधीन है।

नोट :- 37.4 भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर वैट मामला

कॉरपोरेशन उन गाड़ियों में ऑनबोर्ड क्रेटरिंग सेवाओं के लिए सेवाकर का भुगतान करता रहा है जिनके रेलवे किराए में खानपान प्रभार शामिल होते हैं। वैट कमिशनर ने अपने 23.03.2006 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(जेडसी) (vii) की धारा 2 के अर्थों के भीतर गाड़ियों में ऑनबोर्ड क्रेटरिंग सेवा को वस्तुओं की बिक्री माना है।

आईआरसीटीसी ने वैट के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की। अधिकरण ने अपने 07.09.2006 के आदेश द्वारा अपील पर केन्द्रीय अधिनियम के संबंध में टिप्पणी देते हुए यह कहा कि यह कार्य कमिशनर न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कर केवल उन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगेगा जो राज्य से बाहर एक से दूसरे राज्य के भीतर होता है।

आईआरसीटीसी ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में उक्त आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की जिसमें यह प्रार्थना थी कि आईआरसीटीसी सेवाओं पर दिल्ली के वैट अधिनियम 2004 के अन्तर्गत वैट नहीं लगाया जा सकता और यह कि कॉरपोरेशन की ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं मुख्य रूप से वे हैं जिनमें भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं और वे केवल सेवाकर के दायरे में ही आता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय वैट के आयुक्त के निर्णय को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका



खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कॉर्पोरेशन को वैट देना होगा। बहरहाल, वे पहले से भुगतान किए जा चुके सेवाकर की वापसी ले सकता है।

इस निर्णय के पश्चात् कॉर्पोरेशन ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 19.07.2010 को पारीत निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की 2010 की विशेष अनुमति याचिका सं. 25292-25319 स्वीकार कर ली गई है और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वैट प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम निदेश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि मामला न्यायधीन है और कॉर्पोरेशन को इस समय वैट का भुगतान नहीं करना है। तथापि, कॉर्पोरेशन ने अपनी विवेकसम्मत लेखाकरण नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2017-18 (30 जून 2017) के लिए पूरे भारत में 8251.01 लाख रुपये बिक्री से घटाकर अपने सेवा कर की वैट देयता के लिए व्यवस्था की है। परिणामस्वरूप वैट इनपुट ग्राह्यता को सरकारी प्राधिकारी के पास शेष दिखाया गया है।

क्र. सं.	मध्यस्ता	विवरण	अपीलीय प्राधिकरण	पारितोषित राशि
1	फूड वर्ल्ड	गाड़ी नम्बर 2859-60, 2975-76 गाड़ियों में लाइसेन्स शुल्क के लिए निर्णय	सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी लम्बित	148.00
2	ए.के रॉय विरुद्ध आईआरसीटीसी	2577-78, 5279-80, 2395-96, 9165/66/67-68, 2555-56, 2569-70, 2213-14, 2203-04, 2061-62, 2209-10, 1043-44	पटियाला हाऊस कोर्ट में लम्बित	21.95
3	सत्यम, सनसाइन एवं रूप कैटर्स	गाड़ी नम्बर 2801-02, 2311-12, 2471-78, 2779-80, 2955-56, 2521-22, 2833-34, 2707-08, 2721-22, 2703-04 एवं 4005-06	कोई अपील दायर नहीं की गई	269.05
4	रेलवे - यात्रा बीमा	रेल यात्रियों को बीमे की राशि की वापसी के लिए रेलवे पर दावा	लागू नहीं	3,632.00
5	रेलवे	यात्री फीड बैक प्रणाली	लागू नहीं	1,130.00
6	ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	विदेशी व्यापार नीति 2015-2020 के अनुसार ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	-	566.98

नोट :- 38

भुगतान के माध्यम (गेटवेज)

कंपनी इंटरनेट के जरिए रेलवे आरक्षण का कार्य करती है जिसके लिए पांच भुगतान गेटवेज और लगभग सभी बैंकों के पैंतीस से अधिक नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी खातों में बड़ी मात्रा में लेन-देन होता है और टिकटों की बुकिंग दिन प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लेन-देन वार समाधान कर लिया गया है। तथापि आईआरसीटीसी के वर्ष 2017-18 से पहले के डाटा साइकल और संबंधित बैंकों के डाटा साइकल में आपस में तुलनात्मक मेल न होने की वजह से अभी भी कुछ अंतर मौजूद है। इस मामले को संबंधित बैंकों के साथ उठाया गया है और उन्हें कहा गया है कि वे अपना डाटा तुलनात्मक स्वरूप में भेजे, ताकि, मौजूद अंतर को समाप्त किया जा सके।

नोट :- 39

व्यापार प्राप्तियां

क. रेलवे अधिशेष व्यापार प्राप्ति, व्यापार देयता, अग्रिम भुगतान और प्रतिभूति जमा के रूप में रेलवे बकाया रेलवे से समाधान और पुष्टि की शर्त पर है और इसमें रेलवे से खानपान संभालने से पिछले बकाया भी शामिल हैं। कम्पनी ने रेलवे से बकाया की पहचान और पृथक करने की प्रक्रिया शुरू की है।

ख. तृतीय पार्टी अधिशेष तृतीय पार्टियों से बकाया के समाधान का काम विभिन्न पार्टियों से पुष्टिकरण के द्वारा किया जा रहा है। प्रबंधन को समाधान प्रक्रिया के लिए नीति और कार्यप्रणाली का उपाय किया जाना और सुनिश्चित किया जाए कि समाधान और पुष्टिकरण नियमित किया जाए। व्यापार प्राप्तियों की पुष्टि और समाधान होने तक कॉर्पोरेशन ने 3.13 लाख रु. (31 मार्च 2017 को शून्य) उन प्राप्तियों के लिए रखने का निर्णय किया है जिन का प्रबंधन को वसूली का संदेह है।



नोट :- 40

पूँजीगत वचनबद्धता

पूँजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की बाकी अनुमानित राशि और जिनकी व्यवस्था थी 31 मार्च 2018 को 8318.33 लाख रुपये नहीं की गई है जबकि पिछले वर्ष 31 मार्च 2017 को इसके लिए राशि 2533.14 लाख रुपये थी।

नोट :- 41

प्रबंधन के विचार से चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है। तथापि, रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होने वाली राशियां और व्यवसाय से देय राशियां, जैसी कि तुलन पत्र में दर्शायी गई हैं, पुष्टीकरण के अध्यधीन हैं।

नोट :- 42

कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं/परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण :-

- उपदान :** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से सेवा छोड़ने पर देय है। 20 लाख रुपये के उपदान की उच्चतम सीमा के संबंध में बीमाकात्मक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। बीमाकात्मक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।
 - छुट्टियों का नकदीकरण :** उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, सेवा छोड़ने पर देय है। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा बनाया जाता है।
 - अर्धवेतन छुट्टी :** पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र कर ली है उन्हें उनके लिए तुलनपत्र की तारीख को बीमाकिक मूल्यांकन पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।
 - छुट्टी यात्रा रियायत:** (एलटीसी) पात्र कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमाकिक मूल्यांकन पर छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान किया जाता है।
 - भविष्य निधि :** कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता, जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कॉरपोरेशन के समतुल्य अंशदान को जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है इसको लेखा जोखा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व को प्रभारित किया जाता है।
 - इतर सेवा अंशदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय इतर सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।
- परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में "कर्मचारी हित" पर भारतीय लेखाकरण मानक-19 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :
- राष्ट्रीय पेंशन योजना:** एनपीएस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित योगदान योजना है। ऐसी योजना के तहत देय मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के 10 प्रतिशत योगदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, तो कंपनी इस योजना को व्यय के रूप में देय योगदान को पहचानती है।

(क) बीमाकिक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.80%	7.37%
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2006-08) (विधिवत शोधित)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2006-08) (विधिवत शोधित)
(iii)	परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित वापसी	8.30%	7.91%
(iv)	वेतन वृद्धि	10%	15%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमाकात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रा स्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेते हैं।		



(ख) बीमांकिक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकात्मक विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सेवाकाल में मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(ग) नियोक्ता व्यय के अवयव

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	चालू सेवा लागत	380.90	175.80	396.74	403.40	198.00	8.99	17.26	4.71
(ii)	पिछली सेवा लागत	836.31	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	संक्षेप लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	समापन लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	कुल सेवा लागत	1,217.21	175.80	396.74	403.40	198.00	8.99	17.26	4.71
	शुद्ध ब्याज लागत								
(vi)	डीबीओ पर ब्याज खर्च	199.58	177.00	186.25	145.30	103.32	99.45	4.39	3.66
(vii)	ब्याज (प्लान परिसम्पत्तियों पर आय)	(134.87)	(130.01)	(186.04)	(92.77)	-	-	-	-
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	64.71	46.99	0.21	52.53	103.32	99.45		
(ix)	तात्कालिक स्वीकृत लाभ / हानि अन्य दीर्घावधि के लाभ	-	-	313.58	99.70	(40.08)	36.24	-	-
(xi)	लाभ और हानि को शामिल कर तय लाभ लागत	1,281.92	222.79	710.52	555.63	261.24	144.68	21.65	8.37

(घ) तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों / दीयित्वों की स्वीकृति

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	वित्तीय अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ) / हानि	(1,262.92)	1,389.92	(5,385.84)	642.76	(2,614.65)	642.95	(25.29)	(1.24)
(iii)	डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	579.28	(1,265.86)	5,079.55	(635.82)	2,574.57	(606.71)	92.19	23.62
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसम्पत्तियों (से अधिक) / से कम	(16.07)	2.43	7.29	92.77	-	-	-	-
(v)	ओसीआई में कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि शामिल	(699.71)	126.49	-	-	-	-	66.89	22.38
(vi)	लाभ एवं हानि और ओसीआई में (निर्धारित लाभ लागत) स्वीकृत कुल लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(vii)	लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल लागत	1,281.92	222.79	710.52	555.63	261.24	144.68	21.65	8.37
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित अमापन	(699.71)	126.49	-	-	-	-	66.89	22.38
(ix)	कुल आस्थगित लाभ लागत	582.21	349.28	710.52	555.63	261.24	144.68	88.54	30.75



(ड) तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों / दायित्वों की स्वीकृति

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,413.84	2,708.03	3,246.81	2,527.11	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50
(ii)	प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,728.93	1,830.05	3,065.60	2,524.31	-	-	-	-
(iii)	वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष / हानि)	(684.91)	(877.98)	(181.21)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	(139.39)	(59.50)
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों / दायित्वों की स्वीकृति	(684.91)	(877.98)	(181.21)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	(139.39)	(59.50)
(vi)	वर्तमान मूल्य की नकदी का दायित्व	-	-	-	-	-	1,295.18	-	-
(vii)	प्राप्त दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-	-	-	-	106.72	-	-
	प्रचलित देयताएं	86.84	30.29	111.96	2.80	80.58	78.37	48.16	9.72
	अप्रचलित देयताएं	598.07	847.69	69.24		1,577.55	1,323.53	91.23	49.78

(च) अवधि की समाप्ति में दायित्वों में परिवर्तन

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	मूल्य का आस्थगित लाभ का वर्तमान मूल्य	2,708.03	2,244.24	2,527.11	1,971.48	1,401.90	1,257.22	59.50	63.73
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	380.90	175.80	396.74	403.40	198.00	8.99	17.26	4.71
(iii)	ब्याज लागत	199.58	177.00	186.25	145.30	103.32	99.44	4.39	3.66
(iv)	प्लान संशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	संक्षेप	836.31	-	-	-	-	-	-	-
(vii)	समझौता	-	-	-	-	-	-	-	-
(viii)	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(683.64)	124.06	306.28	(6.94)	(40.07)	36.24	66.89	22.38
(ix)	भुगतान किया गया लाभ	(27.33)	(13.08)	(169.58)		(5.03)		(8.64)	(34.98)
(x)	निर्धारित लाभ का (इतिशेष) वर्तमान मूल्य	3,413.84	2,708.03	3,246.80	2,527.11	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50

(छ) प्लान परिसम्पत्तियों के मूल्य के अथशेष और इतिशेष का समाधान

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	अवधि के शुरू में प्लान परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य	1,830.05	1,584.79	2,524.31	-	-	-	-	-
(ii)	अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	प्लान परिसम्पत्तियों पर निर्धारित वापसी	134.87	130.01	-	92.77	-	-	-	-
(iv)	योगदान	775.27	130.76	362.54	2,524.31	-	-	8.64	34.98
(v)	भुगतान किया	(27.33)	(13.08)	-	-	-	-	-	-
(vi)	प्लान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि	16.07	(2.43)	178.75	(92.77)	-	-	(8.64)	(34.98)
(vii)	अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,728.93	1830.05	3,065.60	2524.31026	-	-	-	-



(ज) अन्य व्यापक आय में राशि की स्वीकृति

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	ओसी अथशेष (संचयी अस्वीकृत हानियां/ (लाभ)	494.51	368.02	-	-	-	-	-	50.18
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(683.64)	124.06	306.28	6.94	40.07	36.24	66.89	22.38
(iii)	परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(16.07)	2.43	7.29	92.77	-	-	-	-
(iv)	संचयी हानि (लाभ) ऋणमुक्ति	-	-	-	99.70	-	-	-	-
(v)	ओसीआई में शुद्ध वृद्धि	(699.71)	126.49	313.57	-	40.07	-	66.89	22.38
(vi)	पूर्व सेवा लागत दर ऋणमुक्ति	-	-	-	-	-	36.24	-	-
(vii)	अन्य व्यापक आय में कुल स्वीकृति	(205.20)	494.51	-	-	-	-	66.89	72.56

(झ) तुलन-पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों/ देयताओं की स्वीकृति

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलन पत्र परिसम्पत्तियां/ देयताएं	(877.98)	(659.45)	(2.80)	(1,971.48)	(1,401.90)	(1,257.22)	59.50	(63.73)
(ii)	अवधि के प्रारंभ में स्वीकृत संचयी ओसीआई/ हानि	494.51	368.02	-	-	-	-	-	50.17
(iii)	प्रारंभ में समायोजन से पहले (उपार्जित)/ पूर्व भुगतान लागत	(383.47)	(291.43)	(2.80)	(1,971.48)	(1,401.90)	(1,257.22)	59.50	(13.55)
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/ आय	(1,281.92)	(222.79)	(710.52)	(555.63)	(261.24)	(144.68)	(88.54)	(8.37)
(v)	नियोक्ता का योगदान	775.27	130.76	532.12	2,524.31	5.03	-	8.64	34.98
(vi)	अवधि के अंत में समायोजन से पहले (उपार्जित)/ पूर्व भुगतान लाभ	(890.12)	(383.47)	(181.20)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	-	13.06
(vii)	अवधि के अंत में स्वीकृत संचित अन्य व्यापक आय/ हानि राशि	(205.20)	494.51	-	-	-	-	-	72.56
(viii)	अवधि के अंत में स्वीकृत शुद्ध तुलन पत्र परिसम्पत्तियां/ (देयताएं)	(684.91)	(877.98)	(181.20)	(2.80)	(1,658.12)	-1401.9	(139.39)	(59.50)

(ज) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपादान, निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।



ज. संवेदनशील विश्लेषण

31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष के लिए

राशि (लाख रु. में)

विवरण	अनुमानों पर बदलाव	उपादान दायित्वों पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	अर्धवेतन छुट्टी पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव
छूट दर	0.50%	-269.37	-256.32	-126.01	-2.30
	0.50%	301.74	286.92	140.76	2.32
वेतन वृद्धि दर	0.50%	146.55	279.51	-126.01	2.33
	0.50%	-165.94	-252.55	140.76	-2.30

उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण धारणा में परिवर्तन के आधार पर होता है जबकि अन्य सभी मान्यताओं को निरंतर रखा जाता है। व्यवहार, में, ऐसा होने की संभावना नहीं होती है और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यवाही मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी स्थिति (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

नोट :- 43

वर्ष 2017-2018 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

नोट :- 44 संबंधित पार्टी प्रकटन

भारतीय लेखांकन मानक-24 संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुसार संबंधित पार्टी का नाम नीचे दिया गया है:-

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	(i) डॉ. ए.के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 01.08.2017 से पद छोड़ा) (ii) श्री एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (18.09.2017 तक निदेशक पद के रूप में उसके बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (iii) श्रीमती ए. के. बरार, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (01.12.2017 से पद छोड़ा) (iv) श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं) (v) श्रीमती कनक अग्रवाल (स्वतंत्र निदेशक) (vi) डॉ. रबी नारायण बोहिदर (स्वतंत्र निदेशक) (vii) डॉ. धीरज शर्मा (स्वतंत्र निदेशक) (viii) प्रो. सचिन चतुर्वेदी (स्वतंत्र निदेशक) 10.10.2017 से (ix) श्री कोमल रामचन्द्रन सुन्दरमुरती (स्वतंत्र निदेशक) (13.10.2017 से) (x) सुश्री सरिता देश पाण्डेय (स्वतंत्र निदेशक) 29.03.2017 से (xi) श्री प्रशांत कुमार बलसावर (नामित निदेशक) (xii) श्रीमती स्मिता रावत (नामित निदेशक) (xiii) श्री अजय श्रीवास्तव (मुख्य वित्त अधिकारी (21.08.2017 से) (xiv) श्रीमती सुमन कालरा (कम्पनी सचिव)

संबंधित पार्टी और निगत के बीच लेनदेन का विवरण, जैसा कि लेखाकरण मानक में नीचे दिया गया है



नोट :- 44.1 संयुक्त उपक्रम के साथ लेन-देन

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	निवेश	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	250.00	250.00
(iii)	अग्रिम लीज किराया	1,741.50	1,741.50
(iv)	लीज किराया प्राप्तियां	269.08	269.08
(v)	व्यवसाय प्राप्तियां	(1,471.71)	(1,471.71)

आईआरसीटीसी के शेयर के निवेश मूल्य में क्षति अर्थात् 250.00 लाख रुपये का आरआईआरटीएल के लिए संचयी हानि को इसके शुद्ध मूल्य से हटा दिया गया, इसके अलावा, आरआईआरटीएल के 2011-12 से 2017-18 के तुलन पत्रों को अंतिम रूप मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इण्डिया) लि. के साथ बकाया विवाद नहीं सुलझाने के कारण नहीं दिया गया है।

नोट : 44.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन-देन

वर्ष के दौरान निवेश को और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्न था

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लघु अवधि के लाभ	259.58	179.87
सेवा के पश्चात लाभ	20.49	11.82
अन्य दीर्घ अवधि के लाभ	—	—
	280.07	191.68

नोट :- 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त लेनदेन के अलावा, कम्पनी अन्य सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये निम्न तक सीमित नहीं हैं:-

सरकार का नाम : रेल मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार (कम्पनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा इंक (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन :-

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	पार्टी	लेन देन की प्रकृति	2017-18	2016-17
1.	क्रिस	इंटरनेट टिकटिंग की परिसम्पत्तियों की खरीद, मरम्मत, रखरखाव और विकास पर व्यय	1,720.00	2,338.13
2.	रेलवे	राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम गाड़ियों में खानपान सेवा एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं तथा ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाओं से आय	16,782.74	3,604.29
3.	रेलवे	लाइसेन्सी खानपान सेवाओं पर रेलवे शेयर	7,845.15	4,500.29
4.	रेलवे	इंटरनेट टिकटिंग सेवाओं पर प्रभारों पर रेलवे का शेयर	2.77	18,112.47
5.	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस गाड़ी पर दुलाई प्रभार	1,701.17	1,570.92
6.	निक्सी	इंटरनेट टिकटिंग की परिसम्पत्तियों की खरीद, मरम्मत, रखरखाव और विकास पर व्यय	99.71	274.06
7.	निक्सी	इंटरनेट टिकटिंग के लिए राजस्व अनुदान	8,000.00	—



अन्य प्रकटन :

- * आरवीएनएल को फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए 342 लाख रु. का पूंजीगत अग्रिम
 - * रेल मंत्रालय का फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए 211.43 लाख रु. का पूंजीगत अग्रिम
 - * इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में रेल मंत्रालय के पास 53753.10 लाख रु. दिए गए
- ये लेनदेन कम्पनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

नोट :- 45 संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

कम्पनी ने कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50-50 भागीदारी के साथ रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड के रूप में संयुक्त उपक्रम के रूप में दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है। हालांकि, इक्विटी शेयर के बीच मुद्दों के कारण आईआरसीटीसी ने दिनांक 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एण्ड किंग्स से समझौता वापस ले लिया और आरआईआरटीएल से गाड़ियां वापस ले ली।

निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कॉरपोरेशन का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं दोनों पक्षों के बीच विवाद के चलते उनके लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 31 मार्च 2018 को उपलब्ध नहीं हैं। जिसके कारण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुरूप अपेक्षित समग्रित वित्तीय विवरण नहीं बना है।

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अलग हैं।

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	कम्पनी के स्वामित्व हित का प्रतिशत	परिसंपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नोट :- 46 परिसंपत्तियों की क्षति

कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2018 को कॉरपोरेशन की सम्पत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों और अमूर्त कैरिंग की रकम में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन परिसंपत्तियों संयंत्र एवं उपकरणों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन की राय है कि महाराजा एक्सप्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से आने वाले वर्षों में कम्पनी का कैश फ्लो अर्जन समुचित रूप से होगा और इससे गाड़ी पूर्ण रूप से पूंजीगत स्थायी परिसम्पत्ति हो जायेगी अतः हानि के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित नहीं है।

नोट :- 47

लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित स्थैतिक क्रेटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिए गए थे। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने स्थैतिक क्रेटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है।

यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में कॉरपोरेशन में अनिश्चितताएं हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्धारित पुरानी लाइसेंस या लाइसेंसी शुल्क से वास्तव में प्राप्त राशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर कॉरपोरेशन ने ऐसे लाइसेंसधारक क्रेटरिंग स्टालों में भारतीय लेखाकरण मानक (एएस-18) 'राजस्व' के अनुसार आय माना है।

नोट :- 48

निम्नलिखित के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी द्वारा सीआईएफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य है।

विवरण	राशि (लाख रु. में)	
	2017-18	2016-17
पूंजीगत माल	1014.32	-

नोट :- 49 विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	राशि (लाख रु. में)	
	2017-18	2016-17
खर्च की प्रकृति		
निदेशकों का विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय	7.40	5.47
अन्य अधिकारियों की विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय	26.03	24.07
कुल	33.43	29.54



नोट :- 50 विदेशी मुद्रा में आय

राशि (लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
अन्य आय	3758.59	4750.63

नोट :- 51 लीज

- (i) **परिचालन लीज** : विभिन्न कार्यालयों के संबंध में कम्पनी की लीज व्यवस्थाएं परिचालन लीज की प्रकृति की है। लीज समझौतों के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण को उनके लिए किराए को प्रभारित किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित कुल राशि 24,99.61 लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह 1234.26 लाख रुपये थी)।
- (ii) **वित्त लीज** : कम्पनी ने रेल नीर संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर 90/99 वर्षों की लीज अवधि के लिए लीजहोल्ड भूमि अधिग्रहण की है। 31 मार्च, 2018 को कुल पूंजीकृत मूल्य 1508.60 लाख रुपये है।

नोट :- 52

रेल मंत्रालय ने दिनांक 27.02.2017 के पत्र सं. 2016/टीजी-111/600/1/पीटी (वाणिज्य परिपत्र सं. 20) के अनुसार खानपान नीति-2017 जारी की है जो निम्नानुसार है :

- (i) आईआरसीटीसी को शासनादेश दिया गया है कि वे भोजन तैयार करने और भोजन वितरण के बीच अंतर करके अनबन्डलिंग करें। भोजन सामग्री तैयार करने की गुणवत्ता को उन्नयन करने के लिए आईआरसीटीसी नई बेस किचन स्थापित करने के साथ-साथ मौजूदा बेस किचनों का उन्नयन कर रही है।
- (ii) आईआरसीटीसी ए-1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों पर चल खानपान यूनिटों, बेस किचन, सेल किचन, अल्पाहार कक्षों, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, ट्रेन साईड वेन्डिंग, जन आहार के लिए खानपान सेवाओं के लिए जिम्मेदार होगी।

इस नीति के अन्तर्गत आईआरसीटीसी मोबाइल और शासनदेश स्थैतिक यूनिटों को रेलवे से अधिग्रहण और बेस किचनों की स्थापना कर रही है।

विचारधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने विक्रेताओं को गाड़ियों में भोजन को परोसने और खरीद सेवा के लिए अल्पअवधि अनुबंध प्रदान किए थे। हालांकि खानपान के ऐसे अनुबंध कम्पनी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन किया जा रहा है, इसे विभागीय खानपान के जरिए चल रहा है जिससे इसका हिस्सा रेलवे के पास नहीं दिया जा रहा है क्योंकि विभागीय खानपान सेवाए पूरी तरह कम्पनी स्तर पर कोई लाभ कम्पनी को नहीं दे रही है।

खानपान नीति 2017 के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे के विभागीय संचालन के अन्तर्गत सभी चारों बेस किचनों (नागपुर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल और बल्लारशाह) को जैसा है, जहां है के आधार पर आईआरसीटीसी को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध जिसमें ए-1 और ए श्रेणी के स्टेशनों में रसोई इकाइयों के लिए जलपान गृहों, जनआहार, सेल किचन और जोनल रेलवे द्वारा पहले से दिए लाइसेंस प्राप्त मोबाइल इकाइयों को उन्हीं नियम और शर्तों पर आईआरसीटीसी को फिर से सौंप दिया जाएगा।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, भारतीय रेलवे ने खानपान नीति 2017 के अनुसार आईआरसीटीसी को 165 जलपान गृहों, 25 सेल किचन, 44 जन आहार, 10 बेस किचन और 185 मोबाइल इकाइयों को फिर से सौंप दिया है।

नोट :- 53 ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान "सर्वड फरोम इंडिया स्किम" के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स का उपयोग 139.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.34 लाख रुपये) के लिए किया गया है।

नोट :- 54 सीएसआर खर्च

(क) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 290.67 लाख रुपये है।

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:-

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना शेष	कुल
(i)	स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत खर्च	402.02	-	402.02
(ii)	रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं पर खर्च	136.24	-	136.24
(ii)	एम्स में चिकित्सीय उपकरणों और सीपीए और एचएमसीपीएफ के जरिए कैंसर के रोगियों पर खर्च	15.00	-	15.00
	कुल	553.26	-	553.26



नोट :-55 पूर्व अवधि की मदें

पूर्व अवधि की मदें, पुरानी अवधि के वस्तुओं से संबंधित कम्पनी ने संबंधित वित्त वर्ष ये भारतीय लेखांकन मानक के उपलक्ष्य में वित्तीय वर्ष में नहीं ली गई है। हालांकि इसको लाभ और हानि खातों में संबंधित शीर्ष में दिखाया गया है।

नोट :- 56 नकद एवं नकद समकक्ष

आईआरसीटीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 11,200 लाख की सावधि जमा पर 10,000 लाख का ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लाभ उठाया है। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लाभ के लिए इस अवधि में फिक्सडिपोजिट की दर से 0.25 प्रतिशत ब्याज दर अधिक होगी। सावधि जमा दावा करने योग्य है।

नोट :- 57 रेलवे शेयर

लाईसेन्स फीस/सेवा प्रभारों को सकल मूल्य दिखाया गया है और भारतीय रेलवे को समरूप शेयर भुगतान/देय को नोट सं. 27,28, एवं 29 के अधीन दिखाया गया है।

नोट :- 58 फ्लैटों एवं भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम

निम्नलिखित राशि का भुगतान फ्लैटों के आंबटन जो कि आज की तारीख तक बकाया है:-

- 211.43 2002-03 / 2006-07 में भारतीय रेलवे को किया गया भुगतान
- 342.00 लाख रु. वित्तीय वर्ष 2010-11 में रेल विकास निगम लिमिटेड को

नोट :- 59 सेवा प्रभार के रूप में इंटरनेट टिकट के लिए रेलवे से प्रतिपूर्ति

भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक हित के लिए ऑनलाइन ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए यात्रियों से आईआरसीटीसी द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसलिए, आईआरसीटीसी यात्रियों से सेवा शुल्क के रूप में कोई राशि नहीं ले रहा है। आईआरसीटीसी सर्वर के उन्नयन और रखरखाव लागत, सर्वर और अन्य आकस्मिक लागत को बनाए रखने के लिए नियुक्त जनशक्ति जैसे परिचालन खर्च कर रहा है। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय को किए गए व्यय का विवरण भेजा है और मंत्रालय ने यात्रियों को ई-टिकट सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किए गए परिचालन लागत के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नोट :- 60

कंपनी को पर्यटन मंत्रालय से 12 करोड़ रुपये तीन ग्लास कोचों के विनिर्माण की लागत के आधार पर प्राप्त हुए थे जिसमें से शेष राशि 1.16 करोड़ रु. पर्यटन मंत्रालय को वापस किए जाने हैं।

नोट :-61 खण्डवार रिपोर्टिंग

कॉरपोरेट नियोजन के सीओडीएम एवं प्रबंधक ने कम्पनी के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति, संगठनात्मक ढांचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय निष्पादन की जांच की है और इसके व्यवसाय की पांच रिपोर्ट की जाने वाले क्षेत्रों की पहचान निम्न प्रकार की हैं:-

- लाइसेंसी खानपान ● विभागीय खानपान ● रेलनीर ● पर्यटन ● इंटरनेट टिकटिंग

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग-अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, जैसा कि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्र से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आंबटित किया जाता है जिनकी अलग-अलग रूप से क्षेत्रों से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आंबटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनांबटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनांबटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आंबटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनांबटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनांबटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।



इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार परिणाम राशि (लाख रु. में)

विवरण	लाइसेन्सी खानपान		रेल नीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय खानपान		विलोपन		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व														
आय	44,611.41	16,162.91	437.41	402.01	20,425.32	46,993.86	40,352.64	52,549.25	380.09	198.77			106,206.87	116,306.80
विक्री (विक्रीकर छोड़कर)			16,160.31	15,507.91					27,315.19	23,299.39			43,475.50	38,807.30
अंतर - खंडवार विक्री			1,331.01	1,319.67							(1,331.01)	(1,319.67)	-	-
रेल यात्री निवास और रेलवे होटल														
विक्री / आय (बेडरॉल एवं सफाई)	-	-					301.52	317.46	-	-			301.52	317.46
कुल राजस्व	44,611.41	16,162.91	16,597.72	15,909.92	20,425.32	46,993.86	40,654.16	52,866.71	27,695.28	23,498.16	-	-	149,983.89	155,431.56
खण्डवार परिणाम	13,691.66	6,690.45	3,342.64	2,953.74	10,079.71	18,688.64	4,231.17	5,645.08	(1,477.51)	(5,329.53)	-	-	29,867.67	28,648.37
अनाबंटित कॉरपोरेट आय														
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च														
संचालन लाभ	13,691.66	6,690.45	3,342.64	2,953.74	10,079.71	18,688.64	4,231.17	5,645.08	(1,477.51)	(5,329.53)	-	-	29,867.67	28,648.37
व्याज और अन्य आय			-	-									4,957.01	4,439.49
आयकर													12,164.77	11,624.22
साधारण कार्यकलापों से लाभ	13,691.66	6,690.45	3,342.64	2,953.74	10,079.71	18,688.64	4,231.17	5,645.08	(1,477.51)	(5,329.53)	-	-	22,659.90	21,463.65
पूर्व अवधि लाभ (-) / व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाले डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध एवं संदिग्ध ऋण			3.13										3.13	
बेची गई परिसम्पत्तियों से (लाभ) / हानि	4.67	0.40	1.48	0.05	21.36	1.64	4.63	1.36	8.51	88.57			40.65	92.02
व्याज खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
शुद्ध लाभ	13,686.98	6,690.04	3,338.03	2,953.69	10,058.35	18,687.00	4,226.54	5,643.71	(1,486.02)	(5,418.10)	-	-	22,616.12	21,371.63
अन्य सूचना														
खण्डवार परिसम्पत्ति	45,947.03	37,618.25	11,520.64	9,432.30	175,970.61	144,072.57	7,630.87	6,247.63	(26,053.85)	(21,331.09)			215,015.29	176,039.65
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसम्पत्तियां													7,828.58	6,409.50
कुल परिसम्पत्तियां	45,947.03	37,618.25	11,520.64	9,432.30	175,970.61	144,072.57	7,630.87	6,247.63	(26,053.85)	(21,331.09)	-	-	222,843.87	182,449.15
खण्डवार देयताएं	48,232.48	37,227.84	3,372.19	2,602.80	57,990.57	44,759.54	5,506.83	4,250.40	12,578.85	9,708.88			127,680.93	98,549.46
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएं													7,422.05	5,728.65
कुल देयताएं	48,232.48	37,227.84	3,372.19	2,602.80	57,990.57	44,759.54	5,506.83	4,250.40	12,578.85	9,708.88	-	-	135,102.98	104,278.11
पूँजीगत व्यय			261.83	1,414.15	1,168.84	1,327.68	390.82	146.06	251.83	60.88			2,073.32	2,948.77
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च														
कुल पूँजीगत खर्च	-	-	261.83	1,414.15	1,168.84	1,327.68	390.82	146.06	251.83	60.88	-	-	2,073.32	2,948.77
मूल्यहास	59.34	20.45	297.96	256.99	1,491.04	1,373.40	387.29	380.72	130.47	209.81			2,366.11	2,241.37
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यहास													-	-
कुल मूल्यहास	59.34	20.45	297.96	256.99	1,491.04	1,373.40	387.29	380.72	130.47	209.81	-	-	2,366.11	2,241.37

नोट: 1. विभागीय खानपान में गैर-रेलवे खानपान शामिल है।

2. अंतर खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।

3. आंकड़ों, यथा आवश्यक पुनःव्यवस्थित / पुनःगुप और पुनः वगीकृत किया गया है, ताकि जहाँ आवश्यक हो उनका वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से मिलान किया जा सके।



नोट :- 62 पूंजी प्रबंधन

कम्पनी का उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रबंध करना और संबंधित शेयरधारकों को अधिक से अधिक शेयर रिटर्न प्रदान करने का उत्तरदायित्व है जिससे अन्य हितधारकों को भी लाभ दे सकें। कम्पनी के पास 31 मार्च 2018 से कोई भी उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कम्पनी इसके पूंजीगत ढांचे को चलाने और वित्तीय करारों की आवश्यकता के लिए इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा समायोजन करती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रबंधन की पूंजीगत प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

नोट :- 63 शुद्ध मूल्य मापन

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) निवेश	-	-	0.32	-	-	0.32
(ii) प्रतिभूति जमा	-	-	1,104.50	-	-	1,177.76
(iii) व्यापार प्राप्त	-	-	54,720.11	-	-	28,866.52
(iv) नकद और नकद समतुल्य	-	-	49,315.89	-	-	48,611.71
(v) नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक अधिशेष	-	-	34,071.36	-	-	36,684.50
(vi) अन्य	-	-	1,803.19	-	-	1,570.35
	-	-	141,015.37	-	-	116,911.15
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां						
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	12,917.03	-	-	12,270.69
(ii) व्यापार प्राप्त	-	-	15,043.24	-	-	13,718.16
(iii) अन्य	-	-	39,448.55	-	-	34,002.00
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	67,408.82	-	-	59,990.85

*लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य

(ii) सम्पत्ति और देनदारियां जो कि परिशोधित लागत पर ली मापी जाती है उनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।

राशि (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
प्रतिभूति जमा	1,104.50	1,162.78	1,177.76	1,188.86
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,104.50	1,162.78	1,177.76	1,188.86
वित्तीय देयताएं				
प्रतिभूति जमा	12,917.03	10,985.68	12,270.69	12,204.29
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	12,917.03	10,985.68	12,270.69	12,204.29

क. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार भुगतान, लघु अवधि प्रतिभूति जमा, नकद और नकद समतुल्य और अन्य लघु अवधि के प्राप्तियां और अन्य देनदारियों की तुलना में उनकी लघु प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

ख. दीर्घकालिक प्रतिभूति जमा राशियों का उचित मूल्य वर्तमान सावधि जमा के बाजार दरों का उपयोग कर कैश फ्लों की गणना के आधार पर किया जाता है। गैर लक्ष्यों के इनपुट में शामिल करने के कारण इन्हें स्तर-3 के उचित मूल्य अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।



उचित मूल्य का अनुक्रम

स्तर 1- चिन्हित परिसम्पत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असंयोजित)

स्तर 2- उद्धृत मूल्य के अलावा इनपुट स्तर 1 में जो कि परिसम्पत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (जो कि मूल्य के रूप में) लिया जाता है या तो या अप्रत्यक्ष (जो कि कीमतों से उत्पन्न) अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।

स्तर 3- परिसम्पत्तियों और देनदारियों के लिए इनपुट जो कि बाजार मूल्य के अवलोकन योग्य नहीं होते हैं। (गैर अवलोकन योग्य इनपुट) निम्नतालिका में उचित मूल्य माप पदानुक्रम, वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर और परिशोधित लागत पर के आधार पर मापा जाता है।

31 मार्च 2018 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिशोधित मूल्य दर मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	—	—	1,162.78	1,162.78
	—	—	1,162.78	1,162.78

31 मार्च 2018 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन परिशोधित मूल्य माप अनुक्रम राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	—	—	10,985.68	10,985.68
	—	—	10,985.68	10,985.68

31 मार्च 2017 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	—	—	1,188.86	1,188.86
	—	—	1,188.86	1,188.86

31 मार्च 2017 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम राशि (लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	—	—	12,204.29	12,204.29
	—	—	12,204.29	12,204.29

नोट :- 64 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को वित्तपोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्त और नकद और नकद समकक्ष हैं जो अपने ऑपरेशनों से सीधे प्राप्त होते हैं। कम्पनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम का खुलासा करती कम्पनी के वित्तीय जोखिम गतिविधियों को विनियोजित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और वित्तीय नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, माप और प्रबंधित किया जाता है।



निदेशक मण्डल इन जोखिमों में प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और उनसे सहमत जोखिमों का जो नीचे संक्षेप में विवरण दिया गया है :-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो कि बाजार की कीमतों में होने वाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के कैश प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव कर देता है बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो कि भविष्य में वित्तीय साधनों के कैश प्रवाह के उचित मूल्य बाजार के ब्याज दर में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होता है। कम्पनी, कम्पनियों की नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करती है ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय उपकरणों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालन करती है और विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम की संभावना रहती है कंपनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम पर रोक नहीं लगा सकती है।

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिद्वंद्वी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी को वित्तीय प्राप्तियां, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ जमा सहित वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वाहक मूल्य के बराबर है। काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में घाटे को रोकने के लिए है। कंपनी अपने वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षियों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

ग) वित्तीय उपकरण एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशि से क्रेडिट जोखिम कंपनियों की नीति के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्घरणों के आधार पर प्रतिपक्ष के साथ अनुमोदित किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी और वे देय रह जाते हैं। कंपनी यथासंभव सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, क्योंकि जब भी देय हो, तो इसकी हमेशा देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों के तहत, अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा के जोखिम के बिना रहेगी। कंपनी का तरलता का प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य तथा कैश फ्लो होता है जो कि उसके परिचालन से उत्पन्न होता है। कंपनी की कोई बैंक उधारी नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उनके वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यगत पूंजी पर्याप्त है। किसी कम अवधि सरप्लस कैश उत्पन्न, कार्यगत पूंजी प्रबंधन के लिए अपेक्षित से अधिक राशि और अन्य परिचालन आवश्यकताओं को नकद और निवेश को बैंक में कम अवधि जमा के रूप में रखा जाता है। इन निवेशों को उचित परिपक्वता अवधि और उचित तरलता के माध्यम से किया जाता है।

नोट 65 :- आंकलन एवं अनुमान

निम्नलिखित में से प्रमुख अनुमान भविष्य में चिंता के कारक हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत हैं जिनकी अगली वित्तीय वर्ष के साथ परिसम्पत्तियों और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप मूल्यांकन प्रक्रिया

डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को मापने में किया जाता है। जहां तक संभव हो वहां इन तरीकों की जानकारी को प्रत्यक्ष बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां तक संभव न हो उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए एक परिमाण निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे विचारशील इनपुट शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।



ख) कर

आस्थगित परिसम्पत्तियां उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिससे हानि के विरुद्ध उपयोग महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के उपयोग से किया जा सकता है। आस्थगित कर सम्पत्ति की पहचान करने के लिए अपेक्षित संभावित समय और भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ भाविष्य में कर योग्य लाभ स्तर दोनों को आधारित माना जा सकता है।

ग) परिभाषित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल होती हैं जो कि भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, इन मान्यताओं में परिवर्तन के लिए एक परिभाषित लाभ दायित्व अत्यन्त संवेदनशील है। प्रत्येक अनुमानों की रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

घ) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन काल

नोट 2 (एन) में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन काल दिया गया है। सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धी और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल हैं। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन काल की समीक्षा करती है।

नोट :- 66 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योगों का क्रय

सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बकाया का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है।

राशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क.	वर्ष के अंत में भुगतान के लिए शेष मूल धन राशि और ब्याज निर्धारित तिथि के बाद भुगतान किए भी शामिल हैं।	86.15	36.30
ख.	वर्ष के दौरान देरी के लिए उपार्जित ब्याज और भुगतान	8.22	1.33
ग.	वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और बकाया भुगतान	17.02	8.79
घ.	आगामी वर्ष में भी लगाने वाले ब्याज की राशि और बकाया भुगतान होना	—	—

नोट :- 67 टिकट जमा रसीद वापसी मामले

भारतीय रेलवे से प्राप्त होने के बाद टीडीआर रिफंड कंपनी के द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। 31 मार्च 2018 तक, लंबित मामलों की संख्या 43,131 जिसका मूल्य 406.64 लाख रुपये था।

नोट :- 68 पीपीपी मॉडल पर आधारित रेल नीर संयंत्र

कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर पीपीपी मॉडल आधारित 11 रेल नीर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। 11 में से, 02 संयंत्र अमेठी (यूपी) में और पारासल्ला (केरल) में पहले ही स्थापित हैं और अन्य 9 रेलनीर संयंत्र आगामी वर्षों में शुरू हो जाएंगे। इन संयंत्रों के लिए निगम द्वारा ठेकेदारों को संबंधित संयंत्र ऑपरेटर्स के साथ अनुबंध समझौते के अनुसार पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।

नोट :- 69

कंपनी मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार पूर्व रेल मंत्री सहित आईआरसीटीसी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध सीबीआई जांच के संबंध में किसी भी वित्तीय उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान नहीं करती है।

नोट :- 70 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2018 को अनुमोदित किया गया है।



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज़्म लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, अधिनियम, की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 24 अगस्त 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत जिस पर कोई टिप्पणी दिए जाने की संभावना हो या जो सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

हस्ता./.

(बी.आर. मण्डल)

प्रमुख निदेशक, लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्य, नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितम्बर, 2018

स्थान : नई दिल्ली

Board of Directors (As on date of AGM)



Shri M.P. Mall
Chairman & Managing Director
(w.e.f. 18.09.2017)

Whole time Directors



Shri V. Sriram
Director (Catering Services)



Smt. Rajni Hasija
Director (Tourism & Marketing) (w.e.f. 18.05.2018)

Part time Government Directors



Smt. Smita Rawat
Executive Director (NFR & T),
Railway Board



Shri Neeraj Sharma
Executive Director (PM),
Railway Board (w.e.f. 12.07.2018)

Part time (Non-Official) Directors



Dr. Rabi Narayan Bohidar
Independent Director



Dr. Dheeraj Sharma
Independent Director



Smt. Kanak Aggarwal
Independent Director



Prof. Sachin Chaturvedi
Independent Director
(w.e.f. 10.10.2017)



Shri C.R. Sundaramurti
Independent Director
(w.e.f. 13.10.2017)



Ms. Sarita Deshpande
Independent Director
(w.e.f. 29.03.2018)



**19th
Annual General Meeting of
IRCTC**





Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

Annual Report
2017-2018

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise-Mini Ratna Category-I)

Regd. & Corporate Office :

11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

Tel.: 011-23311263-64, Fax: 011-23311259

CIN : U74899DL1999GOI101707



19th
Annual Report
2017-18

**INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED**
(A Government of India Enterprise-Mini Ratna Category-I)**CONTENTS**

Documents	Page Nos.
Ten years' Financial Highlights	1
Chairman's Speech	2-4
Directors' Report	5-30
Appendix(s) to Directors' Report	
(i) Appendix-A: Management Discussion and Analysis Report	31-39
(ii) Appendix-B: Report on Corporate Governance	40-54
Appendix-B-1: CEO and CFO Certification	55
Appendix-B-2: Compliance Certificate on Corporate Governance	56
(iii) Appendix-C: Report on CSR & Sustainability	57-60
(iv) Appendix-D: Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2018 (Form MR- 3)	61-63
(v) Appendix-E: Extract of Annual Return (Form No. MGT-9)	64-69
(vi) Appendix-F Addendum to Directors' Report	70-74
Independent Auditor's Report & Annexure to Report	75-81
Balance Sheet as on 31 st March, 2018	82
Profit & Loss A/c for the year ended on 31 st March, 2018	83
Cash Flow Statement for the year ended on 31 st March, 2018	84
Notes Annexed to Balance Sheet and Profit & Loss A/c	85-129
Comments of C&AG of India	130



WHOLE-TIME DIRECTORS

Dr. A.K. Manocha, Chairman & Managing Director
(till 31.07.2017)

Mr. M. P. Mall, Chairman & Managing Director
w.e.f. 18.09.2017 with additional charge of
Director (Finance) (w.e.f. 13.10.2017)

Mrs. A.K. Brar, Director (Tourism & Marketing)
(till 30.11.2017)

Mr. V. Sriram, Director (Catering Services)

Mrs. Rajni Hasija, Director (Tourism & Marketing)
(w.e.f. 18.05.2018)

PART-TIME GOVERNMENT DIRECTORS

Mr. B. Prashanth Kumar, ED (PM), Railway Board
(till 24.05.2018)

Mr. Neeraj Sharma, ED (PM), Railway Board
(w.e.f. 12.07.2018)

Mrs. Smita Rawat, ED(NFR & T), Railway Board

PART-TIME (NON-OFFICIAL) DIRECTORS

Dr. Rabi Narayan Bohidar, Independent Director

Dr. Dheeraj Sharma, Independent Director

Mrs. Kanak Aggarwal, Independent Director

Prof. Sachin Chaturvedi, Independent Director
(w.e.f. 10.10.2017)

Mr. C.R. Sundaramurti, Independent Director
(w.e.f. 13.10.2017)

Ms. Sarita Deshpande, Independent Director
(w.e.f. 29.03.2018)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

CFO

Mr. Ajai Srivastava (w.e.f. 21.08.2017)

Company Secretary

Mrs. Suman Kalra

Statutory Auditors

M/s Serva Associates, Chartered Accountant,
1011-1014, 10th Floor, RG Trade Tower, Netaji Subhash
Place, Pitam Pura, Delhi -110005

Internal Auditors

M/s K.S. Choudhary & Co., Chartered Accountant
212, M.J. Shopping Centre, 3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092

Cost Auditors

M/s Sanjay Gupta & Associates,
C4E/135, Janak Puri, New Delhi-110058

Secretarial Auditor

M/s Akhil Rohtagi & Company
Company Secretaries,
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi-110054

BANKERS:

1. HDFC Bank
2. ICICI Bank
3. Bank of Baroda
4. Punjab National Bank
5. SBI
6. Corporation Bank
7. Oriental Bank of Commerce
8. Syndicate Bank
9. Canara Bank
10. Bank of India
11. Union Bank of India
12. Andhra Bank
13. Indian Bank
14. IDBI Bank
15. Citibank
16. Axis Bank
17. Standard Chartered Bank
18. Yes Bank
19. UCO Bank
20. Vijaya Bank
21. Federal Bank
22. Karnataka Bank
23. IndusInd Bank
24. Kotak Mahindra
25. Central Bank of India
26. Bank of Maharashtra
27. Allahabad Bank
28. Karur Vysya Bank
29. Indian Overseas Bank
30. RBL Bank Ltd
31. South Indian Bank
32. IDFC Bank

REGISTERED & CORPORATE OFFICE

11th Floor, B-148, Statesman House,
Barakhamba Road, New Delhi-110001

INTERNET TICKETING CENTRE

New Operations Center,
Northern Railway Reservation Office,
IRCA Complex, Chelmsford Road,
New Delhi-110 055.

TOURISM OFFICE

M-13, Punj House, Block M,
Connaught Place, New Delhi-110001



RAIL NEER PLANTS

Railneer Plant, Nangloi

Northern Railway's Wireless Station Area,
Opp. Nangloi Bus Depot,
Rohtak Road, Nangloi, Delhi-110041

Railneer Plant, Danapur

Loco Colony, South R.P.F. Barracks, Khagaul,
Danapur, Patna- 801105

Railneer Plant, Palur

Palur Railway Station Village And Post Palur,
Taluk- Chengalpattu, Distric- Kanchipuram
(Tamil Nadu) - 603101

Railneer Plant, Ambernath

Near GIP Dam, Additional MIDC,
Post Anand Nagar, Ambernath (East),
Distt. Thane, Maharashtra-421506

Railneer Plant, Amethi

Plot No. C11 & 12, UPSIDC Industrial Area,
Takaria Gauriganj, Distt. Amethi

Railneer Plant, Parassala

Railway Yard, Near Parassala Railway Station,
Kerala-695502

Railneer Plant, Bilaspur

Plot No. 22/23, Sector-B, Sirgitti Industrial Area, Distt.
Bilaspur, Chattisgarh-495004

Central Kitchen

Plot No. A60, Sector-64,
Noida-301201

ZONAL OFFICES

North Zone

Rail Yatri Niwas, Ground Floor,
New Delhi Railway Station,
Ajmeri Gate Side, New Delhi-110002

East Zone

Old Koilaghat Building (Ground Floor),
3, Koilaghat Street, Kolkata-700001

West Zone

2nd Floor, New Administrative Building,
Central Railway, CST, Mumbai-400001

South Zone

6A, The Rain Tree Place,
9, MC Nicolas Road, Chetpet,
Chennai-600031

South Central Zone

3rd Floor, Oxford Plaza, Sarojini Devi Road,
Secunderabad, Andhra Pradesh-500003



TEN YEARS' FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	2008 - 09	2009 - 10	2010 - 11	2011-12*	2012-13*	2013-14*	2014-15*	2015-16*	2016-17**	2017-18**
1	Total Income	618.77	721.97	764.93	554.11	719.69	954.70	1,141.21	1,523.41	1598.71	1549.40
2	Expenditure (including increase/decrease in stock)	536.68	614.63	620.69	462.83	611.24	810.52	906.76	1,193.58	1,242.31	1,181.35
3	Operating Margin	82.09	107.34	144.24	91.28	108.45	144.18	234.45	329.82	356.40	368.05
4	Interest Expenses	-	0.03	0.30	-	-	-	-	1.81	2.54	2.91
5	Depreciation	10.10	12.55	14.15	14.74	16.04	16.77	20.42	21.22	22.41	23.66
6	Profit before Tax	73.85	94.76	129.79	76.54	92.41	127.41	214.03	306.79	331.45	341.48
7	Profit after tax	46.50	63.05	60.79	48.54	58.84	72.01	130.63	197.30	214.69	222.02
8	Dividend Declared	9.31	12.61	12.16	9.71	11.77	14.40	26.13	75.45	84.68	88.81
9	Foreign Projects Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transfer to General Reserve	35.00	45.00	45.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	Other Reserves	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-
12	Reserve and Surplus	94.46	142.76	191.41	226.70	271.77	326.92	424.25	680.57	738.34	907.71
13	Fixed Assets(Gross Block)	76.36	126.84	135.18	178.76	203.12	213.52	276.84	310.69	337.62	336.63
14	Inventories	5.19	7.79	6.21	5.45	9.08	9.53	9.54	8.26	6.58	7.41
15	Foreign exchange earnings	30.85	13.48	13.27	12.53	11.06	11.80	21.89	35.23	47.51	37.59
16	Share Capital	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00
17	Capital Employed	103.87	151.72	195.05	204.97	210.67	320.35	456.74	768.33	853.19	998.31
18	Government Investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Net Worth	114.46	162.76	211.41	246.70	291.77	346.92	444.25	700.57	778.34	947.71
20	Profit before tax to Capital employed (in %)	71.10	62.46	66.54	37.34	43.86	39.77	46.86	39.93	38.85	34.21
21	Operating Margin to capital employed (in %)	79.03	70.75	73.95	44.53	51.48	45.01	51.33	42.93	41.77	36.87
22	Profit after tax to share capital (in %)	232.50	315.25	303.95	242.70	294.19	360.05	653.15	986.48	536.73	555.05
23	Expenditure to income (in %)	86.73	85.13	81.14	83.53	84.93	84.90	79.46	78.35	77.71	76.25
24	Number of employees	3,780	2,645	1,934	1,762	1,725	1,672	1,511	1,483	1,494	1,464
25	Income per employee	0.16	0.27	0.40	0.31	0.42	0.57	0.76	1.03	1.07	1.06
26	Foreign exchange earning per employee	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03
27	Current Ratio	1.13	1.13	1.22	1.23	1.20	1.45	1.55	1.96	1.80	1.71
28	Debt/ Equity Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Investments	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-

*Figures are as per Revised Schedule VI format of Balance Sheet

**Figures are as per IND-AS Financial Statements



Chairman's Speech



Dear Members,

On behalf of IRCTC's Board of Directors, I am happy to welcome you to the 19th Annual General Meeting of your Company and thank you for your presence here today. Your continued support and goodwill is very important for success of your Company.

It is my proud privilege to once again present to you the performance of your Company. The Company's financial statements for FY 2017-18, along with the Directors' and Auditors' report, have been circulated to you. With your permission, I take them as read.

Your Company continues to deliver strong financial and operational performance despite the difficult business environment faced in Fiscal 2018. While sharing our performance with you, I would like to touch upon opportunities & challenges ahead and the Company's preparedness in the dynamic business environment.

Financial Highlights

The Company achieved a Turnover of ₹ 1468 cr. in 2017-18 as against ₹ 1538 cr. in 2016-17 (reduction of 4.8% only). The Turnover was attained regardless of withdrawal of service charge from the tickets booked from IRCTC's website, which had impacted the Company by way of loss in turnover of ₹ 500 cr. (approx) in FY 2018.

I am happy to report that, the Company earned a Profit before Tax (PBT) of ₹ 341 cr. (approx.) as against ₹ 331 cr.(approx.) in previous year. The Net Worth of the Company also reached to ₹ 948 cr. (approx.) as on 31.3.2018 as compared to ₹ 778 cr. (approx.) as on 31.3.2017. The Board of Directors has recommended a Dividend of 40% of PAT amounting to ₹ 88.81 cr. for the year 2017-18, as against ₹ 84.68 cr. paid in the previous year.

The Company has received 'NIL' comments from the Comptroller & Auditor General of India during the supplementary audit on audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2018. It underlines the establishment and commitment to sound accounting and disclosure practices and desired checks and systems.

The Company expects to secure a "V. Good" rating by Department of Public Enterprises for the year 2017-18 on the basis of self evaluation done for the achievements of the parameters committed.

I wish to take this opportunity to brief the members present about the segment-wise performance of the Company during 2017-18.

1. Catering & Hospitality:

The takeover of major mobile units was completed in October 2017. In total, 186 mobile contracts been taken over from Railways through reassignment of contracts. The Company also commissioned 25 Food Plazas and 29 Fast Food Units, thereby managing 254 operational units in all throughout Indian Railways.

To improve the efficiency and establish transparency the following initiatives were taken by the Company:

- ❖ **Upgradation and automation of 16 Base Kitchens in FY 18;**
- ❖ **Installation of CCTV cameras in the Base kitchens and Cell kitchens of IRCTC;**
- ❖ **Establishment of a mechanism for monitoring these kitchens in a Central Control Room with the help of these cameras and opening of Live Streaming to public;**
- ❖ **Commenced "Easy to handle, Environment friendly and temperature sustained Sugar Bagasse (Bio-degradable) material packaging" in departmental trains;**
- ❖ **A complete set of new uniform issued to all workmen deployed onboard on Rajdhani, Shatabdi & Duronto (RSD) trains with signage of "NO TIPS PLEASE";**
- ❖ **Trial of new age trolleys for meal service started in Rajdhani trains;**
- ❖ **Introduction of Handheld billing device in trains to curb the cases of overcharging;**
- ❖ **Launch of App based Feedback system in tablets for the on-board supervisors in RSD trains.**



Your Company's revenue from Licencee Catering increased to ₹ 446 cr. (approx.) in 2017-18 against ₹ 161 cr. (approx.) in 2016-17. Revenue from Departmental catering also increased to ₹ 277 cr. (approx.) in 2017-18 as compared to ₹ 235 cr. (approx.) in 2016-17.

2. Rail Neer:

The total production of Rail Neer at Nangloi, Danapur, Palur, Ambarnath, Amethi, Parassala & Bilaspur plants was 20.20 crore bottles in FY 18 against total production of 18.70 crore bottles in previous year.

In addition to present 7 operational plants located at Delhi, Patna, Palur, Ambarnath, Amethi, Parassala and Bilaspur, the Company targets to commission four additional plants in FY 19.

During 2017-18, IRCTC installed 632 Water Vending Machines. Till 31st March 2018, your Company has cumulatively installed 1735 Water Vending Machines as against identified 2500 Water Vending Machines across Indian Railways.

The revenue from Railneer segment in 2017-18 was registered at ₹ 166 (approx.) cr. as against ₹ 159 cr. (approx.) in 2016-17.

3. Travel & Tourism:

With the strength of being a Railway PSU, IRCTC specialises in rail tourism, and, at present, is the market leader in this segment. Besides rail tourism, IRCTC has also diversified into various other tourism businesses for sustaining in the immensely competitive tourism market viz., International and Domestic Air packages, Land Tour Packages, Hotel bookings, Customised and LTC tours etc. An online tourism portal for booking of various tourism products is functional and available to tap the potential of business using internet.

The Company plans to further enhance and consolidate tourism business in the coming years by expanding and streamlining existing business lines as well as introducing new products, such as Rail Tour Packages, Air packages, Glass Top Coaches, Event Management, Corporate Travel, Buddhist Special Tourist Train.

Due to fewer numbers of State Special Tourist Trains, the income from Travel & Tourism Business of IRCTC observed a decrease from ₹ 529 cr. (approx.) in 2016-17 to ₹ 407 cr. (approx.) in 2017-18. The revenue from this segment, however, has picked up in the current year.

4. Internet Ticketing:

IRCTC's e-ticketing service now accounts for 66% (approx.) of reserved tickets on Indian Railways booked online. On an average, more than 6.75 lac tickets were sold daily through IRCTC's website during 2017-18.

The withdrawal of Service charge by Ministry of Railways w.e.f 23rd November 2016 adversely impacted the revenue of this segment. However, as per the policy directive issued by Ministry of Railways, annual expenditure of approx. ₹ 80 crores incurred on the ticketing system on web site, marketing, operation and after sale services by IRCTC was compensated in FY 2018.

The new initiatives taken by your company under this segment included making the option of UPI/ BHIM payment available; Aadhar linkage to user ID; Booking of Anubhuti class of Coaches and launching of the facility of book now pay later (after 15 days) for IRCTC users.

The revenue from Internet Ticketing segment was registered at ₹ 204 cr. in 2017-18 as against ₹ 470 cr. in 2016-17. This has been made possible by utilizing the full potential of website through advertising, data monetization, e-auctioning, retail management etc.

5. Corporate Social Responsibility and Corporate Governance:

As a socially responsible corporate citizen, IRCTC strives for excellence in promoting sustainable development and improvement in quality of life of surrounding communities through CSR, based on ethical, transparent and sound governance practices. During FY 18, the focus areas of CSR were Environmental Sustainability, Sanitation and Health. Out of the CSR Budget of ₹ 5.68 cr. for FY 18, the Company spent ₹ 5.43 cr. during the year and unspent amount of ₹ 24.29 lakhs would be carried forward to the next year's budget.



Your Company's philosophy of Corporate Governance stems from its belief that the spirit of good governance lies in adherence to highest standards of transparency, accountability, ethical business practices, compliance of law in true letter and spirit, adequate disclosures and social responsiveness and commitment to the organization to meet stakeholders aspirations. Your Company has been complying with the requirements of corporate governance as stipulated in the companies Act and DPE guidelines.

As stipulated in the guidelines issued by Department of Public Enterprises, a separate section on Corporate Governance has been added to the Directors' Report and a Certificate regarding compliance of conditions of Corporate Governance has been obtained from a Practicing Company Secretary in addition to Secretarial audit undertaken, as prescribed under Companies Act 2013.

6. Acknowledgements:

In conclusion, I would like to acknowledge that all these have been possible only due to the relentless and dedicated effort and hard work by the employees of the Company. On behalf of the management of the Company, I thank the Government of India, Ministry of Railways, Ministry of Tourism, Department of Public Enterprises, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Zonal Railways, all State Governments, departments and our partners for the confidence and trust reposed in your Company.

I also place on record my sincere appreciation and thanks to the Board Members, Statutory Auditor, Secretarial Auditor, C&AG and other Organizations and Institutions for their unstinted support, guidance and co-operation extended to IRCTC. It will certainly be our endeavour to put in our best efforts for sustained growth, expansion and prosperity of the Company benefitting all stakeholders.

Thank you

Sd/-

(M.P. Mall)

**Chairman & Managing Director
DIN : 02316235**

Place: New Delhi

Dated: 27th September, 2018

(Note: This does not purport to form proceedings of this Annual General Meeting)



DIRECTORS' REPORT

Distinguished Members,

Your Directors are delighted to present the 19th Annual Report on the business and operations of your Company together with the audited financial statements, Auditors' Report and review of financial statements by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for the financial year ended 31st March, 2018. The detailed financial and operational performance of the Company is produced in the report.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The key highlights of the financial performance of the Company during F.Y. 2017-18 along with the corresponding performance in F.Y. 2016-17 are mentioned below:

(₹ in Crores)			
Particulars	F.Y. 2017-18	F.Y. 2016-17	% age Increase/ (Decrease)
Turnover	1468.18	1538.93	(4.59)
Total Income	1544.16	1595.30	(3.21)
Profit before tax	341.48	331.45	3.03
Provision for Tax	119.46	116.76	2.31
Profit after tax	222.02	214.69	3.41
Profit brought forward	353.42	330.65	22.77
Transferred to General Reserve	35.00	35.00	-
Interim Dividend	-	37.50	(100)
Final Dividend (Including Dividend Distribution Tax)	106.89	101.92	4.88
Reserves & Surplus	907.71	728.84	22.94
Net Worth	947.71	778.34	21.76
Earnings Per Share (₹)	55.51	52.93	4.87

a. Capital Structure

As on 31st March, 2018, the Authorised share capital and paid-up share capital of the Company was ₹ 50 crores and ₹ 40 crores respectively. President of India (Government of India) through Ministry of Railways and its nominees hold the entire paid up share capital of the Company.

b. Dividend

As per the guidelines issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) dated 27th May, 2016, the minimum dividend to be paid by CPSEs for the year should be at least 5% of net worth or 30% of profit after tax, whichever is higher. In view of the above, the Board has recommended a final dividend of 222% on the paid-up share capital of ₹ 40 crores. The proposed final dividend amounts to ₹ 88.81 crores and total dividend (including dividend distribution tax) for the year 2017-18 comes out to be ₹ 106.89 crores as compared to ₹ 101.92 crores for the FY 2016-17, which is an increase of 4.88 % over previous year. The proposed dividend for FY 2017-18 works out to be 40% of profit after tax and is 9.37% of net worth as at 31.03.2018. The Final Dividend is subject to approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

c. Contribution to Revenue of Ministry of Railways

The Company also contributes by way of revenue share to Ministry of Railways (MoR) and the total share of such contribution was ₹ 185.05 crores during the year as against ₹ 327.31 crores during the previous year. Contribution to the revenue of (MoR) comprises of Haulage Charges, Concession fee, License fee, User Charges and Dividend.

d. Initial Public Offer

In the Union Budget 2017, your Company's shares were announced to be listed on the Stock Exchanges. However, to go ahead further, confirmation from Ministry of Railways is awaited.



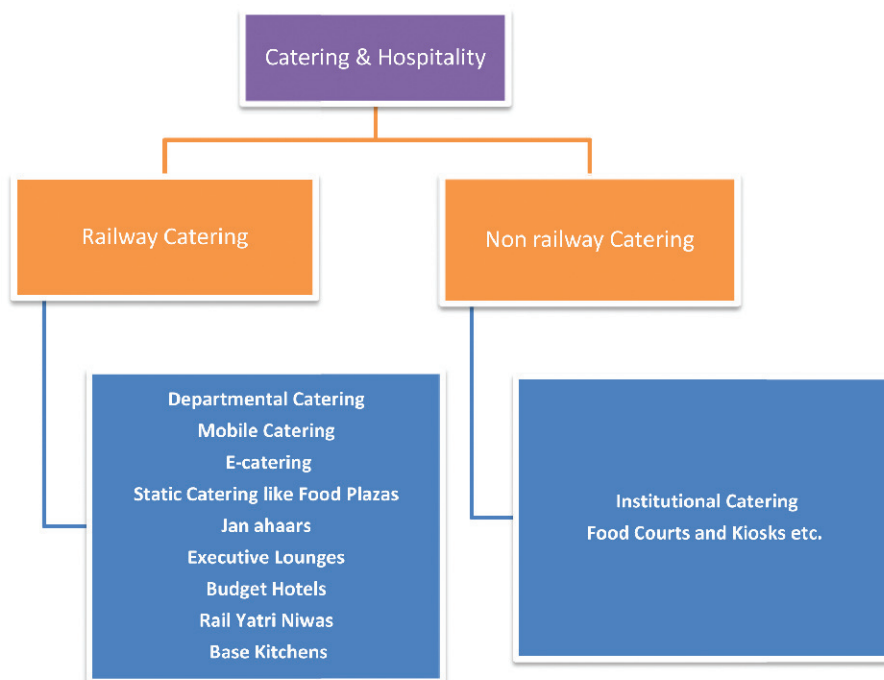
2. OPERATIONAL PERFORMANCE

The segment wise operational performance of the Company during 2017-18 is detailed below:

- a. Catering & Hospitality;
- b. Travel & Tourism;
- c. Internet Ticketing;
- d. Packaged Drinking Water (Rail Neer).

a. CATERING & HOSPITALITY:

The Catering and Hospitality segment of IRCTC is segregated as produced below::



The loss from Departmental Catering during 2017-18 decreased to ₹ 14.86 crores from ₹ 54.18 crores in 2016-17. The promulgation of New Catering policy on 27.02.2017 will result in further reduction of losses incurred in the departmental catering segment.

1. Railway Catering

i. Mobile Catering

As on 31.03.2018, IRCTC managed on-board catering services in 8 Rajdhanis, 1 Tejas & Gatiman each, 7 Shatabdis, 14 Durontos, 12 Humsafars, 3 Jan Shatabdis and 97 Mail/Express trains through award of temporary licenses. IRCTC also managed 1 each of Rajdhani/Shatabdi/Jan Shatabdi and 3 Mail/Express trains through departmental operations. During 2017-18, Ministry of Railways introduced 1 Tejas, Rajdhani & Shatabdi each, 7 Humsafars and 10 Mail/express trains and IRCTC managed the onboard catering services in these trains.

As per Catering Policy-2017, IRCTC would begin to manage catering services in phased manner and would unbundle catering services by creating a distinction primarily between food preparation and food distribution. IRCTC has been mandated to upgrade the quality of food preparation and shall be setting up new kitchens and upgrade existing ones. IRCTC has also been mandated to manage mobile units and static units namely, Base Kitchens, Jan Ahars, Cell Kitchens & Refreshment Rooms (Category – A & A1 stations).

Accordingly, the takeover process was initiated in April' 2017, followed by submission of Business Plan to Railway Board as per the Policy. Subsequently, detailed policy guidelines were issued and Zones were directed to initiate the takeover of units from Indian Railways. The mobile units' takeover was completed in



Oct' 2017 barring a few trains due to ongoing litigation. In total, 186 mobile contracts including 8 Rajdhani, 16 Shatabdi, 5 Durgonto, 146 Mail/Express & 11 Jan Shatabdi contracts have been taken over from Railways through reassignment of contracts.

Mobile catering continues to be a challenging task over Indian Railways (IR). The unbundling strategy contemplated envisages that food production will form the foundation on which quality of meals offerings will depend. The massive size and spread of the business is a potential opportunity to "create capacity" on catering for IR and attract private investment through PPP. Further, food service companies are likely to participate to deliver quality in onboard services with improved onboard infrastructure, planned to be executed by IR

As on 31.03.2018, IRCTC managed 335 mobile units including 1 Tejas & Gatiman each, 17 Rajdhani, 24 Shatabdis, 19 Durgontos, 12 Humsafars, 15 Jan Shatabdis & 246 Mail/Express trains.

ii. Static Catering

Static unit takeover from IR viz. Jan Ahars, Cell Kitchens and Refreshment Rooms (category – A & A1 stations) were also executed. In all, 44 Jan Ahars, 165 Refreshment Rooms and 25 Cell Kitchens were taken over from IR by Dec' 2017, except few units which were under litigation then.

As on 31.03.2018, IRCTC managed 247 Static Units including 167 Refreshment Rooms, 53 Jan Ahars and 27 Cell Kitchens.

iii. Base Kitchens

As in the case of mobile and static units, 10 base kitchens were also taken over from IR

As on 31st March, 2018, IRCTC managed Base Kitchens at New Delhi, Howrah, Ahmedabad, Patna, Mumbai Central, Mumbai CST, Balharshah, Nagpur, Beelashore, Sealdah and Kharagpur Jn. The Base Kitchens at New Delhi and Howrah are being managed departmentally. At other locations, service providers have been engaged for operations. The base kitchens at New Delhi, Howrah and Patna are ISO 22000:2005 certified. Regular inspections are conducted for monitoring the food quality and also for ensuring the standards of meals prepared at such kitchens. IRCTC's Central Kitchen at Noida sets the benchmark for base kitchen infrastructure.

Up-gradation of strategically identified base kitchens on trunk and other routes will induce private investment to foster a "visible change" in catering services in future. **In the year 2017-18, 16 Kitchen units, including kitchens of Refreshment Rooms, Cell Kitchens & Base Kitchens, were identified for up-gradations by installation of core kitchen equipments namely, tilting boiling kettle, tilting braising pan, vegetable processor & chapatti making machine.** Up-gradation was taken up and completed in 2017-18 at these units.

iv. Food Plazas/Fast Food Units/Food Courts

During the year, the Company commissioned 25 Food Plazas and 29 Fast Food Units, thereby managing 254 operational units in all. The company also awarded 53 (11 FPs & 42 FFUs) units during 2017-18. The total earnings from FPs/FFUs for FY 2017-18 stood at approximately ₹ 53.36 crore. Since October 2016, all tenders of FPs/FFUs are being done through e-tenders. A strategy of attracting well-known brands into this business has been initiated. The emphasis is to hasten project implementation at Railway stations and engender brand acceptability through enhanced customer experience.

v. E-Catering

E-Catering is a steadily expanding business and covers all 409 A and A-1 class stations, as advised by Ministry of Railways. Around 250 stations have already been made live and Self Help Groups from 10 stations are also serving meals through E-Catering.

The services of E-catering are now available for passengers through www.ecatering.irctc.co.in along with telephone calls and SMSs. Further, a mobile application christened "Food on Track" has been developed for facilitating online ordering for passengers on the move. The average meals booked per day has now increased to more than 8500 meals per day (July 2018). **This average daily bookings under E-Catering for FY18 stood at 5188 meals.** This is an encouraging trend and there is inbuilt potential for growth.

The Company has taken steps to attract more F&B brands including reputed local and national level brands. This is being done with a view to offer choice and options alongside other existing catering facilities.



As a shared endeavor of IR and IRCTC for providing good quality food and reliable service to train passengers, public awareness is critical to the success of this effort. IRCTC has taken steps independently and through IR to spread awareness about the services through distribution of pamphlets, posters, and press releases, in addition to social media. The web page for E-Catering has also been upgraded and made more user friendly by incorporating innovative upgrades for improved user engagement.

vi. Executive Lounges

As per the policy directives issued by Ministry of Railways, IRCTC has been advised to invest in the infrastructure to create Executive Lounges. Consequently, 05 Executive Lounges at Visakhapatnam, New Delhi, Vijayawada, Agra Cantt and Jaipur have been commissioned by IRCTC. Besides this, contracts have been also awarded for setting up, operation, maintenance and transfer back of Executive Lounges at 13 more stations viz. Gorakhpur Jn., Varanasi Jn., Hazarat Nizamuddin, New Delhi (Paharganj side), Lucknow Charbagh (NR), Trivandrum Central, Bangalore City, Madurai Jn., Ernakulam Jn., Ahmedabad, New Jalpaiguri, Sealdah & Raipur. Since Oct 2016 onwards, all tenders of Executive Lounges are being done through e-tenders only.

vii. Budget Hotel

The Company is presently operating two Rail Yatri Niwas and two Budget Hotels from the following locations:

1. Ginger Rail Yatri Niwas, New Delhi
2. Sampath Rail Yatri Niwas Howrah
3. Budget Hotel, Puri
4. Budget Hotel, Ranchi

2. Non-Railway Catering (NRC Units)

In view of the impending takeover of catering from IR, exit strategies are in place to divest from non-railway catering business and effectively deploy such released resources into Rail catering. IRCTC has been entrusted to take over catering services of Indian Railways in a phased manner. In the initial phase, all mobile units have been taken over by IRCTC. Post takeover process, the operations are expected to be resource intense. Therefore, it has been decided that IRCTC will only take up select units under NRC business on a revised business model.

2.1 Central Kitchen (ISO 22000:2005 certified)

The Central Kitchen has been providing quality meals and snacks to the prestigious trains. This is a one of its kind ultra-modern Food Factory in line with the major Air Flight Catering Kitchens to produce meals of high quality and standards. The factory is fully automated with equipment from the best of the manufacturers from India and abroad and managed by IRCTC's staffs who are qualified professionals from the F&B industry.

Future Potential & Planning:

• *Base Kitchens*

As per Catering Policy-2017, IRCTC has to set up modern Base Kitchens for productions of hygienic meals for transfer to trains. During 2017-18, 16 kitchens have been up-graded & another 30 are being planned for up-gradation in 2018-19. In addition to this, 9 locations have been identified for setting up of green field Base Kitchens. In the process of implementation of unbundling, up-gradation & setting up of new kitchens are crucial & shall take in due course complete unbundling of trains.

• *Food Plazas/Fast Food Units/Food Courts*

At present, IRCTC is operating 254 Food Plazas and Fast Food Units over Indian Railways. In FY 2018-19, IRCTC plans to tender approximately 100 locations. Another, 76 units are at various stage of commissioning. The Company plans to commission around 50 units in 2018-19. The coverage over IR of such units at AI, A & B class stations are approximately 87%, 49% and 17 % respectively. Improving coverage in B class stations is the strategy envisaged for future. Data connectivity of all such units will progressively begin.

• *Retiring Room Complexes*

With a view to provide improved passenger amenities and effective post-arrival/pre-departure facilities at Railway Stations by utilizing the available resources to its full potential, Ministry of Railways has mandated



IRCTC to renovate, operate and maintain Retiring Rooms at Railway Stations through issue of a policy. In order to start the process of award of licenses on Renovate- Operate - Transfer model, IRCTC has floated Expression of Interest (EOI) for empanelment of reputed originations to undertake the renovation work of retiring rooms at all A-1, A and B category stations. IRCTC has awarded contracts for the work of Renovation, Operation and Maintenance of Retiring Rooms for 19 stations namely Ahmedabad, Agra, Bhubneshwar, Bilaspur, Gwalior, Gorakhpur, Jaipur, Kacheguda, Lucknow (LJN), Madurai, Madgaon, Palakkad, Sealdah, Tatanagar, Tiruchirappalli, Tirupati, Thivim, Udupi and Vadodara.

- *E-Catering*

For enhanced performance of E-Catering, at least 5 vendors other than Food Plaza/Fast Food Units are targeted to be empanelled for each of the 409 A1 & A category stations. More specialties of regional cuisine are proposed to be made available and the website and mobile app are planned to be upgraded to match the standards of market and customer expectations with nationwide publicity. A complete end to end electronic feedback mechanism from consumers has been established for taking remedial action on complaints/suggestion/feedback lodged.

- *Central Kitchen*

This project has reinforced IRCTC's competence in building catering capacity which will be useful in the proposed unbundling process during the takeover of catering and setting up of base kitchens. Experience gained in commissioning and operation of the central kitchen would be utilized in benchmarking the operating standards, specifications etc., to set up kitchen units all over IR to support train catering. The central kitchen is to provide a countervailing balance to service provider operated kitchens on IR and strengthen IRCTC's stake in regulatory control to further strengthen and deepen relationships with such prospective partners.

Monitoring System

(i) *Structuring Quality Initiatives*

The prime initiative in FY-18 has been the initiation of a Comprehensive Quality Assurance Programme (CQAP) across the catering vertical in setting up of a unified data base across all such sub verticals for regulating contracts covering various licensee and departmental catering and railneer. A requisite quality monitoring module for management of catering complaints recorded from multiple sources over IR is also being developed by IRCTC.

This system envisages online data collection exercise through dashboards for catering units w.r.t inspections, complaints, passenger feedback etc. and real time redressal and correction mechanisms. It also covers contract management for all other static and railneer business. This scheme is to be consolidated in its operational aspects in FY-19 with an enterprise wide orientation exercise for users.

(ii) *Collaborative efforts with FSSAI*

Food Safety Standards Authority (FSSAI) is mandated to oversee a host of issues covering food related standards and safety initiatives. One among them is the dissemination of educative material across the spectrum of consumers, manufacturers, retailer etc. in the food industry.

IRCTC has collaborated with FSSAI to proliferate this educative mandate on IR in a big way with display of promo material especially in vernacular at stations and on trains.

Some recent initiatives include:-

- One liner 'quote' to be inscribed on paper cups, tray mats, napkin on food safety, personal hygiene, etc.
- Posters in vernacular languages related to food hygiene, personal hygiene & food safety to be displayed in pantry area and customer areas at Food Plaza/FFU, Pantry Cars, Base kitchens, Jan Ahaar, Water Vending Machines, etc. in different states.
- IRCTC will exchange its Social Media URL with FSSAI so that any campaign done by FSSAI may be directly visible on the social media handle of IRCTC.

(iii) *Customer Satisfaction Survey*

In IRCTC, quality of Food and Service is gauged by conducting Customer Satisfaction Surveys through third party professional agencies. IRCTC has empanelled 7 (Seven) such agencies for a period of 3 years.



(iv) Food Safety Audits

Keeping in view the impact of food safety on public health, food safety audits are conducted by IRCTC through third party agencies accredited by National Board for Certification Bodies (NABCB). During 2017-18, M/s Vexil (P) Ltd. has conducted Food Safety Audit of Food Plazas/FFUs and M/s TQ Cert. (P) Ltd. has conducted audit for mobile Units. The details are as under:-

Type of Unit	Number of units audited	Overall score achieved
Trains	117	68.54%
Food Plazas/FFUs)	138	71.26%

(v) ISO Certification

IRCTC takes consistent steps to improve the quality of catering services through ISO certification. During 2017-18, 30 Food Plazas/Fast Food Units were certified with ISO 22000:2005 certification, taking the total number to 191 out of 262 licensee- operated units, as on 31st March, 2018.

(vi) Complaint Monitoring and Redressal

IRCTC has taken over 341 contracts of Duronto, Rajdhani, Shatabadi and other Mail Express trains from Indian Railways during the year 2017-18. A total of 6584 number of complaints (including twitter complaints) were received from train passengers during the year.

In view of the quantum of complaints emanating from multiple sources, IRCTC has developed Catering Complaint Management System (CCMS), which enables online redressal of complaints (approx.80-90%) on trains and at stations by the zones and corporate office. Onboard Supervisors are being mapped train-wise thereby improving through online means, our response time with customers.

b. TRAVEL AND TOURISM

India, with its rich and diversified historical, natural and cultural heritage, is a home to many attractive tourist destinations of the world. The country's geography and topography has a tremendous potential to attract tourists across the globe.

With globalization and overall development happening in the country in terms of infrastructure and tourism facilities, the foreign tourist arrivals in India has tripled from 3 million per year in 2003 to more than 10 million in 2017 and analysts expect to see more than 15 million tourists visiting India annually by 2025. At the same time, domestic tourist visits to all states and Union Territories have India's rapidly growing tourism sector now plays a huge role in the nation's economy, supporting tens of millions of jobs and generating billions of dollars each year.

The World Travel & Tourism Council in their latest report on "Travel & Tourism- Economic Impact 2018- India" has stated that the total contribution of travel & tourism to GDP was ₹15.24 lakhs crore (US\$234 billion) which was 9.4% of the nation's GDP in 2017. It further forecasted that this contribution to GDP will rise to ₹ 32.05 lakhs crores in 2028 contributing 9.9% of the GDP.

IRCTC, today, has become one of the leading travel and tourism companies in the market catering to the needs of diverse tourist segments. With the strength of being a Railway PSU, IRCTC specialises in rail tourism, and, at present, is the market leader in this segment. Besides rail tourism, IRCTC has also diversified into various other tourism businesses for sustaining in the immensely competitive tourism market. The various tourism business segments of IRCTC include Luxury Train Tours Maharajas' Express, Buddhist Circuit Special Train, Bharat Darshan Special Tourist Trains, Rail Tour Packages, International and Domestic Air packages, Land Tour Packages, Hotel booking, Car Rental, Customised and LTC tours and Event Management. An online tourism portal for booking of various tourism products is functional and available to tap the potential of business using internet.

The income from Travel & Tourism Business of IRCTC has observed a decrease of 23.10% from ₹ 528.67Cr. 2016-17 to ₹ 406.54 Cr. in 2017- 18. The reason for decrease in the revenue was operation of fewer numbers of State Special Tourist Trains.

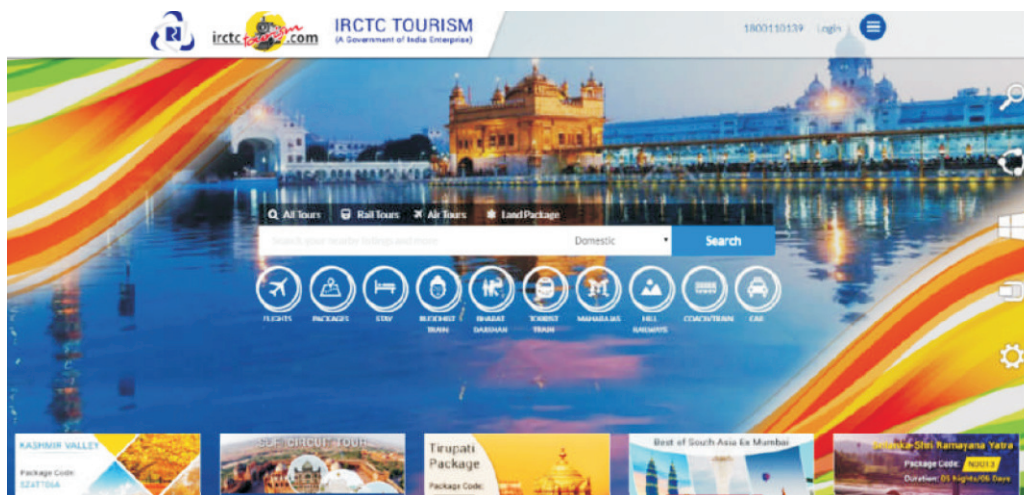
❖ Tourism Portal :

In the era of modern technology where internet, websites and apps are ruling the world, IRCTC has realised the potential of growing as an Online Travel Agency. IRCTC launched its tourism portal www.ircctourism.com in March 2007, and has been offering complete online travel solutions to the customers since the last 9 years. The portal has won the "National Tourism Award" in the year 2008,



“Website of the Year” for consecutive three years i.e. 2014, 2015 & 2016 by “Leisure & Travel” by MatrixLab and “Indian e-retail award” for consecutive three years from 2015 to 2017 by Franchise India. The portal offers on-line booking of Tourist Trains, Air tickets, Tour packages be it through rail, air or land, Hotel and Cabs. To be at par with the user friendliness and facilities which other OTAs offer, IRCTC is in the process of revamping its tourism website.

New tourism products such as Saloon cars on charter, trains and coaches on charter, hill trains and coaches on charter, Event Management and AC Tourist Trains Tours are also being added for booking by the customer in the upcoming new version of the portal.



❖ **Bharat Darshan Tourist Train:**

One of the most popular tourism products of IRCTC, Bharat Darshan Tourist Trains are special tourist trains tour packages offered by the company primarily targeting tourists who have budgetary constraints for their tour. These trains operate from various cities across the length and breadth of the country on various circuits covering various tourist destinations. Attractively priced at ₹ 900/- per day per passenger + applicable GST for Non-AC Sleeper Class, the tour package is inclusive of rail and road travel, all meals, sightseeing and accommodation. Above all the tourists are also insured for an accidental claim upto a sum assured of ₹ 4 lakhs. During FY 2017- 18, IRCTC operated 72 trips of Bharat Darshan Tourist Trains and a total of 45,994 tourists availed the tour package of this special train.

❖ **Buddhist Circuit Special Train:**

Started in the year 2007, the Buddhist Circuit Special Train completed 10 years of operation by IRCTC. This is a fully air conditioned train offering a 7 Nights and 8 Days package covering all major Buddhist Pilgrim locations in India and Lumbini in Nepal. The niche tourism product is mostly patronised by international tourists across the globe. During the FY 2017- 18, IRCTC has operated 5 trips of Buddhist Circuit Special Trains and 252 tourists availed this train tour package. The product generated a total income of ₹ 1.56 crores for IRCTC in FY 2017-18. IRCTC is also in the process of revamping the existing webpage of the Buddhist Special tourist train <https://www.irctcbuddhisttrain.com/> to give it a new look and feel and make it more user friendly.

❖ **Aastha Circuit Special Train:**

For Special Interest Tours, IRCTC conceptualised the “Aastha Circuit tourist trains” in the year 2017. This train caters to people interested in visiting various religious destinations for pilgrimage. Again attractively priced at ₹ 900/- a day (plus applicable GST) per tourist for Non-AC Sleeper Class, the train tour package includes rail & road travel, all meals, sightseeing, accommodation, insurance. IRCTC operated 13 Aastha Circuit Trains in FY 2017-18 and 5,623 tourists availed this special train tour package which generated a total income of ₹ 4.84 crores.





❖ **Gandhi Circuit Special Train:**

Focussing on another Special Interest Tourism Product, IRCTC operated 'Gandhi Darshan Special Tourist Train' on the decision of Ministry of Railways and to commemorate the occasion of 'Centenary Celebration of Sabarmati Ashram' associated with the Father of the Nation -Mahatma Gandhi. The train offers an all inclusive tour package across the major tourist places connected to the life of Mahatma Gandhi. The first such train was inaugurated on June 17, 2017 which was flagged off by Shri Vijay Rupani Hon'ble Chief Minister of Gujarat.



❖ **Tour Packages**

- (i) **Rail Tour packages** – IRCTC offers all inclusive Rail Tour Packages with confirmed onward and return rail journey apart from other elements of a package such as road transfers, accommodation, meals and sight-seeing at reasonable rates. During 2017-18, a total of 11,236 passengers availed IRCTC tour packages as compared to 21,442 passengers in 2016-17. The decline in number of passenger was due to strict VAT Policy of Ministry of Railways which forced IRCTC to stop many packages. But with Ministry relaxing the guidelines in the fag end of the year through its revised VAT Policy, IRCTC plans to revamp this extremely popular rail tourism product in the market in the next financial year.
- (ii) **Land Tour packages** – IRCTC also operates Holiday Packages (Land Packages) which includes road transfers, accommodation, meals and sight-seeing. During 2017-18, a total of 30,020 passengers availed IRCTC tour packages.
- (iii) **RTP with charter coach and train** – These are all inclusive packages like Rail Tour Packages, where the train travel is arranged through chartered coaches and trains by IRCTC. During 2017-18, a total of 765 passengers availed IRCTC charter tour packages.
- (iv) **Customized tour package-** IRCTCs flexibility in accommodating the demands of the customer is clearly demonstrated in customised tour packages. These packages are tailor-made as per the requirement of the tourists such as, budget, level of luxury, places of Interest etc. A total of 1,476 passengers availed IRCTC customised tour packages in year 2017- 18.

❖ **Educational Tours**

IRCTC operates educational tours for students under its “**travel to learn**” scheme and has tie-ups with various State Governments as well as private schools for operating educational tours for their students. In 2017-18, a total of **8,248** students travelled under IRCTC educational tours, generating an income of ₹ 4.77 crores. IRCTC also tied up with administration of Lakshadweep for conducting educational tours to the main land for the students of these Islands during FY 2017-18. IRCTC has operated educational trips for 3,200 RMSA students of Tamil Nadu government to Indian Space Research Organization and Satish Dhawan Space Centre.

❖ **Charter Trains and Coaches:**

IRCTC has operated 362 (54 trains & 308 coaches) charters in the financial year 2017-18 for various tourists groups. IRCTC also operates hill charters over Kalka-Shimla and Darjeeling Himalayan Railways UNESCO's "World Heritage Sites". IRCTC has promoted Hill Charter service across India. IRCTC has been nominated as Single Window agency for booking of FTR Train/ Coaches across India and a new online module is under development for this purpose. Ministry of Railways has nominated IRCTC to give the single window booking facility for all trains and coaches on charter.

❖ **Luxurious Railway Saloon Car**

Ministry of Railways decided to open the bookings of its fleet of luxurious saloon coaches to open market and has entrusted IRCTC with the task of marketing and booking of these special rail products. IRCTC





operated the maiden trip of such a Saloon Car from Delhi to Vaishno Devi Katra on 30th March 2018. A Saloon Car generally has a living room, two air-conditioned bedrooms – one twin bedroom and the other similar to AC First Class coupe with attached baths, dining area and a kitchen. Optional services like attendant, catering, pick and drop is arranged as per demand of tourists.

❖ **State Special trains**

IRCTC runs these special tourist train tours in collaboration with various state governments. The government selects the beneficiaries of the tour package who are mostly senior citizens. These train tours cover various destinations of tourist and pilgrim importance across India. During FY 2017-18, IRCTC tied up with State Governments of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Punjab, Jharkhand, Odisha and Uttar Pradesh, and operated the State Special trains for them. During the year, a total of 1,83,918 tourists availed these tours in 197 trips. An income of ₹ 208.81 crores was generated from the operation of State Special trains.

❖ **Maharajas' Express**

Maharajas' Express has created a brand image for IRCTC in the field of luxury tourism in the international arena. Launched in the year 2010, within 7 years of commencement, the Maharajas' Express has been awarded as the World's leading Luxury Tourist Train consecutively from the year 2012 to 2017 at the World Travel Awards. Maharajas' Express operates on 5 different itineraries out of which three itineraries are of 7 Nights/ 8 Days and two are of 3 Nights/ 4 Days which cover places like Ajanta, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Jaipur, Ranthambore, Agra, Balasinor, Gwalior, Khajuraho, Varanasi and Lucknow. Looking towards the increasing demand, IRCTC will be operating the train in new itineraries of South India in the next financial year and accordingly the itineraries have been uploaded with departure dates on the special dedicated website of the train www.the-maharajas.com.



During the year, total of 945 paid tourists (as against 1000 No. of PAX under MoU 2017-18) availed the services of Maharajas' Express in 28 trips

❖ **Leave Travel Concession (LTCs):**

Government of India authorised IRCTC as one among three PSUs for operating LTC tours. IRCTC offers general and customised LTC packages to Government employees. During the year, IRCTC arranged LTC package service to 115 passengers.

❖ **Election Special Trains:**

IRCTC has been entrusted with the job of moving the Military and Para-Military forces for duty for the general and assembly elections from FY 2013-14 onwards. During FY 2017- 18, IRCTC operated 135 trains for moving Para-military forces for assembly elections in the state of Karnataka, Tripura, Meghalaya and Nagaland generating an income of ₹ 51.25 crores.

❖ **Online Air ticketing:**

IRCTC's air-ticketing micro-site www.air.irctc.co.in provides online booking facility of Domestic as well as International Air-tickets at very competitive prices with the lowest facilitation charges as compared to other portals in Online Travel Agents (OTA) market.



Mobile app for air ticketing for Android and IOS users is also made available. During FY 2017-18, an average of 3,748 air tickets per day were booked through this website, as compared to 3100 average air tickets in FY 2016-17, registering a growth of 21%, surpassing the MoU 2017-18 target of Increase in Air Ticket booking over previous year by 20%. (Excellent).

❖ **Corporate Travel Business:**

IRCTC offers complete Travel services to Corporate, which include air ticketing, booking of domestic as well as International hotels, Visa facilitation, Insurance and Forex.

❖ **Outbound Air packages:**

Realising the potential of the outbound tourist market in the country, IRCTC has started operating outbound tour packages to various tourist destinations across the world. During the period FY 2017-18, a total 3,308 tourists availed the outbound tours operated by IRCTC from different zones as compared to 2,791 passengers during previous year. IRCTC earned total a revenue ₹ 23.06 crores from this business segment as compared to ₹ 16.03 crore in FY 2016-17, registering a growth of 44% approx.



❖ **Domestic Air packages**



Air packages are increasingly becoming more popular day by day due to limited time at the discretion of people for going on holidays. During FY 2017-18, IRCTC focussed on operating more domestic air packages and has accordingly operated packages from all the Zones to various destinations like Shirdi, Goa, Delhi, Tirupati, Gangtok, Darjeeling, Kalimpong, Andaman & Nicobar, Ladakh, Srinagar, Kashmir, Mumbai, Mysoor, Coorg, Bangalore and more. During the year, approximately 5,965 passengers travelled in 369 domestic air package tours.

❖ **Glass Top Coaches:**

This is a unique railway tourism product, first of its kind in India. The glass top coaches are under manufacturing at Integral Coach Factory, Perambur, Chennai. One Vista Dome coach is operating in Araku Valley, inaugurated on 16.04.2017. Another is running on Jan Shatabdi Express between Mumbai and Goa from 25.08.2017. The third one will be operated in Kashmir Valley, which is DMU type and will be operational by next financial year.

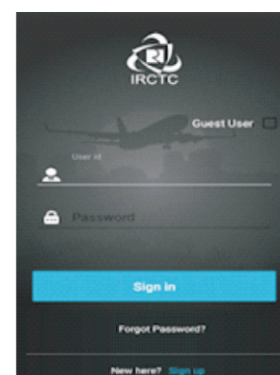


❖ **Online booking of Retiring Rooms at Stations and Hotel Booking:**

Railway passengers having confirmed PNR can now do online booking of retiring rooms across 498 Railway stations through IRCTC tourism portal. IRCTC also provides the facility of online booking of IRCTC hotels and Executive Lounges on its Tourism portal. IRCTC tied up with various reputed online Hotel consolidators for offering online hotel booking to customers.

❖ **IRCTC Mobile Apps:**

In a step towards promoting digitalization initiative of Government of India, IRCTC has introduced user friendly travel and tourism mobile Apps. 'IRCTC Air' and 'IRCTC Tourism' mobile application were launched on 31st May 2016. The application for IRCTC App is already available for Android and IOS users. An integrated IRCTC app featuring Rail & Air ticketing and IRCTC Tourism will be





soon launched. Till 31st March 2018, more than 5 lakh downloads of tourism app has taken place and regular packages are being booked regularly on the app.

• Future Potential And Planning

The extremely diversified tourism product lines give IRCTC, tremendous scope of growth in the field of tourism. In line with this, the company plans to further enhance and consolidate tourism business in the coming years by expanding and streamlining existing business lines as well as introducing new product lines. Specific thrust areas would be:-

1. **Rail Tour Packages:** With the new VAT policy in place, IRCTC will look for rebuilding its lost market in rail tour packages and will try to make these packages more competitive to attract tourists all over again.
2. **Air Packages:** IRCTC will also focus more on operating international and domestic air packages starting from various cities across the country. Accordingly, the seats blocked for air packages will be increased as well as the new destinations for international packages will also be added.
3. **State Special Trains:** IRCTC is approaching various State Governments for operation of State Special Trains. State Government of Delhi, Haryana, Maharashtra and West Bengal are keen to run these trains in association with IRCTC and the company is reaching out to these governments to finalise the arrangements.
4. **Glass Top Coaches:** IRCTC is planning to launch the third trip of the Glass Top Coaches in Jammu & Kashmir Valley along with three rail tour packages, which will be clubbed up and offered to customers.
5. **Event Management:** Realising the potential of event management as a business segment, IRCTC plans to position itself as a full-fledged event management company and offer its event related services for organising events (Meetings, Incentive tours, Conferences and Expositions – MICE) to Ministry of Railways, its PSUs and other government and private organizations across the country.
6. **Online Air-ticketing:** IRCTC plans to increase the air ticketing business by 15% FY 2018-19.
7. **Corporate Travel:** In FY 2018-19, the company plans to expand its corporate travel business by decentralising its operation and management to zones.
8. **Maharajas' Express:** IRCTC endeavours to increase the number of passengers over the previous year by focussing on the marketing and promotional activities of Luxury Train. The company will also have a change in its commissioning structure for agents to attract more agents in its base to increase the bookings of the train.
9. **Buddhist Special Tourist Train:** IRCTC is in active communication with Ministry of Railways for allotment of a new fully air-conditioned LHB rake for running the Buddhist Special Tourist Train in the tourist season 2018-19. The new rake will position the Buddhist Train as a promising international tourist product in the Buddhist circuit.

c. INTERNET TICKETING

IRCTC's e-ticketing service has continued to go from strength to strength ever since it came into the market and now accounts for 65.83% of reserved tickets on Indian Railways booked online, leaving behind several high profile e-commerce sites worldwide. On an average, more than 6.75 lac tickets were sold daily through IRCTC's website during 2017-18. The site offers round the clock ticket booking services except for 35 minutes from 2345 hrs to 0020 hrs. The site offers booking facilities of various full fare and concessional tickets.





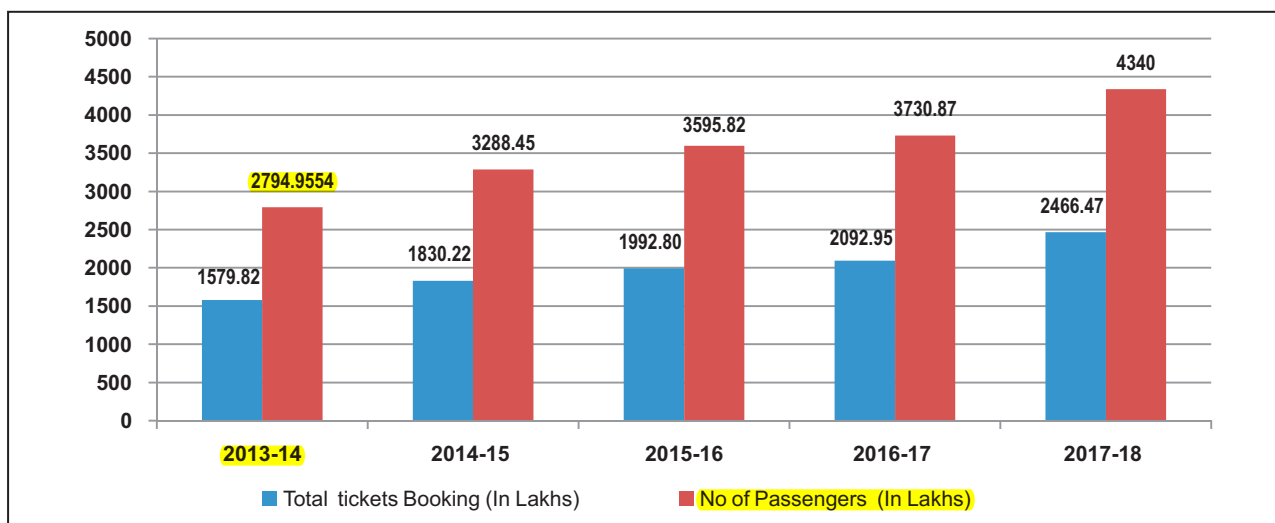
Service Charge:

A nominal service charge earlier levied by IRCTC @ ₹ 20/- per e-ticket for Non-AC classes and @ ₹ 40/-per e-ticket for AC classes was withdrawn by Ministry of Railways w.e.f 23rd November 2016 to promote digital payment. The announcement regarding withdrawal of service charge was thereafter made in Union Budget 2017-18 also and it continues to be withdrawn till date.

The withdrawal of service charge has resulted in loss of ₹ 693 crores (approx.) during 2017-18 in turnover of IRCTC. The annual expenditure of approx. ₹ 80 crores incurred on the ticketing system on web site, marketing, operation and after sale service is being compensated by Ministry of Railways. The withdrawal of service charge on the tickets, though has reduced the income from this segment, efforts are being made to encash full potential of website along with mobile application schemes by data monetization, e-auctioning, retail management etc.

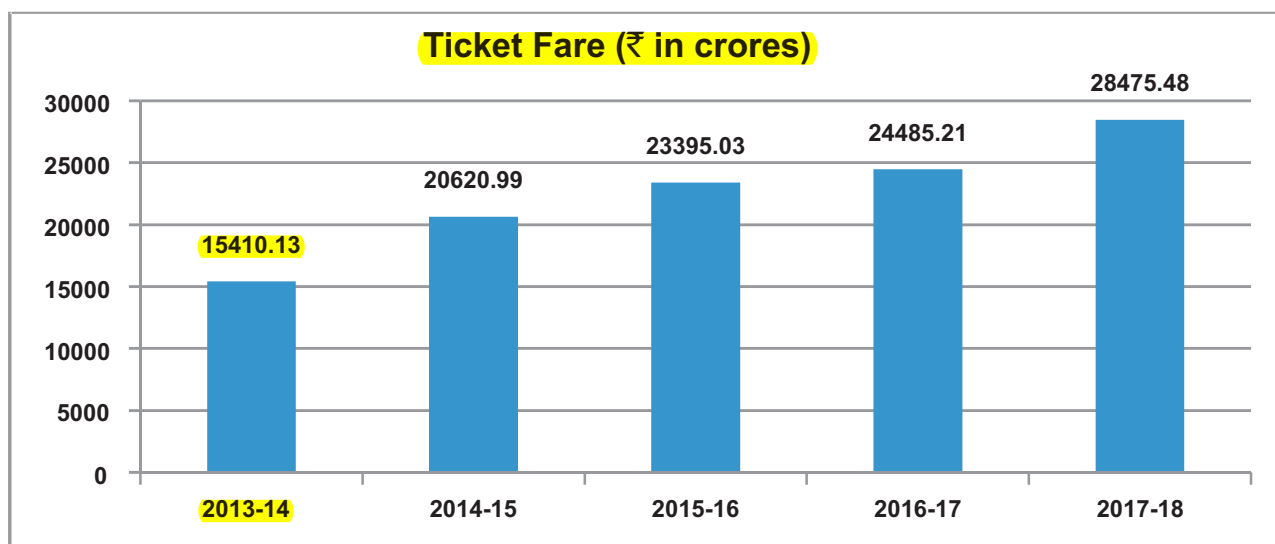
a. No. of E-Tickets Booked and passengers :

During the year, 2466.47 lac tickets were booked as compared to 2092.95 lacs in previous year. A total of 4340.08 lac passengers were booked through e-tickets on IRCTC website. The ratio of Passenger to Ticket during the year was 1:76.



b. E-ticketing Revenue Collection:

During the year 2017-18, a total of ₹ 28,475.48 crores was collected as Ticket Fare has from the users under E-ticketing revenue which is 14% more than the last year.





MoU Target and Achievement for 2017-18

As per the MoU entered into between IRCTC and MoR for the year 2017-18, 100% Agent authentication through Aadhaar of all agents and sub-agents was committed to be completed by 15.09.2017 (Excellent). Accordingly, all agents including sub-agents of IRCTC got verified through their Aadhar Number by 01.09.2017 and those who could not, have been deactivated

New Initiatives taken during 2017-18

- UPI/ BHIM payment option made available to users for making payment during online booking of e-tickets. Another scheme was launched to promote UPI/BHIM w.e.f 01.10.2017 for 6 months with full refund of train fare to 5 lucky users every month through randomized computer draw.
- “Aadhar linkage to user ID to allow 12 tickets in a month” has been enabled on website. Scheme was launched to promote Aadhar linkage to user ID w.e.f 01.12.2017 for 6 months. Every month 5 users being awarded with ₹ 10000 plus refund of full train fare.
- Booking of Anubhuti class of Coaches started on website.
- Cab booking facility extended to rail users to provide last mile connectivity to provide them with a hassle free travelling experience.
- Launched the facility of book now pay later (after 15 days) facilitated through M/s Arthashastra and the facility of Pay on Delivery through M/s Anduril Technologies Pvt. Ltd (payment can be made at the time of delivery of the ticket) for IRCTC users.

Highlights of Internet Ticketing

- Total number of tickets booked were 24.6 crores, 18% higher than last year.
- Total Train ticket fare for online e-ticketing as on 31st March, 2018 was ₹ 28,475.48 crores.
- Total number of tickets booked through Mobile App as on 31st March, 2018 were 4.83 crores, 225% higher than last year.
- **Mobile Bookings:-** A new version of Android Platform on Next Generation e-ticketing system was launched in January 2017. The average Mobile App bookings during 2017-18 were 1,32,539 tickets per day as compared to 40,752 tickets in 2016-17. Through IRCTC Rail Connect Mobile App on Android Platform, a total of 4.83 Crore tickets were booked which is 20% of total tickets booked through online.
- To proliferate Citizen Centric Services in rural areas scheme under e-Governance Plan of Government of India, M/s CSC e-Governance India services Limited has been permitted to register their 2.8 lakh Village Level Entrepreneurs (VLEs) for e-ticketing under Internet cafes.
- About 18.9 % of the total e-tickets booked by agents, 4.2 % higher as compared to that of the last year bookings.
- Refund to users in case of train being late more than 3 hours has now been made available through PRS with EDR Scheduler run on 6th day. About 50% of trains late more than 3 hour cases are now getting settled through PRS on 6th day. This facility started w.e.f 18.10.2017.
- Pending TDR refund cases touched the lowest ever figure of 43,131 in March, 2018. It is now less than one month accumulation.
- Approximately 35 crore passengers have been provided with free insurance for rail travel during the year.
- Online transaction charges for users booking their tickets online using Debit card was made ZERO w.e.f 01.03.2018.
- Now International users can book tickets under Foreign Tourist quota online also (w.e.f 14-Jul-2017).

d. PACKAGED DRINKING WATER (RAILNEER)

At present, IRCTC has seven operational plants located at Delhi, Patna, Palur, Ambarnath, Amethi, Parassala and Bilaspur, of which the plants at Amethi and Parasaala are under PPP mode.

The total production of Rail Neer at Nangloi, Danapur, Palur, Ambarnath, Amethi, Parassala & Bilaspur plants

Plants owned by IRCTC

- Nangloi Delhi
- Danapur, Bihar
- Palur, Tamil Nadu
- Ambarnath, Maharashtra
- Bilaspur, Chhatisgarh

Plants on PPP mode

- Amethi, Uttar Pradesh
- Parassala, Kerala



was 20.20 crore bottles against total production of 18.70 crore bottles in previous year. **The capacity utilization of all the plants was 82% as on 31st March 2018.**

Quality: Rail Neer Plant, Danapur, Nangloi, Palur and Ambernath are accredited with ISO: 9001- 2008 quality management system certification and Rail Neer Plant, Ambernath is accredited with 22000:2015 certification.

The result of the tests, carried out by accredited laboratories on Rail Neer Packaged Drinking Water indicates that the quality of Rail Neer conforms to European Economic Community (EEC) norms for pesticide residue.

Technology/Capacity up gradation:

- The neck size of bottle has been changed from 30 mm to 27 mm at Danapur plant to reduce the cost of manufacturing,
- The 500 ml bottle witnessed a design change as well as change in neck size from 30 mm x 27mm to 30 mm x 25 mm thereby achieving a cost reduction of 15 paise and economies in rates of performs.
- To combat design duplication and consequent sales of spurious water, a hologram was embedded on the Rail Neer bottle as a safety feature.
- Use of Handheld Terminals (HHT) for monitoring CFA operations.
- Rail Neer Carrying and Forwarding Agencies (CFAs) have been empowered to issue invoice through Handheld Terminals (HHTs) to licensees enabling on live record and reconciliation of sale and supply of stock to trains and catering units. This has simplified the process of bill settlement, rendered it accurate and real time. It has also resulted in savings in stationary and time for reconciliation. Further, it is proposed to populate IRCTCs server with the above data online rendering it to become decision making tool to assess performance of Railneer operations.

Table showing performance of Rail Neer (Physical & Financial) for all the plants for 2017-18:

Name of Plant	Sales (No. of bottles in Crores)	Turnover including inter-segment sales (₹ Crores)
Nangloi	4.28	36.53
Danapur	2.81	25.87
Palur	3.46	29.90
Ambarnath	4.88	42.55
Amethi	2.15	20.05
Parassala	1.52	14.22
Bilaspur	0.62	5.78
Total	19.72	174.90

Consumption per unit of production:

Particulars	Electricity(KWH/100 Bottles)	
	2017-18	2016-17
Rail Neer Packaged Drinking Water	5.0	5.4

Future potential & Planning:

- ✓ As per a study by Aranca Consultants, average daily requirement of Packaged Drinking Water over Indian Railways is approx 18 lakh bottles/day. IRCTC's average production capacity is 6.8 lakh bottles/day over seven working plants. With the commissioning of eight more plants, capacity will be enhanced to average 11.9 lakh bottles per day, which will be operational by 2018-19, covering 66% of Indian Railways demand.



- ✓ The civil construction work at Nagpur, the third plant under PPP mode, has been completed and installation of machinery is in progress. The plant is likely to be commissioned in FY19. The installed capacity of the plant is 72000 litres per day.
- ✓ Two more plants at District Hapur & Sankrail for which physical work was started in 2017-18 are expected to be commissioned in 2018-19.
- ✓ Contract for six more plants at Ahmedabad, Bhopal, Bhusawal, Jagi Road (near Guwahati), Vijayawada, and Jabalpur have been awarded and out of them at least 5 plants will be commissioned in 2018-19.
- ✓ Tenders for two more plants at Nangal and Ranchi have been finalised in 2017-18 and construction shall be started in 2018-19. The plant at Ranchi is being set up in the premises of abandoned coal mines of Central Coalfield Limited having raw water in abundance.
- ✓ IRCTC entered into a MoU with NTPC for setting up Rail Neer plant at NTPC Power plant premises, in which source treated water shall be provided by NTPC. NTPC has developed a Flue Gas based Sea Water (FGSW) desalination system through which distilled water is produced and made fit for filling in the bottle after mineralization and ozonation. Three locations have been identified for setting up plant in association with NTPC at Simhadri (Vishakhapatnam), Talcher and Solapur. These plants are environment friendly as raw water is not extracted from ground.

Water Vending Machines

Ministry of Railways has directed IRCTC to provide purified, chilled and potable drinking water to railway passengers at an affordable rate (@ ₹ 5/- per 1 litre) through **Water Vending Machines (WVMs)**, thereby reducing pollution on account of lesser consumption of plastic bottles and generating employment.

During 2017-18, IRCTC installed 632 Water Vending Machines (against the MoU target of 1250 machines). Till 31st March 2018, your Company has cumulatively installed 1735 Water Vending Machines as against identified 2500 Water Vending Machines across Indian Railways. Out of 1194 stations of category of A1, A, B and C, a total of 633 stations have been provided with WVMs, covering around 95% of A-1 category stations.

3. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Human Resource Development (HRD) function in the organization has been designed to improve the knowledge, ability, skills, and other talents of their employees. IRCTC firmly believes in the strength of its most vital asset i.e. Human Resource. To keep the employees' morale high, the Company follows best management practices to ensure welfare of its employees through a process of inclusive growth & development.

Category	No. of Employees
Regular Employees	1403
Deputationists	58
On Contract/ZTO	03
Consultants	19
Out Sourced	618

The percentage of women employees, SC/ST/OBC employees, persons with disabilities and ex-servicemen out of regular employees of the Company is mentioned below:

Category	No. of Employees	% of total no. of regular employees
Women employees	117	5.57
SC Personnel	270	12.85
ST Personnel	73	3.47
Other Backward Classes	339	16.14
Persons with Disabilities	05	0.24
Ex-Serviceman	NIL	—



Government of India has issued a policy on reservation from time to time providing for certain percentages of reservation on direct recruitment as well as promotion in specified posts for reservation of SCs and STs. IRCTC, being a CPSE, strictly complies with reservation policies through maintenance of Post Based Roaster System as prescribed by the Government.

During the year, to give better opportunities to employees, 120 employees of workmen category of W1 to W3 grade were promoted to W6 grade and 3 employees of S4-E0 grade were promoted to E-2 grade by conducting Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).

MoU targets 2017-18 and achievements thereof:

S.No	Target	Status of Achievement
1	100% online Quarterly vigilance clearance updation for Senior Executives (AGM and above)	Quarterly vigilance clearance were taken from vigilance in respect to all Executives (AGM & above) online.
2	Preparation of succession plan and its approval by Board of Directors by 30.09.2017	15.11.2017
3	100 % holding of DPC without delay for executive (E0 and above level)	14 selections were planned during 2017-18 and all of 14 selections have been issued. In addition to these selections, 19 DPC were planned for promotions on suitability basis and all 19 DPC were completed in 2017-18.
4	Talent management and career progression by imparting at least one week training in Centre of Excellence within India e.g. IITs, IIMs, NITs, ICAI etc – 10% of Executives	10.30% (Out of 301 executives in the Company, 31 have been given one week training in IIM/Rohtak & MDI/Gurugram.)

Employee Welfare:

National Pension Scheme: During the year, the Company implemented Pension Scheme for IRCTC employees' w.e.f 01.04.2007 through Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) under National Pension scheme (NPS). The employer contribution from 01.04.2007 to 31.03.2017 and for FY 2017-18 has been transferred in respective Permanent Retirement Account Number (PRANs) of 957 employees.

Industrial Relations

During the year, the Industrial Relations in the Company have been cordial and no man-days were lost. An effective work culture has been established in the Company through empowerment, transparency, decentralization and practice of participative management.

Particulars of Employees

As per provisions of section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with the Rule 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, every Company is required to give a statement showing the names and other particulars of the employees drawing remuneration in excess of the limits set out in the said rules in the Annual Report of the Company.

However, as per notification dated June 05, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, government companies are exempted from complying with provisions of section 197 of the Companies Act, 2013.

Your Company is a government company, therefore, such particulars have not been included as part of the Directors' Report.

4. USE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

IRCTC has robust ERP application (Oracle Enterprise Business Suite) in place, whereby various modules of ERP e.g. accounts payable (AP) Accounts receivable (AR), General Ledger (GL), HRMS, Property Manager, Employee Self Service (integrated with www.IRCTC.com- Employee Login) have been implemented and supporting process owners of almost all departments like finance, Catering, Railneer & HRD and helping them with various reports & MIS. All official Employees data & financial data of the organization is maintained in digital form in ERP and can be accessed anytime from anywhere.



As per the MoU target of 2017-18 regarding 100% online submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0) and above) alongwith its compliance of prescribed timelines w.r.t writing of ACR/APAR, your Company has developed a module for filling of Annual Performance Appraisal Reports (APARs) online and the same is functional for the APARs of E0 and above from FY 2017-18.

5. VIGILANCE

The vigilance wing in IRCTC is a key department which acts as direct link between CVC, Railway Board's vigilance and the organization. It has been entrusted with the responsibilities of mandate to carry on various surprise checks and scrutinize records/documents of various other departments from time to time for timely detection of malpractices, corruption and unwarranted/unlawful business conduct in the organization.

IRCTC's vigilance wing is headed by a full time CVO since 01.02.2018. He is assisted by a Deputy CVO, 3 Vigilance Officers and 2 vigilance inspectors in the corporate office. There are further 5 vigilance officers in various zones handling vigilance related matter in the fields. The focus area of vigilance department is to promote work culture for preventive vigilance and monitoring and surveillance.

During 2017-18, 04 complaints received from the CVC, Board (Vigilance) and other sources for investigation and report were investigated and disposed within the time limit. 131 preventive/surprise checks were conducted in catering and e ticketing sector. Nearly 303 complaints received through email were processed. The malpractices and incidents of corruption so detected were communicated to the concerned department for action against the licensees and erring employees. The resulting fine recovered was to the tune of ₹ 52, 06,029.

Further, on recommendation of vigilance department, system improvements were implemented by various departments to minimise instances of malpractices especially in the procurement, catering and e ticketing sector.

As per CVC guidelines, Vigilance Awareness Week was organized from 30th October 2017 to 4th November 2017. The theme was "My Vision – Corruption Free India". During the event, various seminars/workshops were organized for staff and officials in all offices and zones of IRCTC. Five grievance redressal camps were organized for citizens and customers that served as a forum to address common grievances and also to communicate about citizen rights to checkmate corruption. Skits and plays were also organized at various railway stations for onlookers and passersby, highlighting the importance of e ticketing and clean system with Dos and Don'ts.

Whistle Blower Policy/ Establishment of Vigil Mechanism

Disclosure regarding establishment of vigil mechanism is included under the Corporate Governance Report at **Appendix-"B"**.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During the year 2017-18, your Company has undertaken numerous initiatives towards CSR & Sustainability activities in the field of public health, facilities for elderly and differently abled persons, sanitation and cleanliness. Some *significant* CSR & Sustainability activities undertaken by your Company during the year are:

i. Construction of NAMMA toilet:

Modular type NAMMA toilets were provided at Gorakhpur, Jaipur, Gwalior, Agra Cantt. And Vadodara railway stations under CSR initiative of IRCTC. The sanctioned cost of the project was ₹ 1,25,00,000/- out of which ₹ 60,65,000/- was spent in last financial year and amount of ₹ 35,41,984/- is spent in FY 2017-18.

ii. Supply of wheel chair lifts at various stations:

IRCTC provided 10 No. wheel chair lifts on Delhi–Chennai route at Agra, Gwalior, Jhansi, Bhopal, Nagpur, Vijayawada, Hazrat Nizamuddin, New Delhi, Chennai railway stations at a total cost of ₹ 29,29,500/-.

iii. PET Bottle Crusher at various railway stations:

Purchase order for installation of 50 nos. PET Bottle Shredder Machines at Howrah Division, Hyderabad Division, Ranchi Division, Delhi Division, Vijaywada Division, Lucknow Division and Mumbai Division at a total cost of ₹ 57.23 lacs.



iv. Financial assistance to sponsor equipments for blood transfusion centre for patients of Thalassemia and Leukemia (Blood Cancer):

A financial assistance of ₹ 13 lacs is provided for setting up of blood transfusion centre for patients of Thalassemia and Leukemia (Blood Cancer) through a NGO – The Wishing Factory. Two no. blood transfusion centers were set up one each at Pune and Ajmer.

v. Adoption of needy cancer patients through Cancer Patient Aid Association (CPAA):

The Company contributed ₹ 15,00,000/- towards adoption of needy cancer patients through Cancer Patient Aid Association (CPAA).

vi. Women empowerment of self help groups (SHG) and awareness of government schemes through NGO:

The Company contributed ₹ 5,00,000/- towards Women empowerment of self help groups (SHG) to enhance their livelihood through Bhartiya Stree Shakti and also a financial assistance of ₹ 1,80,000/- was given to NGO- Bhartiya Sankalp Path Foundation, New Delhi for awareness of various government schemes among common people in backward areas.

vii. Financial assistance to Voice of World – a social welfare organization for handicapped:

A financial assistance of ₹ 10 lacs was provided to a social welfare organization – Voice of World for setting up of Braille Library in a school of differently abled persons.

viii. Installation of water ATMs at National Rail Museum New Delhi:

As a CSR initiative, IRCTC installed water ATMs at National Rail Museum New Delhi with a total cost of ₹ 10 Lakh.

ix. Allotment of 33% of Total CSR funds towards Swachh Bharat Activities:

In accordance with the DPE guidelines regarding “Allocation of CSR Funds by CPSE for Swachh Bharat Activities”, company allotted more than the minimum required of 33% of CSR funds amounting of ₹ 402 Lakh towards “Swachh Bharat Kosh” set up by the Central Government.

7. COMPLIANCES

7.1 Goods & Service Tax

The Government of India introduced a major socioeconomic reform, the Goods and Service tax (GST), an indirect tax levied on the supply of Goods and Services. As a tax reform, GST has introduced a single system of taxation across the country that subsumes most of the indirect taxes from the earlier VAT and Service Tax regime.

Now that GST has got implemented w.e.f from 01.07.2017, the IRCTC has achieved successful roll-out of the Goods and Services Tax (GST). Despite some initial documentation-related problems faced, GST is a giant step forward in creating a stable and transparent taxation regime.

7.2 Right to Information Act, 2005

The Right to Information Act, 2005 seeks to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. To deal with RTI applications in a fast track mode, IRCTC generates one Unique Registration No. (URN) for each application and the same is replied by the concerned CPIO/PIO well within the prescribed time limit. In corporate office and zonal offices, PIOs and Appellate Authorities have been nominated as per the provisions of RTI Act, 2005. The list of CPIO/PIOs, Appellate Authorities is available on the IRCTC website i.e. www.irctc.com. IRCTC has been aligned to online RTI MIS portal w.e.f. 01.04.2017 and all the applications received online are disposed off through online RTI Portal which results in faster disposal of RTI cases.

During 2017-18, a total of 2338 cases under RTI Act, 2005 were received and all the applications were disposed off in timely manner.

Particulars	No. of applications received as transfer from other Pas u/s 6(3)	Received during the year [including cases transferred to other PAs]	No. of cases transferred to other Pass u/s 6(3)	Decisions where requests/ appeals rejected	Decisions where requests/ appeals rejected
Requests	1944	2338	267	6	2065
First Appeals	62	77	16	0	61



7.2 Presidential Directives

During the year, Ministry of Railways vide its letter No. 2017/PL/49/08 dated 02.01.2018 issued a Presidential Directive for implementation of pay revision of Board Level and Below Board level Executives and Non Unionized Supervisors of IRCTC w.e.f. 01.01.2017.

7.3 Rajbhasha (Official Language)

The Company continued its thrust on the Official language implementation as per the Govt. of India's Rajbhasha Policy. Several steps are taken to increase the use of Rajbhasha in the Company and the Company has proved its commitment to ensure the implementation of the Rajbhasha Policy. Various activities were undertaken during the year like organizing workshops, providing training, organizing meetings, essay competitions, cultural activities etc. For outstanding and note worthy contribution in Rajbhasha, number of incentives and reward schemes are in force.

A Hindi week was organized in the month of September 2017 in the corporate office in which various competitions, such as Hindi Quiz, Hindi dictation, Hindi Essay and Hindi

Typing competitions were organized, in which large number of participants took part. Winners were awarded with Cash awards alongwith a Certificate

7.4 Disclosure Requirement under Sexual Harassment of Women at Work Place Act (Prevention, Prohibition and Redressal Act) 2013

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereon are being strictly complied with. The Company is committed for the prevention of sexual harassment of women at workplace and takes prompt action in the event of reporting of such incidents. In accordance with the Act, to provide protection against sexual harassment of women at workplace and to maintain their safety, IRCTC has nominated the Internal Complaints Committee(s) with the composition as required under the Act, at Corporate Office as well as Zonal offices of the company.

During the year, the Company did not receive any complaint of sexual harassment.

7.5 Procurement from Micro and Small Enterprises (MSEs)

As prescribed under Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs), Order 2012, mandatory procurement of a minimum of 20% of the total procurement from MSE's firms and at least 4% out of 20% from SC/ST firms is required. During FY 18, the Company was able to carry out a total of 17.94% of procurement from MSE firms.

The Company will make all out efforts to achieve the targeted purchase of 20% from MSEs with 4 % out of 20% procurement from SC/ST firms in 2018-19.

8 COMPLIANCES UNDER COMPANIES ACT 2013

8.1 Deposits

The Company has not accepted or invited any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013 read with Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014 during the year under review. Therefore the information required to be reported under Rule 8 (5) (v) of Companies (Accounts) Rules, 2014 is **NIL**.

8.2 Particulars of Loans & Guarantees Given, Investments Made and Securities Provided

During the year, the Company has not provided any loan, made any investment; or provided any guarantee under section 186 of Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. Therefore, the information to be reported under section 186 of the Companies Act 2013 is **NIL**.

8.3 Contracts And Arrangements With Related Parties

The Company did not enter into any contract / arrangement / transaction with related parties under section 188 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 during the year under review and, therefore, there is '**Nil**' information required to be reported under Form AOC-2 prescribed under clause (h) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act 2013 and Rule 8 of Companies (Accounts) Rules 2014.



8.4 Internal Financial Control System

The Company has in place an internal control system which commensurate with size, scale and complexity of its operations. Internal audit constitutes an important element in overall internal control systems of the company. The scope of work of the internal audit is well defined and is very exhaustive to cover all crucial functions and businesses of the company. The internal audit in the company is carried out by the independent professional firms appointed for this purpose. Details of the internal control system are provided in the Management Discussion and Analysis Report given at **Appendix-"A"**.

8.5 Risk Management

The Company has formed a Board Level Risk Management Committee and the details of the composition, meeting held and terms of reference are included under the Report of Corporate Governance.

The Company also has below Board level Committee constituted of GGM level officers, which is assisted by a Chief Risk Officer (CRO). The functions of the Committee are to identify the risks related to the specific business segments of IRCTC in order to establish an appropriate risk management framework in the Company. The Audit Committee periodically reviews the risk assessment and minimization process in IRCTC.

The Risk Management Policy of the Company is also available on website www.irctc.com. During quarterly meeting of below Board risk management various risks are being identified & discussed upon to put up at Board level committee. The Company is also in the process of hiring a professional institution/organization to further support on these issues.

8.6 Secretarial Standards

The Company has complied with applicable Secretarial Standards, i.e. SS-1 and SS-2, relating to 'Meetings of the Board of Directors' and 'General Meetings', respectively

9 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS

There are no significant or material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and the Company's operations in future.

10 PARTICULARS RELATING TO CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO ETC.

The details pertaining to Conservation of Energy and Technology Absorption; and Foreign Exchange Earnings and Outgo, as required to be disclosed under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is given as under:

All out efforts and initiatives are taken by IRCTC to minimize adverse environmental impacts from its operations, products & services by using processes, practices, materials and products that avoid, reduce and control pollution. Compliance with the relevant environmental laws and effective operation of the various pollution control facilities are ensured at all the Plants/Units. For ensuing a safe and clean environment to reduce the dependence on conventional energy sources,

(A) Technology absorption-

Details are mentioned below in the table:

No.	Particulars	Status
(a)	the details of technology imported;	NIL
(b)	the year of import;	NA
(c)	whether the technology been fully absorbed;	NA
(d)	if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and	NA

(B) Expenditure incurred on Research and Development.

Your Company does not undertake exclusive research projects as it does not have presence in such domain. However, to improve the technical capability and enhance competence, some methods and techniques have been developed and innovative systems have been introduced for its business segments.



(C) Foreign exchange earnings and Outgo-

The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows as compared to previous year is mentioned below: (₹ In cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Foreign Exchange Earning	37.59	47.51
Foreign Exchange Outgo		
Foreign Travelling Expenses	0.33	0.30

11 POLICY ON PERFORMANCE EVALUATION OF DIRECTORS

Ministry of Corporate Affairs has vide its notification dated 5th June, 2015 notified the exemptions to Government Companies from the provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Sec. 134(3) (p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the Directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the company as per its own evaluation methodology.

Department of Public Enterprises (DPE) has laid down a mechanism for performance appraisal of all functional directors. Your Company enters into Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Railways (Government of India) each year, demarcating key performance parameters for the Company. The performance of the Company and Board of Directors are evaluated by the Department of Public Enterprises vis-à-vis MOU entered into with the Government of India.

Further, Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated 5th July, 2017 has exempted the provisions relating to review of performance of Chairperson of the Company and non-independent directors and the Board as a whole and evaluation mechanism, prescribed in Schedule IV of the Companies Act, 2013, for Government Companies.

In view of above, such particulars have not been included as part of the Directors Report.

12 INTEGRAL REPORTS

The following reports as reproduced in the table mentioned below with relevant sub-appendices form an integral part of this Directors' Report, and have been placed with therit Appendix respectively:

Name of the Report	Appendix
Management Discussion and Analysis Report	A
Report on Corporate Governance	B
Annual Report on CSR and Sustainability Activities	C
Secretarial Auditor Report	D
Extract of Annual Return	E
Addendum to Directors' Report (Management replies to remarks contained in the Auditor's Report)	F

The "**Management Discussion and Analysis Report**" provides an overview of the affairs of the Company, its legal status and autonomy, business environment, mission & objectives, sectoral and segment-wise operational performance, strengths, opportunities, constraints, strategy and risks and concerns, as well as human resource and internal control systems [**Appendix – A**].

"**Report on Corporate Governance**" highlights the philosophy of Corporate Governance and Key Values of the Company, composition of Board of Directors and its Committees, their details including profile of directors who joined the Board during 2017-18 and thereafter, attendance and remuneration of directors etc., other relevant disclosures and general information for shareholders [**Appendix – B**]. It is supplemented by following compliance certificates:

- Certificate signed by the Chairman & Managing Director affirming receipt of compliance with the Code of Conduct and Key Values from all Board members and Senior Management personnel during the year 2015-16 (placed at **Appendix – B1**);



- ii. Certificate from Chairman & Managing Director and Director Finance with respect to the truth and fairness of the Financial Statements, due compliances, and financial reporting (placed at **Appendix – B2**); and
- iii. Certificate of compliance of Corporate Governance provisions signed by a practising company secretary (placed at **Appendix – B3**).

“**Annual Report on CSR and Sustainability Activities**” provides a brief outline of the company’s CSR and Sustainability policy, the composition of CSR Committee, average net profit of the Company for the last three financial years, prescribed CSR expenditure, and details of CSR spent on the activities / projects undertaken during the financial year etc. [**Appendix – C**].

Pursuant to section 204 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, IRCTC has appointed M/s Akhil Rohtagi, Company Secretaries, an independent practicing firm of Company Secretaries to conduct Secretarial Audit for the financial year 2017-18. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2018 is annexed as to this Report [**Appendix – D**]

The extract of Annual Return pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in the prescribed form MGT-9 is appended to the Directors’ Report. [**Appendix- E**].

Management Replies to the remarks made by the Independent Auditor in his report are enclosed as [**Appendix- F**].

13. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The performance of the Company has been rated as “Good” based on the outcomes achieved with reference to the key performance indicators (KPIs) enshrined in the Memorandum of Understanding (MoU) for the financial year 2016-17.

The Memorandum of Understanding reflecting the financial and physical targets for the year 2017-18 and 2018-19 was signed between the Company and Ministry of Railways on 28th July, 2017 and 14th May, 2018 respectively.

The evaluation of MoU 2017-18 is under progress and the final evaluated MoU score and rating is expected to be announced by DPE during December 2018.

14. AWARDS AND ACHIEVEMENTS

IRCTC endeavours for an all-round growth and the same is reflected in the list of its awards & achievements:

1. Rail Neer, a signature product of IRCTC, was ranked as the top performer out of many other reputed packaged drinking water brands from across the country by “Consumer Voice” magazine published by Voluntary Organization in Interest of Consumer Education (VOICE).- 15.05.2017.
2. IRCTC has been awarded Indian e-Retail awards 2017 in the category- Leisure & Travel e-Retailer of the year for its tourism services in a glittering ceremony held at J W Marriot Aerocity, New Delhi on 15.05.2017.
3. IRCTC has covered itself with glory by winning the coveted Dun & Bradstreet’s PSU Awards’ 2017. The award was presented in a glittering ceremony held at Hyatt Regency, New Delhi.- 27.07.2017.
4. IRCTC a leading tourism organizations in the country has been named as “The Most Reliable Domestic Tourism Brand” in the country during recently held prestigious India Tourism Conclave & Travel Awards event at New Delhi – 29.07.2017.
5. Riding on a robust growth IRCTC has taken a big leap by improving its ranking in the prestigious Fortune India Next 500 list of Indian companies from **199** in 2016 to **62** in 2017- 01.08.2017.



6. Internationally acclaimed Maharajas' Express, owned and operated by IRCTC has bagged 'World Travel Award' for 'Leading Luxury Train' for sixth times in a row (2012-17) at glittering ceremony held at Phú Quốc, Vietnam. – 10.12.2017.



7. IRCTC has been conferred with Dainik Bhaskar India Pride Awards awarded in the category India image enhancement/creating a global brand on 28.03.2018.





15. JOINT VENTURES/SUBSIDIARIES

- a. The company's only Joint Venture with Cox & Kings Ltd. with 50:50 equity in the name of Royale Indian Rail Tours Limited (RIRTL) was incorporated on 27th November, 2008 with an objective to acquire, furnish, maintain, manage and operate luxury trains and to market holiday packages with such luxury trains as an integral part. Accordingly, a luxury train having 23 coaches was got manufactured, fabricated and funded by the company and was marketed in the name of "Maharajas' Express" and was leased to Royale Indian Rail Tours Limited ("RIRTL") for the purpose of running, operating and managing the luxury tourist train for a period of 15 years. However, due to certain issues between the equity partners, the lease of the luxury train was withdrawn and the JV Agreement dated 10th December, 2008 was terminated on 12th August 2011. Hon'ble Supreme Court permitted IRCTC to operate the said luxury train.

Cox & Kings Limited initiated arbitration proceedings seeking restoration of Joint Venture Agreement. The arbitration proceedings are at argument stage. Cox & Kings Limited and RIRTL assailed the order of Arbitral Tribunal, deleting the name of RIRTL, before Delhi High Court and the said appeals are listed for argument.

- b. IRCTC has also filed a petition against Royale Indian Rail Tours Limited (RIRTL) and Cox & Kings Limited and others before National Company Law Tribunal (NCLT) (erstwhile Company Law Board) under sections 388B, 397, 398, 399 and 403 of the Companies Act, 1956 and the said petition is subjudice. Details of the Joint Venture are covered in the notes to accounts of the financial statements for the periods ending 31st March, 2017 vide note no. 37.3 and 45. RIRTL has also taken permission from the NCLT for not holding the Board and General meetings without its approval in July, 2013.

16. CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS

As mentioned in the Para above, the Board meetings and general meetings have not been held in the Company after the financial year 2010-2011, due to pending dispute with Cox & Kings Limited. Therefore, the consolidation of financial statements as required under section 129(3) of the Companies Act 2013 could not be done as also explained and disclosed vide Note No. 45 of the Notes to accounts of the financial statements for the period ending 31st March 2018.

17. AUDITORS

17.1 Statutory Auditors

Under section 139(5) of the Companies Act 2013, Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s Serva Associates, as Statutory Auditors of the Company to audit the financial statements for the financial year 2017-18. The Statutory auditor has been decided to be paid an audit fee of ₹ 9.50 lacs plus applicable taxes and out of pocket expenses for the year 2017-18.

17.2 Secretarial Auditor

Pursuant to section 204 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, IRCTC has appointed M/s Akhil Rohtagi, Company Secretaries, an independent practicing firm of Company Secretaries to conduct Secretarial Audit for the financial year 2017-18.

The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2018 is enclosed as **Appendix-D** to this report. As per the report, Secretarial Auditor has observed *that some of the units of Railneer have not been registered under the Legal Metrology Act, 2009.*

Management Reply given to Secretarial Auditor is mentioned below:

"Out of present seven Railneer plants, three plants are already registered under the Legal Metrology Act, 2009. For remaining four plants, the process of registration has been initiated and these would be registered shortly."

17.3 Internal Auditor

As per the section 138 of the Companies Act, 2013 read with Rule 13 of Companies (Accounts) Rules 2014, the Company has appointed M/s K.S. Choudhary & Co., Chartered Accountants, an independent accounting firm to undertake the assignment of internal audit for F.Y. 2017-18. The details regarding scope and functions of the firm is placed in the Management Discussion and Analysis Report.



17.4 Cost Auditors

Since the business segments of IRCTC are not covered under new Cost Audit Rules notified by Ministry of Corporate Affairs, the Company got conducted the cost audit of cost records maintained by the Rail Neer Plants on voluntary basis only through M/s Sanjay Gupta & Associates as the Cost Auditor for the year 2017-18.

18. COMMENTS OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL (C&AG) OF INDIA

The Comptroller & Auditor General of India has undertaken supplementary audit on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2018 under Section 143(6) of the Companies Act, 2013.

The comments of the C & AG on the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2018 shall also form part of this report.

19. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors of the Company in pursuance of section 134 (5) of Companies Act, 2013 confirms that:

- (i) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (ii) the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for that period;
- (iii) the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) the directors have prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (v) the directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

20. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMPs)

Chairman & Managing Director, Director (Finance), Director (Catering Services), Director (Tourism & Marketing), Chief Financial Officer (CFO) and Company Secretary are Key Managerial Personnel (KMPs) of the Company.

The following changes have taken place in the Board of Directors and Key Managerial Personnel of your Company **since the last Annual General Meeting**:

Appointment:

- (i) **Mr. Mahendra Pratap Mall (DIN: 02316235)** assumed the charge of Chairman & Managing Director of the Company w.e.f September 18, 2017.
- (ii) **Prof. Sachin Chaturvedi (DIN: 07960871)** has been appointed as part-time (non-official) Director on the Board of Company w.e.f October 10, 2017.
- (iii) **Mr. Comal Ramachandran Sundaramurti (DIN: 07965899)** has been appointed as part-time (non-official) Director on the Board of Company w.e.f October 13, 2017.
- (iv) **Ms. Sarita Despande (DIN: 08098222)** has been appointed as part-time (non-official) Director on the Board of Company w.e.f March 29, 2018.
- (v) **Smt. Rajni Hasija (DIN: 08083674)**, has been appointed as Director (Tourism & Marketing) on the Board of Company w.e.f May 18, 2018.
- (vi) **Mr. Neeraj Sharma (DIN: 08177824), Executive Director (Passenger Marketing), Railway Board** has been appointed as part-time Government Director on the Board of Company w.e.f July 12, 2018.



Cessation:

- (i) **Smt. Amritbir Kaur Brar (DIN: 06780608)**, Director (Tourism & Marketing) ceased to hold office due to her superannuation on November 30, 2017.
- (ii) **Mr. Prashanth Kumar Balsavar (DIN: 07189241)** ceased to be part-time (official) Director of the Company w.e.f. May 25, 2018 as communicated by Ministry of Railways.

The following Directors are holding office as on the date of the report:-

Sr. No.	Particulars	Date of Appointment
1.	Mr. Mahendra Pratap Mall (DIN: 02316235) Chairman & Managing Director	From 18 th September, 2017 onwards
2.	Mr. Sriram Venkatachalam (DIN: 07445220) Director (Catering Services)	From 11 th March, 2016 onwards
3.	Smt. Rajni Hasija (DIN: 08083674) Director (Tourism & Marketing)	From 18 th May, 2018 onwards
4.	Smt. Smita Rawat (DIN 07670758) Part-time Government Director	From 8 th December, 2016 onwards
5.	Mr. Neeraj Sharma (DIN 08177824) Part-time Government Director	From 12 th July, 2018 onwards
6.	Dr. Rabi Narayan Bohidar (DIN 00637818) Part-time (non-official) Director	From 31 st January, 2017 onwards
7.	Dr. Dheeraj Sharma (DIN 07683375) Part-time (non-official) Director	From 31 st January, 2017 onwards
8.	Smt. Kanak Aggarwal (DIN 00074469) Part-time (non-official) Director	From 31 st January, 2017 onwards
9.	Prof. Sachin Chaturvedi (DIN: 07960871) Part-time (non-official) Director	From 10 th October, 2017 onwards
10.	Mr. Comal Ramachandran Sundaramurti (DIN: 7965899) Part-time (non-official) Director	From 13 th October, 2017 onwards
11.	Ms. Sarita Deshpande (DIN: 08098222) Part-time (non-official) Director	From 29 th March, 2018 onwards

21. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors place on record their thanks for the guidance and cooperation extended to the Company by the Government of India, Ministry of Railways, Ministry of Tourism and Department of Public Enterprises. The Board of Directors is also extremely grateful to its valued customers and licensees.

The Board also acknowledges with thanks the constructive suggestions received from C&AG of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Cost Auditors.

Last but not the least, the Board wishes to place on record its sincere appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employee at all levels, to ensure that the Company continues to grow and excel.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(M.P. Mall)

**Chairman & Managing Director
DIN:02316235**

**Date : 24.08.2018
Place : New Delhi**

**MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT****1) INDUSTRY STRUCTURE AND DEVELOPMENT****1.1 ECONOMIC SCENARIO**

India has emerged as the fastest growing major economy in the world as per the Central Statistics Organisation (CSO) and International Monetary Fund (IMF) and it is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy and partnerships. India's GDP is estimated to have increased 6.6 per cent in 2017-18 and is expected to grow 7.3 per cent in 2018-19.

The services sector is the key driver of India's economic growth. The sector is estimated to contribute around 54.0 per cent of India's Gross Value Added in 2017-18 and employed 28.6 per cent of the total population. India's net services exports during reached US\$ 57.60 billion April-December 2017 amounting to about US\$ 64.10 billion according to the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

1.2 INDUSTRY OVERVIEW:**1.2.1 CATERING**

The Indian Food and Beverage (F&B) service Industry is one of the most vibrant industries that has seen unprecedented growth in the recent past and continues to expand rapidly. This can be attributed to the changing demographics, increase in disposable incomes, urbanisation and growth of organised retail.

The Indian food industry is poised for huge growth, increasing its contribution to world food trade every year. In India, the food sector has emerged as a high-growth and high-profit sector due to its immense potential for value addition, particularly within the food processing industry. Accounting for about 32 per cent of the country's total food market, The Government of India has been instrumental in the growth and development of the food processing industry. The government through the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) is making all efforts to encourage investments in the business. It has approved proposals for joint ventures (JV), foreign collaborations, industrial licenses, and 100 per cent export oriented units.

The Indian food and grocery market is the world's sixth largest, with retail contributing 70 per cent of the sales. The Indian food processing industry accounts for 32 per cent of the country's total food market, one of the largest industries in India and is ranked fifth in terms of production, consumption, export and expected growth. It contributes around 8.80 and 8.39 per cent of Gross Value Added (GVA) in Manufacturing and Agriculture respectively, 13 per cent of India's exports and six per cent of total industrial investment. The Indian gourmet food market is currently valued at US\$ 1.3 billion and is growing at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 20 per cent. India's organic food market is expected to increase by three times by 2020.

Going forward, the adoption of food safety and quality assurance mechanisms such as Total Quality Management (TQM) including ISO 9000, ISO 22000, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Hygienic Practices (GHP) by the food processing industry offers several benefits. It would enable adherence to stringent quality and hygiene norms and thereby protect consumer health, prepare the industry to face global competition, enhance product acceptance by overseas buyers and keep the industry technologically abreast of international best practices.

1.2.2 TOURISM:

India is a large market for travel and tourism. It offers a diverse portfolio of niche tourism products - cruises, adventure, medical, wellness, sports, MICE, eco-tourism, film, rural and religious tourism. India has been recognized as a destination for spiritual tourism for domestic and international tourists.

Total contribution by travel and tourism sector to India's GDP is expected to increase from ₹15.24 trillion (US\$ 234.03 billion) in 2017 to ₹ 32.05 trillion (US\$ 492.21 billion) in 2028. India ranked 7th among 184 countries in terms of travel & tourism's total contribution to GDP in 2017.

Travel and tourism is the third largest foreign exchange earner for India. Foreign exchange earnings (FEEs) in March 2018 were US\$ 2.66 billion. The number of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) in March 2018 was 1.03 million. A sum of US\$ 27.693 billion was earned under foreign exchange through tourism during calendar



year 2017. Total employment in the sector is expected to rise to 52.3 million jobs by 2028. During calendar year 2017, 10.177 million foreign tourists have arrived in India. The Government of India has set a target of 20 million foreign tourist arrivals (FTAs) by 2020 and double the foreign exchange earnings as well.

The launch of several branding and marketing initiatives by the Government of India such as 'Incredible India!' and 'Athiti Devo Bhava' has provided a focused impetus to growth. The Indian government has also released a fresh category of visa - the medical visa or M visa, to encourage medical tourism in the country. Incredible India 2.0 campaign was launched in September 2017. The Government of India is working to achieve 1 per cent share in world's international tourist arrivals by 2020 and 2 per cent share by 2025.

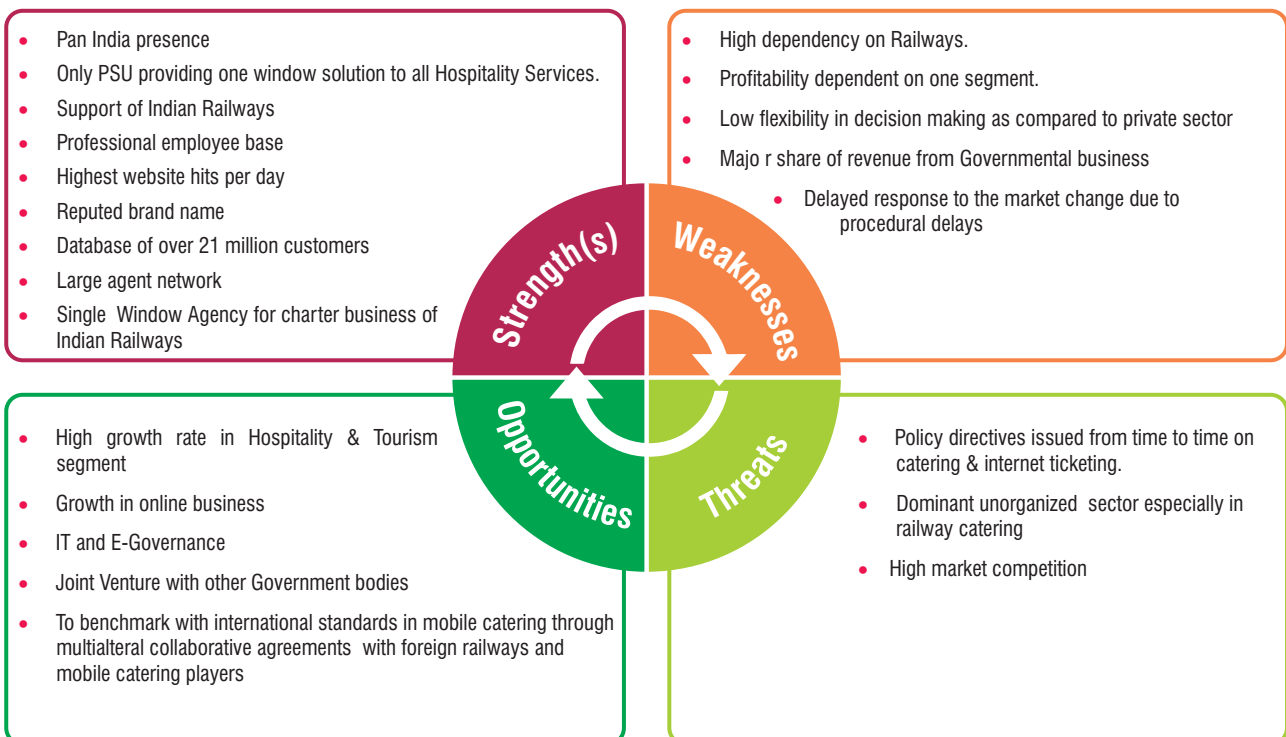
The Government has also been making serious efforts to boost investments in tourism sector. In the hotel and tourism sector, 100 per cent FDI is allowed through the automatic route. A five-year tax holiday has been offered for 2, 3 and 4 star category hotels located around UNESCO World Heritage sites (except Delhi and Mumbai). Total FDI received by Indian hotel & tourism sector was US\$ 10.90 billion between April 2000 and December 2017. India is a large market for travel and tourism. It offers a diverse portfolio of niche tourism products - cruises, adventure, medical, wellness, sports, MICE, eco-tourism, film, rural and religious tourism. India has been recognized as a destination for spiritual tourism for domestic and international tourists.

1.2.3 BOTTLED WATER:

The bottled water industry in India has presence of the top players, but they struggle to penetrate the smaller non-tier-I cities because of poor infrastructure. This is giving an opportunity for small regional players to build their market share in regional market. The market share of unorganised players is anticipated to grow if the demand for bottled water keeps pace. This could severely affect the revenues of organised players, as these small local players eat into their market by imitating their brands and charging similar prices in the market. The bottled water industry is also much unorganised sector at the moment because of the lack in logistics and distribution network. To fulfil the entire requirement, the focus should be on logistics and setting up new plants for higher and better service to be provided to the consumer and meet their needs and demands.

With a rise in health awareness, increase in tourism and the easy availability of bottled water, the per capita consumption of bottled water in India is on the increase. The total market was valued at ₹ 60 billion in 2013, of which the top five players accounted for 67 per cent of the market share. This market is expected to grow at a CAGR of 22 percent, to reach ₹ 160 billion in 2018.

2) SWOT ANALYSIS





3) OUTLOOK

IRCTC is a Public Sector Catering and Hospitality entity. Its business segments cover Travel & Tourism, Internet Ticketing and Packaged Drinking Water (Rail Neer) by providing value added products and integrated services under a single roof to rail passengers, tourists and other customers.

In order to provide value added services to its stakeholders, IRCTC has planned various initiatives in financial year 2018-19, which includes setting up 30 greenfield signature kitchens (including renovation of existing Kitchens / Food Production Units) in view of new Catering Policy, setting up four new railneer plants, launch of IRCTC own payment Aggregation platform, setting up a billing system for Food Plazas and Fast Food Units through data network linked to IRCTC central server to enable revenue monitoring, conversion of existing aluminum casserole to baggasse based biodegradable packaging in IRCTC managed Non SBD Rajdhani, Shatabdi & Duronto trains, implementation of trolleys in Non-SBD Rajdhani, Shatabdi & Duronto trains, commissioning of 50 nos. of additional Food plazas/FFUs, automated Top up of Rolling Deposit Scheme (RDS) process in E-ticketing,

The Company is committed to further enhance tourism business by expanding existing business lines as well as introducing new products viz, increase in number of PAX in Maharajas Express and number of trips of Bharat Darshan and Astha trains, International and Domestic Air packages, Helicopter air services, Gatiman type Rail Tour packages, Pick up and Drop (Concierge) Services, Cab services, Medical tourism and Inbound as well as Outbound travel services for individual over previous year etc.

The Company has also been continuously working in the field of Internet Ticketing in order to provide improved booking services to customers by improving the software, launching of mobile app for easy access to the IRCTC ticketing portal and booking through mobile e-wallets.

Regarding Railneer, the Company would explore the possibility to utilise water available in abandoned mines of Coal India Limited and reject water produced in NTPC's thermal plants.

4) RISKS AND CONCERNS

4.1 Catering:

The catering business of IRCTC is for, of and by the Railway. It is more of an opportunity than a risk per se in spite of policy flip-flops the business had witnessed since 2001. The promulgation of the new catering policy has firmly established the stage for a new protocol of understanding between Ministry of Railways and IRCTC to substantially upgrade the level of hospitality and catering services in Indian Railways.

The current risks and concerns include:

- a) High barriers to entry the business has witnessed from existing players in the train catering business.
- b) The inability of IR & IRCTC to initiate and create enabling conditions in the past to induct new players from the F&B industry to create catering capacity in IR.
- c) Stagnant infrastructural upgrades on trains to improve the quality of service deliverables especially archaic pantry car design on mail/express trains. These are challenges to be addressed urgently especially with unbundling of services which will depend on reliable infrastructure – both on board and off board.
- d) Revised structuring of contracts to be attempted so as to preempt risks such as excessive bidding on concessions wherein bid parameters emphasize on quality of service as the end objective.
- e) Tariff restructuring of menu offerings to arrive at price points somewhere between, what the traffic can bear vs. minimal cost it takes to provide the service.

Policy initiatives from the Ministry and proactive concerted action by IRCTC and IR's field units can ensure that the stage is set to create an environment to transform catering services on IR for the better.

4.2 Internet Ticketing:

Internet ticketing services for Indian Railways was the main source of profits for the company. The Company used to get nominal Service Charge of ₹ 20/- per ticket for non AC classes and ₹ 40/- per ticket for AC classes with Service Tax. The service charge revenue was being shared in the ratio of 50:50 with Indian Railways. Service Charge on e-ticketing was withdrawn from 23.11.2016 which is being continued till date. Since Service



Charge has not been restored, it had serious impact on the revenues of the corporation. This has reduced turnover as well as profit before tax and profit after tax for the company.

Railway's revenue has also got impacted by way of reduction in share of service charge in online e-ticketing and also by reduction in dividend payment. Flexibility of IT department as well as IRCTC in carrying out new ventures and supporting other low revenue passenger amenity related works has also been diminished.

4.3 Tourism:

Tourism Industry is highly competitive at Domestic as well as International level. Economic Downturn and political events in India as well as in the World can affect Tourism in India. Natural Calamities, Policies and Charges applied by Railways for Tourism Packages and Trains are also the factors which affect this segment of the Company.

Quality of Service rendered by Service providers, unethical practice followed in Tourism Industry, proper marketing and promotion of Tourism Products by IRCTC and less flexibility compared to private players are also the areas for concern of management of the Company that needed to be taken care of while implementing any policy, procedures and strategy for this segment of the Company

4.4 Rail Neer:

The provision of such a "Public Good" with highly inelastic demand is a business opportunity for IRCTC to supplement its catering business. Risks and concerns include:

- a) Natural scarcity of water due to misdirected end-use has to be combated through efficient industrial processes to improve specific water consumption Exploring efficient and cost-effective transportation linkages through Rail to save on transport costs which adversely render Railneer non-competitive vis-à-vis other brands in the market. Competitive tariffs to be sought from Ministry to harness unutilized capacity on trains in select sectors.
- b) Railways to tighten diligence including QC tests on brands inducted for consumption at stations where Railneer coverage is yet to reach.
- c) Attempts at broad-basing of O&M operators by IRCTC has not achieved the desired results mainly due to the need to revisit contract structures in order to minimize O&M pay outs.
- d) Implementation of QC standards in the vocational spread of Water vending business is a challenge especially to upscale the frequency of onsite quality tests across the Indian Railway network with widely varying water quality.

Potentialities to be tapped in the business ranges from improving plant efficiencies to supply chain enhancements through use of information technology and using rail transport as a supply chain vehicle as distinct from road for supply of railneer at smaller stations.

5) INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The Company maintains an adequate system of Internal Control in all the functional and operational areas including various policies and procedures which ensures the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to management's policies, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information. The Internal Audit is conducted by experienced firms of Chartered Accountants in close co-ordination with concerned officials of the Company.

During the year, Internal Audit was conducted by M/s K. S. Choudhary & Co., Chartered Accountants who have been appointed as Internal Auditor by the Board of Directors of the Company, in accordance with the provisions of Section 179 of Companies Act, 2013 and rules made hereunder.

Internal Audit covers all the major areas of operations of the Company as per the Annual Internal Audit Programme. Internal Audit helps in improving accuracy and efficiency of transactions and operations by undertaking review of controls in built, scrutiny of payments and expenditure and examination of financial and technical records of the Company. A summary of Audit observations and action taken reports are being submitted before the Audit Committee of Board of Directors and the recommendations of the Audit Committee are duly complied with.



6) INTEGRITY PACT

IRCTC has implemented the integrity pact program in line with the recommendations of Central Vigilance Commission with an objective to ensure that all activities and transactions between a Company or Government departments and their Suppliers are handled in a fair, transparent and corruption free manner. The adoption of Integrity Pact by IRCTC has helped in establishing healthy business practices. To ensure transparency and healthy competitiveness in public procurements/ contracts, IRCTC has adopted Integrity Pact. One Independent External monitor has been appointed in IRCTC with the approval of CVC. A coordinator has also been appointed for Integrity Pact which is now being used in all the tenders which are beyond the identified threshold values.

7) FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE

The total Revenue decreased by 3.21% from ₹ 1,59,530.08 lakh to ₹ 1,54,416.33 lakhs in financial year 2017-18. Profit before tax grew by 3.03 % from ₹ 33,144.71 lakhs to ₹ 34,148.08 lakhs in financial year 2017-18. The profit after tax grew by 3.41 % from ₹ 21,468.97 lakhs to ₹ 22,202.31 lakhs in financial year 2017-18. The comparative performance of major financial parameters during the financial years 2017-18 and 2016-17 is given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	2017-18	2016-17
Sales Turnover	1,46,817.97	1,53,893.25
Profit before interest, depreciation, exceptional items and tax (EBIDTA)	36,280.38	35,298.64
Less: Interest and Finance Charges	290.76	253.53
Less: Depreciation	2366.11	2241.37
Profit before tax (PBT) before exceptional items	33,623.51	32,803.74
Exceptional items : Loss(-)/Gain(+)	524.57	340.97
Profit before tax (PBT) after exceptional items	34,148.08	33,144.71
Less: Provision for taxation	11,945.77	11,675.74
Profit after tax (PAT)	22,202.31	21,468.97
Dividend (as a % of Equity share capital) on cash basis	117.96	282.39
Final dividend – on cash basis	117.96	188.64
Net-worth	94,770.95	77,833.88
Earnings Per Share (₹)	55.51	52.93

7.1 ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY

A detailed analysis of the Audited Financial Results of the Company for the FY 2017-18 vis-à-vis FY 2016-17 is as under:-

(a) REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ in Lakh)

S.No.	Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
A	Sale of Products			
	(i) Railneer (Packaged Drinking Water)	16,110.77	15,456.07	4.24
	(ii) Departmental Catering			
	- Sale of Food & Beverages	26443.99	21,711.28	21.80
	(iii) Non-Railway Business			
	- Income from Catering	866.98	1,574.72	(44.94)
	- Income from Other Services	2.26	10.65	(78.78)
	(I) Total-Sale of Product	43,424.00	38,752.72	12.05



S.No.	Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
B	Sale Of Service			
	i) Internet Ticketing			
	Income From License Fee-Call Centre	135.24	250.00	(45.90)
	Income from Advertisement/SBI CO-Branded Cards & Loyalty Cards	10,273.56	8,085.42	27.06
	Income From Fees from IATA/RTSA/Internet Cafe, etc.	1,240.10	2133.63	(41.88)
	Service Charges Earned-IR Tickets	5.54	36,224.95	(99.98)
	Reimbursement Against Service Charges	8,000	-	-
	(a)	19654.44	46,694.00	(57.91)
	ii) Income From Licencee Catering Services			
	-Income from Catering & Comprehensive Service provided &-Income from on Board Catering & Other Services-Rajdhani/Shatabdi/ Premium Train	16,782.74	3604.29	365.63
	Income from Concession fees, Licence Fee etc			
	Income from Concession Fee	377.32	68.65	449.63
	Income from Licence Fee	20,962.79	8,330.22	151.65
	Income From Licencee Fee/User Charges etc.			
	Income from User Charges-Food Plaza	88.92	197.77	(55.04)
	Income from Licence Fee-Food Plaza	5,247.36	3,617.95	45.04
	(b)	43,459.13	15,818.88	174.73
	iii) Tourism			
	- Travel & Tour Income	35,444.37	48,103.98	(26.32)
	- Income from User Charges-Rail Yatri Niwas	131.80	123.18	7.00
	- Income from Licence Fee-Rail Yatri Niwas	169.72	194.28	(12.64)
	- Maharaja Express-Revenue	4,381.92	4,050.56	8.18
	(c)	40,127.81	52,472.00	(23.53)
	(II) Total-Sale Of Services (a+b+c)	1,03,241.38	1,14,984.88	(10.21)
	Other Operating Income			
	Scrap Sale-Rail Neer	49.54	51.84	(4.44)
	Scrap Sale-Departmental Catering	1.59	1.49	6.71
	Scrap Sale-Non-Railway Catering	0.37	1.25	(70.40)
	License Fee -Rail Neer	101.09	101.07	0.02
	(III) Total other operative income	152.59	155.65	(1.97)
	Revenue from Operation (Gross) (I+II+III)	1,46,817.97	1,53,893.25	(4.60)

(b) OTHER INCOME

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
Interest Income			
- Interest Income on FDR's & TDR's (Gross)	4,568.12	4439.49	2.90
- Interest Income-Other	7.41	28.07	(73.60)
- Dividend Income from Mutual Fund	388.89	-	-
(a)	4,964.42	4,467.56	11.12
Other Non-Operating Income			
Contract Fine and Penalties received	986.65	282.09	249.76
Income from Duty Credit license under " Served from India Scheme"	313.26	71.10	340.59
- Miscellaneous Income	1,334.03	816.08	63.47
(b)			
Total (a+b)	7,598.36	5,636.83	34.80



(c) EXPENSES

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
Expenses Of Licencee Catering Services	23,003.12	8,162.44	181.82
Expenses Of Tourism	30,475.19	41,459.71	(26.49)
Manufacturing & Direct Expenses	6,714.52	24,029.40	(72.06)
Employee Benefit Costs	19,215.15	17,961.91	6.98
Financial Cost	290.76	253.53	14.69
Depreciation & Amortization Expenses	2,366.11	2,241.37	5.56
Other Expenses	12,983.48	10,028.46	29.47

(d) NON CURRENT/CURRENT ASSETS

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment	15,564.37	15,777.88	(1.35)
(b) Capital work-in-progress	765.26	1,682.92	(54.53)
(c) Investment Property	2,761.56	-	-
(c) Other Intangible assets	656.39	1,261.92	(47.98)
(d) Financial Assets			
(i) Investments	0.32	0.32	-
(ii) Loans	1,104.50	1,177.76	(6.22)
(iii) Other Financial Assets	96.65	40.88	136.42
(e) Deferred Tax Assets (Net)	6,362.27	6,923.41	(8.11)
(d) Other Non Current Asset	1,362.94	1,693.44	(19.52)
Current Assets			
(a) Inventories	740.60	658.05	12.54
(b) Financial Assets			
i. Trade Receivables	54,720.11	28,866.52	89.56
ii. Cash and Cash Equivalents	49,315.89	48,611.71	1.45
iii. Bank Balances other than (ii) above	34,071.36	36,684.50	(7.12)
iv. Others	1706.54	1591.95	7.20
(c) Current Tax Assets (Net)	667.79	231.05	189.03
(d) Other current assets	59,977.37	37,461.11	60.11
Total	2,29,873.93	1,82,663.42	25.85

(d) NON CURRENT/CURRENT LIABILITIES

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities	10,972.71	10,373.28	5.78
(b) Long term provisions	5,846.98	7,797.35	(25.01)
(c) Other Non-Current Liabilities	693.45	833.06	(16.76)
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Trade payables	15,043.24	13,718.16	9.66
(ii) Others	41,392.87	35,899.41	15.30
(b) Other current liabilities	60,826.19	35,535.68	71.17
(c) Provisions	327.54	121.18	170.29
(d) Current Tax Liability (Net)	-	551.42	(100)
Total	1,35,102.98	1,04,829.54	28.88



(f) CASH FLOWS

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
Net cash from operating activities	2,362.62	33,823.81	(93.01)
Net cash (used in) investment activities	4,020.63	9,356.52	(57.03)
Net cash from Financing activities	(5,679.06)	(13,594.90)	(58.23)
Cash and cash equivalents at the end of the year	49,315.89	48,611.71	1.45

(g) MOU FOR THE YEAR 2016-17 WITH MINISTRY OF RAILWAYS

The comparison of actual with financial MOU targets is given below:-

Particulars	MOU 2017-18 (for Excellent rating)*	Actual 2017-18
Revenue from Operations (₹ Cr.)	1,304.15	1,463.81
Reduction in Operating Loss over previous year (excluding Service charge) (%)	100%	100%
PAT / Net Worth (%)	12.61	25.73
CAPEX (₹ Cr.)	55.00	34.53
Number of days of Inventory of finished goods and work in progress to Sale of products (Net)	3.17	3.73
Trade Receivables (Net) as number of days of Revenue from Operations (Gross)	69.13	136.04

* Modified targets in accordance signed MoU for the year 2017-18.

8) SEGMENT-WISE PERFORMANCE

IRCTC has main four business segments namely; Catering and Hospitality (including Licensee Catering, Departmental Catering); Travel & Tourism; Internet Ticketing and Packaged drinking water 'Railneer'. Performances of these segments during the year as compared to the previous year are detailed below:

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17	Change%
Segmental Revenue			
Licencee Catering	44,611.41	16,162.91	176.01
Railneer	16,597.72	15,909.92	4.32
Internet Ticketing	20,425.32	46,993.86	(56.54)
Tourism	40,654.16	52,866.71	(23.10)
Departmental Catering	27,695.28	23,498.16	17.86
Segmental Profit			
Licencee Catering	13,686.98	6,690.04	104.59
Railneer	3,338.03	2,953.69	13.01
Internet Ticketing	10,058.35	18,687.00	(46.17)
Tourism	4,226.54	5,643.71	(25.11)
Departmental Catering	(1486.02)	(5,418.10)	(72.57)

9) MATERIAL DEVELOPMENTS IN HUMAN RESOURCE: INDUSTRIAL RELATIONS FRONT INCLUDING NUMBER OF PEOPLE EMPLOYED.

The Company has comprehensive, structured and strategic management of people and the workplace environment. The activities carried out in HRM include the recruitment, training, feedback, compensation, reward, incentives, safety, administration, motivation and performance management etc. Continues efforts are



being taken by IRCTC to attract, acquire and deploy the best human capital and keep them motivated and engaged.

The details with respect to the number of employees with break-up are mentioned elsewhere in the report.

10) ENVIRONMENT PROTECTION AND CONSERVATION, TECHNOLOGICAL CONSERVATION, RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENTS, FOREIGN EXCHANGE CONSERVATION

The details with respect to environment protection and conservation, technological conservation, expenditure on Research and developments and foreign exchange earnings and Outgo are mentioned elsewhere in the report.

11) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

IRCTC has in place a CSR and Sustainable Development Policy in line with Companies Act, 2013, CSR Rules and DPE's Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability. A separate chapter on Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainable Development (SD) is given at **Appendix-C**.

12) CAUTIONARY STATEMENT:

Statement in the "Management Discussion and Analysis" and in the "Directors' Report" describing the **Company's objectives, projections and estimates, are forward looking statements and** progressive within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results may vary from expressed and implied, depending upon economic conditions, Government Policies and other incidental factors. Readers are cautioned not to place undue reliance on the forward looking statements.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(M.P. Mall)

Chairman & Managing Director

DIN:02316235

Date : 24.08.2018

Place : New Delhi



Appendix-“B” to the Directors’ Report

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**COMPANY’S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE**

The Corporate Governance philosophy of the Company is produced below:

“To enhance stakeholders’ value in the long run by ensuring fairness, transparency, disclosures and reporting that not only comply with statutory regulations but also promote ethical conduct throughout the organization”.

The Company has adopted the following key values for attainment of the Corporate Governance philosophy:

- Zeal to excel and zest for change;
- Integrity and fairness in all matters;
- Respect for dignity and potential of individuals;
- Strict adherence to commitments;
- Ensure speed of response;
- Foster learning, creativity and teamwork;
- Loyalty and pride in IRCTC.

1. BOARD OF DIRECTORS**1.1 Strength of the Board:**

IRCTC is Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Railways and a **“Government Company”** within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013 as 100% of the total paid-up share capital of the Company is held by the President of India and its nominees (through Ministry of Railways).

As per the Articles of Association of the Company, the power to appoint Directors on the Board of the Company vests with President of India acting through Administrative Ministry.

1.2 Composition of the Board:

The composition of the Board of the Company as on March 31, 2018 was in compliance with Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE, as mentioned below:

S.N.	Name of the Director	Position
Whole Time Directors		
1.	Shri Mahendra Pratap Mall (DIN: 02316235)	Chairman & Managing Director
2.	Shri Sriram Venkatachalam (DIN: 07445220)	Director (Catering Services)
Part Time Government Directors		
3.	Shri Prashanth Kumar Balsavar (DIN: 07189241)	ED (PM), Railway Board
4.	Smt. Smita Rawat (DIN: 07670758)	ED(NFR & T), Railway Board
Part Time (non-official) Directors		
5.	Dr. Rabi Narayan Bohidar (DIN: 00637818)	Independent Director
6.	Dr. Dheeraj Sharma (DIN: 07683375)	Independent Director
7.	Smt. Kanak Aggarwal (DIN: 00074469)	Independent Director
8.	Prof. Sachin Chaturvedi (DIN: 07960871)	Independent Director
9.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti (DIN: 07965899)	Independent Director
10.	Ms. Sarita Deshpande (DIN: 08098222)	Independent Director



During the financial year 2017-18, the following changes occurred in the composition of the Board:

1. Dr. A.K. Manocha (DIN: 06976502), Chairman & Managing Director, ceased to be a member of the Board w.e.f. August 1, 2017 due to superannuation.
2. Smt. A. K. Brar (DIN: 06780608), Director (Tourism & Marketing), ceased to be a member of the Board w.e.f. December 1, 2017 due to superannuation.
3. Shri Mahendra Pratap Mall (DIN: 02316235), Director (Finance), held additional charge of Chairman & Managing Director w.e.f. August 1, 2017 till 17th September, 2017. Consequent to his appointment as Chairman & Managing Director, IRCTC, as communicated vide Ministry of Railways' letter dated September 18, 2017, he relinquished the charge of Director (Finance) on September 18, 2017 and assumed the charge of Chairman & Managing Director w.e.f. September 18, 2017. He held the charge of Director (Tourism & Marketing) w.e.f. December 1, 2017 till 17th May 2018 as Mrs. Rajni Hasija took over as Director (Tourism & Marketing), IRCTC w.e.f. 18th May, 2018. He is also holding the additional charge of Director (Finance) w.e.f. October 13, 2017 in accordance with Ministry of Railways' directives.
4. In accordance with the Ministry of Railways' Order No. 2010/PL/45/14 dated September 9, 2017, Prof. Sachin Chaturvedi (DIN: 07960871) and Shri Comal Ramachandran Sundaramurti (DIN: 07965899) were appointed as Part Time (non-official) Directors on the Board of Company w.e.f. October 10, 2017 and October 13, 2017 respectively.
5. In accordance with the Ministry of Railways' Order No. 2008/PL/49/01 dated March 8, 2018, Ms. Sarita Despande (DIN: 08098222) was appointed as Part Time (non-official) Director on the Board of Company w.e.f. March 29, 2018.

1.3 Age limit and tenure of Directors:

The age limit of the whole time Directors, including Chairman & Managing Director is 60 years, who are appointed for a period of five years from the date of taking over of the charge or till the date of superannuation of the incumbent or till further orders from the Government of India, whichever event occurs earlier.

Government Nominee Directors representing Ministry of Railways, Government of India, cease to be Director from the Board of the Company at the discretion of nominating authority or on ceasing to be officials of the Ministry of Railways.

Independent Directors are appointed by the Ministry of Railways, Government of India usually for tenure of three (3) years. They play an important role in deliberations at Board and Committee meetings and effectively contribute to the decisions through their expertise in various fields by way of being part of various committees of the Board, such as Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, CSR & SD Committee, Risk Management Committee etc.

1.4 Brief resume of Directors appointed during/after closure of the financial year:

A brief resume of Directors appointed during/after closure of the financial year:

a. Prof. Sachin Chaturvedi (DIN: 07960871) Part Time (non-official) Director w.e.f October 10, 2017

Prof. Sachin Chaturvedi, aged 50 years, is the part time (non-official) Director of the Company w.e.f. October 10, 2017. He is Director General at Research and Information System for Developing Countries (RIS), a New Delhi-based autonomous Think-Tank. He has been a Global Justice Fellow at the MacMillan Center for International Affairs at Yale University also. He works on issues related to development cooperation policies and South-South cooperation. He has also worked on trade and innovation linkages with special focus on WTO. Dr. Chaturvedi has served as a Visiting Professor at the Jawaharlal Nehru University (JNU) and has also worked as consultant to the UN Food and Agriculture Organisation, World Bank, UN-ESCAP, UNESCO, OECD, the Commonwealth Secretariat, IUCN, and to the Government of India's Department of Biotechnology and the Ministry of Environment and Forests, among other organizations.

His experience includes working at University of Amsterdam on a project on International Development Cooperation and Biotechnology for Developing Countries supported by the Dutch Ministry of External Affairs. Dr. Chaturvedi has also been a member of the IGSCAC Committee of Experts for evolving a framework for cooperation on conservation of biodiversity in the SAARC region, as well as a member of



the Editorial Board of Biotechnology Development Monitor (the Netherlands); Editor of *Asian Biotechnology Development Review* (New Delhi).

He has authored two books and edited four books apart from publishing several research articles in various prestigious journals.

b. Mr. Comal Ramachandran Sundaramurti (DIN: 07965899) Part Time (non-official) Director w.e.f October 13, 2017

Shri Comal Ramachandran Sundaramurti, aged 66 years, is the part time (non-official) Director of the Company w.e.f October 13, 2017. He holds a Bachelor's degree in Science (Hons.) from St. Stephens College, University of Delhi and a Master's degree in Business Administration from Faculty of Management Studies, University of Delhi. He is former Controller General of Accounts, Ministry of Finance and has held various prestigious positions including Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Pr. Chief Controller of Accounts, CBEC, Addl, Joint & Deputy Controller General of Accounts to Ministry of Finance, Director (Budget), Department of Economic Affairs, Deputy & Under Secretary to Ministry of Commerce.

c. Ms. Sarita Deshpande (DIN: 08098222) Part Time (non-official) Director w.e.f March 29, 2018

Ms. Sarita Deshpande, aged 59 years, is the part time (non-official) Director of the Company w.e.f March 29, 2018. She holds a Bachelor's degree in Arts and Laws from Bhopal University. She practices as an Advocate in District Court and has held various prestigious positions including Chairman of Society Welfare Board, Parshad at Municipal Corporation, Bhopal and Panch at District level.

d. Smt. Rajni Hasija (DIN: 08083674), Director (Tourism & Marketing) w.e.f May 18, 2018

Smt. Rajni Hasija joined IRCTC as Director (Tourism & Marketing) on 18th May, 2018. She is an officer of the Indian Railway Traffic Service (1988 Exam Batch).

Smt. Hasija is a science scholar with an M.Phil from Delhi University. She also possesses a post graduate diploma in Human Resource Management and a degree in Law. In her illustrious career in Indian Railways spread over 29 years, she has worked in various managerial capacities in various divisions, zones as well as various Public Sector Undertakings and has extensive experience in the field of IT, marketing, operations and planning over Indian Railways. She has also been associated with IRCTC in the capacity of Group General Manager handling IT business segment and also overall in-charge of an entire zone.

Smt. Hasija had a pioneering role in the inception and development of the internet ticketing site of railways 'www.irctc.co.in'. With her sound technical knowledge, organizing and planning skill and ability to communicate with her peers and team, she has successfully completed very challenging and time-bound projects for IRCTC, which ranged from planning and execution of the dynamic online cum counter ticketing platform for Commonwealth Games 2010 to International Marketing of Maharajas' Express Luxury Tourist Train.

e. Mr. Neeraj Sharma (DIN: 08177824), Part Time Government Director w.e.f July 12, 2018

Mr. Neeraj Sharma, presently posted as ED (Passenger Marketing), Railway Board joined IRCTC's Board as part-time Government Director on 12th July, 2018. He is an officer of the Indian Railway Traffic Service.

Mr. Sharma is a post graduate from Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Nainital and a Ph.D from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. During his association of more than 20 years with Indian Railways, he has held various positions in North Eastern Railway and Northern Railway including Assistant Operations Manager, Divisional Operations Manager, Senior Divisional Operations, Senior Divisional Commercial Manager Professor Administration, Disaster Management in IRITM (Indian Railway Institute of Transport Management), Lucknow, Chief Public Relations Officer, Northern Railway and Chief Commercial Manager (Passenger Marketing), Northern Railway. Due to his accomplishments, he has been awarded twice with Minister of Railways Award, the highest recognition on Indian Railways.



2. PROCEDURE ADOPTED FOR BOARD MEETINGS/ COMMITTEE MEETINGS

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Company's Registered Office in New Delhi. The detailed agenda notes, along with other explanatory statements, are circulated generally at least 7 days before the day of meeting among the members for focused discussion and effective decision-making during the meeting.

However, in case of urgent issues, meetings are sometimes called at shorter notice also, with the consent of all Directors/ Members. Further, to address any exigency/ urgency, resolutions are passed by circulation, which are noted at a subsequent meeting of the Board or Committee thereof. In special and exceptional circumstances or whenever it is not possible or wherever it is not practicable to attach document(s) to the agenda item, being confidential in nature, the same are tabled with the permission of Chairperson and all Directors present during the meeting.

For follow up mechanism, an Action Taken Report (ATR) on the decisions of the Board/Committee is placed in subsequent meetings of respective Board/Committee, which helps in effective review of decisions taken.

2.1 Information placed before the Board of Directors:

The Board has complete access to all information pertaining to the Company. The Board/Committee members are also free to recommend any issue which they may consider important for inclusion in the agenda. If required, senior management officials are also called during the meeting to provide additional inputs on the matters being discussed by the Board/Committee. The information usually provided to the Board for its consideration includes the following:

1. Annual operating plans and budgets and any updates.
2. Capital budgets and any updates.
3. Results for the company and its operating divisions or business segments.
4. Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
5. The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
6. Major investments, formation of joint venture/subsidiaries.
7. Review of compliance of all the applicable laws to the Company on quarterly basis.
8. Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order which, may have passed strictures on the conduct of the company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the company.
9. Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
10. Quarterly Report on Investment of Funds.
11. Action taken report on matters desired by the Board
12. Any other information as required under the Companies Act, 2013 or prevalent rules or guidelines as issued by the DPE from time to time.

3. NUMBER OF BOARD MEETINGS

During the financial year 2017-18, 6 (six) meetings of the Board of Directors were held. The maximum time interval between two Board meetings was less than three months, as per the DPE's Guidelines on Corporate Governance. The details of Board Meetings held during 2017-18 are given below:

S. No.	Board Meeting Number	Date of Meeting	Board Strength	No. of Directors present
1.	86 th	6 th June, 2017	9	8
2.	87 th	28 th July, 2017	9	8
3.	88 th	21 st August, 2017	8	7
4.	89 th	27 th October, 2017	10	9
5.	90 th	15 th November, 2017	10	9
6.	91 st	31 st January, 2018	9	8



4. ATTENDANCE OF EACH DIRECTOR AT THE BOARD MEETINGS HELD DURING 2017-18 AND THE LAST AGM AND THEIR MEMBERSHIPS/CHAIRMANSHIPS IN COMMITTEES AS ON 31ST MARCH, 2018:

S. No.	Name of Director	Meeting held during respective tenures of Directors	No. of Board Meetings Attended	Attendance at the last AGM (held on 20.09.2017)	Number of other Directorships held on 31.03.2018	Number of Committee memberships in companies as on 31.03.2018 (including IRCTC)	
						As Chairman**	As Member**
Whole Time Directors							
1.	Dr. Arun Kumar Manocha (DIN 06976502) Chairman & Managing Director (upto 31.07.2017)	2	2	N.A.	NIL	NIL	NIL
2.	Shri Mahendra Pratap Mall (DIN 02316235) Chairman & Managing Director (w.e.f. 18.09.2017)	6	6	Present	NIL	NIL	NIL
3.	Smt. Amritbir Kaur Brar (DIN 06780608) Director (Tourism & Marketing) (upto 30.11.2017)	5	5	Present	NIL	NIL	NIL
4.	Shri Sriram Venkatachalam (DIN 07445220) Director (Catering Services)	6	6	Present	NIL	NIL	NIL
Part Time Government Directors							
5.	Shri Prashanth Kumar Balsavar (DIN 07189241) Executive Director (PM), Railway Board (upto 24.05.2018)	6	5	Present	NIL	NIL	NIL
6.	Smt. Smita Rawat (DIN 07670758) Executive Director (NFR & T), Railway Board	6	6	Present	NIL	NIL	NIL
Part Time (non-official) Directors							
9.	Dr. Rabi Narayan Bohidar (DIN: 00637818)	6	4	Absent	i. Odisha Tourism Development Corporation Ltd.	1 (Audit Committee)	NIL
10.	Dr. Dheeraj Sharma (DIN: 07683375)	6	6	Absent	i. The Punjab State Cooperative Milk Producer's Federation (State owned cooperative Society) ii. Alkem Laboratories Limited	NIL	1 (Audit Committee)



S. No.	Name of Director	Meeting held during respective tenures of Directors	No. of Board Meetings Attended	Attendance at the last AGM (held on 20.09.2017)	Number of other Directorships held on 31.03.2018	Number of Committee memberships in companies as on 31.03.2018 (including IRCTC)	
						As Chairman**	As Member**
Part Time (non-official) Directors							
11.	Smt. Kanak Aggarwal (DIN: 00074469)	6	5	Present	i. Aviral Chemicals Pvt. Ltd. ii. Jai Shree Crop Science Pvt. Ltd. iii. Redson Cropcare Pvt. Ltd. iv. Khadi Humara Mantar Foundationv. Quay Intech Pvt. Ltd.	NIL	1 (Audit Committee)
12.	Prof. Sachin Chaturvedi (DIN: 07960871) (w.e.f. 10.10.2017)	3	1	N.A.	NIL	NIL	NIL
13.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti (DIN: 07965899) (w.e.f. 13.10.2017)	3	3	N.A.	NIL	NIL	1 (Audit Committee)
14.	Ms. Sarita Despande (DIN: 08098222) (w.e.f. 29.03.2018)	NIL	N.A.	N.A.	NIL	NIL	NIL

* Does not include Directorship in Private Companies, Section 8 Companies and Foreign Companies.

** For the purpose of reckoning the limit, Chairmanship/Membership of Audit Committee and Shareholders' Grievance Committee alone has been taken into consideration.

Note:

1. Directors/KMPs do not have any pecuniary relationships or transactions with the Company.
2. No Director of the Company holds office at the same time as director in more than twenty (20) companies. None of the Director(s) on the Board is a member of more than 10 Committees or Chairman of more than 5 Committees across all the Companies in which he/she is a Director.
3. The Directorships and memberships/chairmanships are based on the latest disclosures received from respective Directors.

5. Disclosures by Directors:

As per the disclosures made by Directors under section 184 of Companies Act, 2013, they do not have any inter-se relationship amongst themselves. The part time Government Directors are officials of Ministry of Railways and thus related to the promoter. Since, the entire paid-up share capital of IRCTC is being held by Central Government (Ministry of Railways), section 152 (6) of the Companies Act, 2013, which require not less than 2/3rd of the Directors as persons whose office is liable to determination by retirement of directors by rotation at a general meeting is exempted to the Company vide Ministry of Corporate Affairs (MCA) notification dated 13th June, 2017. Further, as per MCA notification dated 5th July, 2017, sub-paragraph (2) of paragraph IV of Schedule IV of Companies Act, 2013 regarding "the appointment of independent director(s) of the company shall be approved at the meeting of the shareholders" has been made exempted for Government companies.



In view of above, the item related to retirement by rotation and appointment of directors has not been included in the Notice of the Annual General Meeting.

6. COMMITTEES OF BOARD

To facilitate expeditious consideration and arriving at decisions with focused attention on the affairs of the company, the Board has delegated certain matters to Committees of the Board set up for that purpose. The details of sub-committees of Board are mentioned below:

1. Audit Committee;
2. Nomination & Remuneration Committee;
3. CSR and SD Committee;
4. Stakeholders Relationship Committee
5. Risk Management Committee;
6. Investment Committee;
7. Executive Board Committee;
8. Administrative Committee;

During the year, the sub - committees of Board of Directors as mentioned above have been reconstituted from time to time due to change in composition of the Board of the Company.

6.1 Audit Committee

a. Terms of reference:

The brief terms of reference of the Audit Committee as revised due to the proposed listing of Company's shares on Stock exchange(s), include, oversight of the company's financial reporting process, recommendation for remuneration of auditors of the company; approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors; reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval; reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process; approving initial or any subsequent modification of transactions of the company with related parties; scrutiny of inter-corporate loans and investments; evaluation of internal financial controls and risk management systems; reviewing the adequacy of internal audit function, discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit, reviewing the functioning of the whistle blower mechanism; approval of appointment of chief financial officer (in case of below Board level appointment only) etc and carrying out any other function as prescribed by Companies Act, DPE guidelines and SEBI regulations from time to time

b. Composition, Meetings and Attendance:

As on 31st March, 2018, the Audit Committee comprised of the following members:

S. No.	Members	Position
1.	Dr. Rabi Narayan Bohidar Independent Director	Chairman
2.	Dr. Dheeraj Sharma Independent Director	Member
3.	Smt. Kanak Aggarwal Independent Director	Member
4.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti Independent Director	Member

The Audit Committee met 4 (four) times during the financial year 2017-18. As per Companies Act and DPE's Guidelines on Corporate Governance, not more than four months/ 120 days, as the case may be, was elapsed between two consecutive meetings during the year.



The details of Audit Committee Meeting held during the year 2017-18 are given below:

S. No.	Audit Committee Meeting Number	Date of Meeting	Board Strength	No. of Directors present
1.	43 rd	6 th June, 2017	4	4
2.	44 th	21 st August, 2017	4	3
3.	45 th	15 th November, 2017	5	5
4.	46 th	30 th January, 2018	4	4

Attendance of each member at the Audit Committee meetings held during 2017-18 is as under:

S. No.	Name of Members	Position	Number of Meetings		
			Held during the tenure of Director	Attended	% of Attendance
1.	Dr. Rabi Narayan Bohidar Independent Director	Chairman	4	3	75
2.	Dr. Dheeraj Sharma Independent Director	Member	4	4	100
3.	Smt. Kanak Aggarwal Independent Director	Member	4	4	100
4.	Smt. Amritbir Kaur Brar Director (Tourism & Marketing)	Member (from 10.02.2017 upto 30.11.2017)	3	3	100
5.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti Independent Director	Member (from 27.10.2017)	2	2	100

Director (Finance) is the permanent invitee to the meetings of Audit Committee.

The meetings are also attended by GGM (Finance), Head of Internal Audit, representative of Statutory Auditors/Cost Auditors as special invitees, as and when required. Senior functional executives are also invited subject to their requirement to provide necessary inputs to the Committee.

Mrs. Suman Kalra, Company Secretary is the Secretary to the Committee.

All the recommendations made by the Audit Committee during the year were accepted by the Board.

6.2 Nomination and Remuneration Committee

a. Terms of reference:

The brief Terms of Reference of the Nomination and Remuneration Committee, as revised due to the proposed listing of Company's shares on Stock exchange(s) include deciding the annual bonus/ variable pay pool and policy for its distribution across executives and non-unionized supervisors as per applicable recommendations of Department of Public Enterprises, formulation and recommendation of HR policies relating to the perks/ allowances for senior management (one level below Board level) and other employees to BoD, framing suitable policies and systems to ensure that there is no violation, by an employee of any applicable laws in India or overseas, performing such other activities as may be delegated by the Board of Directors and/or are statutorily prescribed under any law to be attended to by the Nomination and Remuneration Committee.

b. Composition, Meeting & Attendance:

As on 31st March, 2018, the Committee comprised of the following members:

S. No.	Members	Position
1.	Dr. Dheeraj Sharma , Independent Director	Chairman
2.	Dr. Rabi Narayan Bohidar , Independent Director	Member
3.	Smt. Kanak Aggarwal , Independent Director	Member
4.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti , Independent Director	Member

Mrs. Suman Kalra, Company Secretary is the Secretary to the Committee.

Director (Catering Services) and GGM (HRD) are permanent invitees to the Meeting of the Nomination and Remuneration Committee.



The Nomination and Remuneration Committee met 3 (three) times during the financial year 2017-18. The details of which are given below:

S. No.	Nomination & Remuneration Committee Meeting Number	Date of Meeting	Committee Strength	No. of Members present
1.	10 th	6 th June, 2017	3	3
2.	11 th	27 th October, 2017	3	2
3.	12 th	31 st January, 2018	4	4

The details of the meetings of the committee held during the financial year 2017-18 and attendance by the members are as under:

S. No.	Name of Members	Position	Number of Meetings		
			Held during the tenure of Director	Attended	% of Attendance
1.	Dr. Dheeraj Sharma Independent Director	Chairman	3	3	100
2.	Dr. Rabi Narayan Bohidar Independent Director	Member	3	3	100
3.	Smt. Kanak Aggarwal Independent Director	Member	3	2	67
4.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti Independent Director	Member (from 27.10.2017)	1	1	100

Remuneration to Directors and Key Managerial Personnel of the company:

IRCTC, being a Central Public Sector Undertaking, the appointment, tenure and remuneration of Functional Directors including Chairman & Managing Director are decided by the President of India as per the Articles of Association of the Company.

The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel (KMPs) of the Company during the financial year 2017-18 are given below:

(in ₹)

S.No	Name of Directors	Salary	Perks	Other Benefits	Performance Award	Contribution to PF	Stock options*	Total
1.	Dr. Arun Kumar Manocha Chairman & Managing Director (up to 31.07.2017)	9,35,984	5,70,550	1,09,992	10,72,305	1,89,251	–	28,78,082
2.	Shri Mahendra Pratap Mall Chairman & Managing Director (w.e.f 18.09.2017)	34,18,291	14,41,198	16,82,338	26,06,315**	6,19,096	–	97,67,238
4.	Smt. Amritbir Kaur Brar Director (Tourism & Marketing) (up to 30.11.2017)	20,58,235	4,76,412	4,61,014	12,21,296	3,27,018	–	45,43,975
5.	Shri Sriram Venkatachalam Director (Catering Services)	33,91,088	8,45,526	1,74,510	5,90,412	6,05,376	–	56,06,912
6.	Smt. Suman Kalra Company Secretary	17,99,859	3,59,639	–	3,63,344	3,08,577	–	28,31,419
7.	Shri Ajai Sirivastava GGM (Finance-II) & CFO (w.e.f 21.08.2017)	15,57,862	6,31,345	1,46,452	44,016	–	–	23,79,675
	Total	1,16,03,457	36,93,325	24,27,854	58,53,672	20,49,318	–	2,80,07,301

*No stock option has been made available or offered by the Company during the year 2017-18 as the entire paid-up share capital is held by the Govt. of India.

**PRP for 2015-16 and 2016-17



Remuneration to Government Directors:

The Part-time Government Directors are not entitled to any remuneration/ sitting fee from the company.

Remuneration of Independent Directors:

The part time (non-official) independent Directors are not paid any remuneration except sitting fees of ₹ 15,000/- for attending each meeting of the Board or Committee thereof as fixed by Board which is within the limits prescribed under the Companies Act, 2013 and rules thereunder. The details of sitting fee paid to Independent directors during the year 2017-18 are given below:

S. No.	Name of Independent Director	Sitting fee		Total
		Board Meeting	Committee Meetings	
1.	Dr. Rabi Narayan Bohidar Independent Director	60,000	1,50,000	2,10,000
2.	Dr. Dheeraj Sharma Independent Director	90,000	1,95,000	2,85,000
3.	Smt. Kanak Aggarwal Independent Director	75,000	1,05,000	1,80,000
4.	Prof. Sachin Chaturvedi Independent Director	15,000	45,000	60,000
5.	Shri Comal Ramachandran Sundaramurti Independent Director	45,000	60,000	1,05,000
6.	Ms. Sarita Deshpande Independent Director	—	—	—

6.3 CSR and SD Committee

a. Terms of Reference:

The brief Terms of Reference of the CSR & SD Committee as revised due to the proposed listing of Company's shares on Stock exchange(s), include formulation and recommendation to the Board, a CSR policy in accordance with Schedule VII of the Companies Act, 2013; review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities, assisting the Board of Directors to formulate strategies on CSR initiatives of the Company, Regarding Sustainable Development, the scope of work include approval of Sustainable Development policy guidelines and short, medium and long term SD plan, oversight of alignment of SD projects/activities with the organizations business goals and the national and international trends.

b. Composition, Meeting & Attendance:

As on 31st March, 2018, the Committee comprised of the following members:

S. No.	Members	Position
1.	Shri Mahendra Pratap Mall , Chairman & Managing Director	Chairman
2.	Smt. Smita Rawat , Part-time Government Director	Member
3.	Dr. Rabi Narayan Bohidar , Independent Director	Member
4.	Dr. Dheeraj Sharma , Independent Director	Member
5.	Prof. Sachin Chaturvedi , Independent Director	Member

Mrs. Suman Kalra, Company Secretary is the Secretary to the Committee.

GGM (Infra), being the nodal officer of the CSR & SD Committee is permanent invitee to the meetings of the Committee.

The Committee met 4 (four) times during the year 2017-18. The details of which are given below:

S. No.	CSR & SD Committee Meeting Number	Date of Meeting	Committee Strength	No. of Members present
1.	16 th	06 th June, 2017	5	5
2.	17 th	21 st August, 2017	4	3
3.	18 th	27 th October, 2017	4	4
4.	19 th	30 th January, 2018	5	5



The details of the meetings of the Committee held and attendance by the members are as under:

S. No.	Name of Members	Position	Number of Meetings		
			Held during the tenure of Director	Attended	% of Attendance
1.	Dr. Arun Kumar Manocha Chairman & Managing Director	Chairman (upto 31.07.2017)	1	1	100
2.	Shri Mahendra Pratap Mall Chairman & Managing Director	Chairman (from 01.08.2017)	3	3	100
3.	Smt. Smita Rawat Part-time Government Director	Member	4	4	100
4.	Dr. Rabi Narayan Bohidar Independent Director	Member	4	3	75
5.	Dr. Dheeraj Sharma Independent Director	Member	4	4	100
6.	Prof. Sachin Chaturvedi Independent Director	Member (from 27.10.2017)	1	1	100

6.4 Stakeholders Relationship Committee/Shareholders' Grievance Committee:

As announced in Union Budget 2017 regarding listing of shares of the Company, the Stakeholders Relationship Committee of the Company was constituted in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws by the Board in its 88th meeting held on 21st August, 2017.

a. Terms of Reference:

The brief terms of reference of the Stakeholders Relationship Committee include reporting the status of redressal of complaints received from the shareholders of the Company on quarterly basis, resolving grievances of shareholders', debenture holders and other security holders, allotment of Equity Shares, approval of transfer or transmission of Equity Shares, debentures or any other securities; issue of duplicate certificates and new certificates on split/consolidation/renewal, etc.;

b. Composition, Meeting & Attendance:

As on 31st March, 2018, the Committee comprised of the following members:

S. No.	Members	Position
1.	Dr. Dheeraj Sharma , Independent Director	Chairman
2.	Smt. Kanak Aggarwal , Independent Director	Member
3.	Shri Sriram Venkatachalam , Director (Catering Services)	Member

Mrs. Suman Kalra, Company Secretary is the Secretary to the Committee.

No meeting of the Stakeholders Relationship Committee was held during the financial year 2017-18 .

6.5 Risk Management Committee:

a. Terms of Reference:

The brief terms of reference of the Risk Management Committee, as revised due to the proposed listing of Company's shares on Stock exchange(s) include review and assessment of the risk management system and policy of the Company, review and recommendation of potential risk(s) involved in any new business plans and processes; obtaining outside legal or other professional advice, Ensuring compliance with Risk Management Policy, Review of organization wide risk portfolio, suggesting improvements to risk management techniques and lift management awareness, Ensure communication of policies and standards to successive levels of management etc.



b. Composition, Meeting & Attendance:

As on 31st March, 2018, the Committee comprised the following members:

S. No.	Members	Position
1.	Shri Mahendra Pratap Mall , Chairman & Managing Director	Chairman
2.	Shri Sriram Venkatachalam , Director (Catering Services)	Member
3.	Shri Prashanth Kumar Balsavar , Part-time Government Director	Member
4.	Dr. Dheeraj Sharma , Independent Director	Member
5.	Prof. Sachin Chaturvedi , Independent Director	Member

JGM/IT, Chief Risk Officer and Law Officer are permanent invitees to the meetings of the Committee.

The Committee met once during the year 2017-18. The details of which are given below:

S. No.	Risk Management Committee Meeting Number	Date of Meeting	Committee Strength	No. of Members present
1.	2 nd	30 th January, 2018	5	3

The details of the meetings of the Committee held and attendance by the members are as under:

S. No.	Name of Members	Position	Number of Meetings		
			Held during the tenure of Director	Attended	% of Attendance
1.	Shri Mahendra Pratap Mall Chairman & Managing Director	Chairman	1	0	-
2.	Shri. Sriram Venkatachalam Director (Catering Services)	Member	1	1	100
3.	Shri Prashanth Kumar Balsavar Part-time Government Director	Member	1	0	-
4.	Dr. Dheeraj Sharma Independent Director	Member (from 21.08.2017)	1	1	100
5.	Prof. Sachin Chaturvedi Independent Director	Member (from 27.10.2017)	1	1	100

Other Functional Committees:

6.6 Investment Committee

In accordance with DPE guidelines, the Investment Committee of IRCTC has been constituted to take investment decisions for short-term deployment of surplus funds as per financial delegation(s) of power for this purpose. The decisions taken by the Committee are put up to the Board of Directors for information.

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Director (Finance) and Director (Catering Services). The meetings of the committee are held as and when required, and are attended by all the members.

6.7 Executive Board Committee

The Committee of Executive Board has been constituted to prepare and draft the policy(ies) of recruitment, absorption and channels of promotion in IRCTC for employees upto E-6 and other issues including new ventures, growth of business segments, operational performance of the Company for the purpose of internal analysis etc.

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Director (Finance), Director (Tourism & Marketing) and Director (Catering Services).



The Executive Board met 7 (seven) times during the financial year 2017-18 on 26th May, 2017, 03th August, 2017, 06th September, 2017, 06th October, 2017, 02nd November, 2017, 27th February, 2018 and 28th March, 2018. The meetings were attended by all the members of the Committee.

Mrs. Suman Kalra, Company Secretary is the Secretary to the Committee.

Senior functional executives are also invited to attend the meetings of the Executive Board, as and when required.

6.8 Administrative Committee

Administrative Committee has been constituted to deal with the matters related to approvals for opening and closing of Bank Accounts; approaching the financial institutions for seeking working capital facilities for the Rail Neer Project; and matters including authorizing the officials for registration with Excise, Income tax and other applicable authorities and signing and executing documents on behalf of the company.

The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Director (Finance), Director (Tourism & Marketing) and Director (Catering Services).

During the financial year 2017-18, 6 (six) meeting of Administrative Committee were held on 25th April, 2017, 7th June, 2017, 28th August, 2017, 18th September, 2017, 09th October, 2017 and 01st February, 2018 and all members of the Committee attended the meeting.

6.9 Share Transfer Committee

The Board of Directors has authorized Company Secretary as one member committee for and on behalf of the Board to execute the transfer of shares as and when the request(s) for the same is received from Ministry of Railways. On the basis of the advice received from Ministry of Railways, share transfers were executed once at a meeting held on 12th September, 2017 during 2017-18.

7. SEPARATE MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

A separate meeting of Independent Directors as required in terms of Schedule IV of Companies Act, 2013 and Guidelines issued by DPE on Role & Responsibilities of Non-Official Directors (Independent Directors) of CPSEs was held on January 30, 2018. All the Independent Directors attended the said Meeting and the minutes of the meeting were put up to the Board of Directors.

Declaration by Independent Director

During the financial year 2017-18, all the Independent Directors in the first meeting of the Board in which they participated as a Director and in the first meeting of the Board of the financial year, gave a declaration that they meet the criteria of independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013,

8. GENERAL BODY MEETINGS

Annual General Meeting (AGM)

Details of last three Annual General Meetings (AGM) of the company are as under:

AGM	Financial Year	Date	Day	Time	Location	Special Resolution Passed
16 th	2014-15	18.09.2015	Friday	1600 Hrs.	Committee Room (Room No.237), 2 nd Floor, Rail Bhawan, New Delhi - 110001	No
17 th	2015-16	27.09.2016	Friday	1200 Hrs.	Conference Hall, 2 nd Floor, Rail Bhawan, New Delhi - 110001	No
18 th	2016-17	20.09.2017	Thursday	1100 Hrs.	Committee Room (Room No.237), 2 nd Floor, Rail Bhawan, New Delhi - 110001	No



9. DISCLOSURES

- (i) The Company has complied with all the requirements of the Companies Act, 2013, Secretarial Standards issued by ICSI and DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, issued by DPE.
- (ii) The Company has not entered into any material, financial and commercial transactions, with the Director(s) or the Management or their relatives or the companies and the firms, etc. in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/or partners.
- (iii) No item of expenditure has been debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business and no expenses, which are personal in nature, have been incurred for the Board of Directors and top Management.
- (iv) The Company has systems in place for monitoring statutory and procedural compliances. The Board is reported the status of the same so as to ensure proper compliances of all laws applicable to the company.
- (v) The Financial Statements for the financial year 2017-18 have been prepared as per the Indian Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- (vi) During the last three years, there has been no instance of penalty imposed on the Company by any statutory authority owing to non-compliance under applicable laws.
- (vii) The Company periodically informs the Board about the risks associated with its projects in risky areas. Details pertaining to risk management have been given in Management Discussion and Analysis Report under the heading 'Risks and Concerns'.
- (viii) **Vigil mechanism:** Pursuant to Section 177 of the Companies Act, 2013, the Company affirms that a vigil mechanism is in place for all its employees and clients to report about any illegal or unethical behaviour, actual or suspected fraud to the CVO or the Chairman & Managing Director directly through IRCTC's Whistle Blower Policy. It also promotes ethical behaviour in all its business activities. The Company further affirms and no personnel have been denied access to the Audit Committee. The Whistleblower policy is available on the website of the Company – www.irctc.com.
- (ix) **Details of administrative and office expenses as a percentage of total expenses vis-à-vis financial expenses** – The administrative expenses and office expenses were at 10.74% of total expenses in the year 2017-18.

10. MEANS OF COMMUNICATION

The Audited Annual Financial Results, Annual Reports, Corporate Governance Manual and Board Charter, Performance MOU between IR and IRCTC, Code of Business Conduct and Ethics, CSR & Sustainability Policy, Risk Management Policy, Fraud Detection and Prevention Policy etc. are uploaded on IRCTC's official website i.e. www.irctc.com and can be downloaded from the website.

Tenders of various departments, details of tenders/contracts awarded alongwith other official news releases are also uploaded on the website of IRCTC.

11. TRAINING OF BOARD MEMBERS

As a practice, on the joining of a new Director on the Board, formal induction and orientation with respect to the Company's vision, mission, strategic direction, core values, financial matters and business operations is given through necessary documents/brochures, reports and internal policies including Annual reports, Memorandum and Articles of Association, MOUs between IRCTC and Ministry of Railways which help them to familiarize with Company's procedures, practices and risk profile. Details of external training imparted to Independent Directors during the year 2017-18 are as follows:

- i. Smt. Kanak Aggarwal, Independent Director, attended Orientation Programme on "Effective functioning of Audit Committee" at Vadodara. The programme was organized by DPE on 18th August, 2017.
- ii. Shri C.R. Sundaramurti, Independent Director, attended Orientation Programme on "Capacity Building of newly appointed Independent Directors of CPSEs" at Vishakhapatnam. The programme was organized by DPE from 8th to 9th January, 2018.

12. AUDIT QUALIFICATIONS

The Company has been putting all the efforts to ensure a regime of unqualified financial statements.



13. GENERAL INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

a. Annual General Meeting of the Current Year

Date: 27th September 2018

Time: 1500 Hours

Venue: Committee Room (Room No. 237), 2nd Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001

b. Percentage of shareholding:

Category	No. of Shares held	% of shareholding
Central Government (Ministry of Railways) in the name of President of India and its nominees	4,00,00,000	100
Total	4,00,00,000	100

c. Plant Locations/ Operating Units

A list of Railneer plants and zonal offices in different States is available on the website of the Company.

d. Address for correspondence with the Registered Office (Regarding Corporate Governance matters covered under this report)

Company Secretary, IRCTC,

11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Telephone: 91-11-23327746, E-Mail: companysecretary@irctc.com, Website: www.irctc.com

14. CEO/CFO CERTIFICATION

A certificate duly signed by Mr. M.P. Mall, Chairman & Managing Director (CEO) and Mr. Ajai Srivastava, GGM (Finance-II) as CFO was placed before the Audit Committee in its 48th meeting held on 24th August 2018 and then Board of Directors in its 94th meeting held on same day. The duly signed certificate as presented to the Audit Committee and Board of Directors is placed as **Appendix – “B-2”**.

15. RATING ON CORPORATE GOVERNANCE BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

Your Company has submitted report on Corporate Governance in specified format(s) to Ministry of Railways and DPE within the stipulated time provided for the same as required under the Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the Corporate Governance, 2010 for CPSEs.

Department of Public Enterprises has rated IRCTC as **“Excellent”** under the category of Corporate Governance during 2016-17. On the basis of self evaluation, the Company expects to achieve an “Excellent” rating for the year 2017-18 also.

16. COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

As required under the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, certificate regarding compliance of conditions of Corporate Governance by the Company issued by M/s Balika Sharma and Associates, Practicing Company Secretaries is annexed to this Report as **Appendix – “B-3”**.

17. SECRETARIAL AUDIT

M/s Akhil Rohtagi & Company, Practicing Company Secretaries, was appointed to conduct the Secretarial Audit of the Company for the financial year 2017-18, as required under Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules thereunder. The Secretarial Audit Report for the financial year 2017-18 is annexed as **Appendix-“E”** to this Report.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(M.P. Mall)

Chairman & Managing Director

DIN:02316235

Date : 24.08.2018

Place : New Delhi

**Appendix "B-1"****DECLARATION BY CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT BY BOARD MEMBERS AND SENIOR MANAGEMENT DURING THE FINANCIAL YEAR 2017-18**

I, M.P. Mall, Chairman & Managing Director, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, do hereby declare that all the members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Company have affirmed their compliance of the Code of Conduct and Key Values of the Company during 2017-18.

Date : 24.08.2018
Place : New Delhi

Sd/-
(M.P. Mall)
Chairman & Managing Director
DIN:02316235

Appendix "B-2"**CEO AND CFO CERTIFICATION**

To,
The Board of Directors
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
New Delhi

- i. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd for the year ended 31st March, 2018 and that to the best of our knowledge and belief:
 - a. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - b. These statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- ii. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year 2017-18 which are fraudulent, illegal or violative of the Company's Code of Conduct.
- iii. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- iv. We have indicated to the auditors and the Audit Committee:
 - a. There have been no significant changes in internal control over financial reporting during the year 2017-18.
 - b. There have been no significant changes in accounting policies during the year 2017-18.
 - c. There have been no instances of significant fraud of which we are not aware nor there has been involvement of management or an employee having significant role in the Company's under internal control system over financial reporting.

Sd/-
(M.P. Mall)
CMD
(CEO)
DIN: 02316235

Sd/-
(Ajai Srivastava)
GGM (Finance-II)
CFO

Date : 24.08.2018
Place : New Delhi



Appendix “B-3”

**Balika Sharma & Associates
(Company Secretaries)**

Address : Flat No. 211, Pocket A/3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile: 9811387946
E mail : balikasharma@gmail.com

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members,
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
11th Floor, B-148, Statesman House,
Barakhamba Road, New Delhi-11001
CIN U74899DL1999GOI101707

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited**, for the Financial Year ended on 31st March, 2018 as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprise (DPE), Government of India.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company to ensure the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

FOR BALIKA SHARMA & ASSOCIATES
Practicing Company Secretaries

Sd/-

**Balika Sharma & Associates
(Company Secretaries)**

CP.No. 3222

M.No. 4816

GST No. : 07AMAPS9564K1Z1

Place : New Delhi
Date : 10.08.2018



Appendix – “C” to the Directors’ Report

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABILITY

1. BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY’S CSR POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS

a. Foreword:

IRCTC has a duly approved CSR & Sustainability Policy formulated in accordance with the following:

- (a) Section 135 of the Companies Act 2013
- (b) Companies (Corporate Social Responsibility) Rules 2014;
- (c) The circulars and notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time;
- (d) Guidelines issued by the Department of Public Enterprises from time to time.

This policy encompasses IRCTC’s philosophy for delineating its responsibility as a corporate citizen and lays down the guidelines and mechanism for undertaking socially useful programmes for welfare & sustainable development of the community at large.

IRCTC through its CSR & Sustainability initiatives endeavors to achieve the below-mentioned **key value** behind CSR & Sustainability Policy:

“To remain a responsible corporate entity mindful of its social responsibilities to all stakeholders including railway passengers, customers, consumers, shareholders, employees, local community and society at large”.

Objective and Scope:

IRCTC’s CSR & Sustainability activities are being implemented to meet the broad objectives underlined in the Policy:

- ❖ Focus on periphery of project areas of IRCTC/local areas of the zones/ units of the Company as the case may be. For the purpose of the policy, Local Area constitute of the area(s) falling in the vicinity of the Zones/Plants and locations, where IRCTC carries out its business.
- ❖ To directly or indirectly take up programmes that benefit the local communities in & around its area of operations and results, over a period of time, in enhancing the quality of life & economic wellbeing of the local populace.
- ❖ To generate, through its CSR initiatives, a community goodwill for IRCTC and help reinforce a positive & socially responsible image of IRCTC as a corporate entity
- ❖ Inclusive growth of society with emphasis on development of weaker sections of society and in the backward districts of the country

Key Areas:

While selecting CSR activities / projects from the activities listed in Schedule VII of the Act, IRCTC would give priority to the issues which are of foremost concern in the national development agenda, like **safe drinking water for all, provision of toilets especially for girls, health and sanitation, education**, etc.

The main focus of CSR and Sustainability policy of IRCTC is on sustainable development and inclusive growth, and **to address the basic needs of the deprived, under privileged, neglected and weaker sections of the society which comprise of SC, ST, OBCs, minorities, BPL families, old and aged, women / girl child, physically challenged**, etc.

During the FY 18, special thrust has been given to the **“Sanitation, Environmental Sustainability and Health”**.

With an objective to provide suitable sanitation and hygiene; and to end open defecation through construction of and community toilets enabling a clean, safe, healthy environment, **Modular NAMMA toilets** were provided at Gorakhpur, Jaipur, Gwalior, Agra Cantt and Vadodara railway stations.



The Company contributed CSR funds amounting of ' 402 lakhs towards **Swachh Bharat Kosh**" set up by the Central Government.

Under **Environmental Sustainability**, the Company took initiative to install 50 PET Bottle Crusher machines at Howrah Division, Hyderabad Division, Ranchi Division, Delhi Division, Vijaywada Division, Lucknow Division and Mumbai Division

Under **Health**, the Company provided financial assistance to sponsor equipments for blood transfusion centre for patients of Thalassemia and Leukemia (Blood Cancer) at Pune and Ajmer. The Company also contributed financially for the adoption of needy cancer patients through Cancer Patient Aid Association (CPAA).

The details of the activities along with the budget allocated and expenditure spent is produced under paragraph 5.

Web link to CSR Policy

The CSR Policy of the Company is available on website at the link:

http://www.irctc.com/DownloadDocuments?workflow=getFile&doc_cat_id=5&doc_id=2251&get_file_name=IRCTC_CSR_n_SD_Policy.pdf

2. Composition of the Committees

The Company has two Tier organization structure to steer CSR and Sustainability agenda and to ensure implementation of activities and utilization of funds in a time bound manner as mentioned below:

I. Tier-I: Board Level Committee headed by the Chairman and Managing Director and;

II. Tier-II: Below Board level Committee headed by the Nodal Officer

Tier-I: Board Level CSR and Sustainable Development Committee (BLC)

Composition as on 31st March, 2018:

❖ Shri M. P. Mall Chairman & Managing Director/IRCTC	: Chairperson
❖ Smt. Smita Rawat, ED (NFR &T)/Railway Board & Part Time Government Director	: Member
❖ Dr. Rabi Narayan Bohidar, Independent Director	: Member
❖ Dr. Dheeraj Sharma, Independent Director	: Member
❖ Prof. Sachin Chaturvedi, Independent Director	: Member

Tier-II: Below Board Level Committee Composition:

The composition of Tier-II – Below Board level Committee may comprise of three members (including the Nodal officer as Chairperson), second member to be inducted from representative(s) of departments depending upon the nature of project being undertaken and will include a member from Finance being third member.

3. Average net profit of the Company for last three financial years:

₹ 28415 lakhs (as per section 198 of Companies Act 2013)

4. Prescribed CSR expenditure :

₹ 568 lakhs (2% of the amount at S. No. 3 above)

5. Details of CSR spent during the financial year 2017-18:

a. Total amount to be spent for the financial year:	₹ 568 lakhs
b. Amount spent	₹ 543.67 lakhs
c. Amount unspent, if any;	₹ 24.29 Lakh



Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the projects is covered	Projects or programs	*Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs during 2017-18		Total expenditure for the year 2017-18 (₹ in lakhs)	Cumulative expenditure up to 31.03.2018 (₹ in lakhs)	Amount spent: Direct or through implementing agency
			Local area or other Specify the state and district where projects or programs was undertaken	Total (₹ in lakhs)	(1) Direct expenditure on projects or programs (₹ in lakhs)	(2) Overheads (₹ in lakhs)			
1.	Construction of Namma Toilets (08 Nos.)	Sanitation	1 (one) at Jaipur 2 (two) at Gorakhpur 1 (one) at Gwalior 2 (two) at Agra 2 (two) at Vadodara 1 (one) at Thane	135.00	35.41	–	35.41	96.06	Direct
2.	Maintenance of Golf Cart – Replace of Battery	Sanitation and Environment	New Delhi	0.65	0.65	–	0.65	0.65	Direct
3.	Supply of Rail Neer against flood relief in Assam and Bihar from Danapur Plant	Healthcare/ Drinking Water	Assam and Bihar	0.52	0.52	–	0.52	0.52	Direct
4.	CSR Activities at RNP / Danapur – Provision of 25No. solar street lights along the village road	Environment	Danapur	6.06	6.06	–	6.06	6.06	Direct
5.	Financial assistance to sponsor equipments for blood transfusion centre for patients of Thalessemia and Lukemia (blood cancer) through NGO "The Wishing Factory"	Healthcare	Pune and Ajmer	13	13	–	13	13	NGO – The Wishing Factory
6.	Development of rural village under CSR - "Ekal Abhiyan, Ekal Vidyalaya - free non formal education to tribal rural children of remote villages"	Education	Champaran (Bihar)	10	10	–	10	10	NGO – Ekal Abhiyan
7.	"Women empowerment of self help groups (SHGs) to enhance their livelihood" through Bharatiya Stree Shakti (BSS)	Social Empowerment	Mumbai	5.00	5.00	–	5.00	5.00	NGO – Bhartiya Stree Shakti
8.	Supply of Rail Neer against flood relief in Assam from Nangloi Plant through NGO SOCH (35 drinking water).	Healthcare/ Drinking Water	Assam	2.27	2.27	–	2.27	2.27	NGO – Social Organization for Change and Help
9.	Pure drinking water facility under CSR At "The Little kingdom Nursery School" in Sarojini Nagar, New Delhi	Drinking Water	New Delhi	0.46	0.46	–	0.46	0.46	Direct



S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the projects is covered	Projects or programs	*Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs during 2017-18		Total expenditure for the year 2017-18 (₹ in lakhs)	Cumulative expenditure up to 31.03.2018 (₹ in lakhs)	Amount spent: Direct or through implementing agency
			Local area or other Specify the state and district where projects or programs was undertaken	Total (₹ in lakhs)	(1) Direct expenditure on projects or programs (₹ in lakhs)	(2) Overheads (₹ in lakhs)			
10.	Awareness and enrolment drive for government schemes through NGO Bhartiya Sankalp Path Foundation, New Delhi	Social Empowerment	Bihar	1.8	1.8		1.8	1.8	NGO – Bhartiya Sankalp Path Foundation
11.	Adoption of Cancer patients through Cancer Patient Aid Association (CPAA)	Healthcare	Mumbai	15	15		15	15	Cancer Patient Aid Association (CPAA)
12.	Swachh Bharat Activities	Sanitation	Swachh Bharat Kosh	402.02	402.02		402.02	402.02	Swachh Bharat Kosh
13.	Water vending machines in West Zone	Drinking Water	Mumbai	2.19	2.19		2.19	2.19	Direct
14.	Liftable wheel chair at various stations at Delhi – Chennai stretch	Healthcare	Delhi - Chennai Route	29.29	29.29		29.29	29.29	Direct
15.	Pet Bottle Crushing Machines	Environment	PAN India	57.23	Nil		Nil	Nil	Direct
16.	Financial assistance to voice of world a social welfare organization for handicapped	Social Empowerment	Kolkata	10	10		10	10	NGO – Voice of World
17.	Installation of water ATM's at National Rail Museum, New Delhi.	Drinking Water	New Delhi	10	10		10	10	Direct
		Total		700.49	543.67		543.67	604.32	

6. In case the Company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its board report

₹ 24.29 lakh out of the allocated budget for the FY 2017-18 was unspent as Purchase Order for the project of installation of PET Bottle crusher was placed in current financial year. The machines, therefore, could not be installed at respective locations. In addition to this contract of providing NAMMA toilet was short closed due to non-availability of site from railways.

The shortfall (of ₹ 24.29 lakhs) will not lapse and will be carried forward to next financial year 2018-19, and spent along with allocated budget for FY 2018-19.

7. Responsibility Statement

The Board of Directors of the Company affirms that the implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy is in compliance with CSR objectives and policy of the Company.

For and on behalf of Board of Directors

Date : 24.08.2018
Place : New Delhi

Sd/-
(Siyaram)
CSR Nodal Officer

Sd/-
(M.P. Mall)
Chairman & Managing Director
and Chairman/CSR & SD Committee
DIN:02316235



Appendix - "D" to the Directors' Report

AKHIL ROHATGI
M.Com. L.L.B. F.C.S.

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi-110054.
Phone : 011-23926504, 9810690633
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

*[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]*

To,

**The Members,
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
11th Floor, Statesman House,
B-148, Barakhamba Road,
Connaught Place,
New Delhi-110001.**

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2018 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited for the financial year ended on 31st March, 2018 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Securities Contracts (Regulations) Act, 1999 and the rules made thereunder is not applicable as the shares of Company are not listed with any of the Stock Exchanges
- (iii) The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder are not applicable, as the transactions made by the company during the period under review did not attract the provisions/regulations/rules of the said Act. There was no Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
- (iv) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder are not applicable as the shares of Company are not registered with any of the depository mentioned under the said Act.
- (v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable as the shares of Company are not listed with any of the Stock Exchanges.
- (vi) Other applicable Laws, rules and Guidelines as mentioned here-in-below:
 - a. DPE guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the 'Department of Public Enterprises', Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.



- b. Food Safety and Standards Act, 2006 its Rules and Regulations.
- c. The Legal Metrology Act 2009
- d. Right to Information Act 2005
- e. Shops and Establishment Act
- f. Consumer Protection Act 1986
- g. Information Technology Act 2000
- h. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006
- i. Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013
- j. Environmental laws as applicable.
- k. Labour Laws as Applicable

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India time to time.

During the period under review, as per explanations and clarifications given to us and representations made by the Management, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above *except that in respect of some of the units of Rail Neer have not been registered under The Legal Metrology Act 2009.*

We further report that the Board is duly constituted with proper balance of Executive Directors Non Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice was given to all Directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance. However in certain cases the meetings was held by giving shorter notice and in respect which applicable provisions of Companies Act 2013 had complied. Further, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision has been carried through in the meetings. It was informed by the management that there was no dissenting members on any of the agenda item put up before the Board for discussion.

We further report that as per the explanations given to us and representations made by the management there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For Akhil Rohatgi & Co

Sd/-

Akhil Rohatgi

Practicing Company Secretary

FCS No.: 1600

CP No: 2317

Date : 24.08.2018

Place : New Delhi



AKHIL ROHATGI
M.Com. L.L.B. F.C.S.

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines,
Delhi – 110054.
Phone : 011-23926504, 9810690633
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

To,
The Members,
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
11th Floor, Statesman House,
B-148, Barakhamba Road,
Connaught Place,
New Delhi-110001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in the secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of the events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable law, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Akhil Rohatgi & Co

Sd/-

Akhil Rohatgi

Practicing Company Secretary
FCS No.: 1600
CP No: 2317

Date : 24.08.2018
Place : New Delhi



Appendix – “E” to the Directors’ Report

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2018

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

CIN	U74899DL1999GOI101707
Registration Date	27 th September, 1999
Name of the Company	Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
Category / Sub-Category of the Company	Company Limited by Shares / Union Government Company
Address of the Registered office and contact details	11 th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 Tel. No. 011-23311263-64 Fax. No. 011-233311259 Email: companysecretary@irctc.com
Whether Listed Company	No
Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company are given below:

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Internet Ticketing	–	13.40%
2	Catering & Hospitality	–	48.24%
3	Travel & Tourism	–	27.35%
4	Railneer	–	11.01%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	Royale Indian Rail Tours Limited Ground Floor, STC Building (Jawahar Vyapar Bhawan), 1-Tolstoy Marg, New Delhi-110001	U60100DL2008 PLC185285	Associate	50%	2(6) of Companies Act, 2013

**Due to dispute between equity partners, IRCTC had terminated the agreement with Cox and Kings Ltd. on 12th August, 2011 and initiated proceedings u/s 397 and 398 of the Companies Act, 1956 against Cox and Kings Ltd. and the matter is sub judice before the court. Further, permission has also been taken by RIRTL from CLB for not holding the Board and General Meetings without approval of CLB in July, 2013*



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01.04.2017)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31.03.2018)				%Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Central Govt	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
c) State Govt (s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e) Banks / FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f) Any Others	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total (A) (1):-	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
(2) Foreign									
a) NRIs – Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Other – Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d) Banks / FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e) Any Others	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-Total (A) (2):-	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A)(2)	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
B. Public Shareholding									
(1) Institutions	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a) Mutual Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Banks / FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c) Central Govt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d) State Govt(s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e) Venture Capital Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f) Insurance Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g) FIIs	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h) Foreign Venture Capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) Others (Specify)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2. Non Institutions									
a) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) Indian	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) Overseas	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) Individualshareholdersholding nominalshare capitalupto ₹ 1 lakh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c) Others (specify)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total (B)(2):-	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grand Total (A+B+C)	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00



ii. Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year (As on 01.04.2017)			Shareholding at the end of the year (As on 31.03.2018)			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1	President of India and its nominees	4,00,00,000	100%	0.00	4,00,00,000	100%	0.00	0.00
	Total	4,00,00,000	100%	0.00	4,00,00,000	100%	0.00	0.00

iii. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	4,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%
2.	Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc):	No change during the year			
3.	At the end of the year	4,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

Sl. No.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	NA			
2.	Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc):				
3.	At the end of the year				

v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel (KMP)

Sl. No.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	0	0.00	0	0.00
2.	Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc):	0	0.00	0	0.00
3.	At the end of the year	0	0.00	0	0.00



V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year (01.04.2017)	NIL			
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year				
– Addition				
– Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year (31.03.2018)				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount (in ₹)
		WTD				
		Dr. A.K. Manocha Ex-CMD (Ceased to be Director w.e.f. 01.08.2017)	Shri M.P. Mall Chairman & Managing Director	Smt. A.K. Brar Ex-Director (T&M) (Ceased to be Director w.e.f. 01.12.2017)	Shri V. Sriram Director (Catering Services) (appointed w.e.f. 11.03.2016)	
1.	Gross salary					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	21,97,540	66,43,702	36,06,549	45,86,876	1,70,34,667
	(b) Value of perquisites u/s17(2) of Income-tax Act, 1961	5,70,550	14,41,198	4,76,412	8,45,526	33,33,686
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of Income- tax Act, 1961	—	—	—	—	—
2.	Stock Option	—	—	—	—	—
3.	Sweat Equity	—	—	—	—	—
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	—	—	—	—	—
5.	Others, please specify					
	1. Medical Reimbursement	—	11,99,166	—	46,070	12,45,236
	2. Entertainment Expenditure	15,828	16,796	20,235	—	52,859
	3. Electricity expenses	24,053	80,514	45,358	8,440	1,58,365
	4. TADK	70,111	3,85,862	3,95,421	1,20,000	9,71,394
	Total (A)	28,78,082	97,67,238	45,43,975	56,06,912	2,27,96,207
	Ceiling as per the Act*	Not Applicable				

*Section 197 of the Companies Act, 2013, is exempted for government companies in terms of Ministry of Corporate Affairs' notification dated 5th June, 2015.



B. Remuneration to other directors:

(in ₹)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors						Total Amount
1.	Independent Directors	Dr. Rabi Naryan Bohidar	Dr. Dheeraj Sharma	Mrs. Kanak Aggarwal	Mr. C.R. Sundaramurti (Appointed w.e.f. 13.10.2017)	Prof. Sachin Chaturvedi (Appointed w.e.f. 10.10.2017)	Ms. Sarita Deshpande (Appointed w.e.f. 29.03.2018)	
a)	Fee for attending Board/ Committee meetings	2,10,000	2,85,000	1,80,000	1,05,000	60,000	NIL	8,40,000
b)	Commission	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c)	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total (1)	2,10,000	2,85,000	1,80,000	1,05,000	60,000	NIL	8,40,000
2.	Other Non-Executive Directors	Sh. B. Prashanth Kumar			Ms. Smita Rawat			Total Amount
a)	Fee for attending Board/ Committee meetings	NIL			NIL			NIL
b)	Commission	NIL			NIL			NIL
c)	Others, please specify	NIL			NIL			NIL
	Total (2)	NIL			NIL			NIL
	Total (B)=(1+2)	NIL			NIL			8,40,000
	Total Managerial Remuneration	Not Applicable						
	Overall Ceiling as per the Act	Not Applicable						

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total Amount (in ₹)
		CEO [@]	Ms. Suman Kalra Company Secretary	CFO [*]	
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	—	24,71,780	16,01,878	40,73,658
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	—	3,59,639	6,31,345	9,90,984
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	—	—	—	—
2.	Stock Option	—	—	—	—
3.	Sweat Equity	—	—	—	—
4.	Commission — as % of profit — Others, specify...	—	—	—	—
5.	Others, please specify	—	—	—	—
	1. Medical Reimbursement	—	—	—	—
	2. Entertainment Expenditure	—	—	73,226	73,226
	3. Electricity expenses	—	—	—	—
	4. TADK	—	—	73,226	73,226
	Total	—	28,31,419	23,79,675	52,11,094

[@] CMD, IRCTC is deemed to be CEO

^{*}Mr. Ajai Sirivastava, GGM (Finance-II) was nominated as CFO in 88th Board Meeting held on 21.08.2017



VII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment / Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty			None		
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty			None		
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty			None		
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of Board of Directors

Date : 24.08.2018
Place : New Delhi

Sd/-
(M.P. Mall)
Chairman & Managing Director
DIN:02316235



Appendix - "F" to the Directors' Report

Addendum to the Directors' Report

(Management replies to the remarks made by Independent Auditor on the financial statements for F.Y.2017-18)

Point in the Auditor's Report	Auditor's Remarks	Management Reply
Point 2 (a) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	We have sought and obtained the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except for confirmations on the balances receivable/payable to railways as well as other parties. Also, the old balances which as informed to us pertain to the period of transfer of catering business in the financial year 2010 and on account of migration of data from the earlier accounting system to the Oracle System are subject to confirmation/ reconciliation from railway as well as other parties.	Approx. 75% outstanding in respect of trade receivables/trade payables are related to different Zonal Railways. Further the Railway do the accounting on Cash basis and hence Balances in regard to receivable/payable can't be confirmed by Railway on a particular date. However, regular reconciliation meetings are being held with concerned Zonal Railways to reconcile & recover the dues from railways.
Point 2(b) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	That the catering services on a large number of trains have been transferred to the company during the financial year under consideration. That some of the departmentally managed trains are being operated on unbundling/partial unbundling model whereby the food preparation and food serving contracts have been given to different licensees and in few cases to even same licensee. In view of the management of the company the operation of such trains is in the nature of departmental catering since partially the food is also being supplied from the base kitchen in most of the trains. Thereby treating the same in the nature of departmental catering, the company has not provided for any share of revenue payable to Indian Railways in terms of the catering policy (which required revenue sharing in the ratio of 15:85 between Indian Railways and IRCTC, and 40:60 in case of licensee model) stating that it has made the representation to the Ministry of Railways that railway share may be paid only in case of generation of profits from operation of departmentally run trains, to be assessed on PAN India Basis and hence train/unit wise statement of affairs was not available. As informed the matter has been referred to the Railway Board.	Temporary licensing of food preparation as well as serving has been given to the licensee under the partial unbundling model, pending the set up and commencement of food preparation at the base kitchens across various stations, and hence such operations are in the nature of departmental catering. Therefore, the same has been booked under the departmental catering and no revenue sharing has been done with railway as the revenue sharing is done on the profit of departmental catering on PAN India Basis as per the clarifications given by Railway Board vide letter no.2007/TG.III/600/4 dated 02.03.2007.



Point in the Auditor's Report	Auditor's Remarks	Management Reply
Point 2(e)(i) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	That with regards to the Ind Accounting Standard 31 on Interest in Joint Ventures, on account of the ongoing litigation with M/s Cox & Kings Ltd. in respect of joint venture company M/s Royale India Rail Tours Limited, for which the financial have not been prepared since 2010-11 and hence the company is neither filing the consolidated financial statements and nor the disclosures have been made regarding the financial position of such joint venture company. In view of the termination of the joint venture agreements, the company is of the view that M/s Cox & Kings Ltd cannot invoke arbitration clause in relation to the reliefs sought. Consequential financial impact, if any could not be ascertained. (Refer to Note 37.3 & 45)	The case is sub-judice and the facts have already been disclosed in note no.37.3 and 45 of the financial statements for the F.Y.2017-18. The said notes have been disclosed in financial statements w.e.f. F.Y.2011-12 as per advice of the statutory auditors. Further, there is no change in status of the case.
Point 2(e) (ii) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	That in terms of Ind Accounting Standard 108 on Operating Segments, we have relied upon the management numbers for segregation/ reclassification of expenses not segmented in the financial accounting system.	The Company has identified five reportable segments of its business which is as follows:- • Licensee Catering • Departmental Catering • Railneer • Tourism • Internet Ticketing. The Company has consistently followed the policy and practice of disclosing the above segments in financial statements. Furthermore, expenses on account of HR cost related to Catering business has been allocated on the basis of extracted data. The same allocation could not be made in financial accounting system due to implementation of catering policy 2017 in Financial year 2017-18 in which the catering business is being taken over from Railways gradually throughout the FY 2017-18 and work force has been shifted from one segment to another accordingly.
Point 2(e) (iii) (a) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	The Commissioner of VAT vide order dated 23 rd March 2006 had levied VAT on on-board catering services in train treating the same as sales. The plea of the company was not accepted by the Appellate Tribunal as well as by the Hon' Delhi High Court and SLP is now pending at the Hon' Supreme Court. The company as a prudent policy has been providing VAT liability but net of corresponding VAT Input and service tax being paid since only one of the	The case is pending with the Hon'ble Supreme Court of India and it has already been disclosed in note no.37.4 of the financial statements of the Company for F.Y.2017-18. An application for early hearing has already been filed. The said note has been disclosed in financial statements w.e.f. F.Y.2014-15 as per advice of the statutory auditors and there is no change in status of the case.



Point in the Auditor's Report	Auditor's Remarks	Management Reply
	taxes may be applicable. In case the ruling goes against the company, the entire VAT liability (on gross or net basis) along with the interest (as levied) may have to be deposited and a separate service tax refund application may be required to be filed and obtained separately. (Refer to Note 37.4).	
Point 2(e) (iii) (b) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	That the credit entitlements and liability under the Goods and Service Tax are subject assessment under the act. Further the company has represented that it does not foresee any GST liability on the company's share of license fee realized by the Railways before the GST Regime and transferred to the company during the GST Regime as a result of takeover of trains under the New Catering Policy 2017. Similarly, No GST liability has been accrued on the reimbursement claims received from the Indian Railways towards the Internet ticketing expenses incurred, on account of GST Credits claimed on input cost reimbursed to the company. As informed to us, the company is in the process of obtaining advance ruling on the above said matters and no provision/liability has been accrued on the same.	1) Indian Railways had awarded "grant of license" in the year 2014, for the supply of food to passengers to various licensees, who are providing on-board catering services to its passengers for a period of five years. As per the agreement entered between the Indian Railways with the Licensee, the amount of license fees is payable in advance in installments i.e. first for 2 year, then for next 2 years and finally for last 1 year. Ministry of Railways vide its Catering Policy 2017 has assigned the on board catering contracts to IRCTC and accordingly tripartite agreement has been entered amongst the Indian Railway, IRCTC and the licensee, wherein Indian Railways has assigned all its rights and responsibilities of on board catering to IRCTC. Further, IRCTC shall share 40% of the amount of license fees received by it from licenses as per the tripartite agreement with the Indian Railways. The Goods and Service Tax Act, 2017 has been implemented w.e.f. 1st July, 2017 and is applicable for the supply to be made on or after 1st July, 2017. In the present case the IRCTC has received the amount of license fee for the grant of license which was granted prior to the applicability of GST. The amount of licenses fees received by Indian Railways was not chargeable to service tax as per the provisions of Finance Act at the time or its receipt. The proportionate amount paid by Indian Railways to IRCTC is towards the remaining part of the tender which was awarded prior to the implementation of GST. The assigning of license by Indian Railways to its 100 % subsidiary does change the nomenclature of the transaction as the license has been awarded prior to the implementation of GST. The incidence of tax is the event when the service is provided/supplied to the service recipient. Thus the Service being "grant of license" was provided by Indian Railways at the time when the license was awarded. As held in various judicial pronouncements that the tax cannot be levied for



Point in the Auditor's Report	Auditor's Remarks	Management Reply
		the service provided prior to enactment of Act or amendment made if any. As the service recipient is the same person and no additional benefit/services have been rendered. 2) IRCTC is having the online portal i.e. www.irctc.gov.in for booking of tickets for Railways. Government of India through Ministry of Railways, in the public interest to promote Hon'ble Prime Minister programme of 'Digital India' has waived off the service charges, charged by IRCTC from passengers for booking of online train tickets. Therefore, IRCTC is not charging any amount towards the service charges from the passengers. IRCTC is incurring operating expenses such as up gradation and maintenance cost of server, manpower deputed to maintain the server and other incidental cost. IRCTC has sent the detail of expenditure incurred by it to the Ministry of Railways and the Ministry has sanctioned a sum of ₹ 80 crores towards the operating cost incurred by IRCTC for providing e-ticketing facilities to the passengers. IRCTC has not charged any margin on the cost incurred by it. The amount received from Railways does not fall in the definition of consideration as defined u/s 2(31) of CGST Act, as reimbursement of expenses received from Central and State Government are excluded from the consideration. Further section 15 (2) excludes the amount of reimbursement of expenses received from the Central Government and State Government from the value of taxable supply. However, IRCTC has applied for advance ruling on the above issues and will take necessary action as per the decision of the Authority of Advance Ruling.
Point 2(h) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	That the transaction by transaction reconciliation of the banking transactions could not be made for some of the bank accounts being handled at Internet Ticketing division of the company on account of voluminous ticket booking and cancellation transactions on behalf of railways. (Refer to Note No.38)	Presently, the accounting reconciliation is done on monthly basis between amounts credited/ debited from Bank accounts and records available with IRCTC transaction Data. If amount matches in both the records and no discrepancy is found, then it is considered that the reconciliation is final. However, if it is found that there is any mismatch between these records, then transaction level reconciliation is being done to find out the exceptional transaction. There after the concerned banks are coordinated on regular basis for recovery of such mismatching transaction or otherwise. The volume of transactions is very huge. At present, around 8 to 9 lakh transactions are taking



Point in the Auditor's Report	Auditor's Remarks	Management Reply
		place on daily basis through Payment Gateway and Net banking/ATM cum Debit cards (43 banks for Nget Ticketing service). The above facts have already been disclosed in note no.38 of the financial statements. The said note has been disclosed in financial statements w.e.f. F.Y.2012-13 as per advice of the statutory auditors.
Point 2(i) of Report on other Legal & Regulatory Requirements	In our opinion, the internal audit system is not commensurate with the size of the company and the nature of its operations. Based on our verification of the records and documents, there is a need to strengthen the internal control system within the organization and upgrade and optimize the ERP system and also develop stronger MIS for periodic review of various business segments. Further in our opinion, the identification and reconciliation of the legacy transactions stated to have been existing since the migration of data from earlier financial system to present financials maintained in Oracle system as well as financial transactions pertaining to the period of transfer of operations from/to railways needs to be completed.	A. The internal audit is carried out by a reputed professional firm which is enlisted with C&AG and audit is being done in accordance with the detailed scope of work in line with the Company's operations. B. The internal control system is well in place in the Corporation in view of the following:- - The Corporation is voluntarily getting the cost audit done by a reputed Cost Accountants firm in spite of non-applicability of the cost audit to the Corporation; - There are other audits like different types of audits by C&AG, various tax audits etc. conducted in the corporation; - The transactions are being carried out and authorized in line with SOP (schedule of Powers) in the Corporation; - There are policies like Whistle Blower policy, Anti fraud policy and also vigilance department in the corporation to prevent and detect fraud and no frauds have been detected in the Corporation; - Audit Committee of the Corporation holds regular meeting to discuss the financial matters/internal control systems. - Suggestions as given by the Auditors shall be ensured in future.

For and on behalf of Board of Directors

**Date : 24.08.2018
Place : New Delhi**

**Sd/-
(M.P. Mall)
Chairman & Managing Director
DIN:02316235**



SERVA ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

1011-1014, 10th Floor, RG Trade Tower, Netaji Subhash Place,
Pitam Pura, Delhi 110005, Ph: 011-42502244, 3562
Email: info@serva.in; Website: www.serva.in

Independent Auditors' Report

To the Members of **M/s Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited**

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone Ind AS financial statements of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ('the Company'), which comprise the balance sheet as at 31st March 2018, the statement of profit and loss (including other comprehensive income), the statement of cash flows and the statement of changes in equity for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "standalone Ind AS financial statements").

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder.

The responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the standalone Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the standalone Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the standalone Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone Ind AS financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the



financial position of the Company as at 31st March, 2018, and its financial performance including other comprehensive income, its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Report on other Legal & Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the **Annexure A**, a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit **except for** confirmations on the balances receivable/payable to railways as well as other parties. Also, the old balances which as informed to us pertain to the period of transfer of catering business in the financial year 2010 and on account of migration of data from the earlier accounting system to the Oracle System are subject to confirmation/reconciliation from railway as well as other parties.
 - b. That the catering service on a large number of trains have been transferred to the company during the financial year under consideration. That some of the departmentally managed trains are being operated on unbundling/partial unbundling model whereby the food preparation and food serving contracts have been given to different licensees and in few cases to even same licensee. In view of the management of the company the operation of such trains is in the nature of departmental catering since partially the food is also being supplied from the base kitchen in most of the trains. Thereby treating the same in the nature of departmental catering, the company has not provided for any share of revenue payable to Indian Railways in terms of the catering policy (which required revenue sharing in the ratio of 15:85 between Indian Railways and IRCTC, and 40:60 in case of licensee model) stating that it has made the representation to the Ministry of Railways that railway share may be paid only in case of generation of profits from operation of departmentally run trains, to be assessed on PAN India Basis and hence train/unit wise statement of affairs was not available. As informed the matter has been referred to the Railway Board.
 - c. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - d. the balance sheet, the statement of profit and loss, the statement of cash flows and the statement of changes in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account
 - e. In our opinion, the aforesaid standalone Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with relevant rule issued thereunder except for:
 - i. That with regards to the **Ind Accounting Standard 31 on Interest in Joint Ventures**, on account of the ongoing litigation with M/s Cox & Kings Ltd. in respect of joint venture company M/s Royale India Rail Tours Limited, for which the financial have not been prepared since 2010-11 and hence the company is neither filing the consolidated financial statements and nor the disclosures have been made regarding the financial position of such joint venture company. In view of the termination of the joint venture agreements, the company is of the view that M/s Cox & Kings Ltd cannot invoke arbitration clause in relation to the reliefs sought. Consequential financial impact, if any could not be ascertained. (Refer to Note 37.3 & 45)
 - ii. That **in terms of Ind Accounting Standard 108 on Operating Segments**, we have relied upon the management numbers for segregation/reclassification of expenses not segmented in the financial accounting system.
 - iii. That with regards to the **Ind Accounting Standard 37 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**,
 - a. The commissioner of VAT vide order dated 23rd March 2006 had levied VAT on on-board catering services in train treating the same as sales. The plea of the company was not accepted by the Appellate Tribunal as well as by the Hon' Delhi High Court and SLP is now pending at the Hon' Supreme Court. The company as a prudent policy has been providing VAT liability but net of corresponding VAT Input and service tax being paid since only one of the taxes may be applicable.



In case the ruling goes against the company, the entire VAT liability (on gross or net basis) along with the interest (as levied) may have to be deposited and a separate service tax refund application may be required to be filed and obtained separately. (Refer to Note 37.4).

- b. That the credit entitlements and liability under the Goods and Service Tax are subject assessment under the act. Further the company has represented that it does not foresee any GST liability on the company's share of license fee realized by the Railways before the GST Regime and transferred to the company during the GST Regime as a result of takeover of trains under the New Catering Policy 2017. Similarly, No GST liability has been accrued on the reimbursement claims received from the Indian Railways towards the Internet ticketing expenses incurred, on account of GST Credits claimed on input cost reimbursed to the company. As informed to us, the company is in the process of obtaining advance ruling on the above said matters and no provision/liability has been accrued on the same.
- f. On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2018, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2018, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "**Annexure B**"; and
- h. That the transaction by transaction reconciliation of the banking transactions could not be made for some of the bank accounts being handled at Internet Ticketing division of the company on account of voluminous ticket booking and cancellation transactions on behalf of railways. (Refer to Note No.38)
- i. In our opinion, the internal audit system is not commensurate with the size of the company and the nature of it's operations. Based on our verification of the records and documents, there is a need to strengthen the internal control system within the organization and upgrade and optimize the ERP system and also develop stronger MIS for periodic review of various business segments. Further in our opinion, the identification and reconciliation of the legacy transactions stated to have been existing since the migration of data from earlier financial system to present financials maintained in Oracle system as well as financial transactions pertaining to the period of transfer of operations from/to railways needs to be completed.
- j. With respect to the other matters included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit & Auditors) Rules 2014, in our opinion and to our best of our information and according to the explanations given to us:
 - a. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer to Note No.37.2, 37.3 & 37.4)
 - b. The company had not entered into any long term contracts including derivative contracts
 - c. There were no amount which was required to be transferred to Investor education & Protection fund.

For Serva Associates
Chartered Accountants
FRN:000272N

Sd/-
CA. Nitin Jain
(Partner)
Membership Number: 506898

Date : 24th August 2018
Place : Delhi



Annexure-“A” to the Auditors’ Report

As referred to in the Auditors’ Report of even date to the members of M/s **Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited** on the Ind AS financial statements for the year ended March 31, 2018

- (i) (a) The company has maintained records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
- (b) As represented to us all the assets have been physically verified by the management during the year at regular intervals according to a program of verification. In our opinion, the manner of physical verification needs to be elaborated and formalized. No material discrepancies have been reported on such verification.
- (c) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company.
- (ii) (a) The physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the company & no material discrepancies were reported on physical verification of the inventory during the year. The inventory has been taken as quantified, valued and certified by the management.
- (iii) The company has not granted any loan secured or unsecured to companies, firms, Limited liability partnerships (LLP) or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act and hence provisions para (iii) are not applicable.
- (iv) The company has not given/advances any loans to directors and parties covered under Section 185 or loans and advances under Section 186 of the Companies Act, 2013 and hence the provisions of paragraph (iv) are not applicable to the company.
- (v) The company has not accepted any deposits and hence para (v) is not applicable.
- (vi) According to the information and explanations given to us, in our opinion the maintenance of cost records have not been prescribed for the company by the Central Government under subsection (1) of section 148 of the Companies Act, though the same have been made voluntarily by the Company.
- (vii) (a) The company is regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues deducted/accrued in the books of accounts including Income Tax, Goods and Service Tax, Service Tax, Cess and other statutory dues applicable to it. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees state insurance, income tax, sales tax, service tax, Goods and Service Tax, duty of customs, duty of excise, value added tax (VAT), cess and other statutory dues were in arrears which was payable as at 31st March, 2018 for a period of more than six months from the date they become payable.
- (b) According to the information and explanation given to us, following are the statutory dues have not been deposited on account of dispute with the authorities apart from any further liability under VAT as per para 37.2 & 37.4 to the notes to accounts:

Sl. No	Name of Statute	Nature of dues	Forum where the dispute is pending	Amount ₹ in lacs
1	Service Tax- South Zone	Renting on immovable properties	CESTAT, TRIBUNAL	679.03
2	Service Tax- East Zone	Miscellaneous	Commissioner of Central Excise, Appeal, Kolkata	54.80
3	Service Tax-North Zone	Renting on immovable properties	Commissioner of Central Excise, Appeal, New Delhi	390.03
4	Service Tax-South Central	Renting on immovable properties	Commissioner of Central Excise, Appeal, New Delhi	283.44
5	Service Tax-West Zone	Renting on immovable properties	Commissioner of Central Excise, Appeal, New Delhi	978.03
TOTAL				2385.33



- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not defaulted in repayment of dues against the borrowings made from Banks. No borrowings have been made from financial institutions or against debentures.
- (ix) The company has not raised any money by way of Initial Public Offer (IPO) or further public offer (including debt instruments). No term loans were taken by the company.
- (x) During the course of our examination of the books and records of the company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of material fraud on or by the company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (xi) That the Managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite provisions/approvals mandated by the provisions of section 197 read with schedule V to the Companies Act.
- (xii) The company is not a nidhi company & hence paragraph (xii) of the order is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the standalone Ind AS financial statements as required by the applicable accounting standard.
- (xiv) The company has not made any private placement of shares during the year under review and requirement of section 42 of the companies Act, 2013 are not applicable.
- (xv) The company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph (xv) of the order is not applicable.
- (xvi) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

For Serva Associates
Chartered Accountants
FRN:000272N

Sd/-

CA. Nitin Jain

(Partner)

Membership Number: 506898

Date : 24th August 2018

Place : Delhi

**Annexure-“B” to the Auditors’ Report****Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s **Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited** (“the Company”) as of 31st March 2018 in conjunction with our audit of the standalone Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained subject to our comments reported in inherent limitations below are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate. We have broadly reviewed the operating procedures and identification of potential risks involved as documented by the management. Effort has been made to cover substantially the entire business of the company, yet owing to multiple geographical locations, the testing of the risks control measures was restricted to selected locations only. However, we have considered the limitation reported above in determining the nature, timing & extent of audit test applied in our audit of Ind AS financial statements of the company and the limitations do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

Opinion

In our opinion, there is a need to strengthen the information system based controls and practices to mitigate risk factors associated with conventional manual control procedures particularly at the branches level. We have performed the testing of internal financial controls over financial reporting at the Corporate level and the same were in principal operating effectively as at 31st March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Serva Associates
Chartered Accountants
FRN:000272N

Sd/-

CA. Nitin Jain
(Partner)
Membership Number: 506898

Date : 24th August 2018
Place : Delhi

Modified Annexure-“C” to the Auditors’ Report

Directions under Section 143(5) of the Companies Act 2013 applicable.

1. Whether the Company has clear title/lease deeds for free hold and lease hold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available? Yes, based on the documents provided to us.
2. Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons thereof and the amount involved. NO
3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grants(s) from Govt. or other authorities. YES, none assets were received as gift/grant from the government of other authorities during the Financial Year under consideration.

For Serva Associates
Chartered Accountants
FRN:000272N

Sd/-

CA. Nitin Jain
(Partner)
Membership Number: 506898

Date : 11th September 2018
Place : Delhi



INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.

CIN - U74899DL1999GOI101707

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2018

AMOUNT (₹ in Lakh)

PARTICULARS	Note No.	As at 31 st March 2018	As as 31 st March 2017
I. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	3	15,564.37	15,777.88
(b) Capital work-in-progress	4	765.26	1,682.92
(c) Investment Property	5	2,761.56	—
(d) Other Intangible Assets	5A	656.39	1,261.92
(e) Financial Assets	6		
(i) Investments	6.1	0.32	0.32
(ii) Loans	6.2	1,104.50	1,177.76
(iii) Other Financial Assets	6.3	96.65	40.88
(f) Deferred Tax Assets (Net)	7	6,362.27	6,923.41
(g) Other Non-Current Assets	8	1,362.94	1,693.44
		28,674.26	28,558.53
2 Current assets			
(a) Inventories	9	740.60	658.05
(b) Financial Assets	10		
(i) Trade Receivables	10.1	54,720.11	28,866.52
(ii) Cash and Cash Equivalents	10.2	49,315.89	48,611.71
(iii) Bank Balances other than (ii) above	10.3	34,071.36	36,684.50
(iv) Others	10.4	1,706.54	1,591.95
(c) Current Tax Assets (Net)	11	667.79	231.05
(d) Other Current Assets	12	59,977.37	37,461.11
		201,199.66	154,104.89
Total Assets		229,873.93	182,663.42
II. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Equity			
(a) Equity Share Capital	13	4,000.00	4,000.00
(b) Other Equity	14	90,770.95	73,833.88
		94,770.95	77,833.88
2 Liabilities			
(i) Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities	15		
(i) Other Financial Liabilities	15.1	10,972.71	10,373.28
(b) Provisions	16	5,846.98	7,797.35
(c) Other Non-Current Liabilities	17	693.45	833.06
		17,513.14	19,003.69
(ii) Current liabilities			
(a) Financial Liabilities	18		
(i) Trade payables	18.1	15,043.24	13,718.16
(ii) Others	18.2	41,392.87	35,899.41
(b) Other Current Liabilities	19	60,826.19	35,535.68
(c) Provisions	20	327.54	121.18
(d) Current Tax Liability (Net)	21	—	551.42
		117,589.84	85,825.85
Total Equity and Liabilities		229,873.93	182,663.42

General Information 1

Summary of Significant Accounting Policies 2

As per our Report of even date attached

For Serva Associates
Chartered Accountants
Firm Reg. No. : 000272N

For and on behalf of Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC)

Sd/-
CA. Nitin Jain
Partner
M.No: 506898

Sd/-
Mahendra Pratap Mall
Chairman & Managing Director
DIN: 02316235

Sd/-
V. Sriram
Director (Catering Services)
DIN:07445220

Sd/-
Ajai Srivastava
GGM (Finance)
CFO

Sd/-
Suman Kalra
Company Secretary
M.No. - FCS-9199

Place: New Delhi
Date : 24th August, 2018



INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.

CIN - U74899DL1999GOI101707

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

AMOUNT (₹ in Lakh)

PARTICULARS	Note No.	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
I. Revenue from operations (Inclusive of Excise Duty)	22	146,817.97	153,893.25
II Other Income	23	7,598.36	5,636.83
III Total Revenue (I+II)		154,416.33	159,530.08
Expenses			
Cost of Materials Consumed	24	9,529.34	9,472.92
Excise Duty	—	436.70	1,573.55
Purchase of Stock-in-Trade	25	15,805.01	11,493.49
Changes in Inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	26	(26.56)	49.56
Expenses of Licensee Catering Services	27	23,003.12	8,162.44
Expenses of Tourism	28	30,475.19	41,459.71
Manufacturing & Direct Expenses	29	6,714.52	24,029.40
Employee benefit expense	30	19,215.15	17,961.91
Finance costs	31	290.76	253.53
Depreciation and amortization expense	32	2,366.11	2,241.37
Other Expenses	33	12,983.48	10,028.46
IV Total Expenses (IV)		120,792.82	126,726.34
V Profit before exceptional items and tax (III - IV)		33,623.51	32,803.74
VI Exceptional Items		524.57	340.97
VII Profit before tax (V+VI)		34,148.08	33,144.71
VIII Tax expense:			
(1) Current tax	34	11,603.63	11,787.14
(2) Deferred tax		342.14	(111.40)
IX Profit/(Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)		22,202.31	21,468.97
X Profit/(Loss) from discontinued operations		—	—
XI Tax expense of discontinued operations		—	—
XII Profit/(Loss) from discontinued operations (X - XI)		—	—
XIII Profit/(Loss) for the period (IX + XII)		22,202.31	21,468.97
XIV Other Comprehensive Income			
A. (i) Items that will be reclassified to Profit or Loss			
(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Profit or Loss		—	—
B. (i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss		—	—
- Remeasurment of post-employment benefit obligation	35	632.82	(148.87)
(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Profit or Loss		(219.01)	51.52
XV Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)		22,616.12	21,371.62
(Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)			
XVI Earning per equity share:			
(For Continuing Operation)			
(1) Basic (in ₹)	36	55.51	52.93
(2) Diluted (in ₹)	36	55.51	52.93
XVII Earnings Per Equity Share:			
(For Discontinuing Operation)			
(1) Basic (in ₹)	36	—	—
(2) Diluted (in ₹)	36	—	—
XVIII Earnings Per Equity Share:			
(For Continuing and Discontinued Operation)			
(1) Basic (in ₹)	36	55.51	52.93
(2) Diluted (in ₹)	36	55.51	52.93

THE NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS

For Serva Associates
Chartered Accountants
Firm Reg. No. : 000272N

For and on behalf of Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC)

Sd/-
CA. Nitin Jain
Partner
M.No: 506898

Sd/-
Mahendra Pratap Mall
Chairman & Managing Director
DIN: 02316235

Sd/-
V. Sriram
Director (Catering Services)
DIN:07445220

Sd/-
Ajai Srivastava
GGM (Finance)
CFO

Sd/-
Suman Kalra
Company Secretary
M.No. - FCS-9199

Place: New Delhi
Date : 24th August, 2018



INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.

CIN - U74899DL1999GOI101707

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2018

AMOUNT (₹ in Lakh)

PARTICULARS	For the Year Ended 31 st March 2018	for the Year Ended 31 st March 2017
A. Cash Flow from Operating Activities		
Profit before tax	34,148.08	33,144.71
Adjustments for :-		
Depreciation	2,366.11	2,241.37
Profit on sale of Fixed Assets	40.65	92.03
Interest Income	(4,957.01)	(4,439.13)
Other Comprehensive Income	632.82	(148.87)
Operating Profit before operating capital changes	32,230.65	30,890.11
Adjustments for :-		
Decrease / (Increase) in Inventories	(82.55)	168.02
Decrease/ (Increase) in Trade & Other Receivables	(25,853.58)	(3,718.57)
Decrease/ (Increase) in Other Non Current Financial assets	(55.77)	83.07
Decrease/ (Increase) in Other Current Financial assets	3.29	5.75
Decrease/ (Increase) in Current tax assets	-	128.19
Decrease/ (Increase) in Other Current assets	(22,516.25)	(6,207.85)
Decrease/ (Increase) in Other Non Current assets	330.51	580.72
Decrease/ (Increase) in Financial Assets Loans	73.26	(106.31)
(Decrease) / Increase in other Non current financial liability	599.43	432.20
(Decrease) / Increase in Non Current Provisions	(1,950.37)	634.95
(Decrease) / Increase in Other Non current liabilities	(139.61)	25.41
(Decrease) / Increase in trade payables	1,325.08	8,588.05
(Decrease) / Increase in Other financial liability	5,493.46	6,161.86
(Decrease) / Increase in Other Current Liability	25,290.50	10,104.10
(Decrease) / Increase in Current provisions	206.36	(137.57)
	(2)	
	(17,276.24)	16,742.02
Cash generated from operation	14,954.41	47,632.13
Income Tax Paid	(12,591.79)	(13,808.32)
Total Cash generated from Operating Activities	2,362.62	33,823.81
B. Cash Flow From Investing Activities		
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's & Other intangible assets	20.92	11.69
Purchase of Property, Plant and Equipment's & Other intangible assets	(3,452.55)	(3,212.52)
Interest Receivable	4,839.13	6,479.79
Changes in Other Bank balances	2,613.14	6,077.56
Net Cash used in Investing Activities	4,020.63	9,356.52
C. Cash Flow From Financing Activities		
Dividend Paid (including Tax on Dividend)	(5,679.06)	(13,594.90)
Net Cash generated from Financing Activities	(5,679.06)	(13,594.90)
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	704.19	29,585.43
Opening Cash & Cash Equivalents	48,611.71	19,026.28
Closing Cash & Cash Equivalents	49,315.89	48,611.71
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents		
Cash and Cash Equivalent Comprises of		
Cash on hand	55.61	63.26
Cheques/drafts on hand	8,090.93	53.25
Balances with banks:		
- In Current Account	30,978.92	27,243.38
- In Flexi Account	10,190.43	21,251.82
- In Fixed Deposits with original maturity of less than three months		
Cash and Cash Equivalents as per Balance Sheet	49,315.89	48,611.71

Notes:-

- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

For Serva Associates
Chartered Accountants
Firm Reg. No. : 000272N

Sd/-

CA. Nitin Jain
Partner
M.No: 506898

Sd/-

Mahendra Pratap Mall
Chairman & Managing Director
DIN: 02316235

Sd/-

V. Sriram
Director (Catering Services)
DIN:07445220

Sd/-

Ajai Srivastava
GGM (Finance)
CFO

Sd/-

Suman Kalra
Company Secretary
M.No. - FCS-9199

Place: New Delhi
Date : 24th August, 2018



Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March, 2018

A. Equity share capital

Particulars	Number of shares in Lakhs	Amount (₹ in Lakhs)
Balance as at April 1, 2017 (4,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each)	400.00	4,000.00
Issue of shares capital during the year (Equity shares of ₹ 10 each)	—	—
Balance as at March 31, 2018 4,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each	400.00	4,000.00

B. Other Equity

Particulars	Amount (₹ in Lakhs)		
	Reserves & Surplus		
	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	38,491.70	35,342.18	73,833.88
Changes in accounting policy or prior period errors	—	—	—
Restated balance at the beginning of the year	38,491.70	35,342.18	73,833.88
Profit for the year	—	22,202.31	22,202.31
Other Comprehensive Income for the year (net of income tax)	—	413.82	413.82
Total Comprehensive Income for the year	—	22,616.12	22,616.12
Transfer from Retained earnings	3,500.00	—	3,500.00
Payment of dividend on equity shares	—	(4,718.49)	(4,718.49)
Payment of dividend tax on dividend paid to equity shares	—	(960.57)	(960.57)
Transfer to general reserves	—	(3,500.00)	(3,500.00)
Bonus shares issued	—	—	—
Balance at the end of the year	41,991.70	48,779.25	90,770.95

Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March, 2017

A. Equity share capital

Particulars	Number of shares in Lakhs	Amount (₹ in Lakhs)
Balance as at April 1, 2016 (2,00,00,000 Equity shares of Rs. ₹ each)	200.00	2,000.00
Issue of shares capital during the year (2,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each)	200.00	2,000.00
Balance as at March 31, 2017 4,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each	400.00	4,000.00

B. Other Equity

Particulars	Amount (₹ in Lakhs)		
	Reserves & Surplus		
	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	34,991.70	33,065.46	68,057.16
Changes in accounting policy or prior period errors	—	—	—
Restated balance at the beginning of the year	34,991.70	33,065.46	68,057.16
Profit for the year	—	21,468.97	21,468.97
Other Comprehensive Income for the year (net of income tax)	—	-97.35	-97.35
Total Comprehensive Income for the year	—	21,371.62	21,371.62
Transfer from Retained earnings	3,500.00	—	3,500.00
Payment of dividend on equity shares	—	(11,295.40)	(11,295.40)
Payment of dividend tax on dividend paid to equity shares	—	(2,299.50)	(2,299.50)
Transfer to general reserves	—	(3,500.00)	(3,500.00)
Bonus shares issued	—	(2,000.00)	(2,000.00)
Balance at the end of the year	38,491.70	35,342.18	73,833.88



Accounting Policies as per Indian Accounting Standards (Ind AS)

1. Corporate Information

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) has been set up by the Ministry of Railways. IRCTC is a public limited company domiciled and was incorporated in India on September 27, 1999 with the basic purpose of hiving off entire catering and tourism activity of the railways to the new Corporation so as to professionalize and upgrade these services with public-private participation. Rail based Tourism in India will be the specific vehicle for achieving high growth in coordination with state agencies, tour operators, travel agents and the hospitality industry. The Company is registered under the Indian Companies Act, 1956 and the registered office of the company is located at 11th floor, B-148 Statesman House Barakhamba Road New Delhi-110001

2. Basis of Preparation

a) Statement of Compliance

The financial statements as at and for year ended March 31, 2018 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (In-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017.

b) Basis of Measurement

The Corporation is following accrual basis of accounting under historical cost convention and for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

- i. Defined benefit Plan and other long term employee benefits
- ii. Certain financial assets and liabilities measured at fair value (Refer policy on financial instrument).

c) Use of estimates & Judgements

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates includes estimated useful life of property, plant and equipment, employee benefit expenses, provisions etc. actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognised in the period in which the results are known /materialize.

- d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakh rupees with two decimal points except where otherwise stated.
- e) Statutory dues payable and refundable are treated as current liability and current assets due to current in nature.
- f) **Statement of Cash Flow**

Statement of Cash Flow is made by using the Indirect Method, whereby profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, financing and investing activities of the company are segregated.

For the purposes of the statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Amendment to Ind AS 7

Effective April 1, 2017, the company has adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the balance sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.



g) Foreign Currency

i. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is functional as well as presentation currency of the company.

ii. Transaction and balances

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated or converted with reference to the rates of exchange ruling on the date of the Balance Sheet.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transaction and for the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end exchange rates are recognised in profit or loss.

h) Property, Plant and Equipment

- i. Property, Plant and Equipment are stated at cost of acquisition including installation charges and other related expenses if recognition criteria are met.
- ii. Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.
- iii. In case of Computers the cost of Operating System software procured along with Computer has been capitalized with Computers, while regular upgrades and Annual Maintenance Charges; have been treated as revenue expenditure.
- iv. Expenditure on the leased buildings for Office premises has been capitalized as Leasehold -Office Development
- v. The tools and plants placed as such at catering units are taken on, as is where basis is. Due to non-availability of value of such assets, such assets are accounted at Nominal Value of Rs.1/- per item in the Books of Zonal Offices of the Corporation for the purpose of ensuring physical verification.
- vi. The Luxury Tourist Train has been capitalized and shown as "Luxury Tourist Train" in Fixed Assets Schedule, refer policy on government grant for treatment of grant related to acquisition of these assets.
- vii. Upon sale of assets cost and accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resultant gains or losses are recognized in the statement of profit and loss.

i) Depreciation & Amortization: -

- (a) Depreciation is provided in accordance with the life specified under Schedule II of the Companies Act, 2013 except for certain items. The Life of certain assets which has not been taken as per schedule II of the Companies Act, 2013 is as follows:-

Particulars	Useful Life
Expenditure incurred on civil work on premises located on Railway land other than Railneer Plants has been accounted as lease hold improvement and has been depreciated over a period of ten years.	10 Year
Residential flats constructed on railway land are on lease for a period of 30 years and the same has been depreciated over that period.	30 Year
IRCTC has taken land from Railways on lease basis for setting up of Railneer Plants at Nangloi, Danapur, Palur and Ambarnath for which lease period has not been fixed by Railway authorities. As per the policy of the Railways the maximum period of lease can be for a period of 35 years which is further renewable for a period of 35 years. Hence, Depreciation on buildings of Railneer Plants at Nangloi, Danapur, Palur and Ambarnath has been provided accordingly.	35 Year

- (b) Depreciation is calculated on a straight line basis from the date of ready to use. Depreciation is provided up to the date of sale, discard and loss of the assets during the year.
- (c) Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset which is based on the estimates & certificate of inhouse technical expert.



- (d) Leasehold-Office developments in respect of office premises and Leasehold land (for which lease agreement exists) have been depreciated over the lease period. Expenditure incurred on civil work on premises located on Railway Land (for which no lease agreement exists) has been accounted as lease hold improvement and has been depreciated over a period of ten years.
- (e) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.
- (f) Depreciation is calculated at depreciable amount, i.e. Cost less its residual value.
- (g) In respect of Residential Flats constructed on leasehold land, depreciation is charged over the period of the lease of the land.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment which has been taken as per schedule II of Companies Act, 2013 are as follow:

Particulars	Useful Life
Plant and Machinery- continuous process Rail neer plant	25 years
Plant and Machinery other then Rail neer plants	15 years
Computers	3 years
Network & Server	6 years
Air Conditioner	10 years
Furniture	10 years
Office Equipment's	5 years
Building	35 years
Intangible Assets	4 years
Installation & Equipment's	10 years
Luxury Tourist train	15 years

j) Capital Work in Progress/Capital Advances: -

Capital work in progress includes the cost of property, plant and equipment (PPE) that are not yet ready for their intended use and the cost of assets not put to use before the balance Sheet date. Advances paid to acquire PPE are shown as "Capital Advances" under other "Non Current Assets"

k) Intangible Assets: -

Intangible assets like software, licenses, web portal, tourism portal etc. are recorded at the consideration paid for acquisition and useful life of Intangible Assets has been assumed as 4 Years.

l) Investments in Joint Arrangements

Investment in equity instruments of joint ventures are measured at cost as per Ind AS 27- Separate Financial Statements.

m) Investment Properties

- a) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.
- b) The company depreciates building component of investment property over the estimated useful life of the assets as prescribed in property, plant and equipment.
- c) Investment properties are derecognized either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of de-recognition.

n) Operating cycle for Current and Non Current Assets

Company has classified the assets and liabilities as current which is expected to realise within the twelve months after the reporting period and all other assets and liabilities are classified as noncurrent.

**o) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:****A. Provisions: -**

Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

- (a) The Company has a present obligation as a result of a past event.
- (b) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- (c) The amount of the obligation can be reliably estimated. Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Provision which expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

B. Contingent Liabilities and Contingent Assets

- (a) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:
 - i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or
 - ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or
 - iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.
- (b) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.
- (c) Contingent Liability and Provisions needed against Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.
- (d) Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

p) Revenue Recognition: -

The Corporation is in the business of managing catering services (both mobile and static units), Bedroll services in mobile units, operating Departmental Catering Units, Managing Rail Yatri Niwas and Railway Hotels on Public Private Partnership basis, awarding licenses for operating Food Plazas, Static Catering stalls, Automatic Vending Machines, booking of Rail Tickets through Internet, Managing Rail Sampark-139 Call Centre on Public Private Partnership basis, arranging package tours through reputed tour operators, managing complete tour packages, manufacturing and distribution of Railneer-Packaged Drinking Water, etc.

i. Sales: -

Sales of Railneer-packaged drinking water, food and beverage items are recognized when the goods are sold and services rendered and are recorded net of VAT etc. in terms of Ind AS-18. It does not include inter-depot and inter-unit transfers.

ii. Income from Internet Ticketing: -

Income from Internet ticketing is recognized on the basis of value of the service charges earned on the sale of tickets sold through Corporation's Web-site (www.ircctc.co.in). Gross Service charges earned on the sales of such tickets on accrual basis have been booked as income of the Corporation & corresponding railway share is shown as expenses.

iii. Income from Catering Services: -

The Corporation has been given a mandate by Railway Board, Ministry of Railways to upgrade and professionalize catering services on trains & other locations. The Corporation recognizes its income from catering services as per the following policies.

- **Income from On-board Catering Services:**

The corporation is providing catering services on Rajdhani, duranto and Shatabdi Express Trains on Indian Railways network. The income is accounted on the basis of bills raised for catering services provided to the passengers of Indian Railways on accrual basis.



- Income from Concession Fees, User Charges and License Fee: -**

The Corporation is receiving the income from the following: -

Sr. No.	Nature of business activity	Nature of Fee received from licensees
1.	Awarding license for providing Catering Services on Rajdhani and Shatabdi Express Trains.	One time Concession Fee for the contract period (including renewal period, if any), and Variable License Fee.
2.	Award of license for arranging catering services on Mail/ Jan Shatabdi /Express Trains.	Fixed Annual License fee as per Catering Policy, 2005 and revised Catering Policy, 2005 of Ministry of Railways.
3.	Award of license for setting up of Food Plaza and operation thereof at the Indian Railway premises	(i) Fixed Monthly User Charges and Variable License Fee in case of contracts awarded under earlier IRCTC Policy. (ii) Fixed Annual License fee in case of contracts awarded as per Catering Policy, 2005 and revised catering policy, 2005 of Ministry of Railways.
4	Award of License for Automatic Vending Machines at Railway Stations.	Fixed Annual License fee in case of contracts awarded as per Ministry of Railways Policy for AVMs.
5	Award of License for static units at Railway Stations	(i) Fixed License fee in case of Contracts awarded under IRCTC Policy (ii) Fixed Annual License fee in case of contracts awarded as per Catering Policy, 2005 and Revised catering policy, 2005 of Ministry of Railways
6.	Award of license for Re-developing, Operation, Management and Transfer of RailYatriNivas and Railway Hotels on Indian Railway premises	Fixed Annual User Charges and License Fee as per the agreement signed with the awardees.

The Income under these heads have been recognized / accounted as under: -

- **Concession fee:** Income is recognized on accrual basis on monthly pro-rata basis (fraction of the month, if any, has been treated as full month) over the contract period as per proportionate completion method contained in IndAS-18 relating to revenue recognition. One-time concession fee (Unexpired Concession Fee) received by the Corporation has been treated as income received in advance. In case the contracts for the trains are terminated on account of cancellation / withdrawal of the train by Railway Administration, income is recognized over the period, the contract was in force.
- **User charges:** User Charges payable by the Food Plazas and Budget Hotels Licensees are accounted on accrual basis till the period project were in operation.
- **License Fee: -**
 - (a) Fixed yearly license fees received by the Corporation are accounted on accrual basis on monthly pro-rata basis (fraction of the month, if any, has been treated as full month) till the period project were in operation.



- (b) Variable License fee is accounted on accrual basis as a fixed percentage of the catering service provided by the contractor.
- (c) License fee is accounted on accrual basis as a fixed percentage of the projected turnover of the Rail Yatri Niwas and Railway Hotels operated by the licensees under re-develop, operate, manage and transfer basis.

➤ **Income Accrued on Forfeiture of Contracts:** - Recognition of income from Catering contracts terminated on account of breach of terms and conditions was made as under:

- I. Up to the date of termination, the income is recognized in respect of concession fee over the contract period on monthly pro-rata basis and in case of License fee over the period the train has been in operation on monthly pro-rata basis.
- II. Other income: Remaining balance of concession fee, License fee and Security Deposits on forfeiture of contracts are recognized as other income accrued during the year.

i. Income from Package Tours: -

The Corporation is engaged in booking of Special Trains, Special Coach Charter and berths under value added tours for promoting the rail-based tourism and booking of Air Tickets. The Corporation is also engaged in booking of foreign tours on group basis. The income from special trains/ Coach Charters includes basic fare, other charges levied by the railway administration and Corporation's service charge as a fixed percentage of the basic fare. In case of value added tours, the income includes fare, block booking charges, other charges levied by the railway administration and Corporations service charges as fixed percentage of the fare.

In case of Complete Tour Packages, Buddhist Circuit Special Train and Bharat Darshan Trains, the income includes the total amount net of service tax collected from the customer.

ii. Interest Income from Fixed Deposits including TDRs and Dividend Income: -

Income received as Interest from fixed deposit & TDRs is recognized on accrual basis. Dividend income is recognized when the company's right to receive the dividend is established.

iii. Duty Credit License:

At present A non-transferable duty credit license under the 'served from India Scheme' (SFIS) has been received as per foreign trade policy 2009-2014. The said License can be used against payment of excise & import duty for prescribed items.

Now, Served from India Scheme (SFIS) has been replaced with Service Exports from India Scheme (SEIS) as per Foreign trade Policy 2015-2020.

The Duty Scrips under Service Exports from India Scheme (SEIS) under Foreign Trade Policy, 2015-20 would be freely transferable and can be monetised. The Scrips issued under Service Exports from India Scheme can only be usable for payment of Basic Customs Duty on imports. The Scrips are redeemable under New Policy.

The Export entitlements are recognised once the duty scripts are received after submission of the required documents and acceptance of the concerned department.

q) Expenditure: -

Items of expenditure are recognised on accrual basis however certain expense/claims, which are not ascertainable are accounted for on their being ascertained.

(i) Expenditure on Railneer -Packaged Drinking Water and Departmental Catering Activity: -

Expenses are accounted on accrual basis and provision is made for all known losses and Liabilities

(ii) Expenditure on Internet ticketing: -

Expenses are accounted on accrual basis and provision is made for all known losses and Liabilities

(iii) Catering Charges Paid:

(a) Onboard Catering Charges:

Catering Charges paid to the Contractor are accounted for on accrual basis for catering services provided to the passengers of Indian Railways.

**(b) Concession Fees, User Charges, License Fee and Haulage Charges : -**

The Expenditure under this head has been recognized/ accounted for as per the following:-

Concession Fee Paid:

Concession Fee payable to Indian Railways in respect of on board catering contract, Automatic Vending Machines, Static Units etc. is recognized on accrual basis on monthly pro-rata basis (fraction of the month, if any, has been treated as full month) over the contract period. Payment of Unexpired Concession Fee to the Indian Railways has been treated as an advance. In case the contracts for the trains are terminated on account of breach of terms and conditions of the contract or cancellation / withdrawal of the train by Railway Administration, expenditure is recognized over the period, the contract was in force.

User charges Paid:

User Charges payable to Indian Railways in respect of Food Plazas and Budget Hotels are accounted for on accrual basis till the period projects were in operation.

License Fee Paid: -

- (a) Fixed yearly license fees payable to Indian Railways by the Corporation is accounted for on accrual basis on monthly pro-rata basis (fraction of the month, if any, has been treated as full month) till the period project were in operation.
- (b) Variable License fee payable to Indian Railways is accounted on accrual basis as a fixed percentage of the catering services provided /sales made.

- **Tourism Expenses: -**

The Cost of Ticket, other charges, if any, levied by the Indian Railways and Service charges on booking of the special train / coach charter / berths are accounted on accrual basis.

In case of complete tour packages and Buddhist Circuit Special Train, cost of train ticket, Service Charges and other charges, if any levied by Indian Railways, Road Travel expenses and accommodation and meal charges etc. are accounted on accrual basis.

r) Leases: -**Where the Company is the lessee:****Finance Lease**

Lease of property, plant and equipment where lessee, has transferred substantially all the risks and rewards of ownership are classified as financial leases. Financials leases are capitalized at the lease's inception at the fair value of the leased property or the present value of minimum lease payments whichever is lower. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in borrowings or other financial liabilities as appropriate. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the policy on borrowing costs. Contingent rentals are recognized as expense in the period in which they are incurred. Leased asset is depreciated over the useful life of assets.

Operating Lease

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of Profit & Loss on a straight-line basis over the lease term except where the lease payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increase.

Where the Company is the lessor:**Finance Lease**

Lease of property, plant and equipment where lessee, has substantially transferred all the risks and rewards of ownership are classified as financial leases. Amount due from lessee under finance leases are recorded as receivable at company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

**Operating leases**

Leases other than finance lease are classified as operating lease. Assets subject to operating leases are included in cost of property, plant and equipment, including depreciation are recognized as an expense in the statement of Profit & Loss. Lease income is recognized in the statement of profit & loss on straight line basis except where the lease payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increase.

s) Impairment of Assets: -

Cash generating units as defined in Ind AS 36 on 'Impairment of Assets' on 'Impairment of Assets' are identified at the balance sheet date with respect to carrying amount vis-à-vis. recoverable amount thereof and impairment loss, if any, is recognized in the statement of profit and loss account. Impairment loss, if need to be reversed subsequently, is accounted for in the year of reversal.

t) Borrowing Cost: -

General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are capitalised as part of the cost of such assets till such time the assets are substantially ready for their intended use. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowings costs are recognized in the statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred.

u) Employee Benefits: -**(a) Short Term Employee Benefits**

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the services are classified as short term employee benefits. Benefits such as salaries, wages, and short- term compensated absences etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

(b) Long Term Employee Benefits:

The obligation for long-term employee benefits such as long-term compensated absences, half pay leave & LTC is recognized in the same manner as in the case of defined benefit plans as mentioned in (c)(iii) below

(c) Post-Employment Benefits

(i) **Defined contribution plans:** The Company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund scheme. The contribution paid/payable under the schemes is recognized during the period in which the employee renders the related service.

(ii) **Defined Benefit plans:** Company provides post-retirement medical benefits to employees. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using the same accounting methodology as used for defined benefit plans.

(iii) Gratuity is a post-employment defined benefit plan. The liability recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using projected unit credit (PUC) method.

(iv) Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in respect of defined benefit plans are recognised in period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity.

(d) Provision/liabilities towards Foreign Service Contribution- Pension and Leave Salary are made in terms of Government Rules & Regulations for employees on deputation/Deemed Deputation and charged to statement of Profit or Loss on accrual basis.

v) Inventories:

(i) Inventories are valued at lower of cost and net realizable value.

(ii) In case of raw materials, packing materials, stores, spares and consumables, the cost includes duties and taxes (net of CENVAT, wherever applicable) and is arrived at on FIFO basis.



- (iii) Cost of finished goods and work in process includes the cost of raw materials, packing materials, an appropriate share of fixed and variable production overheads, excise duty as applicable and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.
- (iv) PD items (traded goods) are valued at cost or NRV on FIFO basis.

w) Taxation: -**(a) Current Income Tax: -**

- (i) Taxes including current income-tax are computed using the applicable tax rates and tax laws.
- (ii) The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.
- (iii) Current income tax assets and liabilities for current and prior periods are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. Liability for additional taxes, if any, is provided/ paid as and when assessments are completed.
- (iv) Current tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

(b) Deferred Tax

The corporation has accounted for deferred taxation in line with IndAS-12 "Income Taxes" issued by the Ministry of Corporate Affairs.

- i. Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.
- ii. Deferred income tax asset are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.
- iii. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.
- iv. Deferred tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

x) Earning Per Share

In determining basic earnings per share, the company considers the net profit attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of shares outstanding during the period. In determining diluted earnings per share, the net profit attributable to equity shareholders and weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

i) Grants

- i. Government grants relating to purchase of property, plant and equipment are included in liabilities as deferred income and credited to profit or loss over the on systematic basis over the expected life of the related assets and presented within other income.
- ii. Grants relating to the revenue expenditure are adjusted against the related expenses. The unutilized portion of revenue and capital grant is shown as liability.
- iii. Government grant in the form of Non-monetary asset is recognized at fair value and presented in balance sheet by setting up the grant as deferred Income.

z) Cash & Cash Equivalents

For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents consist of cash and bank balances, cheques in hand, demand deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value and net of bank overdrafts.

aa) Financial Instruments: -**Initial recognition and measurement**

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

**Financial Asset at Amortized Cost**

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Financial assets measured at amortised cost using effective interest rate method less impairment, if any. The EIR amortisation is included in finance income in the statement of profit and loss.

Following financial assets are measured at amortised cost: -

- (i) Security deposit
- (ii) Retention money
- (iii) Cash and cash equivalent
- (iv) Advances adjustable with other financial instrument

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned is recognised using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the Statement of P&L.

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits, advances refundable and retention money are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition**Financial Asset**

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of Profit & Loss.

bb) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants



at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

- x) The amendments to standards that are issued, but not yet effective, up to the date of issuance of the group's financial Statements are disclosed below. The group intends to adopt these standards, If applicable, when they become effective.

Standards Issued but Not Effective

➤ Amendment to Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customers

MCA has notified Ind AS 115 on Revenue from Contracts with customers on dated March 28, 2018. The Standard establishes a new five step model that will apply to revenue arising from Contracts with Customers. Under IND AS 115, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The principles in Ind AS 115 provide a more structured approach to measuring and recognizing revenue. The new revenue standard is applicable to all entities and will supersede all current revenue recognition requirements under Ind AS.

The effective date of Ind AS 115 is annual periods beginning on or after 1st April 2018. The company is required to adopt the standard by the Financial year commencing 1st April 2018. The company is currently evaluating the requirements of Ind AS 115 and has not yet determined the impact on financial Statements.



Note - 03 : Property, Plant and Equipment's

Particular	AMOUNT (₹ in Lakh)													
	Leasehold Land	Freehold Land	Flats on Leasehold Land	Leasehold improve-ment	Building-Factory-Leasehold	Building-Office-Leasehold	Plants & Machinery	Electrical Installation & Equipments	Computer	Air Conditioner	Office Equipment	Furniture & Fixtures	Luxury Tourist Train	Total
Gross Carrying Amount														
At 1 April 2016	1,182.75	1,296.31	951.87	1,427.40	2,191.27	169.61	4,569.18	488.91	7,318.17	464.75	1,755.50	651.72	5,079.34	27,546.79
Additions	43.07	-	-	15.12	270.80	-	1,057.43	42.62	605.39	18.59	73.75	29.49	33.21	2,189.47
Disposals/Adjustments	-	-	-	140.72	-	-	-	-	12.33	0.39	33.76	7.38	-	194.58
At 31 March 2017	1,225.82	1,296.31	951.87	1,301.80	2,462.07	169.61	5,626.61	531.53	7,911.23	482.95	1,795.49	673.83	5,112.55	29,541.68
Additions	311.70	-	-	20.40	10.78	8.73	307.64	1.56	1,231.96	10.12	98.84	25.22	1.53	2,028.48
Disposals/Adjustments	28.92	435.74	-	139.75	-	-	115.18	-	975.17	11.99	262.62	135.22	4.42	2,109.01
At 31 March 2018	1,508.60	860.57	951.87	1,182.45	2,472.85	178.34	5,819.07	533.09	8,168.02	481.08	1,631.71	563.83	5,109.66	29,461.15
Accumulated Depreciation and Impairment														
At 1 April 2016	1.33	-	138.95	722.00	303.28	17.63	1,619.03	232.74	4,677.04	218.59	1,370.53	455.87	2,472.04	12,229.03
Depreciation charged for the year	1.33	-	29.99	108.69	58.39	12.85	137.55	32.60	728.57	41.45	144.12	30.93	299.11	1,625.58
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	51.17	-	-	-	-	10.37	0.13	25.78	3.42	-	90.87
At 31 March 2017	2.66	-	168.94	779.52	361.67	30.48	1,756.58	265.34	5,395.24	259.91	1,488.87	483.38	2,771.15	13,763.75
Depreciation charge for the year	3.73	-	29.99	83.05	65.84	12.86	167.03	34.01	849.35	33.27	89.00	27.19	320.44	1,715.76
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	132.57	-	-	109.75	-	952.19	11.07	244.69	128.97	3.52	1,582.76
At 31 March 2018	6.39	-	198.93	730.04	427.51	43.34	1,813.86	299.35	5,292.40	282.11	1,333.18	381.60	3,088.07	13,896.79
Net Carrying Value														
At 31 March 2018	1,502.21	860.57	752.94	452.41	2,045.34	135.01	4,005.21	233.74	2,875.62	198.97	298.53	182.23	2,021.58	15,564.37
At 31 March 2017	1,223.16	1,296.31	782.93	522.24	2,100.40	139.14	3,870.03	266.19	2,515.99	223.04	306.62	190.45	2,341.39	15,777.88
At 1 April 2016	1,181.42	1,296.31	812.92	705.40	1,887.99	151.99	2,950.15	256.17	2,641.13	246.16	384.97	195.85	2,607.30	15,317.75



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	Land at Gurgaon	Building under Construction at Gurgaon	Investment Property under Construction
NOTE-5 : INVESTMENT PROPERTY			
Opening balance at 1 st April 2016	—	—	—
Addition during the year	—	—	—
Disposal/Adjustment during the year	—	—	—
Closing balance at 31st March 2017	—	—	—
Addition/Adjustment during the year	464.66	2,296.90	2,761.56
Disposal/Adjustment during the year	—	—	—
Closing balance at 31st March 2018	464.66	2,296.90	2,761.56
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1 st April 2016	—	—	—
Amortization during the year	—	—	—
Disposal/Adjustment during the year	—	—	—
Closing balance at 31st March 2017	—	—	—
Amortization during the year	—	—	—
Disposal/Adjustment during the year	—	—	—
Closing balance at 31st March 2018	—	—	—
Net Carrying Value			
At 31st March 2018	464.66	2,296.90	2,761.56
At 31st March 2017	—	—	—
At 1st April 2016	—	—	—

Note:-5.1 During the F/Y 2017-18, Corporation has not earned any revenue and also not charged any depreciation as the same is under construction as on 31st March, 2018

Note:-5.2 Fair value of Investment property under construction as on 31st March, 2018 is ₹ 7338.00 Lakhs, which has been valued on the basis of Land and Building Method by adopting prevailing market rates by a registered valuer.

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	Software's	Licenses	Total
NOTE: - 5A - INTANGIBLE ASSETS			
Opening balance at 1 st April 2016	2,118.58	1,341.81	3,460.39
Addition during the year	718.23	41.08	759.31
Disposal/Adjustment during the year	—	—	—
Closing balance at 31st March 2017	2,836.81	1,382.89	4,219.70
Addition during the year	44.83	—	44.83
Disposal/Adjustment during the year	54.23	8.53	62.76
Closing balance at 31st March 2018	2,827.41	1,374.36	4,201.77
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1 st April 2016	1,037.30	1,304.70	2,342.00
Amortization during the year	565.92	49.85	615.77
Disposal/Adjustment during the year	—	—	—
Closing balance at 31st March 2017	1,603.22	1,354.55	2,957.77
Amortization during the year	639.96	10.39	650.35
Disposal/Adjustment during the year	-54.22	-8.53	-62.75
Closing balance at 31st March 2018	2,188.95	1,356.41	3,545.37
Net Carrying Value			
At 31st March 2018	638.45	17.95	656.39
At 31st March 2017	1,233.59	28.34	1,261.92
At 1st April 2016	1,081.28	37.11	1,118.39



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------

NOTE :- 6 - FINANCIAL ASSETS- NON CURRENT

NOTE :- 6.1 - NON-CURRENT INVESTMENTS

A. Investments in Equity Instruments of Joint Venture

25,00,000 equity shares of ₹ 10 each of Royale Indian Rail Tours Limited (As at 31 st March 2017 - 25,00,000 equity shares of ₹ 10 each)	250.00	250.00
Less: Impairment in value of Investments	(250.00)	(250.00)

B. Other Investments

Investments in NSC 8 th Issue	0.20	0.20
Add: Interest Accrued	0.12	0.12

Total Investments	0.32	0.32
--------------------------	-------------	-------------

NOTE :- 6.1 A

TOTAL NON CURRENT INVESTMENTS

Aggregate Amount of unquoted investments	250.00	250.00
Aggregate Amount of impairment in the value of investments	(250.00)	(250.00)

NOTE :- 6.2

LOANS

Security Deposits	1,104.50	1,177.76
Total	1,104.50	1,177.76

NOTE :- 6.3

OTHER NON CURRENT FINANCIAL ASSETS

Term deposits having remaining maturity of more than 12 months of which margin money or security against borrowings, guarantees or other commitments, held as margin money against Bank guarantee	96.65	40.88
Total	96.65	40.88

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 1 st April 2016
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

NOTE: - 7 - DEFERRED TAX

A. Deferred Tax Liabilities

Property, Plant and Equipment	1,011.01	1,038.16	931.85
Total of Deferred Tax Liabilities	1,011.01	1,038.16	931.85

B. Deferred Tax Assets

Employee Benefit	2,136.88	2,740.45	2,568.31
Property, Plant and Equipment	—	—	—
Doubtful debts	1,354.71	1,353.63	1,353.63
Statutory liabilities (u/s 43B)	3,795.17	3,780.98	3,683.89
Investments	86.52	86.52	86.52

Total of Deferred Tax Assets	7,373.28	7,961.58	7,692.35
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Deferred Tax Assets Net	6,362.27	6,923.41	6,760.50
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------



MOVEMENT IN DEFERRED TAX ASSET/(LIABILITY)					AMOUNT (₹ in Lakh)	
Particulars	Property, Plant and Equipment	Employee Benefit	Doubtful debts	Statutory liabilities (u/s 43B)	Investments	Total
Opening balance as at 1st April 2016	(931.85)	2,568.31	1,353.63	3,683.89	86.52	6,760.50
Charged/(credited) during 2016-17						
To Profit & Loss	(106.31)	120.61	—	97.09	—	111.40
To other comprehensive income	—	51.52	—	—	—	51.52
Closing balance as at 31st March 2017	(1,038.16)	2,740.45	1,353.63	3,780.98	86.52	6,923.41
Charged/(credited) during 2017-18						
To Profit & Loss	27.15	(384.56)	1.08	14.19	—	(342.14)
To other comprehensive income	—	(219.01)	—	—	—	(219.01)
Closing balance as at 31st March 2018	(1,011.01)	2,136.88	1,354.71	3,795.17	86.52	6,362.27

AMOUNT (₹ in Lakh)		
Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017

NOTE :- 8

OTHER NON-CURRENT ASSETS

a) Capital Advances

Capital Advance to Indian Railways for Construction of Flats & Land (Refer Note :- 58)	211.43	211.43
Capital Advance to RVNL for Construction of Flats & Land (Refer Note :- 58)	342.00	342.00
Capital Advance to NICS in relation to Internet Ticketing	—	72.42
Capital Advance for Land for Budget Hotel at Bhubaneshwar	61.48	61.48

b) Others

Deposits with Govt. Authorities	567.83	517.65
Income tax Refund	160.42	452.54
Fair value adjustment on Security Deposits made*	19.78	35.92

Total	1,362.94	1,693.44
--------------	-----------------	-----------------

*It represents unamortised portion of the difference between the fair value of financial assets on initial recognition and expenditure incurred.

NOTE :- 9

INVENTORIES

(As taken, Valued and certified by management)

Raw Material	296.36	240.38
Work In progress	59.54	59.44
Finished Goods	366.33	276.80
Trading Goods-Packed (PD) items	18.37	81.43
Total inventories at the lower of cost and net realisable value	740.60	658.05



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
NOTE :- 10		
FINANCIAL ASSETS		
NOTE :- 10.1		
TRADE RECEIVABLES		
Unsecured		
Considered Good	51,057.73	25,204.14
Considered Doubtful	7,514.35	7,511.22
Less: Provision for Doubtful Debts	(3,851.97)	(3,848.84)
Total Trade receivables	54,720.11	28,866.52
NOTE 10.2		
CASH AND CASH EQUIVALENT		
Cash on hand	55.61	63.26
Cheques/drafts on hand	8,090.93	53.25
Balances with banks:		
- In Current Account	30,978.92	27,243.38
- In Flexi Account	10,190.43	21,251.82
Total	49,315.89	48,611.71
NOTE :- 10.3		
BANK BALANCES OTHER THAN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
- Deposits with original maturity of more than 3 months but less than 12 months (Refer Note – 56)	33,836.02	36,250.32
- Margin money against Bank guarantee	235.34	434.18
Total	34,071.36	36,684.50
NOTE :- 10.4		
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS		
Interest Accrued but not due on Term & Fixed deposits	1,421.09	1,303.21
Other Advances & Receivables	285.45	288.74
Total	1,706.54	1,591.95
NOTE :- 11		
CURRENT TAX ASSETS		
Income Tax Refunds	231.05	231.05
Provision for Income tax (Net of advance tax & TDS)	436.74	–
Total	667.79	231.05



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
NOTE :- 12		
OTHER CURRENT ASSETS		
Advances other than Capital Advances		
Other Advances	1,998.94	1,779.72
Less: Provision for Doubtful advances	(62.48)	(62.48)
Balance with Govt. Authorities	3,764.86	1,947.85
Other Deposits with Railway	53,753.10	33,172.33
Duty Credit License under ("Served from India Scheme")	243.05	69.76
Others		
Prepaid Expenses	263.75	535.92
Fair value adjustment on Security Deposits made*	16.15	18.01
Total	59,977.37	37,461.11

* It represents unamortised portion of the difference between the fair value of financial assets on initial recognition and expenditure incurred.

NOTE : - 13 EQUITY SHARE CAPITAL

Authorised share capital

5,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each	5,000.00	5,000.00
(As at 31 March 2017-5,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each)	5,000.00	5,000.00

Issued/Subscribed and Paid up Capital

4,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each	4,000.00	4,000.00
(As at 31 March 2017 - 4,00,00,000 Equity shares of ₹ 10 each)	4,000.00	4,000.00

NOTE :- 13.1 RECONCILIATION OF THE NUMBER OF EQUITY SHARES AND SHARE CAPITAL

	As at 31 st March 2018		As at 31 st March 2017	
	No. of shares in lakhs	Amount (₹ in Lakhs)	No. of shares in lakhs	Amount (₹ in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	400.00	4,000.00	200.00	2,000.00
Add: Shares Issued during the year(Bonus)	—	—	200.00	2,000.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	400.00	4,000.00	400.00	4,000.00

Note 13.2 :- Rights, Preference and restrictions attached to shares

The Company has one class of Equity Shares having a par value of Rs. 10 each Per share. Each Shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. The Company has no Preference Shares, thus, in the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company.



NOTE :- 13.3

DETAILS OF SHARES HELD BY SHAREHOLDERS HOLDING MORE THAN 5% OF THE AGGREGATE SHARES IN THE COMPANY

Name of the Shareholder	As at 31 st March 2018		As at 31 st March 2017	
	No. of shares in lakhs	% of holding	No. of shares in lakhs	% of holding
Equity Shares:				
Ministry of Railway, Govt. of India & its nominees	400.00	100%	400.00	100%
Total	400.00	100%	400.00	100%

NOTE :- 13.4

AGGREGATE NO. OF EQUITY SHARES ISSUED AS FULLY PAID BY WAY OF BONUS DURING THE PERIOD OF FIVE YEARS IMMEDIATELY PRECEDING THE REPORTING DATE

Particulars	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2016	As at 31 st March 2015	As at 31 st March 2014	As at 31 st March 2013
	No's in Lakhs	No's in Lakhs	No's in Lakhs	No's in Lakhs	No's in Lakhs
Equity shares issued as bonus	200.00	—	—	—	—
Total	200.00	—	—	—	—

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
NOTE :- 14 OTHER EQUITY		
General Reserve	41,991.70	38,491.70
Retained Earnings	48,779.25	35,342.18
Total	90,770.95	73,833.88

NOTE :- 14.1

GENERAL RESERVE

Opening Balance	38,491.70	34,991.70
Add: Transfer from Retained Earnings	3,500.00	3,500.00
Closing Balance	41,991.70	38,491.70

NOTE :- 14.2

RETAINED EARNINGS

Opening Balance	35,342.18	33,065.46
Add: Profit during the period transfer from statement of profit & loss	22,202.31	21,468.97
Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation net of income tax	413.82	(97.35)
Payment of dividend on equity shares	(4,718.49)	(11,295.40)
Payment of dividend tax on equity shares	(960.57)	(2,299.50)
Transferred to General Reserve	(3,500.00)	(3,500.00)
	48,779.25	37,342.18
Less: Issue of bonus shares	—	(2,000.00)
Closing Balance	48,779.25	35,342.18



Distributions Made and Proposed

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Cash dividend on Equity shares declared and paid		
Final Dividend during 2017-18:- ₹ 11.80 per share (F.Y 2016-17 ₹ INR 18.86 per share)	4,718.49	7,545.40
Interim Dividend paid during the year (F.Y 2016-17 ₹ INR 9.38 per share)	—	3,750.00
Dividend distribution Tax on Final dividend	960.57	2,299.50
	5,679.06	13,594.90
Proposed Dividend on Equity shares*		
Dividend for 31st March 2018 :- ₹ 22.24 Per Share (31st March 2017: INR 11.80 Per share)	8,880.92	4,718.49
Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend	1,807.98	960.57
	10,688.90	5,679.06

*The proposed dividend (including dividend distribution tax) on equity shares are subject to approval by shareholders at the Annual General Meeting and has not been recognised as a liability as at 31st March 2018.

NOTE :- 15

FINANCIAL LIABILITIES- NON CURRENT

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
NOTE :- 15.1 OTHERS		
Security Deposits	10,972.71	10,373.28
Total	10,972.71	10,373.28

NOTE :- 16

PROVISIONS- NON CURRENT

Retirement Benefits (Refer Note :- 42)	5,846.98	7,797.35
Total	5,846.98	7,797.35

NOTE :- 17

OTHER NON CURRENT LIABILITIES

Deferred Grant	371.90	476.71
Deferred portion of Security Deposits*	321.55	356.35
Total	693.45	833.06

* It represents unamortized portion of the difference between the fair value of financial liability on initial recognition and expenditure incurred.

NOTE :- 18 FINANCIAL LIABILITIES- CURRENT

NOTE :- 18.1 TRADE PAYABLES

Payable to MSME (Refer Note 66)	86.15	36.30
Payable to others		
For Goods	2,241.00	1,753.12
For Services	12,716.09	11,928.74
Total	15,043.24	13,718.16



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
NOTE :- 18.2		
OTHER FINANCIAL LIABILITIES		
Earnest Money deposit	1,944.32	1,897.41
Refundable for Internet Ticketing	1,311.05	910.75
Payable towards Others-Expenses Provisions	36,396.00	31,349.75
Lease Rent advance	1,741.50	1,741.50
Total	41,392.87	35,899.41

NOTE : - 19

OTHER CURRENT LIABILITIES

a) Income received in advance

Unexpired concession fee	1.87	2.15
Unexpired Licenec fee	16,622.72	7,442.92
Unexpired User Charges	38.63	36.32
Rolling Deposits - Advance Income	22,720.66	12,242.88
Advances received	5,704.49	3,841.90
	45,088.37	23,566.17

b) Others

Provision for VAT (Net of service tax) (Refer Note :- 37.4)	8,251.01	8,210.01
Taxes Payable (Statutory Liabilities)	4,289.37	725.55
Deferred portion of Security Deposits*	151.80	223.81
Statutory Dues	2,949.28	2,722.24
Deferred Grant	96.36	87.91
Total	60,826.19	35,535.68

* It represents unamortized portion of the difference between the fair value of financial liability on initial recognition and expenditure incurred.

NOTE : - 20

PROVISIONS- CURRENT

Provision for Employee Benefits (Refer Note :- 42)	327.54	121.18
Total	327.54	121.18

NOTE : - 21

CURRENT TAX LIABILITY

Provision for Income tax (Net of advance tax & TDS)	—	551.42
Provision for Income Tax net of Advance Tax and TDS	—	551.42



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
NOTE: - 22		
REVENUE FROM OPERATIONS		
A. Sale of Products (Inclusive of excise duty)		
Railneer (Packaged Drinking Water)	16,110.77	15,456.07
Departmental Catering		
– Sale of Food & Beverages	26,443.99	21,711.28
Non–Railway Business		
– Income from Catering	866.98	1,574.72
– Income from Other Services	2.26	10.65
	43,424.00	38,752.72
Total–Sale of Product	43,424.00	38,752.72
B. Sale of Service		
i) Internet Ticketing		
Income From License Fee-Call Centre	135.24	250.00
Income from Advertisement/ SBI CO-Branded Cards & Loyalty Cards	10,273.56	8,085.42
Income From Fees from IATA/RTSA/ Internet Cafe, etc.	1,240.10	2,133.63
Service Charges Earned–IR Tickets	5.54	36,224.95
Reimbursement Against Service Charges (Refer to Note 59)	8,000.00	–
(a)	19,654.44	46,694.00
ii) Income From Licensee Catering Services		
Income from Catering & Comprehensive Services provided Income from On Board Catering & Other Services- Rajdhani/Shatabdi/Premium Trains	16,782.74	3,604.29
Income from Concession Fee, License Fee etc.		
Income from Concession Fee	377.32	68.65
Income from License Fee	20,962.79	8,330.22
Income from User Charges-Food Plaza	88.92	197.77
Income from License Fee-Food Plaza (Refer note no - 57)	5,247.36	3,617.95
(b)	43,459.13	15,818.88
iii) Tourism		
Travel & Tour revenue	35,444.37	48,103.98
Income from User Charges-Rail Yatri Niwas	131.80	123.18
Income from License Fee-Rail Yatri Niwas	169.72	194.28
Maharaja Express-Revenue	4,381.92	4,050.56
(c)	40,127.81	52,472.00
Total-Sale of Services (a+b+c)	103,241.38	114,984.88
Other Operating Income		
Scrap Sale–Rail Neer	49.54	51.84
Scrap Sale–Departmental Catering	1.59	1.49
Scrap Sale–Non–Railway Catering	0.37	1.25
License Fee - Railneer	101.09	101.07
	152.59	155.65
	152.59	155.65
Revenue from Operation (Gross)	146,817.97	153,893.25



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
NOTE :- 23		
OTHER INCOME		
Interest Income		
Interest Income on FDR's & TDR's (Gross)	4,568.12	4,439.49
Interest Income - Others	7.41	28.07
Dividend Income from Mutual fund	388.89	—
(a)	4,964.42	4,467.56
Other Non-Operating Income		
Countermanding Charges & Security Deposit Forfeited	232.34	168.86
Income Accrued on Forfeiture of Contracts	16.92	—
Sale of Tender Forms	5.81	7.24
Profit on foreign exchange fluctuation	2.11	29.48
Amortization of Capital Grant	96.36	71.79
Income from amortisation of deferred security deposits-Liability	307.12	238.78
Interest Income on Unwinding of Discounts on security deposits	17.91	23.00
Contractual Fines & Penalties received	986.65	282.09
Income from Duty credit licence under "Served from India Scheme"	313.26	71.10
Miscellaneous Income	655.46	276.92
(b)	2,633.94	1,169.27
Total	(a+b)	7,598.36
		5,636.83
NOTE :- 24		
COST OF MATERIAL CONSUMED		
Railneer (Packaged Drinking Water)		
Opening Stock	189.30	235.10
Add: Purchases And Expenses	7,397.29	6,625.47
	7,586.59	6,860.57
Less: Closing Stock	254.94	189.30
(a)	7,331.65	6,671.27
DEPARTMENTAL CATERING		
Opening Stock	51.08	123.71
Add: Purchases And Expenses	2,188.04	2,729.02
	2,239.12	2,852.73
Less: Closing Stock	41.43	51.08
(b)	2,197.69	2,801.65
Total	(a+b)	9,529.34
		9,472.92



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
-------------	---	---

NOTE :- 25

PURCHASE OF STOCK-IN-TRADE

Purchase of PD/Cooked food items for resale	15,460.49	10,661.13
Purchase – Non–Railway Catering	344.52	832.36
	<u>15,805.01</u>	<u>11,493.49</u>
Total	<u>15,805.01</u>	<u>11,493.49</u>

NOTE :- 26

CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS & STOCK IN TRADE

RAILNEER (Packaged Drinking Water)

Opening Stock	272.51	313.10
Work in progress	59.44	50.06
	331.95	363.16
Closing Stock		
Finished Goods	356.51	272.51
Work in progress	59.54	59.44
Total	<u>416.05</u>	<u>331.95</u>
	<u>(84.10)</u>	<u>31.21</u>

DEPARTMENTAL CATERING

Opening Stock		
Finished Goods	7.08	–
PD Items	65.08	87.77
	72.16	87.77
Closing Stock		
Finished Goods	2.22	7.08
PD Items	17.05	65.08
	19.27	72.16
	52.89	15.61

MAHARAJA EXPRESS

Opening Stock		
Finished Goods	13.58	16.32
Closing Stock		
Finished Goods	8.93	13.58
	4.65	2.74
(Increase)/Decrease in Finished Goods	<u>(26.56)</u>	<u>49.56</u>

NOTE :- 27

EXPENSES OF LICENSEE CATERING SERVICES

Expenses of Catering & Comprehensive Services Provided

On Board Catering & Other Charges - Rajdhani & Shatabdi/Premium Trains	15,157.97	3,612.60
	<u>15,157.97</u>	<u>3,612.60</u>
Expense of Concession Fee, License Fee etc.		
Concession Fee	150.93	10.30
License Fee	5,560.05	2,981.90
User Charges - Food Plaza	35.57	79.11
License Fee - Food Plaza	2,097.75	1,428.11
Service Tax - Food Plaza	–	49.55
License Fee Railway Land - Food Plaza	0.85	0.87
	<u>7,845.15</u>	<u>4,549.84</u>
	<u>23,003.12</u>	<u>8,162.44</u>



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
-------------	---	---

NOTE :- 28

EXPENSES OF TOURISM

Travel & Tour Expenses	26,293.46	37,474.56
License Fee - Rail Yatri Niwas	42.43	48.57
User Charges - Rail Yatri Niwas	32.95	30.79
License Fee Paid Railway Land - Rail Yatri Niwas	0.04	0.04
Maintenance & Other Charges	369.13	247.09
Expenses of Maharaja Express	3,737.18	3,658.66
	30,475.19	41,459.71
	30,475.19	41,459.71

NOTE :- 29

MANUFACTURING & DIRECT EXPENSES

Rail Near (Packaged Drinking Water)

- Operation & Maintenance Charges	1,173.93	866.63
- License fee Railway Land	199.58	186.70
- Power & Fuel	826.96	714.10
- Repair & Maintenance - Plant & Machinery	84.81	27.00
- Repair & Maintenance - Others	73.93	36.44
- Other Direct Expenses	58.43	136.19
(a)	2,417.64	1,967.06

Departmental Catering

- Freight Inward Loading & Unloading-Catering	58.85	33.00
- Food Inspection Expenses	8.33	1.37
- Fuel	237.14	289.45
- On Board Service Charges	744.04	345.71
- Other Direct Expenses	80.62	118.84
(b)	1,128.98	788.37

Internet Ticketing

- Maintenance & Other Charges	2,853.88	2,886.12
- Cancellation Charges	7.26	43.77
- Railway Share (Refer Note - 57)	2.77	18,112.47
- Internet Usage Charges	108.69	129.42
- Messaging Expenses	195.30	102.18
(c)	3,167.90	21,273.96

Total	(a+b+c)	6,714.52	24,029.40
--------------	----------------	-----------------	------------------

NOTE :- 30

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

Employee Benefits Expenses

Salaries, Wages & Bonus	15,236.32	14,085.02
Contribution to Provident, Leave encashments and Other Funds	2,611.92	3,341.69
Gratuity	1,302.48	222.79
Staff Welfare Expenses	64.43	312.41
	19,215.15	17,961.91
	19,215.15	17,961.91



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
NOTE :- 31		
FINANCE COSTS		
Interest Expenses	4.27	2.82
Unwinding of discount on security deposits	286.49	250.71
	290.76	253.53
	290.76	253.53
NOTE :- 32		
DEPRECIATION & AMORTIZATION COSTS		
Depreciation on Tangible Assets (Refer Note-3)	1,715.76	1,625.60
Amortization on Intangible Assets (Refer Note-5)	650.35	615.77
	2,366.11	2,241.37
	2,366.11	2,241.37
NOTE :- 33		
OTHER EXPENSES		
Electricity & Water	266.64	306.67
Office Rent	2,499.61	1,234.26
Duties, Rates & Taxes	46.37	15.50
Repair Maintenance & other	956.68	592.22
Insurance	36.37	40.12
Travelling Expenses	690.06	562.47
Conveyance Expenses	188.80	249.52
Director Sitting Fees	8.41	2.56
Payment to Auditors (Refer Note No-33.1)	14.25	11.70
Cost Audit Fee	2.75	2.78
Internal Audit Fee	4.42	2.62
Legal & Professional Fees	294.94	443.80
Communication Expenses	202.46	234.44
Customer Satisfaction Survey Expenses	272.03	352.12
Freight Outward & CFA Charges	2,647.14	2,451.87
Corporate Social Responsibility	553.26	434.76
Printing and Stationary	110.87	118.47
Digitization Expense (Travel Insurance)	2,387.61	1,080.00
Advertisement Expenses	527.00	593.55
Business Development/Marketing Exp.	223.87	409.29
Vendors' Commission	293.27	347.67
Interest Exp on MSME	8.22	8.79
Security Expenses	229.10	162.37
Loss on Sale of Fixed Assets	40.65	92.03
Miscellaneous Expenses	478.70	278.87
Total	12,983.48	10,028.46



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
NOTE :- 33.1 DETAILS OF PAYMENT TO AUDITORS		
Payment to Auditors as Auditor		
Audit Fee	7.15	6.55
Tax Audit Fee	2.48	2.27
In other Capacity		
Company Law Matters	—	—
Re-imbursement of Expenses	4.62	2.88
Total	14.25	11.70
NOTE :- 33 EXCEPTIONAL ITEMS		
Excess Provision Written Back	524.57	340.97
Total	524.57	340.97
NOTE :- 34 INCOME TAX EXPENSE		
Current Income Tax:		
Current income tax charge	11,603.63	11,787.14
Deferred Tax:		
In respect of the current year	342.14	(111.40)
Total	11,945.76	11,675.74
INCOME TAX EXPENSE IN OTHER COMPREHENSIVE INCOME		
Deferred Tax:		
In respect of the current year	219.01	(51.52)
	219.01	(51.52)
RECONCILIATION BETWEEN TAX EXPENSE AND THE ACCOUNTING PROFIT :		
Accounting profit before tax from continuing operations	34,780.90	32,995.84
Accounting profit before income tax	34,780.90	32,995.84
At India's statutory income tax rate of 34.608%	12,037.31	11,419.21
Tax effect of amounts which are not deductible (taxable) in calculating Taxable income		
Add: Ind AS Adjustment Not Allowed in income tax	-7.10	4.54
Interest paid on late deposit of Tax	32.86	3.13
CSR Expenditure	191.47	150.46
Prior Period Exp	1.95	43.83
Interest Exp on MSME	2.84	3.04
Exempt Income	-94.57	—
Impact of Change in rate and other Items	—	—
	127.46	205.01
At the Effective Income Tax rate	12,164.77	11,624.22
Income tax expense reported in the statement of profit and loss (relating to continuing operations)	12,164.77	11,624.22
Effective Tax Rate	34.98%	35.23%



AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	FVTOCI Reserve	
	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
NOTE :- 35		
COMPONENTS OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI)		
Remeasurement of Defined benefit plans		
- Gratuity	699.71	(126.49)
- Leave Travel Concession	(66.89)	(22.38)
Total	632.82	(148.87)
Tax on Remeasurement of Defined benefit plans	(219.01)	51.52
Total	(219.01)	51.52

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
	(₹ per share)	

NOTE: - 36
EARNINGS PER SHARE (EPS)

Basic EPS

From continuing operation	55.51	52.93
From discontinuing operation	—	—

Diluted EPS

From continuing operation	55.51	52.93
From discontinuing operation	—	—

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
-------------	---	---

36.1 BASIC EARNING PER SHARE

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share and the EPS for the previous year is restated after adjustment for issue of bonus shares during the year.

Profit attributable to equity holders of the company:

From Continuing operations	22,202.31	21,171.24
From discontinuing operation	—	—

Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	22,202.31	21,171.24
---	------------------	------------------

Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	400.00	400.00
---	--------	--------

36.2 DILUTED EARNING PER SHARE

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

Profit attributable to equity holders of the company:

Continuing operations	22,202.31	21,171.24
From discontinuing operation	—	—

Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	22,202.31	21,171.24
--	------------------	------------------

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share as follows:

Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	400.00	400.00
---	--------	--------

Effect of Dilution :	—	—
----------------------	---	---

Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	400.00	400.00
---	---------------	---------------



NOTE :- 37 - PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

Note :- 37.1-Provisions

Pursuant to the Ind AS-37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the disclosure relating to provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2018 is as follows:-

Particulars	Provision for Bad and Doubtful Debts		Provision for Doubtful advances		Provision for Pension		Provision for Leave Encashment (Retirement Benefits)		Provision for Gratuity (Retirement Benefits)	
	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Opening Balance	3,848.84	3,848.84	62.48	62.48	2,940.94	2291.96	72.26	2123.39	874.65	656.13
Addition	3.13	-	-	-	723.22	648.98	710.52	555.63	582.2	349.28
Utilization/ Contribution	-	-	-	-	(2,851.71)	-	(535.90)	(2,606.76)	(775.27)	(130.76)
Adjustment/Reversal	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33	-
Closing Balance	3,851.97	3,848.84	62.48	62.48	812.45	2,940.94	246.88	72.26	684.91	874.65

Particulars	Provision for Pension for Optees		Provision for Post retirement medical Scheme		Provision for Half Pay leave		Provision for LTC	
	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Opening Balance	1,711.62	398.43	857.67	630.3	1,401.90	1257.22	59.50	63.74
Addition	-	1,341.90	186.49	227.37	261.24	144.68	88.53	30.76
Utilization/ Contribution	-	(28.71)	-	-	-	-	-	(34.99)
Adjustment/Reversal	(123.02)	-	-	-	(5.02)	-	(8.64)	-
Closing Balance	1,588.60	1,711.62	1,044.16	857.67	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50

Notes:

- Provision for doubtful debts/advances is made on the basis of management's estimates.
- Provision for retirement benefits is made on the basis of independent actuary's valuation.
- IRCTC has implemented Pension Scheme for IRCTC employees w.e.f 01.04.2007 through PFRA under NPS. The employer contribution from 01.04.2007 to 31.03.2017 and for FY 2017-18 has been transferred in respective PRANs for 937 employees. Provision for remaining employees is still lying in books.
- As per the DPE guidelines, Company has formulated employees' Post-Retirement Medical Scheme to be effective from 1st January, 2007. The scheme is pending with Administrative Ministry for approval. However, the Company has provided the liability in the accounts as per the details given in above statement.
- Provision of Pension in respect of deemed deputationist Optees has been made to make 100% commutation of difference of pension (IRCTC- Railways) as full and final one time settlement of pensionary liabilities of IRCTC so as to avoid monthly recurring liability of pension. Provision of Leave Encashment includes 65.66 lakhs for deemed deputationist Optees.



37.2: Contingent Liabilities (As ascertained, quantified and certified by the management)

Claim against the Corporation not acknowledge as debt.

(₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
a.	Service Tax	8,445.45	8,405.73
b.	VAT & Other Taxes	2,577.60	2,561.70
c.	Others	6,465.09	3,933.79
	Total	17,488.14	14,901.22

Note :- 37.3

By virtue of Joint venture agreement Dated 10.12.2008, Royale Indian Rail Tours Limited (RIRTL) was formed as a joint venture company with Cox and Kings Limited with IRCTC & Cox & King as Shareholders.

A Luxury train of 23 coaches was constructed, funded and created by IRCTC and was given to Royale Indian Rail Tours Limited (RIRTL) for operations on adhoc basis and it was christened as Maharaja's Express. The Train was operated from March 2010 to April 2011. In that intergenem, it was noticed that various agreements between the parties regarding the train operation were not being allowed to be finalized, including the lease agreement for train and MOU with Indian Railways. Further, haulage charges, etc. due were also not being paid. Ultimately IRCTC terminated the agreement with Cox and Kings Ltd on 12/08/2011, as well as also had withdrawn the train from RIRTL.

Cox and Kings Limited filed a petition in Honorable Delhi High Court and after the judgment of Division Bench of High Court in favour of IRCTC, Cox and Kings Ltd approached the Supreme Court. The matter has been decided in favour of IRCTC by Honorable Supreme Court of India with an observation that parties are at liberty to appoint an arbitral Tribunal to settle their disputes. The prayer of Cox & Kings Ltd. before the arbitral Tribunal is for specific performance of the joint venture agreement.

Based on legal opinion available with the Company and in view of the termination of the joint venture agreement, the IRCTC is of the view that Cox and Kings Ltd. cannot invoke the arbitration clause in relation to the reliefs sought. The order on IRCTC's plea has been reserved.

IRCTC does not feel the necessity to recognize the claim of the Cox and Kings Ltd which is for restoration of the Joint Venture Agreement and therefore consequential financial impact is not ascertainable at present. On the other hand, IRCTC has initiated proceedings under section 397 and 398 of the Companies Act, 1956 against Cox and Kings Ltd. and its officers which is sub judice.

Note :- 37.4 VAT Case filled Before Hon'ble Supreme Court of India

The Corporation has been paying service tax towards on-board catering services in trains in which catering charges are included in railway fare. The commissioner of VAT vide order dated 23.03.2006 considered on-board catering service in trains as sale of goods within the meaning of section 2(zc)(vii) of the said Act.

IRCTC filed an appeal before the Appellate Tribunal Value Added Tax. The Tribunal, while partly allowing the appeal vide Order dated 07.09.2006, held that the observations pertaining to Central Act were beyond the Commissioner's jurisdiction as they pertained to taxability of the goods on sale or purchase taking place in the course of inter-state sale outside the State.

IRCTC assailed the said order by way of filing writ petitions in the Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi praying that the services rendered by IRCTC are not liable to Value Added Tax under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 and that on-board catering services of the Corporation are primarily services in which food and beverages are also provided and are liable to service tax only. The Hon'ble Delhi High Court upheld the decision of commissioner of VAT and dismissed the petition of IRCTC. The Hon'ble High Court had stated that corporation is liable to pay VAT. However, it may take refund of service tax already paid.



Aggrieved by the Judgement, the Corporation has moved to Hon'ble Supreme Court, filing Special leave petition against the judgment dated 19.7.2010 passed by the Hon'ble High Court of Delhi. SLP 25292-25319 of 2010 had been admitted and awaiting its turn. The Hon'ble Supreme Court has granted ad-interim direction in the nature of Status Quo on recovery of the demand raised by VAT authorities. Hence the matter is sub-judice and the corporation is not liable to pay VAT at present. However, the corporation has provided VAT liability net of service tax of ₹ 8251.01 lakh up to FY 2017-18 (30th June, 2017) across India as a matter of prudent accounting policy and amount pertaining to current year is reduced from sales. Corresponding VAT input admissibility is shown as balance with Govt. authorities.

Note :- 37.5

Contingent Assets

(₹ in Lakh)

S. No.	Arbitration	Particulars	Appellate Authority	Awarded amount
1	Food World	Award of license fee in Train No. 2859-60 Train No. 2975-76	SLP pending in SC	148.00
2	A.K. Roy Vs IRCTC	2577-78, 5279-80, 2395-96, 9165/66/67-68, 2555-56, 2569-70, 2213-14, 2203-04, 2061-62, 2209-10, 1043-44	Pending in Patiala House Court	21.95
3	Satyam, sunshine and Roop Caterers	Train Nos. 2801-02, 2311-12, 2471-78, 2779-80, 2955-56, 2521-22, 2833-34, 2707-08, 2721-22, 2703-04 & 4005-06	NO appeal filed	269.05
4	Railways - Travel Insurance	Claim to railways for Reimbursement of cost of Insurance to railway passengers	—	3,632.00
5	Railways	Passenger Feedback System	—	1,130.00
6	Duty Credit Entitlement	Duty Credit Entitlement as per Foreign Trade Policy 2015-2020		566.98

NOTE :- 38

PAYMENT GATEWAYS

Company is handling Railway reservations through internet for which five payment gateways and more than thirty five Net Banking/Debit Card networks of almost all the banks are being used. The volume of transactions in all these accounts is very huge and increasing day by day with increase in Booking of tickets. Transaction wise reconciliation has been carried out for the financial year 2017-18 to smoothen the process. However, certain differences are still persisting for financial years prior to 2017-18 which are because of non-comparability of data cycle of IRCTC and the respective banks. The matter has been taken up with the respective banks to provide the data in comparable form so that persisting differences can be eliminated.

NOTE :- 39

TRADE RECEIVABLES

- Railways Balances** The railways balances in form of trade receivables, trade payables, advances paid and security deposits are subject to reconciliation and confirmation with the railways and includes old balances since the time of takeover of catering from the railways. The company is in the process of identifying and segregating the railway balances.
- Third Party Balances** The third party balances are subject to reconciliation and confirmations from the various party. The management shall devise the policy and practice of formalizing the reconciliation procedure and ensure that the reconciliations and confirmations are done on frequent basis. Pending confirmation and reconciliation of Trade Receivables, the Corporation has decided to create a provision of ₹ 3.13 lakh (as at 31st March, 2017 ₹ Nil) against receivables which is in view of the management are doubtful of recovery.



NOTE :- 40

CAPITAL COMMITMENTS

Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for amounts to ₹ 8318.33 Lakhs as at 31st March 2018 as against ₹ 2533.14 Lakhs as at 31st March 2017.

NOTE :- 41

In the opinion of Management, value of Current Asset, Loans and advances, if realized in the ordinary course of business, shall not be less than the amount at which the same are stated in the Balance Sheet. However, the balance of Trade Receivables including Railway Trade Receivables and Trade Payables as stated in the Balance Sheet are subject to confirmation.

NOTE :- 42

EMPLOYEE BENEFITS

General description of the defined benefit schemes/defined contribution scheme:

- (i) **Gratuity:** Payable on separation @ 15 days pay for each completed year of service to eligible employees who render continuous service of 5 years or more. The gratuity ceiling of ₹ 20 Lakhs (previous year Rs.10 Lakh) has been considered for actuarial valuation. Actuarial valuation though was made for all employees irrespective of the completion of 5 years of service.
- (ii) **Leave Encashment:** Payable on separation to eligible employees who have accumulated earned leave. Leave salary is provided for based on valuations, as at the balance sheet date, made by independent actuary.
- (iii) **Half Pay Leave:** to eligible employees who have accumulated half pay leaves. Half pay leave is provided for based on actuarial valuations, as at the balance sheet date.
- (iv) **Leave Travel Concession(LTC) :** to eligible employees is provided for based on actuarial valuations, as at the balance sheet date.
- (v) **Provident Fund:** 12% of the Basic Pay plus Dearness Allowance of Employees and equivalent Contribution of the Corporation is contributed to the Provident Fund maintained with the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi. Corporation's contribution to provident fund is charged to revenue.
- (vi) **Foreign Service Contribution:** Foreign service contribution payable for leave salary and pension in respect of deputationists including deemed deputationists (employees who have joined the corporation on deputation for a fixed period from Indian Railways) for the year 2016-17 in terms of Government rules and regulations is charged to revenue on accrual basis.

Other disclosures, as required under Ind AS-19 "Employee Benefits" in respect of defined obligations are:

- (vii) **National Pension Scheme:** Retirement benefit in the form of NPS is a defined contribution scheme. The company has no obligation, other than the contribution @10% of Basic pay plus dearness allowance payable under such scheme. The company recognizes contribution payable to such scheme as an expense, when an employee renders the related service.

(a) Actuarial Assumptions

S. No.	Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
(i)	Discount rate(per annum)	7.80%	7.37%
(ii)	Mortality rate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) (Modified Ultimate)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) (Modified Ultimate)
(iii)	Expected Return on assets	8.30%	7.91%
(iv)	Salary Escalation	10%	15%
(v)	Attrition Rate	2%	2%
(vi)	The estimate of future liability increases considered in actuarial valuation, takes into account inflation rate, seniority, promotion and other relevant factors		



(b) Actuarial Method

Projected unit credit (PUC) actuarial method is used to assess the plan's liabilities of exit employees for retirement, death-in-service and withdrawal and also compensated absence while in service.

(c) Components of Employer Expense

Amount (₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Current Service Cost	380.90	175.80	396.74	403.40	198.00	8.99	17.26	4.71
(ii)	Past Service Cost	836.31	–	–	–	–	–	–	–
(iii)	Curtailement Cost	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv)	Settlement Cost	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	Total Service Cost	1,217.21	175.80	396.74	403.40	198.00	8.99	17.26	4.71
	Net interest Cost								
(vi)	Interest Expense on DBO	199.58	177.00	186.25	145.30	103.32	99.45	4.39	3.66
(vii)	Interest (Income on Plan Assets)	(134.87)	(130.01)	(186.04)	(92.77)	–	–	–	–
(viii)	Total Net Interest	64.71	46.99	0.21	52.53	103.32	99.45		
(ix)	Immediate Recognition of Gain/Losses Other Long Term benefits	–	–	313.58	99.70	(40.08)	36.24	–	–
(xi)	Defined Benefits cost included in P&L	1,281.92	222.79	710.52	555.63	261.24	144.68	21.65	8.37

(d) Net Asset/Liability Recognised in Balance Sheet

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Actuarial (Gain)/Losses due to Demographic Assumption changes in DBO	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii)	Actuarial (Gain)/Losses due to Financial Assumption changes in DBO	(1,262.92)	1,389.92	(5,385.84)	642.76	(2,614.65)	642.95	(25.29)	(1.24)
(iii)	Actuarial (Gain)/Losses due to Experience on DBO	579.28	(1,265.86)	5,079.55	(635.82)	2,574.57	(606.71)	92.19	23.62
(iv)	Return on Plan Assets (Greater)/Less than Discount Rate	(16.07)	2.43	7.29	92.77	–	–	–	–
(v)	Total Actuarial (gain)/loss included in OCI	(699.71)	126.49	–	–	–	–	66.89	22.38
(vi)	Total Cost Recognised in P&L and OCI (Defined Benefit Cost)	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii)	Cost Recognised in P&L	1,281.92	222.79	710.52	555.63	261.24	144.68	21.65	8.37
(viii)	Remeasurement Effect Recognised in OCI	(699.71)	126.49	–	–	–	–	66.89	22.38
(ix)	Total Defined Benefit Cost	582.21	349.28	710.52	555.63	261.24	144.68	88.54	30.75



(e) Net Asset/Liability Recognised in Balance Sheet

Amount (₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Present Value of Benefit Obligation	3,413.84	2,708.03	3,246.81	2,527.11	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50
(ii)	Fair Value of Plan Assets	2,728.93	1,830.05	3,065.60	2,524.31	–	–	–	–
(iii)	Funded Status (Surplus/(Deficit))	(684.91)	(877.98)	(181.21)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	(139.39)	(59.50)
(iv)	Unrecognised Past Service Costs	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	Net Assets/(Liability) Recognised in balance sheet	(684.91)	(877.98)	(181.21)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	(139.39)	(59.50)
(vi)	Present Value of Encashment Obligation	–	–	–	–	–	1,295.18	–	–
(vii)	Present Value of Availment	–	–	–	–	–	106.72	–	–
	Current Liability	86.84	30.29	111.96	2.80	80.58	78.37	48.16	9.72
	Non-Current Liability	598.07	847.69	69.24	–	1,577.55	1,323.53	91.23	49.78

(f) Change in Obligation over the period ending on

Amount (₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Present Value of Defined Benefits Obligation at Beginning	2,708.03	2,244.24	2,527.11	1,971.48	1,401.90	1,257.22	59.50	63.73
(ii)	Current Service Cost	380.90	175.80	396.74	403.40	198.00	8.99	17.26	4.71
(iii)	Interest Cost	199.58	177.00	186.25	145.30	103.32	99.44	4.39	3.66
(iv)	Plan Amendments	–	–	–	–	–	–	–	–
(v)	Prior Service Costs	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi)	Curtailments	836.31	–	–	–	–	–	–	–
(vii)	Settlements	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii)	Actuarial (Gains)/Loss	(683.64)	124.06	306.28	(6.94)	(40.07)	36.24	66.89	22.38
(ix)	Benefits Paid	(27.33)	(13.08)	(169.58)	–	(5.03)	–	(8.64)	(34.98)
(x)	Present Value of Defined Benefits(Closing)	3,413.84	2,708.03	3,246.80	2,527.11	1,658.12	1,401.90	139.39	59.50

(g) Reconciliation of Opening & Closing Values of Plan Assets

Amount (₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Fair value of plan assets at the beginning of the period	1,830.05	1,584.79	2,524.31	–	–	–	–	–
(ii)	Acquisition adjustment	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii)	Expected return on plan assets	134.87	130.01	–	92.77	–	–	–	–
(iv)	Contributions	775.27	130.76	362.54	2,524.31	–	–	8.64	34.98
(v)	Benefits paid	(27.33)	(13.08)	–	–	–	–	–	–
(vi)	Actuarial gain/(loss) on plan assets	16.07	(2.43)	178.75	(92.77)	–	–	(8.64)	(34.98)
(vii)	Fair value of plan assets at the end of the period	2,728.93	1830.05	3,065.60	2524.31026	–	–	–	–



(h) Amounts Recognized in Other Comprehensive Income Amount (₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Opening OC (Cumulative Unrecognised Losses/ (Gains)	494.51	368.02	–	–	–	–	–	50.18
(ii)	Actuarial (gain)/loss on DBO	(683.64)	124.06	306.28	6.94	40.07	36.24	66.89	22.38
(iii)	Actuarial (gain)/ loss on Assets	(16.07)	2.43	7.29	92.77	–	–	–	–
(iv)	Amortization Actuarial (Loss)/Gain	–	–	–	99.70	–	–	–	–
(v)	Net increasing in OCI	(699.71)	126.49	313.57	–	40.07	–	66.89	22.38
(vi)	Amortization of Prior Service Cost	–	–	–	–	–	36.24	–	–
(vii)	Total Recognised in Other Comprehensive Income	(205.20)	494.51	–	–	–	–	66.89	72.56

(i) Net Asset /Liability Recognised in Balance Sheet Amount (₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Half Pay Leave		LTC	
		As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
(i)	Net Balance Sheet Asset/ (Liability) Recognised at beginning	(877.98)	(659.45)	(2.80)	(1,971.48)	(1,401.90)	(1,257.22)	59.50	(63.73)
(ii)	Amount Recognised in Accumulated OCI/loss at the beginning of the period	494.51	368.02	–	–	–	–	–	50.17
(iii)	(Accrued)/Prepaid benefit Cost (Before adjustment at the beginning	(383.47)	(291.43)	(2.80)	(1,971.48)	(1,401.90)	(1,257.22)	59.50	(13.55)
(iv)	Net Periodic Benefit(Cost)/ Income for the period	((1,281.92)	(222.79)	(710.52)	(555.63)	(261.24)	(144.68)	(88.54)	(8.37)
(v)	Employer Contribution	775.27	130.76	532.12	2,524.31	5.03	–	8.64	34.98
(vi)	(Accrued)/Prepaid benefit Cost (Before adjustment at the end of the period	(890.12)	(383.47)	(181.20)	(2.80)	(1,658.12)	(1,401.90)	–	13.06
(vii)	Amount Recognised in Accumulated Other Comprehensive Income/ Loss at the end of the period	(205.20)	494.51	–	–	–	–	–	72.56
(viii)	Net Balance Sheet Asset/ (Liability) Recognised at the end of the period	(684.91)	(877.98)	(181.20)	(2.80)	(1,658.12)	–1401.9	(139.39)	(59.50)

(j) The Employees' Gratuity Fund Scheme managed by a Trust (SBI Life Insurance Co. Ltd) is a defined benefit plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.



(k) Sensitivity Analysis

Amount (₹ in Lakh)

	Change in assumptions	Effect on Gratuity obligation	Effect on Leave Encashment	Effect on Half Pay Leave	Effect on LTC
Discount Rate	0.50%	-269.37	-256.32	-126.01	-2.30
	0.50%	301.74	286.92	140.76	2.32
Salary Growth Rate	0.50%	146.55	279.51	-126.01	2.33
	0.50%	-165.94	-252.55	140.76	-2.30

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (projected unit credit method) has been applied as when calculating the defined benefit obligation recognized within the statement of financial position.

NOTE :- 43

During the year 2017-18, the sharing with various Zonal Railways has been made in terms of Memorandum of Understanding dated 17.01.2007, executed with the Ministry of Railways..

NOTE :- 44 RELATED PARTY DISCLOSURES

As per Ind AS - 24 'Related Party Disclosures', the names of the related parties are given below :-

Nature of Relationship	Name of the related Party
Joint Venture	Royale Indian Rail Tours Limited
Key Managerial Personnel	(i) Dr. A.K. Manocha, CMD (Ceased w.e.f. 01.08.2017) (ii) Shri M.P. Mall, CMD (Upto 18.09.2017 as Director (Finance) and thereafter CMD) (iii) Smt. A.K. Brar, Director (T&M) (Ceased w.e.f.01.12.2017) (iv) Shri V.Sriram, Director (CS) (v) Smt. Kanak Aggarwal (Independent Director) (vi) Dr. Rabi Narayan Bohidar (Independent Director) (vii) Dr. Dheeraj Sharma (Independent Director) (viii) Prof. Sachin Chaturvedi (Independent Director) (w.e.f. 10.10.2017) (ix) Shri Comal Ramchandran Sundaramurti (Independent Director) (w.e.f. 13.10.2017) (x) Ms. Sarita Deshpande (Independent Director) (w.e.f. 29.03.2018) (xi) Shri Prashanth Kumar Balsavar (Nominee Director) (xii) Smt. Smita Rawat (Nominee Director) (xiii) Shri Ajai Srivastava (CFO) (w.e.f. 21.08.2017) (xiv) Smt. Suman Kalra (Company Secretary)



Details of transactions between the Corporation and the related parties, as defined in the Accounting Standard, during the year, are given below :

Note :- 44.1 Transactions With Joint Venture

AMOUNT (₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(i)	Investments	250.00	250.00
(ii)	Impairment in value of investment	250.00	250.00
(iii)	Advance Lease Rent	1,741.50	1,741.50
(iv)	Lease Rent Receivable	269.08	269.08
(v)	Trade Payables	(1,471.71)	(1,471.71)

Impairment in value of investment has been made for IRCTC share of investment i.e. '250.00 Lakh as the cumulative losses of RIRTL has wiped out its net worth. Further, the -Balance Sheet of RIRTL for 2011-12 to 2017-18 have not been finalized pending dispute with M/s Cox and Kings (India) Ltd.

Note :- 44.2 Transactions With Key Managerial Personnel

The remuneration of directors and other members of key management personnel during the year was as follows:

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2018	For the Year Ended 31 st March 2017
Short term benefits	259.58	179.87
Post-employment benefits	20.49	11.82
Other long-term benefits	—	—
	280.07	191.68

Note :- 44.3 Transactions With The Government Related Entities

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Railway (Significant Influence over company)
Rail Vikas Nigam Limited (Controlled through Ministry of Railways)
National Informatics Centre Services Inc. (Controlled through Ministry of Railways)
CRIS (Controlled through Ministry of Railways)

Certain significant Transactions:-

AMOUNT (₹ in Lakh)

S.No.		NATURE OF TRANSACTION	2017-18	2016-17
1	CRIS	Purchase of assets and expenditure on maintenance and development for internet ticketing	1,720.00	2,338.13
2	RAILWAYS	Income from catering & comprehensive services provided income from on board catering & other services- Rajdhani/Shatabdi/Premium trains	16,782.74	3,604.29
3	RAILWAYS	Railway share on licensee catering services	7,845.15	4,500.29
4	RAILWAYS	Railway share on internet ticketing service charges	2.77	18,112.47
5	RAILWAYS	Haulage charges on maharaja express train	1,701.17	1,570.92
6	NICSI	Purchase of assets and expenditure on maintenance and development etc. For internet ticketing	99.71	274.06
7	RAILWAYS	Revenue grant for internet ticketing	8,000.00	—



Other Disclosures:

- * Capital Advance of ₹ 342 Lakhs to RVNL for Construction of Flats & Land.
- * Capital Advance of ₹ 211.43 Lakhs to MOR for Construction of Flats & Land
- * In relation to the Internet Ticketing ₹ 53753.10 Lakh deposited with Min. of Railways (MOR).

These transactions are conducted in the ordinary course of the Company's business.

NOTE :- 45 FINANCIAL REPORTING OF INTEREST IN JOINT VENTURES

Company had formed a joint venture company with Cox & Kings Limited with 50-50 equal partnership in the name of Royal Indian Rail Tours India Limited (RIRTL), by virtue of joint venture agreement dated 10th December 2008. However due to issues between the equity partners, IRCTC terminated the agreement with Cox & Kings Limited as on 12th August 2011, and also withdrawn the train from RIRTL.

The Corporation's share of ownership interest, assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and capital commitments in the joint venture company as at 31st March, 2018 are not available in view of non-finalization of its accounts because of dispute between the parties, due to which the consolidation of Financial Statements as required under Ind AS 110 could not be done. These Financial Statements are the separate financial statements as per Ind AS.

Sr. No.	Name of the Joint Venture Company	% of Corporation's ownership interest	Assets	Liabilities	Income	Expenditure	Contingent Liabilities	Capital Commitments
1.	RIRTL	50%	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available

NOTE :- 46 IMPAIRMENT OF ASSETS

Corporation has made an assessment on 31st March, 2018 for any indication of impairment in the carrying amount of Corporation's Property Plant & Equipment's and Intangibles. On the basis of such assessment, in the opinion of the management no provision for the impairment of Property Plant & Equipment's of the Corporation is required to be made during the year. The management is of the opinion that the growing popularity of Maharaja Express shall enable the company to generate sufficient cash flows in the future years that fully substantiate the value in use of the train capitalized as fixed asset and hence no provision for impairment is required.

NOTE :- 47

Licensee managed static catering stalls, which were awarded by Railways, were transferred to IRCTC. As per directive of Ministry of Railways, IRCTC has advised Licensees of static catering stalls for payment of license fee on GDP basis w. e. f. 1st November 2006.

It has been noticed that many of the licensees are not paying license fee fixed on GDP basis and they have gone to court challenging the fixation of license fee on GDP basis and have obtained stay order from the Hon'ble Supreme Court. There are uncertainties regarding the determination of the amount to be realized from the licensees. The Corporation has recognized income as per Ind AS - 18 "Revenue" in respect of such licensee catering stalls on the basis of old licensee fees fixed by Indian Railways or amount actually received from licensees, whichever is higher.

NOTE :- 48

VALUE OF IMPORTS CALCULATED ON CIF BASIS BY THE COMPANY FOR YEAR 2017-18 IN RESPECT OF

Particulars	AMOUNT (₹ in Lakh)	
	2017-18	2016-17
Capital goods	1014.32	—

NOTE :- 49 EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCY

Expenses	AMOUNT (₹ in Lakh)	
	2017-18	2016-17
Foreign Travelling Expenses Directors	7.40	5.47
Foreign Travelling Expenses-others	26.03	24.07
Total	33.43	29.54



NOTE :- 50 EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	2017-18	2016-17
Other Income	3758.59	4750.63

NOTE :- 51 LEASES

(i) Operating Lease

The Company's leasing arrangements in respect of its various offices are in the nature of operating lease. The rentals for the same are being charged to Statement of Profit & Loss on the basis of lease agreements. The total amount charged to statement of profit & loss is ₹ 2499.61 Lakhs (previous year ₹ 1234.26 lakhs).

(ii) Finance Lease

The Company has acquired leasehold lands at various locations for the purpose of setting up Railneer Plants for lease period of 90/99 years. The total capitalized value as on 31st March, 2018 is ₹ 1508.60 lakhs.

NOTE :- 52

Ministry of Railways vide letter no 2016/TG-III/600/1/Pt. dt 27.02.2017 (Commercial Circular no.20) has issued catering policy 2017 which stipulates that:

- IRCTC is mandated to carry out unbundling by creating a distinction primarily between food preparation and food distribution. In order to upgrade quality of food preparation IRCTC shall be setting up new base kitchens and upgrade existing ones.
- IRCTC shall be responsible for catering services through mobile catering units. Base Kitchens, Cell kitchens, Refreshment Rooms at A1 & A category of stations, Food Plazas, Food Courts, Train Side Vending, Jan Ahaars.

In line with above policy, IRCTC is taking necessary action to takeover the mobile & mandated static units from Railways and to set up base kitchens.

That, during the financial year under consideration, the company has granted short term contracts for purchase and serving of food by the vendors on some trains. Though contracted, such catering is being done under the supervision and control of the company, hence being run as departmental catering on which no share shall accrue to the railways since departmental catering on overall company level is not generating any profits to the company.

As per Catering Policy 2017, all four Base Kitchens under Departmental Operation of Zonal Railway (Nagpur, Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai Central and Balharshah) shall be handed over to IRCTC on 'as is where is basis'. Further, Contracts awarded by Zonal Railways for Kitchen units viz. Refreshment Rooms at A1 and A category stations, Jan Aahar, Cell Kitchens and the mobile units already licensed by Zonal Railways shall be reassigned to IRCTC on same Terms & conditions. During the F/Y 17-18, Indian Railways has reassigned 165 Refreshment Room, 25 Cell Kitchen, 44 Jan Aahar, 10 Base Kitchen & 185 Mobile Units to IRCTC as per Catering Policy 2017.

NOTE :- 53 DUTY CREDIT LICENSE

During F.Y. 2017-18, the duty credit license has been utilized for an amount of ₹ 139.96 lakh (previous year ₹ 1.34 lakh) against payment of duty under "Served from India Scheme".

NOTE :- 54 CSR EXPENDITURE

- Gross amount required to be spent by the Company during the year is ₹ 568.00 lakh.
- Details of amount spent during the year :-

AMOUNT (₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i)	Expenditure under Swachh Bharat Abhiyaan	402.02	—	402.02
(ii)	Expenditure on Passenger Amenities at railway stations	136.24	—	136.24
(ii)	Expenditure on Medical equipment for AIIMS and on cancer Patient through CPAA and HMCPF	15.00	—	15.00
	Total	553.26	—	553.26

**NOTE :- 55 PRIOR PERIOD ITEMS**

The Prior Period Items, have not been pushed back to the respective financial year on account of materiality in line with the provisions of Indian Accounting Standards, however the same have been shown in the respective heads of profit and loss accounts.

NOTE :- 56 CASH & CASH EQUIVALENTS

IRCTC has availed overdraft facility for ₹ 10,000 Lakhs from State Bank of India against fixed deposit of ₹ 11,200 Lakhs. The OD facility shall be availed @ 0.25% higher than the interest rate on fixed deposit for the period for which OD is being availed. Fixed deposits to that extent are under lien.

NOTE :- 57 RAILWAY SHARE

License fees/service charges are shown at gross value and corresponding share paid/payable to Indian Railways have been shown as expense under note no. 27, 28 & 29.

NOTE :- 58 CAPITAL ADVANCES FOR FLATS & LAND

The following amounts were paid for allotment of flats which are still pending as on date:-

₹ 211.43 lakh paid to Indian Railways in the year 2002-03/2006-07.

₹ 342.00 lakh to RVNL in the F.Y. 2010-11.

Note :- 59 REIMBURSEMENT AGAINST SERVICE CHARGES FOR INTERNET TICKETING FROM RAILWAY

The Government of India through Ministry of Railways, in the public interest has waived off the service charges charged by IRCTC from passengers for booking of online train tickets. Therefore, the IRCTC is not charging any amount towards the service charges from the passengers. The IRCTC is incurring operating expenses such as up gradation and maintenance cost of server, manpower deputed to maintain the server and other incidental cost. The IRCTC has sent the detail of expenditure incurred by it to the Ministry of Railways and the Ministry has sanctioned a sum of ₹ 80 Crores towards the operating cost incurred by IRCTC for providing e-ticketing facilities to the passengers.

NOTE :- 60

Company had received ₹ 12 Cr from Ministry of Tourism for Manufacturing of 3 Class Coaches on cost to cost basis out of which balance of ₹ 1.16 Crore is refundable to MOT.

NOTE :- 61 SEGMENT REPORTING

The CODM & Manager for corporate planning examines the business performance on the basis of the nature of the services rendered by the company, organization structure & internal reporting system and has identified five reportable segments of its business as follows.

- Licensee Catering
- Departmental Catering
- Railneer
- Tourism
- Internet Ticketing.

The corporation caters mainly to the needs of the domestic market. As such there are no reportable geographical segments.

The accounting principles used in the preparation of the financial statements is consistently applied to record revenue & expenditure in individual segments, as set out in the note of significant accounting policies.

Revenue and direct expenses in relation to segment are allocated based on items that are individually identifiable to the respective segment while the remainder of the costs are categorized as unallocated expenses. The management believes that it is not practical to provide segment disclosure to these expenses and accordingly these expenses are separately disclosed as unallocated and adjusted only against the total income of the Corporation. The overall percentage of such unallocable expenses to total revenue is not material.

Assets and liabilities contracted are allocated to different segments based on their individual identity. The fixed assets of corporate/ Zonal/ Regional office have been allocated on the basis of usage and assets / liabilities, which cannot classify to segments, are shown as unallocated assets/ liability. The overall percentage of such unallocable Assets/ Liabilities to total Assets/ Liabilities is not material.



Segment Reporting for the year ended on 31st March 2018

AMOUNT (₹ in lakh)

Particulars	Licensee Catering		Railneer		Internet Ticketing		Tourism		Departmental Catering		Elimination		Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue														
Income	44,611.41	16,162.91	437.41	402.01	20,425.32	46,993.86	40,352.64	52,549.25	380.09	198.77			106,206.87	116,306.80
Sales(Excluding sales tax)			16,160.31	15,507.91					27,315.19	23,299.39			43,475.50	38,807.30
Inter-Segment Sales			1,331.01	1,319.67							(1,331.01)	(1,319.67)	-	-
Rail Yatri Nivas and Railway Hotels							301.52	317.46					301.52	317.46
Sales/Income(Bedroll & Cleaning)	-	-							-	-			-	-
Total Revenue	44,611.41	16,162.91	16,597.72	15,909.92	20,425.32	46,993.86	40,654.16	52,866.71	27,695.28	23,498.16	-	-	149,983.89	155,431.56
Segment Results	13,691.66	6,690.45	3,342.64	2,953.74	10,079.71	18,688.64	4,231.17	5,645.08	(1,477.51)	(5,329.53)	-	-	29,867.67	28,648.37
Unallocated Corporate Income													-	-
Unallocated Corporate Expenses													-	-
Operating Profit	13,691.66	6,690.45	3,342.64	2,953.74	10,079.71	18,688.64	4,231.17	5,645.08	(1,477.51)	(5,329.53)	-	-	29,867.67	28,648.37
Interest and other Income			-	-									4,957.01	4,439.49
Income Taxes													12,164.77	11,624.22
Profit from Ordinary Activities	13,691.66	6,690.45	3,342.64	2,953.74	10,079.71	18,688.64	4,231.17	5,645.08	(1,477.51)	(5,329.53)	-	-	22,659.90	21,463.65
Prior Period Income(-)/ Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bad & Doubtful Debts written off or provided	-	-	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.13	-
(Profit)/Loss on sale of assets	4.67	0.40	1.48	0.05	21.36	1.64	4.63	1.36	8.51	88.57	-	-	40.65	92.02
Interest Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit	13,686.98	6,690.04	3,338.03	2,953.69	10,058.35	18,687.00	4,226.54	5,643.71	(1,486.02)	(5,418.10)	-	-	22,616.12	21,371.63
Other Information														
Segment Assets	45,947.03	37,618.25	11,520.64	9,432.30	175,970.61	144,072.57	7,630.87	6,247.63	(26,053.85)	(21,331.09)	-	-	215,015.29	176,039.65
Unallocable Corporate Assets													7,828.58	6,409.50
Total Assets	45,947.03	37,618.25	11,520.64	9,432.30	175,970.61	144,072.57	7,630.87	6,247.63	(26,053.85)	(21,331.09)	-	-	222,843.87	182,449.15
Segment Liabilities	48,232.48	37,227.84	3,372.19	2,602.80	57,990.57	44,759.54	5,506.83	4,250.40	12,578.85	9,708.88	-	-	127,680.93	98,549.46
Unallocable Corporate Liabilities													7,422.05	5,728.65
Total Liabilities	48,232.48	37,227.84	3,372.19	2,602.80	57,990.57	44,759.54	5,506.83	4,250.40	12,578.85	9,708.88	-	-	135,102.98	104,278.11
Capital Expenditure	-	-	261.83	1,414.15	1,168.84	1,327.68	390.82	146.06	251.83	60.88	-	-	2,073.32	2,948.77
Unallocable Corporate Expenditure													-	-
Total Capital Expenditure	-	-	261.83	1,414.15	1,168.84	1,327.68	390.82	146.06	251.83	60.88	-	-	2,073.32	2,948.77
Depreciation	59.34	20.45	297.96	256.99	1,491.04	1,373.40	387.29	380.72	130.47	209.81	-	-	2,366.11	2,241.37
Unallocable Corporate Depreciation													-	-
Total Depreciation	59.34	20.45	297.96	256.99	1,491.04	1,373.40	387.29	380.72	130.47	209.81	-	-	2,366.11	2,241.37

Note: 1. Departmental Catering includes Non-Railway Catering.

2. Inter-segment sales are not taken into total revenue.

3. Previous year figures have been re-arranged /regrouped and re-casted, where ever necessary to make them comparable with the current year figures.



NOTES :- 62 CAPITAL MANAGEMENT

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders. Company does not have any borrowings as at 31st March 2018.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. No changes were made in the objectives, policies or processes of managing capital during the year ended 31st March 2018.

NOTE :- 63 FAIR VALUE MEASUREMENTS

(i) Financial Instruments by Category

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018			As at 31 st March 2017		
	FVTPL*	FVTOCI**	Amortized Cost	FVTPL*	FVTOCI**	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Investment	-	-	0.32	-	-	0.32
(ii) Security Deposits	-	-	1,104.50	-	-	1,177.76
(iii) Trade Receivables	-	-	54,720.11	-	-	28,866.52
(iv) Cash and Cash Equivalents	-	-	49,315.89	-	-	48,611.71
(v) Bank Balances other than Cash & Cash Equivalents	-	-	34,071.36	-	-	36,684.50
(vi) Others	-	-	1,803.19	-	-	1,570.35
	-	-	141,015.37	-	-	116,911.15
Total Financial Assets						
Financial Liabilities						
(i) Security Deposits	-	-	12,917.03	-	-	12,270.69
(ii) Trade payables	-	-	15,043.24	-	-	13,718.16
(iii) Others	-	-	39,448.55	-	-	34,002.00
Total Financial Liabilities	-	-	67,408.82	-	-	59,990.85

*Fair Value through Profit & Loss

**Fair value through Other Comprehensive Income

(ii) Assets and liabilities which are measured at amortized cost for which fair values are disclosed.

AMOUNT (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018		As at 31 st March 2017	
	Carrying Value	Fair value	Carrying Value	Fair value
Financial Assets				
Security Deposit	1,104.50	1,162.78	1,177.76	1,188.86
Total Financial Assets	1,104.50	1,162.78	1,177.76	1,188.86
Financial Liabilities				
Security Deposit	12,917.03	10,985.68	12,270.69	12,204.29
Total Financial Liabilities	12,917.03	10,985.68	12,270.69	12,204.29

- The carrying amounts of trade receivables, trade payables, Short term Security Deposit, cash and cash equivalents and other short term receivables and other payables are considered to be same as their fair values, due to short term nature.
- The fair value of long term security deposits were calculated on the cash flows discounted using current market rate of fixed deposits. They are classified as level-3 of fair values hierarchy due to inclusion of unobservable inputs.



Fair value hierarchy

Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 – Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

Level 3 - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at fair value on recurring basis and at amortised cost.

Quantitative disclosures fair value measurement hierarchy for financial assets as on 31st March 2018:-

Amount (₹ in Lakh)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets measured at Amortised Cost for which fair value are disclosed:				
Security Deposit	–	–	1,162.78	1,162.78
	–	–	1,162.78	1,162.78

Quantitative disclosures fair value measurement hierarchy for financial liabilities as on 31st March 2018:-

Amount (₹ in Lakh)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial liabilities measured at Amortised Cost for which fair value are disclosed:				
Security Deposit	–	–	10,985.68	10,985.68
	–	–	10,985.68	10,985.68

Quantitative disclosures fair value measurement hierarchy for financial assets as on 31st March 2017 :-

Amount (₹ in Lakh)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets measured at Amortised Cost for which fair value are disclosed:				
Security Deposit	–	–	1,188.86	1,188.86
	–	–	1,188.86	1,188.86

Quantitative disclosures fair value measurement hierarchy for financial liabilities as on 31st March 2017:-

Amount (₹ in Lakh)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial liabilities measured at Amortised Cost for which fair value are disclosed:				
Security Deposit	–	–	12,204.29	12,204.29
	–	–	12,204.29	12,204.29

NOTE :-64 FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's principal financial liabilities comprise trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include trade and other receivables and cash and cash equivalents that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The company financial risk activities are governed by appropriated policies and procedures and that financial risk are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors reviews and agrees policies for managing each of these risk, which are summarized below:-

**a) Market Risk**

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk includes loans and borrowing, deposits and other non derivative financial instruments.

i) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company manages its interest risk in accordance with the companies policies and risk objective. Financial instruments affected by interest rate risk includes deposits with banks. Interest rate risk on these financial instruments are very low as interest rate is for the period of financial instruments.

ii) Foreign Currency Risk

The company operated internationally and is exposed to foreign currency risk arising from foreign currency transactions. Company does not hedge any foreign currency risk.

b) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's receivables from customers. The company is exposed to credit risk from its financial activities including trade receivable, deposits with banks, financial institutions and other financial instruments. The maximum exposure to credit risk is equal to the carrying value of the financial assets. The objective of managing counterparty credit risk is to prevent losses in financial assets. The Company assesses the credit quality of the counterparties, taking into account their financial position, past experience and other factors.

c) Financial Instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the company will not be able to meet its financial obligations as they become due. The company manages its liquidity risk by ensuring, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risk to the company's reputation. The company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents and the cash flow that is generated from operations. The company has no bank borrowings. The company believes that the working capital is sufficient to meet its current operational requirements. Any short term- surplus cash generated, over and above the amount required for working capital management and other operational requirements, are retained as cash and investment in short term deposits with banks. The said investments are made in instruments with appropriate maturities and sufficient liquidity.

NOTE :- 65 ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities are measured using the valuation techniques including DCF model. The inputs to these methods are taken from observable markets where possible, but where this it is not feasible, a degree of judgement is required in arriving at fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

b) Taxes

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which losses can be utilized significant management judgement is required to determine the amount of deferred



tax asset that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable profit together with future tax planning strategies.

c) Defined benefit Obligations

Employee benefit obligations are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

d) Useful lives of property, plant and equipment

The estimated useful lives of property, plant and equipment is as given in the note no 2(n). Estimated useful lives of property, plant and equipment are based on number of factors including the effects of obsolescence, demand, competition, and other economic factors. The Company reviews the useful life of property, plant and equipment at the end of each reporting date.

NOTE :- 66 PROCUREMENT FROM MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES)

Details of dues to micro, small and medium enterprises as defined under the micro and Small Enterprise Development Act, 2006 are given on the basis of information available with the management:-

AMOUNT (₹ in Lakh)

S.No	Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
a	Principal amount and interest thereon remaining unpaid at the end of year Interest paid including payment made beyond appointed day	86.15	36.30
b	Interest due and payable for delay during the year	8.22	1.33
c	Amount of interest accrued and unpaid as at year end	17.02	8.79
d	The amount of further interest due and payable even in the succeeding year	—	—

NOTE :- 67 TICKET DEPOSIT RECEIPT REFUND (TDR) CASES

The TDR refund is made by the Company to the passengers after receipt of the same from Indian Railway. As on 31st March 2018, number of cases pending were 43,131 with value of ₹ 406.64 lakhs.

NOTE :- 68 RAILNEER PLANTS ON PPP MODEL

The company has decided to set up 11 nos. Of Railneer Plants at various locations at PPP model. Out of 11, two plants located at Amethi (U.P.) and Parasala (Kerala) are already in operation and other 9 Railneer plants will start in coming years. For these plants, a capital support will be provided by the Corporation to the contractors as per the contract agreement with the respective plant operators.

NOTE :- 69

The company does not foresee any financial liability with regards to the CBI Enquiry against the Ex-Railway Minister involving the Ex-Senior Official of IRCTC as per reports in the media.

NOTE :- 70 APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 24th August, 2018.



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018.

The preparation of financial statements of **INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED**, for the period ended 31 March 2018 on accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24 August 2018

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED** for the period ended 31 March 2018 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(B.R. Mondal)

Principal Director of Audit
Railway Commercial, New Delhi

Place : New Delhi
Date : 26th September, 2018





इंडियन रेलवे कटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम—मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise—Mini Ratna Category-I)

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय

11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23311263-64, फैक्स : 011-23311259

सीआईएन : U74899DL1999GOI101707

Regd. & Corp. Office :

11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

Tel.: 011-23311263-64, Fax: 011-23311259

CIN : U74899DL1999GOI101707